लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

अंक 28, शुक्रवार, 31 मार्च, 1978/10 चैत्र, 1900 (शक)
No. 28, Friday, March 31, 1978/Chaitra 10, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 532, 535, 536, 537, 540, 541, 544, 546 और 552	*Starred Questions Nos. 532, 535, 536, 537, 540, 541, 544, 546 and 552	1—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 531, 533, 534, 538, 539, 542, 543, 545, 547, 548, 550, 551 और 553	Starred Question Nos. 531, 533, 534, 538, 539, 542, 543, 545, 547, 548, 550, 551, and 553	16—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 5014 से 5038, 5040 से 5061, 5063 से 5065, 5068 से 5102, 5104 से 5169, 5171 से 5201, 5203 से 5205, 5027, 5210, 5212 और 5213	Unstarred Question Nos. 5014 to 5038, 5040 to 5061, 5063 to 5065, 5068 to 5102, 5104 to 5169, 5171 to 5201, 5203 to 5205, 5027, 5210, 5212 and 5213	25—132
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table.	132—136
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills.	134—136
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance-	136
तमिलनाडु में वेदारण्यम साल्ट कम्पलेक्स में अभूतपूर्व मात्रा में नमक जमा हो जाने से उत्पन्न स्थिति का समाचार	Reported situation arising out of accumulation of salt stocks in Vedaranyam Salt Complex (Tamil Nadu)	136
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम	Shri S. D. Somasundaram.	136
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate.	136
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee.	
69वाँ प्रतिवेदन	Sixtyninth Report.	138
रेल अभिसमय समिति	Railway Convention Committee.	
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report.	138
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (राउरकेला इस्पात संयंत्र) के अन्तर्गत कालता आयरन माइन कालता (उड़ीसा) के कर्मचारियों के बारे याचिका के बारे	Petition re Grievances of Workers of Kalta Iron Mine under Hindustan Steel Limited (Rourkela Steel Plant), Kalta (Orissa).	138
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under rule 377.	139—140
(1) सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन के बारे	(i) Re Sarkaria Commission Report.	139

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(2) टेलीकोम फैक्टरीज के पुनर्गठन के बारे समाचार	(ii) Reported re-organisation of Telecom Factories	139
(3) कुट्टानाड केरल में धान उत्पादकों के समक्ष संकट का समाचार	(iii) Reported crisis faced by paddy Cultivators in Kuttanad Kerala .	140
(4) कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हरिजनों पर कथित अत्याचारों का समाचार	(iv) Reported atrocities on Harijans in Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra	140
(5) केन्द्रीय रोजगार केन्द्र (श्रम) गोरखपुर द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को श्रमिक देने के करार को समाप्त किये जाने का समाचार	(v) Reported termination of agreement for supply of workers by Central Employment Exchange (Labour) Gorakhpur to Hindustan Steel Ltd..	140
अनुदानों की माँगें 1978-79	Demands for Grants, 1978-79. .	141—152
नौवहन और परिवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping and Transport.	
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa. . . .	141
श्री विनोदभाई बी० शेठ	Shri Vinodbhai B. Sheth. . .	142
श्री पूर्ण सिन्हा	Shri Purna Sinha. . . .	143
श्री सी० एन० विश्वनाथन	Shri C. N. Visvanathan. . .	144
श्री शशाँक शेखर सान्याल	Shri Sasankasekhar Sanyal. .	145
श्री बी० के० नायर	Shri B. K. Nair. . . .	146
श्री बापू साहिब परुलेकर	Shri Bapusaheb Parulekar. .	147
श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा	Shri Padmacharan Samantasinhera	148
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin. .	149
श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे	Shri Annasaheb Gotkhinde.	150
श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi.	151
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति 15 वाँ प्रतिवेदन	Committee on Private Member's Bills and Resolutions Fifteenth Report . .	152
अंग्रेजी को अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनाये रखने के बारे में संकल्प	Resolution re:continuance of English as additional Link language. .	152—161
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . . .	152
श्री एन० कुदनथई रामलिंगम	Shri Kudanthai N. Ramalingam .	153
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar. . .	153
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukmdeo Narain Yadav.	155
श्री ए० ई० टी बैरो	Shri A. E. T. Barrow . .	156
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundaram.	157
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh. . .	157
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan.	158
श्री युवराज	Shri Yuvraj. .	160

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 31 मार्च, 1978/10 चैत्र, 1900 (शक)

Friday, March 31, 1978/Chaitra 10, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वित्तीय सहायता के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) का पूंजी निवेश

*532. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का वित्तीय सहायता के रूप में पूंजीनिवेश पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असंतुलन को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटल) (क) : जी हां ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता की व्याख्या करने में, विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि बढ़ाने वाले तत्वों पर ध्यान रखा जाता है जैसे कि भौतिक स्रोतों की उपलब्धता, प्रबन्धकीय और उद्यमी क्षमताओं की उपस्थिति तथा वृद्धि के लिए सामान्यतः अनुकूल वातावरण। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सदा ही ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रयास किया है जो कि तकनीकी रूप से सम्भाव्य, आर्थिक रूप से सक्षम और सामान्यतः राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों ।

विभिन्न राज्यों और विभिन्न राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1970 से पिछड़े हुए क्षेत्रों में कारखाने स्थापित करने के लिए रियायती आधार पर वित्तीय सहायता देने की योजनाएं आरम्भ की थीं। वृद्धि में सहायता देने के अन्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में, जिनमें सारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र आ जाता है, कारखाने स्थापित करने के मामले में प्रोत्साहक (प्रोमोटर्स) की ओर से कम अंशदान को स्वीकार करना ;

(2) पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं की सम्भावनाओं को पहचानने और वहां की परियोजनाओं के प्रोत्साहन में सहायता की दृष्टि से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने दूसरी संस्थाओं के सहयोग से पूर्वी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षण किये हैं ; और

(3) तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने गौहाटी में नार्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रीयल एण्ड टेक्नीकल कंसलटैंसी आरगेनाइजेशन (उत्तर-पूर्वी औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन और पटना में बिहार इंडस्ट्रीयल एण्ड टेक्नीकल कंसलटैंसी आरगेनाईजेशन (बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन) की स्थापना की है।

श्री चित बसु : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पूर्वी और उत्तरी अंचलों की औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण किया है। क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है? यदि हाँ, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है? क्या उनके पास यह सिद्ध करने के लिए आंकड़े हैं कि पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम पूंजी लगी है?

श्री एच० एम० पटेल : यह सर्वेक्षण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया गया है। प्रतिवेदन सरकार को पेश नहीं किया गया है। सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। ये सारे मामले इस बैंक को ही निपटाने हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमता का पता लगाना मात्र था। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री ने भी यह प्रश्न मुझसे किया था। मैंने बताया था कि हमने जो प्रयास किये हैं उनसे वहाँ के औद्योगिक विकास को गति मिली है। वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों से पूर्वी अंचल को अधिक सहायता मिलने लगी है। पिछले चार वर्षों यानि 1972-73 से 1976-77 के दौरान इससे पूर्व के चार वर्षों के 158.41 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना में 348.25 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। इन पिछले चार वर्षों में पूर्वी अंचल को जो सहायता दी गई उसका 50 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम बंगाल को मिला। यह बात समझ लेनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल अन्य पूर्वी प्रदेशों से अधिक विकसित है।

श्री चित बसु : राष्ट्रीय विकास परिषद् की गत बैठक में कई मुख्य मंत्रियों ने नीति निर्धारण, प्राथमिकता नियंत्रण तथा सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की नीति-पुनर्निर्धारण के मामलों में राज्य सरकारों को भी शामिल किये जाने का सुझाव दिया था। मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि औद्योगिक विकास बैंक ने सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया है पर सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। मैं जानना चाहता हूं कि उक्त बैठक में मुख्य मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री एच० एम० पटेल : वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में ऐसा लगता है कि काफी गलत धारणा है। ये कम्पनियों और संगठनों को ऋण देते हैं। ये उनके मामले तैयार करते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिन परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी जाए वे सक्षम हों। उनके लिए उद्यम सम्बन्धी आवश्यक संसाधन मौजूद हैं। कुछ वित्तीय साधन जुटाए जा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वित्तीय संस्थाएं निर्णय लेती हैं। सरकार नीति सम्बन्धी अपने निर्णय उनके पास भेजती है। इन मामलों में राज्य सरकारों से बातचीत की जाती है। कई अवसर ऐसे आते हैं जब केन्द्र और राज्य सरकारें इन विषयों पर विचार विमर्श कर सकती हैं। पर जहाँ तक संस्थाओं का प्रश्न है वह निश्चित रूप से वित्तीय साधनों को ध्यान में रख कर कार्यवाही करते हैं।

श्री पूर्ण सिन्हा : क्या उत्तर-पूर्वी अंचल में भौतिक संसाधन, प्रबन्ध तथा उद्यम सम्बन्धी क्षमताएं और उच्च विकास परिस्थितियां उपलब्ध हैं? इस अंचल में औद्योगिक विकास के लिए कितनी गुंजाइश है? गौहाटी में स्थापित तकनीकी परामर्श सेवा की क्या क्षमता है? इस तकनीकी परामर्शदात्री संगठन की व्याप्ति क्या है?

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, इस प्रकार की प्रतिभा कुछ हद तक उत्तर-पूर्वी अंचल में उपलब्ध हैं। पर उतने संसाधन नहीं हैं जितने लोग इस काम के लिए आगे आ रहे हैं। अतः यह संगठन वहां स्थापित किया गया है जिससे कि वहां के लोगों का मार्गदर्शन हो सके और उनकी मदद की जा सके। इसका इतना ही सीमित उद्देश्य है।

श्री एल० के० डोले : महोदय, प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देते हुए ऐसी परियोजनाओं को ऐसी सहायता देने के मामले में राष्ट्रीय तौर पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर ठीक ही बल दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की सहायता देने के लिए कौन से मानदण्ड अपनाए जाते हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख किया जा चुका है।

श्री एल० के० डोले० : काम के आकार को देखते हुए उत्तर-पूर्वी आंचल को दी जाने वाली सहायता का प्रतिशत क्या है ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं उनके प्रश्न को समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : वे इस संबंध में अपनाए जाने वाले मापदण्ड जानना चाहते हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिए कुछ मापदण्ड हैं और वे है उपलब्धता जो सभी पर लागू होते हैं । चूंकि सुदूर पूर्वी आंचल और उत्तर-पूर्वी आंचल में प्रतिभा की कमी है, इसलिए इनके मामलों में उक्त संस्थाओं ने कुछ ऐसे काम किये हैं जो वे आमतौर पर नहीं करते ।

श्री एल० के० डोले : अनुपात क्या है ?

श्री एच० एम०पटेल : मैंने पहले ही इस पहले प्रश्न का कि क्या यह सच है कि आई० डी० बी०आई० द्वारा वित्तीय सहायता के जरिये पूर्वी और उत्तर-पूर्वी प्रदेश में अपेक्षाकृत कम निवेश किया गया है, 'हां' में उत्तर दे दिया है । यदि आप सही आंकड़े चाहते हों तो मैं आपको वह भी दे सकता हूं ।

उदाहरण के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जुलाई, 1976 से जून, 1977 तक की अवधि के दौरान कुल 5.26 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई और पूर्वी क्षेत्र अर्थात् बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आदि में 89.17 करोड़ रुपये की राशि दी गई ।

अब अन्य क्षेत्र में यह ज्यादा है । किन्तु यह याद रखा जाना चाहिए कि इसके अतिरिक्त आई०डी०बी०आई० इन क्षेत्रों के लिए जिनकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई है, कुछ सहायता भी देता है । सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कुछ निवेश किया जाता है और इसे हिसाब में लेने पर तो अन्तर इतना नहीं रह जाता है जितना समझा जाता है ।

श्री सौगत राय : महोदय, 1976 में औद्योगिक विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में रुग्ण, जूट उद्योग के लिए आसान शर्तों पर ऋण योजना आरम्भ की थी । वर्तमान प्रतिवेदन से मुझे यह मालूम पड़ता है कि यह योजना समाप्त की जा रही है। क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि जूट उद्योग के लिए आसान शर्तों पर ऋण योजना की जो कि एक महत्वपूर्ण योजना है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री एच० एम० पटेल : जूट उद्योग के लिए आसान शर्तों पर ऋण योजना में कोई रूपभेद नहीं किया गया है । जूट उद्योग आज उस समय से जब यह योजना आरम्भ की गई थी अपेक्षाकृत कुछ अच्छी स्थिति में है किन्तु जहां तक सुविधाओं का सम्बन्ध है ये वैसी ही हैं जैसे पहले थीं ।

प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन द्वारा सवारी डिब्बों और माल डिब्बों का निर्यात न किया जाना

*535. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन (पी० ई० सी०) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए कुछ देशों द्वारा निगम को दिये गए अनेक क्रयादेशों को पूरा नहीं कर सका, हालांकि उन देशों ने उनके पूरे मूल्य का भुगतान पहले ही कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इस संबंध में हुए सौदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत के राजकोष को इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई है ; और

(घ) इस मामले में किस प्रकार के अनुशासनात्मक और उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

रेल माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए केवल एक निर्यात क्रयादेश ऐसा है जिसमें खरीदार अर्थात् परिवहन तथा दूर संचार मंत्रालय, यूगान्डा सरकार ने संविदा की पूरी राशि का भुगतान अग्रिम कर दिया था। राज्य व्यापार निगम के अनुषंगी, कार्यालय, प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन के साथ सितम्बर, 1976 में हुई संविदा 250 माल डिब्बों तथा 20 सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए थी। साख पत्र देने तथा संविदा की शर्तों के अनुसार खरीदारों द्वारा गारन्टी देने में हुए विलम्ब की वजह से संविदा का कार्यान्वयन कुछ समय के लिए रुक गया। तथापि, पक्षकारों के बीच जनवरी 1978 में भारत में हुई चर्चाओं के फलस्वरूप इस संविदा से सम्बन्धित बाकी समस्याओं को अधिकांशतः सुलझा दिया गया और ऐसी आशा है कि इस संविदा का कार्यान्वयन निर्बाध रूप से चलता रहेगा। भारतीय सरकारी कोष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तथा इस विषय में किसी प्रकार की अनुशासनिक अथवा प्रतिकारी कार्यवाही नहीं की गई।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, परियोजना और उपकरण निगम, राज्य व्यापार निगम का एक आनुषंगी प्रतिष्ठान है और सितम्बर, 1976 अर्थात् आपातकालीन अवधि में एक ठेका हुआ था यह ठेका 250 वेगन और 20 यात्री डिब्बों की सप्लाई के लिए हुआ था। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि रेल वेगनों और यात्री डिब्बों की सप्लाई के लिए केवल एक ही निर्यात आदेश था जिसमें क्रेता द्वारा ठेके की पूरी कीमत पहले ही अदा कर दी थी। क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि वेगनों तथा यात्री डिब्बों के अलावा अन्य माल की सप्लाई के लिए निर्यात आदेश अन्य देशों से मिले थे? क्या अन्य देशों से रेल वेगनों और यात्री डिब्बों के अलावा अन्य माल तथा उपकरणों की सप्लाई के आदेश मिले थे? यदि हां तो अन्य देशों के साथ करार के सम्बन्ध में कोई दोष था?

Shri Arif Beg : The question relates to wagons and coaches and whether other information if asked for by the Hon'ble Member can be given ?

Shri Hari Vishnu Kamath : This is a matter of regret that inspite of my asking for any remedial measures in the question, he has not come prepared. He should have come prepared for such supplementary questions.

अध्यक्ष महोदय : ये इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होते। मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

श्री हरि विष्णु कामत: वक्तव्य में भी दिया गया है :

> "तथापि, पक्षकारों के बीच जनवरी, 1978 में भारत में हुई चर्चाओं के फलस्वरूप इस संविदा से सम्बन्धित बाकी समस्याओं को अधिकांशतः सुलझा दिया गया....."

संविदा की शर्तों के अनुसार साखपत्र देने तथा क्रेताओं द्वारा संविदा की शर्तें देने के बारे में कितना विलम्ब हुआ क्या संविदा के उस भाग को क्रेता द्वारा पूरा करने तथा उपर्युक्त वक्तव्य में उल्लिखित अंतिम निर्णय के बीच समय का कोई अन्तर है?

Shri Arif Beg : I will tell you about the delay on the part of the buyers.

बाद में लगभग एक वर्ष के कुल विलम्ब के बाद अक्तूबर, 1977 में क्रेता ने 75 प्रतिशत की शेष राशि तथा बैंक गारंटी को बदलने की रकम का भुगतान कर दिया।

श्री हरि विष्णु कामत : गारंटी के बारे में क्या बात है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : महोदय, यह सच है कि 1976 में करार किया गया था। सम्बद्ध देश द्वारा यह मान लिया गया था कि वह जमा राशि का तत्काल भुगतान करेगा। दुर्भाग्य से विलम्ब हमारे संस्थान पी० ई० सी० की ओर से नहीं हुआ। अप्रेल, 1977 में जो विलम्ब शुल्क अदा किया गया वह 4.5 प्रतिशत था और बाद में 12.5 प्रतिशत दिया गया (**व्यवधान**) यह अप्रेल, 1977 में हुआ और शेष राशि हमारे पास अक्तूबर, 1977 में आई।

अतः यदि कोई विलम्ब हुआ है तो वह हमारे संस्थान द्वारा नहीं हुआ है बल्कि स्वयं सम्बद्ध देश द्वारा हुआ है। उनके द्वारा धनराशि जमा करने के तुरन्त बाद हम आपस में बैठे। इस बीच कीमत कुछ बढ़ गई। अब हमने सम्बद्ध देश को कहा कि कीमतें बढ़ गई हैं और तद्नुसार जब प्रतिनिधिमंडल यहां आया इस पर चर्चा हुई और स्थिति स्पष्ट की गई। उस देश ने जो वृद्धि हुई उसे भी देना कबूल किया। जहां तक इस ठेके का सम्बन्ध है हमारे संस्थान की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

श्री हरि विष्णु कामत : उगांडा सरकार.....

अध्यक्ष महोदय: नहीं, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत: अनुपूरक प्रश्न.....

अध्यक्ष महोदय: अनुपूरक प्रश्न नहीं,

श्री हरि विष्णु कामत : इस पर मैं आधे घंटे की चर्चा करूंगा।

Shri Tej Pratap Singh : There is so much shortage of railway wagons and coaches in the trains at present that there is lot of rush in trains. When they are bent upon earning foreign exchange let them complete the contract undertaken by them. But in future they have to take into consideration the rush in the trains and see that they should first meet the requirement of the country and not enter into any contract.

Shri Arif Beg : As the Hon'ble Member has said about the rush in the country.....

अध्यक्ष महोदय: वह यह कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ माल डिब्बों की कमी है तो आप इन्हें बाहर क्यों बेच रहे हैं ?

श्री मोहन धारिया: जहाँ तक देश में हमारी क्षमता का सम्बन्ध है यह भारतीय रेलों की आवश्यकता से बहुत अधिक है। हम भारतीय रेलों की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हैं और उनकी आवश्यकता पूरी होने के बाद हमारी निर्यात की पर्याप्त क्षमता रहती है अतः हम इस क्षमता का निर्यात के लिए उपयोग कर रहे हैं।

डा० बसंत कुमार पंडित : क्या मंत्री महोदय यह विस्तार से बतायेंगे कि साख पत्र सम्बन्धी विलम्ब के अलावा क्या आकार आदि के बारे में भी कोई विवाद था ? जब प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया तो क्या उन्होंने सप्लाई किये जाने वाले डिब्बों के बारे में कोई चर्चा की ? अब इसके बाद क्या सरकार के सम· पी०ई०सी० को उसके मूल निकाय में स्थानाँतरित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मोहन धारिया: विशिष्ट नियम के बारे में विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो समझौते के अनुसार और सम्बन्धित देश की इच्छा के मुताबिक था हमने इन मदों को देने का निर्णय किया है। कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन (पी०ई०सी०) के कार्यकरण का सम्बन्ध है, यह ठीक तरह से चल रहा है और इसका राज्य व्यापार निगम के साथ विलय का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पाकिस्तान और बांगला देश के साथ व्यापार संबंध

*536. **श्री सौगत राय**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाँगलादेश और पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्धों में सुधार करने के लिए कोई बातचीत चल रही है;

(ख) क्या कोई निर्णय लिये गये हैं अथवा निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

बंगलादेश

भारत और बंगलादेश के बीच वार्षिक व्यापार समीक्षा वार्ताएं 23 फरवरी, 1978 से 25 फरवरी, 1978 तक हुई । भारतीय प्रतिनिधिमंण्डल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य सचिव ने किया और बंगलादेश के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व बंगलादेश के वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने किया । 1976-77 में दोनों देशों के बीच व्यापार की सामान्य समीक्षा की गई । बंगलादेश पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय व्यापार में जो असंतुलन है उसे कम करने के लिए भारत को प्रयत्न करने चाहिएं । भारतीय पक्ष ने यह भी बताया कि बंगलादेश के लिए हमारे निर्यातों में गिरावट का रुख रहा है और इस रुख को पलटने की अब आवश्यकता है । दोनों पक्षों के बीच परस्पर यह सहमति हुई कि यदि कीमत और क्वालिटी संतोषजनक पाई गई तो भारत 1978 में निम्नलिखित मदें उनके आगे दिखाई गई मात्रा के अनुसार खरीदने के बारे में विचार करेगा :

1. अखबारी कागज	10,000 मे०टन
2. नेफ्था	20,000 मे०टन
3. मिट्टी का तेल	40,000 मे०टन
4. शीरा	15,000 मे०टन
5. क्लोरोक्वीन डाई फासफेट	20 मे०टन

इसके बदले में बंगलादेश ने इंजीनियरी माल, बिल्डर्स हार्डवेयर और उपभोक्ता मदों जैसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात जारी रखने में भारत की रुचि को नोट किया । इसके अलावा वह सिद्धान्त रूप से 1978 में 3 लाख मे० टन स्टीम कोल और 75,000 मे०टन असाम कोल खरीदने के बारे में विचार करने के लिए भी सहमत हुआ । बंगलादेश ने निर्यात के लिए कुछ अन्य मदों की पेशकश की और उनका आयात करने की संभावनाओं के बारे में संबंधित मंत्रालयों से सम्पर्क करके विचार-विमर्श किया जा रहा है । दोनों पक्ष प्रत्येक 6 महीने बाद व्यापार समीक्षा वार्ताएं करने के लिए सहमत हुए ।

पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली व्यापार समीक्षा वार्ताएं 1975 के व्यापार करार के ढांचे के अन्तर्गत, जिसकी अवधि जनवरी, 1978 में समाप्त हुई, अप्रैल 1977 में नई दिल्ली में हुई । हमने पाकिस्तान को यह सुझाव दिया कि उसे व्यापार करार की अवधि 6 महीने के लिए या जब तक एक नया व्यापार करार सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक के लिए, जो भी पहले हो, बढ़ा दी जाए । पिछले महीने हमारे विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान व्यापार के बारे में समीक्षा करने और एक नए व्यापार करार पर विचार-विमर्श करने के लिए हमारे प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत करने का इच्छुक है । यात्रा की परस्पर सुविधाजनक तारीखों का पता लगाया जा रहा है ।

श्री सौगत राय : मैंने सभा पटल पर रखे गये विवरण को अच्छी तरह पढ़ लिया है । जनता सरकार बंगलादेश और पाकिस्तान के वर्तमान शासन का मनोयोगपूर्वक उद्धरण करती रही है । परन्तु

दुर्भाग्य की बात है कि बातचीत के परिणाम विवरण में दिए गए जाली आँकड़ों से स्पष्ट नहीं हैं। बंगलादेश के सम्बन्ध में मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। बंगलादेश के सम्बन्ध में हमारी मुख्य समस्या पटसन के बारे में है, क्योंकि बंगलादेश से कच्चा पटसन चोरी छिपे भारत में आता है और इसका प्रभाव कच्चे पटसन की देश की कीमतों पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बंगलादेश निरन्तर भारत के मुकाबले पटसन और पटसन उत्पाद कम कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पटसन के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्ताव बंगलादेश, नेपाल और थाईलैंड के साथ उठाया गया। ऐसा मालूम हुआ है कि पटसन के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत असफल रही है और इसमें सफलता नहीं मिली है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पटसन के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या हम ऐसा कोई समझौता कर सके हैं कि बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन कम कीमत पर न बेचे।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : हमारा प्रयास यह है कि भारत, बंगलादेश और थाईलैंड पटसन समुदाय को, जो विश्व में मुख्य पटसन उत्पादक हैं, सफलता मिलनी चाहिए और हम बातचीत कर रहे हैं। इस बीच कुछ समझौता हो गया है और सभा को यह जानकर के खुशी होगी कि इन प्रयासों के कारण बंगलादेश और भारत दोनों देशों से पटसन का निर्यात गत वर्ष की अपेक्षा बढ़ गया है।

श्री सौगत राय : पाकिस्तान और बंगलादेश दोनों देशों के बारे में निर्यात का मुख्य मद कोयला हो सकता है परन्तु खेद की बात है कि बहुत मात्रा में कोयला अभी भी दिल्ली से बाहर और लाहौर सीमा से पश्चिम पाकिस्तान क्षेत्र के अन्य स्थानों को चोरी छिपे भेजा जाता है। क्या कोयले की तस्करी रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ कोई बातचीत हुई है ताकि सामान्य व्यापार माध्यमों से हम पाकिस्तान को कोयला निर्यात कर सकें।

श्री मोहन धारिया : सरकार की नीति बिलकुल स्पष्ट है। हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे देश से किसी चीज की तस्करी अन्य देशों को या हमारे देश के भीतर हो। हम इस पर दृढ़ हैं। इसके साथ ही यदि द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से हम कोयले का निर्यात कर सकते हैं और यदि यह भारत की आवश्यकता से अधिक होगा तो हम ऐसा करेंगे।

श्री विनोदभाई बी० शेठ : माननीय मंत्री जी का कहना है कि वह पाकिस्तान और बंगलादेश को कोयला की तस्करी नहीं होने देना चाहते तो क्या मैं उनका ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि गुजरात की सीमा में जोदिया से भारत से बाहर पाकिस्तान को काफी संख्या में पशु, भेड और बकरियाँ चोरी छिपे भेजी जाती हैं ?

श्री मोहन धारिया : मैं माननीय सदस्य की जानकारी की सराहना करता हूं। मैं इसकी छानबीन करूंगा।

पटसन और चावल से विदेशी मुद्रा की आय

†537. **श्री राज कृष्ण डान** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा की तुलना में पटसन, पटसन उत्पाद और चावल के निर्यात से कितनी शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

विवरण

अपेक्षित जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

	1974-75	1975-76	1976-77
कच्चा पटसन	17.52	10.10	1.23
पटसन उत्पाद	296.79	250.89	200.83
बासमती चावल	21.50	13.04	6.12
योग	335.81	274.03	208.18
निर्यातों के जरिए अर्जित कुल विदेशी मुद्रा . . .	3328.83	4042.81	5143.35

श्री राज कृष्ण डान : विवरण देखने से यह पता चलता है कि कच्चे पटसन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में निरन्तर कमी आ रही है । यह आय 1974-75 में 17.52 करोड़ रुपये थी जो 1975-76 में घटकर 10.10 करोड़ रुपये रह गई तो 1976-77 में और घटकर केवल 1.23 करोड़ रुपये ही रह गई है । इसी प्रकार से पटसन उत्पादों का निर्यात 1975-76 में 296.79 करोड़ रुपये से घटकर 250.89 करोड़ और 1976-77 में 200.83 करोड़ रुपये का रह गया है।

इसी प्रकार के 1974-75 में बासमती के निर्यात से हुई आय 21.50 करोड़ रुपये थी जो 1975-76 में कम होकर 13.04 करोड़ रुपये और 1976-77 में कम होकर 6.12 करोड़ रुपये की हो गई । मैं माननीय मंत्री से इस कमी के कारणों का पता लगाना चाहता हूं ?

Shri Arif Beg : As the honourable member has said that the exports of Jute products and basmati have declined as compared to that of previous years and he wanted to know the cause of this decline? First of all, I want to tell the honourable member that synthetics in place of Jute products have come in the world market and it is because of this that our exports have declined. Similarly, as far as the export of basmati is concerned, the price which it used to fetch in the markets of the countries of the World has decline and these competitit on with our neighbouring countries such as Pakistan in this regard. I want to inform that though the exports of these commodities have decline in the foreign countries but the Domestic consumption of these commodities has increased. We have exported more jute products as compared to that of last year. It is hoped that our position will be gradually strengthened in the world market.

Shri Raj Krishna Dawn: The answer given by the honourable minister is not correct the Jute factories are closed in West Bengal due to shortage of Jute there and the honourable minister was saying that there are no customers outside.

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री राज कृष्ण डान : कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर पटसन और धान के निश्चित किये गये सांविधिक मूल्यों को जांचने तथा कृषि में काम आने वाले उपकरणों के ऊंचे दामों और पश्चिम बंगाल में एकाएक लागू किये कृषि और श्रमिक वेतन अधिनियम से वेतन वृद्धि के सन्दर्भ में इन मूल्यों में वृद्धि न करने की सरकार की असफलता के कारण पटसन और धान उत्पादकों

को बड़ा वित्तीय घाटा हो रहा है। उन्हें अपनी उपज पर उचित दाम नहीं मिल रहे हैं । इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इन किसानों को वित्तीय हानि से बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और पटसन और चावल को निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिये तैयार है ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : जैसाकि सदन के सदस्य भली-भांति जानते हैं कि भारतीय पटसन निगम को पहली बार पटसन उत्पादक क्षेत्रों में केन्द्र स्थापित करने के लिये कहा गया है और इस वर्ष हमने इस बात के लिये आवश्यक कार्यवाही कर ली है ताकि उत्पादकों को उचित दाम और वह भी सम्बन्धित गांवों में दिये जायें जहां पर वह उत्पादन करते हैं । पटसन निर्यात के बारे में सदन को जान कर प्रसन्नता होगी कि अप्रैल से दिसम्बर, 1976 तक की अवधि में पटसन उत्पाद लगभग 130 करोड़ रुपये के हुए । यह अप्रैल से दिसम्बर 1977 की अवधि से अधिक है क्योंकि यह बढ़ कर 166 करोड़ रुपये हो गये हैं । सरकार के प्रयासों के कारण ही यह हुआ है कि निर्यात में वृद्धि हुई है और हम पटसन उत्पादन में वृद्धि के लिये भी कदम उठा रहे हैं और यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हों ।

Shri Om Prakash Tyagi : Whether it is a fact that Pakistani Jute products are better in quality than that of Indian Jute products and those are cheaper also, as a result of which India is facing difficulties when there is competition between India and Pakistan in this regard. I want to know about the efforts made by the Indian Government to produce cheap and quality Jute products as compared to those of Pakistan ?

Shri Mohan Dharia : No Jute is coming from Pakistan now. It is from Bangla Desh.....(Interruptions)

Shri Om Prakash Tyagi : I was referring to Bangla Desh only.

Shri Mohan Dharia : If ours were not quality goods, how the exports have gone up from 130 crores of rupees to 166 crores of rupees. We are taking action keeping in view all the factors such as how to ensure quality, to introduce new Fashion and good blending.

Shri Yuvraj : I want to know from the honourable minister whether it is not a fact that the mismanagement and corruption prevalent in the Jute Corporation of India are adversely affecting the exports thereof ?

Shri Mohan Dharia : This does not arise out of the question. I want to say that there is no corruption prevailing there. If the honourable member brings any specific cause of corruption to my notice, I will ask the Minister of Industries, who is incharge of this, to look into the matter.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्कर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि पिछले वर्ष से पटसन उत्पादकों को अच्छा दाम मिल रहा है । किन्तु शायद वह जानते हैं कि किसान पटसन का मूल्य 200 रुपये प्रति मन निश्चित करने की मांग कर रहे हैं । क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या सरकार पटसन उत्पादकों द्वारा मांगी गई न्यूनतम कीमत की घोषणा करेंगे । आप जानते हैं कि अनेक पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं और 40,000 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन मिलों को खोलने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि पटसन उत्पादक को वह दाम मिल सकें, जिसकी वह मांग कर रहे हैं ।

श्री मोहन धारिया : यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय से संबंधित है । किन्तु मैं सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार ने बन्द मिलों को चालू करवाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं और उन्हें लाभकारी दाम देने का प्रयत्न भी किया जा रहा है । पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने उत्पादकों/किसानों के केन्द्रों से पटसन खरीदने का निर्णय लिया है ।

Checking of Smuggling and Other Economic Offences

*540. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether smuggling and other economic offences are not being checked at present to the extent they were checked during the Emergency ; and

(b) whether Government will launch any special campaign against these persons ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) & (b) It is not correct the smuggling and other economic offences are not being checked at present to the extent they were checked during the Emergency. More effective measures in a pragmatic manner are being adopted to curb smuggling and prevalence of other economic offences.

The enforcement campaign against the malefactors is continuous and every effort is made to maintain optimum efficiency of the enforcement agencies.

Care is taken to see that the enforcement measures are done in accordance with democratic spirit and the laws of the country.

However, if there are any developments calling for any special measures or intensification of the existing measures, necessary action will be taken.

Dr. Ramji Singh : Although the reply of the Hon. Minister appears to be satisfactory, it is evasive. Many reports have appeared in the newspapers that smuggling has increased after the lifting of emergency. The Tribune has published a report about drugs-smuggling on the 24th October. The Economic Times has reported about hide smuggling on 29-5-77. The Financial Express has spoken of cotton-smuggling in its issue dated 21-9-77. Just now, Shri Saugat Rai told the House about coal smuggling. As far gold smuggling, while the seizure in 1976 was to the tune of Rs. 83 lakhs it increased to more than one crore 1977. These figures show that smuggling is on the increase. I would like to ask the Hon. Minister whether he can produce any data to show that smuggling has declined.

Shri Satish Agarwal : You can judge the extent of smuggling on the basis of data—the total seizers in 1974 were to the tune of Rs. 60 crores, Rs. 45 crores in 1975; Rs. 36 crores in 1976 and Rs. 29.40 crores in 1977. More than 2000 smugglers were released after the lifting of the emergency. In 1977, the Janata Government issued 186 detention orders under COFEPOSA on selective basis. Thus we prosecuted those whom we could. We made 1976 arrests out of which we prosecuted 389 persons and were able to get sentences for 321 from the courts. It would thus be clear that we are doing all that we can against smuggling. We are making an effort to make our preventive agencies strong. For that purpose, a wireless net-work is being set up, rewards are being increased, powers are being delegated to panchayats. We are making an effort to contain whatever smuggling is there all around.

Dr. Ramji Singh : In 1976, 2000 smugglers were arrested out of whom 300 absconded. I would like to know the number of smugglers arrested so far after the emergency and how many are absconding ? Do the Government propose to introduce summary trials fo checking smuggling ? Whether ill-gotten wealth will be attached as the Prime Minister had said on 20th February, 1977? What steps are proposed to be taken to attach the properties of such smugglers ?

Shri Satish Agarwal: After the assumption of office by the Janta Government, the actual numbers of detention orders issued was 186, of which 160 were arrested, one was released and 25 absconded.

As regards the confiscation of property, notices were issued in 1213 cases which involved properties worth Rs. 29.19 crores. In 294 cases, confiscation orders were issued. They involved property worth Rs. 5.52 crores. The orders issued after the award of the appellate tribunal involved property worth Rs. 4.13 crores.

Shri Kachrulal Hemraj Jain : Sir, this is a fundamental issue. Our Prime Minister Shri Morarji Desai and the leader of opposition Shri Y. B. Chavan are also present. I had sent a letter to the Finance Ministry mentioning that the release of Ratan Khatri

following the lifting of emergency, speculation activities have revived throughout the country. In reply I was informed that it was not understood as to which sort of speculation, cotton or oil or any other kinds of speculation I was referring. I told them that I was referring to pitcher speculation. This type of speculation is defaming the Government in the country, in villages, the poor farmer is being exploited. I would like to know what steps have been taken to check this activity.

Shri Satish Agarwal : Shri Ratan Khatri mentioned by the hon. Member, is connected with pitcher speculation and not with smuggling. Smuggling is different from pitcher speculation.

श्री बी० के० नायर : जनता सरकार के सत्ता में आने के तुरन्त बाद हजारों तस्कर····

अध्यक्ष महोदय : आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है । कृपया माइक के नजदीक आजाएं ।

श्री बी० के० नायर : जनता पार्टी के सत्ता में आने के तुरन्त बाद हजारों तस्कर बाहर आ गये और श्री जयप्रकाश नारायण के समक्ष आत्मसमर्पण किया । बम्बई में उन्होंने वचन दिया कि अब वह यह काम नहीं करेंगे और तस्करी रोकने में सहायता करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन भूतपूर्व तस्करों की सेवाओं का उपयोग किया गया है, और यदि हां, तो उसका क्या नतीजा है ?

श्री सतीश अग्रवाल : आपातस्थिति हट जाने के बाद 100 तस्करों ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सामने प्रतिज्ञा की । सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनमें से किसी ने भी तस्करी का काम पुनः आरम्भ कर दिया है । हो सकता है कि एक या दो मामलों में ऐसा हुआ है । सरकार ने उनकी सेवायें नहीं लीं । यदि ये लोग अपनी सेवायें अर्पित करना चाहें तो सरकार उसका लाभ उठायेगी ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मंत्री जी ने कहा है कि आपात काल के दौरान 2,000 लोग गिरफ्तार थे और आपातस्थिति के समाप्त हो जाने के बाद 176 रहते हैं । क्या मैं यह जान सकता हूं कि बाकियों को किस आधार पर रिहा किया गया और इनके मामलों पर विचार करने के लिये क्या कोई उच्चशक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी जिसमें इन्हें रिहा करने के लिये निर्णय लिये थे ?

श्री सतीश अग्रवाल : आपातस्थिति समाप्त होने से पहले पिछली सरकार ने 3349 बन्दियों की रिहाई के आदेश कर दिये थे, न कि 2,000 के आपातस्थिति खत्म किये जाने के बाद 2,000 से अधिक तस्करों को रिहा किया । यह रिहाई जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद नहीं हुई अपितु पिछली सरकार ने चुनाव या चुनाव से पहले ये आदेश कर दिये थे । हमने उन्हें रिहा नहीं किया । अतः कोई उच्चशक्ति प्राप्त समिति बनाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

काटन टक्सटाइल यार्न के निर्यात का ठेका पूरा करना

*541. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा सरकार को यह निदेश दिया गया है कि 8 अगस्त, 1977 के दिन अथवा उससे पूर्व काटन टैक्सटाइल यार्न के निर्यात के लिये किये गये करारों को पूरा किया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्यातों के लिये जहाजों पर लदान का काम पूरा करने की तारीख को बढ़ाकर 2 फरवरी, 1978 कर दिया है ;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पंजीकरण तथा निर्यात से इन्कार करने सम्बन्धी पहली कार्यवाही को ठीक कर लिया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर कार्यवाही नहीं की और उसे कार्यान्वित भी नहीं किया है ; और

(ङ) स्थिति को सुधारने एवं असंगति को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) सर्वोच्च न्यायालय में भारत संघ तथा अन्यों के विरुद्ध मैसर्स उदित एक्सपोर्ट्स द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका के फलस्वरूप सूत के निर्यात की उन सभी संविदाओं को पूरा करने की अनुमति दे दी गई थी जो 8-8-1977 को अथवा उससे पूर्व की गई थी और जिनके साथ ऐसे अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र थे, जो 30-9-1977 को अथवा उससे पूर्व संस्थापित किये गये थे । इन संविदाओं के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक वाद के निर्णय का क्रियान्वयन करते हुए निर्यात की अन्तिम तिथि को 31-12-1977 से बढ़ाकर 28-2-1978 कर दिया गया था

(ग) तथा (घ) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने समय-समय पर सार्वजनिक सूचनाय जारी करके सरकार द्वारा घोषित नीति को कार्यान्वित किया । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने इन सार्वजनिक सूचनाओं को उपयुक्त रूप से संशोधन किया है और उसने तदनुसार कार्य किया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या वाणिज्य मंत्री को मालूम है कि सूचना में एक कमी है जिससे सूत निर्यात करने वाले न्यायालय में जाते हैं और इस आदेश को रद्द करवाते हैं । पहले मामले में यह आदेश उन सभी फर्मों को यह अनुमति नहीं देता है जो निर्यात करने के लिये सी०टी० पी०सी० के पास पंजीकृत नहीं है । अतः न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया और कहा कि चाहे वे पंजीकृत है या नहीं हैं उन्हें निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिये । दूसरे मामले में समय के विस्तार के लिये भी उन्हें न्यायालय को भागना पड़ता है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे की सार्वजनिक सूचना जारी करते समय वे कानूनी सलाह लेते हैं या नहीं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : जब भी कोई अधि-सूचना जारी की जाती है कानूनी राय ली जाती है । किन्तु कई बार कानूनी सलाह भी भिन्न होती है । यह ऐसा ही एक मामला है । मैं इस बात की सराहना करता हूं तथा इस बात से सहमत हूं कि ऐसी सूचनाओं को जारी करने से पहले सरकार को अधिक सतर्क होना चाहिये ।

डा० बसन्त कुमार पंडित : कई मदों के आयात और निर्यात के सम्बन्ध में साख-पत्र को, एक खास तारीख तक खोलने के बारे में हमेशा एक खण्ड होता है । जब साख-पत्र मिलने वाला होता है, चाहे इस की जांच की जा रही हो या बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जा रहा हो अथवा आयातक या निर्यातक द्वारा प्रेषित किया जा रहा हो, तो व्यापारिक संसार में कई सौदे होते हैं । इक्विटी के मामले भी हैं, मेरे पास कई ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार इस बात पर दृढ़ रहती है कि साख-पत्र किसी खास तारीख तक नहीं खोला गया । व्यापारिक संसार में जब साख-पत्र मिलने वाला होता है तो इस पर विवाद नहीं होता है । अतः क्या सरकार ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करेगी और इक्विटी आधार पर, न कि कानूनी आधार पर, उन लाखों रुपयें का आयात या निर्यात मंजूर करेगी जो 'साख-पत्र' के शब्दार्थ के कारण नहीं हो सका ।

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि ऐसे सभी मामलों में सरकार का दृष्टिकोण समान रहा है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि साख-पत्र नहीं खोले जाते हैं किन्तु दृढ़ वचनबद्धता होती है । किन्तु यदि दस्तावेजों से यह सिद्ध हो जाता है कि वचनबद्धता पक्की थी तो उस स्थिति में समीक्षा की जाती है और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है । किन्तु कई बार यह हो सकता है कि पार्टियां इसका गलत फायदा उठायें । अतः यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार का रुख हमेशा समान रहेगा ।

श्री एस० आर० दामाणी : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के कार्य-चालन के बारे में कई शिकायतें मिली हैं । यह भी आरोप है कि समिति में दलबंदी है । आज समाचार पत्रों में आया है कि इन झगड़ों के कारण महानिदेशक ने त्यागपत्र दिया है । यह बहुत महत्वपूर्ण निकाय है और यह सूती वस्त्र के निर्यात की हेर-देख करती है । अतः क्या वे सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के समस्त मामले की जांच करेंगे ?

श्री मोहन धारिया : मुझे पहले ही कुछ शिकायतें मिली हैं और मैंने सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के कार्यकरण की तत्काल जांच करने के लिये वाणिज्य सचिव को कहा है । मैंने परिषद् के सभापति से इस मामले पर चर्चा की है, और मैंने उनसे कहा है कि इसे निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये । यदि किसी प्रकार की दलबन्दी या उस प्रकार की कोई और बात है या सताने की बात है तो हम ऐसा होने नहीं दे सकते । उस स्थिति में सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को दी गई शक्तियां वापस ली जायेंगी । यह बात भी मैं सभापति को कहूंगा । सचिव स्वयं इस मामले की जांच कर रहा है ।

श्री यशवंत बीरोले : उन्होंने जो उत्तर दिया है वह यह है कि अधिसूचना में जो दोष है वह व्याख्या के बारे में मतभेद के कारण है । क्या वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखेंगे और किस प्रकार के दोष हैं उसके बारे में सभा को बतायेंगे । ये कानूनी व्याख्या के कारण नहीं है किन्तु य अधिसूचना में चूक के कारण है तथा जानबूझ कर भूल के कारण है जिससे यह हानि हुई है ।

श्री मोहन धारिया : मैंने निर्णय को देखा है और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि पिछली अवधि से लागू होने संबंधी व्याख्या के बारे में विवाद है । कुछ इस पक्ष में थे कि यह पिछली अवधि से प्रभावी होना चाहिये जबकि उच्चतम न्यायालय का यह विचार नहीं था । अतः यह मतभेद था ।

Shri Ugra Sen: Mr. Speaker Sir, the reply of the Hon'ble Minister transpires that the concerned people have misinterpreted the judgement of Supreme Court and have taken wrong action to serve their interest. Whether any action was taken against those who had taken wrong action ?

Shri Mohan Dharia : It is not so that wrong action was taken deliberately. This matter went to Supreme Court and action was taken in accordance with their judgement.

मारिशस के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के साथ वार्ता

*544. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारिशस के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने जनवरी, 1978 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) माननीय श्री डी० बसन्त राय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री मारिशस सरकार ने 5 से 9 जनवरी 1978 तक भारत का दौरा किया। नई दिल्ली में अपने निवास के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री, उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री से मुलाकात की। इनमें से कुछ मुलाकातें केवल शिष्टाचार के नाते की गईं। भारत—मारिशस व्यापार तथा मारिशस और भारत के परस्पर हित के अन्य मामलों की सामान्य समीक्षा की गई।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ठोस बात कही है। क्या किसी व्यापार करार पर विचार किया गया अथवा इस पर चर्चा हुई या सारा मामला एक औपचारिकता में समाप्त हो गया।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : सभा को यह ज्ञान है कि भारत सरकार और मारिशस की सरकार के बीच एक आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग का पहले ही एक करार हुआ है और यह करार अभी भी है।

उड़ीसा में घाटे को पूरा करना

*546. **श्री सरत कार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के वित्त मंत्री ने यह कहा है कि उन्हें 12 करोड़ रुपयों के घाटे को तथा 34.78 करोड़ रुपयों के आरम्भिक घाटे सहित कुल 46.78 करोड़ रुपयों के घाटे को पूरा कर लेने की आशा है; और

(ख) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने 34.78 करोड़ रुपयों के शेष घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष के आरम्भिक घाटे के बराबर भारत सरकार से विशेष सहायता मांगी है, और यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) उड़ीसा के वित्त मंत्री ने 3 मार्च, 1978 को अपने बजट भाषण में यह कहा था कि उसे 1978-79 के बजट में दिखाए गए 46.78 करोड़ रुपए के कुल घाटे में से 12 करोड़ रुपये का घाटा पूरा किए जाने की आशा है। 34.78 करोड़ रुपए के शेष घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ष के आरम्भिक घाटे के बराबर की रकम की विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी है।

आरम्भिक घाटों सहित राज्यों की 1978-79 की वार्षिक आयोजनाओं के लिए संसाधनों के अन्तरालों को पूरा करने के लिए, अर्थोपायों पर वर्ष के दौरान राज्यों और योजना आयोग से सलाह मशविरा करके विचार किया जाएगा।

श्री सरत कार : उड़ीसा आर्थिक दृष्टि से एक गरीब राज्य है। इसकी 75 प्रतिशत जनता गरीबी से नीचे के स्तर पर रहती है और वहां क्षेत्रीय असंतुलन है। केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह उड़ीसा सरकार की मांगों को स्वीकार करे जिससे राज्य प्रगति कर सके।

श्री एच० एम० पटेल : केन्द्रीय सरकार ऐसे क्षेत्रों का सदैव ध्यान रखती है जो आर्थिक दृष्टि से कठिनाई में है।

Shri Ram Vilas Paswan: May I ask whether the Union Finance Minister will provide special assistance to the economically backward states and if not, what are the reasons ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि हर पांचवें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना की जाती है जो सभी राज्यों, विशेष रूप से पिछड़े राज्यों की कठिनाइयों का मूल्यांकन करके यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से क्या अतिरिक्त सहायता दी जाये।

बिक्री कर के स्थान पर उत्पाद-शुल्क लगाना

*552. **श्री आण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या **वित्त** मंत्री बिक्री-कर समाप्त करने के बारे में 3 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1524 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके साथ इस विषय पर बातचीत की गई;

(ख) क्या जनता पार्टी के शासनाधीन राज्य सरकारें भी बिक्री-कर के स्थान पर उत्पाद-शुल्क लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचकिचा रही हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर जनता पार्टी के शासनाधीन राज्य सरकारों की अलग-अलग प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क), (ख) और (ग) बिक्री-कर को हटा कर उसके स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगाने के प्रश्न पर, जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों को शामिल करके लगभग सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा हो चुकी है। बिक्री-कर को हटाने के सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों में सामान्यतः उत्साह का अभाव पाया गया है। यह ऐसा मसला नहीं है जो तत्काल निपटाया जा सके; इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं समझता हूं कि अस्पष्ट उत्तर देने का यह एक आधुनिक तरीका है। कृपया प्रश्न (ख) और (ग) देखिए। मैंने पूछा था : "क्या जनता पार्टी के शासनाधीन राज्य सरकारें भी बिक्री-कर के स्थान पर उत्पाद-शुल्क लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचकिचा रही हैं।" इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है और इसके बाद प्रश्न (ग) उक्त प्रस्ताव पर जनता पार्टी के शासनाधीन राज्य सरकारों की अलग-अलग प्रतिक्रिया क्या है ? उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने इसका उत्तर दिया है। मैं इसे पुनः दोहरा सकता हूं। मैंने बताया "····जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों को शामिल करके लगभग सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा हो चुकी है·····।"

> "बिक्री-कर को हटाने के सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों में सामान्यतः उत्साह का अभाव पाया गया है।"

इसमें सभी बातों का उत्तर दिया गया है।

श्री अण्णा साहेब गोटखिण्डे : मैं तो विशेष रूप से जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : "सामान्यतः" में "विशेषतया" भी शामिल है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह मेरे प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं ? जनता पार्टी ने समूचे देश को यह वचन दिया है कि वह बिक्री-कर के स्थान पर उत्पाद-शुल्क लगायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में यह वचन पूरा किया जाएगा।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे यह देखकर बड़ी खुशी है कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जनता पार्टी द्वारा दिए गए वायदे के बारे में इतने चिन्तित हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारा इस वायदे को पूरा करने का पूरा इरादा है यद्यपि मुख्य मंत्री ऐसा नहीं चाहते हैं.....

अध्यक्ष महोदय : यह केवल कुछ राज्यों में ही किया जा सकता है।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने बताया है कि यह ऐसा मसला नहीं है जो तत्काल निपटाया जा सके और लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

बर्तनों के व्यापार के लिये एल्यूमिनियम

*531. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **वाणिज्यक नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें नारदर्न इंडियन एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन से एल्यूमीनियम के 'सेमिस' के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने और एल्यूमीनियम का सीधे बर्तन उद्योग को नियतन करने के बारे में अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस वस्तु के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) एल्यूमिनियम अर्ध-निर्मित माल के निर्यात पर रोक लगाने की कोई प्रस्थापना नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम की घरेलू खपत के सन्दर्भ में निर्यात की मात्रा कम है। यह देखते हुए कि यह कमी थोड़े समय की बात है और एल्यूमिनियम की अपेक्षित मात्रा के आयात के लिये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बर्तन उद्योग के लिये अपेक्षित गैर लेवी एल्यूमिनियम के वितरण पर नियंत्रण लगाने की फ़िलहाल कोई प्रस्थापना नहीं है।

मूल्यवान वस्तुओं का आयात

*533. **डा० भगवान दास राठौर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कतिपय मूल्यवान वस्तुओं के आयात को सीमित कर दिया है जिनके मामले में कुछ समय पहले तक रोक थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) प्रश्न अस्पष्ट है।

जिन कुछ मदों का आयात करने पर पहले रोक लगा दी गई थी, उनके बारे में बाद में प्रतिबन्धित आधार पर आयात करने की अनुमति दी गई थी, जिसका ब्यौरा संलग्न है।

उन रोक लगी मदों की सूची जिनके बारे में 1977-78 की आयात नीति की घोषणा के बाद प्रतिबन्धित आधार पर अनुमति दी गई।

मदों का नाम

(1) पारा नाइट्रो फिनाल

(2) ब्रोमाइट

(3) पेंट्रोथ्रिटोल

(4) पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन

(5) कपूर

(6) 300 मि० मी० से अधिक नाप के आउटसाइड माइक्रोमीटर (सामान्य) तथा अन्य किस्मों के माइक्रोमीटर।

(7) विटामिन ई।

रबड़ के मूल्यों में और वृद्धि

*534. **श्री के० ए० राजन:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के रबड़ उत्पादकों ने रबड़ के मूल्यों में और वृद्धि करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) रबड़ उत्पादकों से सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम कीमतों में और आगे संशोधन किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उत्पादकों ने आर०एम०ए०-1 ग्रेड के रबड़ के लिये कम से कम 800 रु० प्रति क्विन्टल की कीमत की मांग रखी है।

सरकार ने 6-8-77 से आर०एम०ए०-1 ग्रेड के रबड़ की कीमत 520 रु० से बढ़ाकर 655 रु० प्रति क्विन्टल कर दी है तथा अन्य ग्रेडों के लिये अलग-अलग कीमतें रखी हैं। समर्थन कीमत में आगे वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन विचाराधीन है।

पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी को निर्यात और वहां से आयात

*538. **श्री अधन सिंह ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ।

(क) 1976 की तुलना में 1977 में पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी को कितने माल का निर्यात किया गया तथा वहां से भारत में कितना माल आयात किया गया;

(ख) आयात की गई और निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार की भविष्य में क्या क्या संभावनायें हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान जर्मन संघीय गणराज्य तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ भारत के व्यापार के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	जर्मन संघीय गणराज्य			जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य		
	आयात	पुनर्निर्यात सहित निर्यात	व्यापार शेष	आयात	पुनर्निर्यात सहित निर्यात	व्यापार शेष
अप्रैल—सितम्बर, 1977	235.5	115.7	—119.8	15.7	20.0	+4.3
अप्रैल—सितम्बर, 1976	154.9	113.6	—41.3	14.8	23.9	+9.1
1975-76	370.0	117.4	—252.6	36.6	25.9	—10.7
1976-77	307.0	229.8	—77.2	30.4	42.8	+12.4

(ख) पश्चिम जर्मनी के मामले में भारतीय निर्यातों की मुख्य मदें ये हैं : कपड़े, ऊनी गलीचे, तथा दरियां, सूती वस्त्र, इंजीनियरी माल, चमड़ा तथा चमड़े का माल, चाय, रत्न तथा आभूषण आदि जबकि आयातों की मुख्य मदें ये हैं : बिजली की मशीनरी, गैर-बिजली की मशीनरी, लौह तथा इस्पात, रासायनिक तत्व तथा संघटक, उर्वरक परिवहन उपस्कर, वैज्ञानिक संसाधन तथा संयंत्र, दुग्ध उत्पाद, गेहूं, दवा तथा औषध उत्पाद आदि।

जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के मामले में हमारे अधिकांश निर्यात परम्परागत मदों के हैं, जैसे, खली, खालें तथा चमड़ियां, पिसी हुई हड्डियां, काफी, चाय, अभ्रक, तम्बाकू, सूती वस्त्र तथा पटसन माल। तथापि, हाल ही में इंजीनियरी माल, जूते के ऊपरी हिस्सों जैसी गैर-परम्परागत मदें भी हमारी निर्यात सूची में जोड़ दी गई हैं। जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से होने वाले भारत के आयातों में ये मदें शामिल हैं : म्यूरियेट ऑफ़ पोटाश, यूरिया, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, जहाज, मुद्रण मशीनरी, पूंजीगत माल, मशीन के औजार, रासायनिक पदार्थ तथा औषध आदि।

(ग) पश्चिम जर्मनी के साथ भारत के व्यापार के विस्तार की संभावनाएं चुने हुए क्षेत्रों में टेक्नालाजी के अन्तरण तथा भारत से क्षम-प्रधान माल का निर्यात करके प्रथमतः व्यापार के विविधीकरण द्वारा तथा द्विपक्षीय सहयोग द्वारा उज्जवल दिखाई देती हैं।

जहां तक पूर्व जर्मनी का सम्बन्ध है, ऐसी आशा है कि भारत तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच व्यापार जैसे पहले बढ़ता रहा है, वैसे भविष्य में भी बढ़ता रहेगा। जबकि जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के मशीनी औजारों, इस्पाती पाइपों, सेनेटरी, फिटिंग्स तथा जूतों के ऊपरी हिस्सों जैसे भारतीय माल के लिये अच्छा बाजार साबित होने की संभावना है, ऐसी आशा है कि वह हमारे लिए उर्वरकों, सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों, पूंजीगत माल आदि की सप्लाई करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा।

पश्चिमी तट पर तस्करी का सामान पकड़ा जाना

*539 **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के पश्चिमी तट पर फिर से तस्करी होने की बात सरकार के ध्यान में लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत एक वर्ष में इस बारे में कोई गिरफ्तारी की गई; और

(ग) गत एक वर्ष में उस क्षेत्र में तस्करी का कितने मूल्य का और क्या-क्या सामान पकड़ा गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) सरकार को इस तथ्य की पूरी जानकारी है कि पश्चिमी तट तस्करी की संभावना वाला क्षेत्र है। पश्चिमी तट पर तस्करी से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए आवश्यक उपाय किये गये हैं। सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, इस क्षेत्र में तस्करी पर अच्छा नियंत्रण बना हुआ है। पिछले एक वर्ष के दौरान (मार्च 1977 से फरवरी, 1978 तक) 22.35* करोड़ रुपये मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं जैसे सोना, घड़ियां, हीरे संश्लिष्ट वस्त्र आदि पकड़ी गयी थीं और 625* व्यक्ति तस्करी में ग्रस्त होने के कारण गिरफ्तार किये गये थे (ये दोनों आंकड़े अनन्तिम हैं)।

Checking of Adulteration in Food Stuffs at Places of Tourist Attraction

*542. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether for facility of Tourists India Tourism Department Corporation has under its consideration any proposal to ensure availability of pure foodstuffs free from adulteration at places of tourists attraction ; and

(b) if so, whether any arrangemets have been made by Tourist Department to check adulteration in food stuffs at these places ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) Neither the Central Department of Tourism nor the India Tourism Development Corporation (ITDC) is empowered to check adulteration of food stuffs. This function is the responsibility of the Ministry of Health and the State Governments. However, every effort is made by the ITDC to provide foodstuffs free from adulteration at its hotels, motels, travellers lodges and other catering units located at various places of tourist interest.

भारतीय इस्पात ट्यूबों और लौह अयस्क पर आधारित उत्पादों का अन्य देशों को पुनः निर्यात

*543. **श्री के०सी० चन्द्रपन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक विदेशी फर्में भारत से कम दरों पर इस्पात की ट्यूबें और लौह अयस्क पर आधारित उत्पाद खरीदती हैं और अन्य देशों को उनका निर्यात कर देती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने भारत को हानि पहुंचा कर किये जाने वाले ऐसे लेन-देन को रोकने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि विदेशी फर्मों ने, यदि कोई हों, भारत से आयातित इस्पाती ट्यूबों और लौह अयस्क पर आधारित उत्पाद किन कीमतों पर पुनर्निर्यात किए हैं।

बड़े उद्योग-गृहों द्वारा आयकर की अदायगी

*545. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े उद्योग-गृहों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी ओर आयकर की कुल बकाया राशि 10 लाख रुपये से अधिक है;

(ख) उन बड़े उद्योग-गृहों की संख्या कितनी है जिन्होंने आय कर की बकाया राशि के रूप में 26.17 करोड़ रुपये की राशि इस बीच अदा कर दी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी ओर अभी कितनी राशि बकाया है; और

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क), (ख) तथा (ग) 31 मार्च 1977 की स्थिति के अनुसार, बड़े उद्योग गृहों के जिन कर-निर्धारितियों के विरुद्ध, प्रत्येक मामले में, आयकर की बकाया की सकल मांग 10 लाख रु० से अधिक है, उनकी संख्या 63 है और उनके नाम सदन-पटल पर रखे गये विवरण पत्र में दिये गये हैं। 31 मार्च 1977 को, इन करदाताओं की तरफ़ जो 26.17 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी, उसमें से 1-4-1977 से 30-9-1977 तक की अवधि के दौरान 33 करदाताओं के मामलों में, 4.52 करोड़ रुपये वसूल कर लिये गये थे अथवा कम कर दिये गये थे, जिसके बाद 30 सितम्बर 1977 तक की स्थिति के अनुसार, 21.65 करोड़ रु० की राशि बकाया रह गयी थी।

(घ) प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए कर की बकाया की वसूली के लिए सम्बन्धित आय-कर प्राधिकारियों द्वारा आय-कर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुसार समय-समय पर समुचित उपाय किये जाते हैं। इन उपायों में ये उपाय शामिल हैं:—

(1) विलम्ब से अदा किये गये कर पर ब्याज लगाना;

(2) कर के अदा नहीं किये जाने पर अर्थ-दण्ड लगाना;

(3) बाकीदारों को मिलने वाली रकमों का अधिग्रहण; और

(4) चल/अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण और उनकी बिक्री।

क्रम सं०	मामले का नाम	मामले से संबंधित बड़े औद्योगिक गृह का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	मैसर्स एसोशियेटेड कम्पनी लिमिटेड	ए०सी०सी०
2.	मै० एसोशियेटेड मार्केटिंग .	आर०के० अग्रवाल
3.	मै० आकलैण्ड जूट कं० लि०	बर्ड हैल्गर
4.	मै० अशोक मार्केटिंग लि० . . .	साहू जैन
5.	मै० एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसेटोलीन कं० लि०	बाजौरिया जालान
6.	मै० बंगाल जूट मिल्स कं० लि०	बाजौरिया जालान
7.	मै० बैल्ली जूट कं० लि०	बिड़ला
8.	मै० बंगाल कोल कं० लि०	ऐन्ड्र यूले
9.	मै० बिड़ला जूट मैन्युफेक्चरिंग कं० लि०	बिड़ला
10.	मै० चम्पारन शुगर कं० लि०	बाजौरिया जालान
11.	मै० क्रिश्चियनमाइका इण्डस्ट्रीज लि०	आर०के०अग्रवाल
12.	मै० चांदपुर जूट कं० लि०	बाजौरिया जालान

(1)	(2)	(3)
13.	चितवलासाह जूट कं० लि०	बाजौरिया जालान
14.	हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं० लि०	बालचन्द
15.	मै० डालमिया डेरी इण्डस्ट्रीज (डालमिया सीमेंट लि०)	जे० डालमिया
16.	मै० डेवनपोर्ट एण्ड कं० (प्रा०) लि०	सूरजमल नागरमल
17.	मै० कोर्ट प्रापर्टीज़ लि०	किलाचन्द
18.	मै० गेंजीज प्रिंटिंग इंक फ़ैक्टरी लि०	आर०के० अग्रवाल
19.	श्री जी०डी० बिड़ला एण्ड बी०एम० बिड़ला	बिड़ला
20.	मै० हावड़ा ट्रेडिंग कं० लि०	बाजौरिया जालान
21.	मै० हाशिमारा इण्डस्ट्रीज लि०	बाजौरिया जालान
22.	मै० हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कार्पोरेशन लि०	बिड़ला
23.	मै० इण्डियन रबड़ मैन्युफ़ैक्चरिंग लि०	आर०के० अग्रवाल
24.	मै० इण्डिया जूट कं० लि०	बाजौरिया जालान
25.	मै० जयपुर मैटल एण्ड इलैक्ट्रिक लि०	कामनी
26.	मै० जे०के० सिन्थैटिक्स लि०	जे० के०
27.	मै० जियाजीराव काटन मिल्स लि०	बिड़ला
28.	मै० जे०के० चैरिटेबल ट्रस्ट	जे० के०
29.	मै० कामनी इंजीनियरिंग कं० (प्रा०) लि०	कामनी
30.	मै० कर्मचन्द प्रेमचन्द (प्रा०) लि०	साराभाई
31.	मै० कानपुर शुगर वर्क्स लि०	सूरजमल नागरमल
32.	मै० के०सी० थापर एण्ड ब्रदर्स लि०	थापर
33.	मै० किल्लिक निक्सन लि०	कपाड़िया
34.	मै० द मून मिल्स प्रा० लि०	सूरजमल नागरमल
35.	मोदी इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०	मोदी
36.	मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
37.	मै० मोदीपाने लि०	मोदी
38.	मै० मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं०	मोदी
39.	मै० मेत्तूर केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	सेशासयी
40.	मै० मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स	बजाज
41.	मै० नार्थ बंगाल शुगर मिल्स कं० लि०	बाजौरिया जालान
42.	मै० न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	जे०पी० श्रीवास्तव
43.	मै० नारकरपाड़ा जूट मिल्स कं० लि०	बाजौरिया जालान
44.	मै० नेल्लीमर्रा जूट मिल्स कं० लि०	बाजौरिया जालान
45.	मै० ओरियन्ट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०	बाजौरिया जालान
46.	मै० राजा बलदेव दास बिड़ला संन्ततिकोष	बिड़ला

1	2	3
47.	मै० रामकुमार अग्रवाल एण्ड ब्रदर्स	आर०के० अग्रवाल
48.	मै० रतनगढ़ विनियोग विकास (प्रा०) लि०	बाजौरिया जालान
49.	राधाकिशन मिल्स लि०	नायडु वी० आर०
50.	मै० मोशन स्टील्स लि०	शाहपुरजी
51.	साराभाई सन्स (प्रा०) लि०	साराभाई
52.	साराभाई टेक्नीकल डिवेलपमेंट सिंडीकेट (प्रा०) लि०	साराभाई
53.	सुहृद गोयजी लि०	साराभाई
54.	सिन्थायटिक्स लि०	साराभाई
55.	मैसर्स स्नो व्वाइट फूड प्राडक्ट्स कं० लि०	जाटिया
56.	मै० सूरजमल नागरमल	बाजौरिया जालान
57.	श्री दिग्विजय सीमेंट कं० लि०	बांगुर
58.	मै० सीमेंस इण्डिया लि०	खातड
59.	मै० स्वदेशी काटन कं० लि०	एस० जयपुरिया
60.	मै० टर्नर मोर्रीसन एण्ड कं० लि०	टी० मोर्रीसन
61.	ट्रावनकोर रेयन लि०	मुथिया
62.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	टाटा
63.	मैसर्स वेस्टर्न बंगाल कोल फील्डस कं०	बिड़ला

Restrictions imposed on Refining of Groundnut Oil

*547. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the reasons for the restrictions imposed on the refining of groundnut oil and when these restrictions were imposed;

(b) whether as a result of these restrictions the concerned industries are incurring loss and the persons in need of quality oil are not able to get it and if so, when Government propose to remove these restrictions;

(c) whether demands have been received by Government for the removal of these restrictions; and

(d) if so, when and from which quarters and the action taken ro proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K.K. Goyal): (a) The ban on refining indigenous groundnut oil of expeller origin was imposed on 1-8-1977 for a period of six months in the first instance. The ban is since being continued till 31-12-1978 with a view to (i) making available directly edible indigenous-groundnut oil of expeller origin for direct consumption by the consumer and (ii) to ensure availability of adequate refining capacity for refining of the considerable quantities of imported edible oils, which have to be refined before consumption.

(b), (c) & (d) There have been pleas from some representatives of the trade and refining industries for the removal of the ban. All relevant factors were taken into account when it was decided early in January, 1978 to continue the ban till the end of 1978.

Income tax Outstanding against top Twenty Companies, Firms and Persons

548. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Finance** be pleased to lay a statement showing :

(a) the names of the first 20 companies, 20 firms and 20 persons with highest income in the country as per the last tax assessment and the income in respect of each of them ;

(b) whether any amount of income-tax was outstanding against each of them as on 31st December, 1977 and if so, the amount outstanding against them; and

(c) the amount of arrears, out of it, the realisation of which has been stayed by the Courts ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a), (b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

भारतीय सिविल लेखा सेवा में भर्ती के लिये नियम

*550. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागोकृत लेखा कार्यालयों में भारतीय सिविल लेखा (ग्रुप 'ए') सेवा सम्बन्धी भर्ती नियमों में तथा 'बी' में से ग्रुप 'ए' के अधिकारियों के वरिष्ठ आवधिक वेतनमान के पदों पर अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रुप 'बी' के कई वरिष्ठ अधिकारियों को अधिलंबित किया गया है तथा उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को ग्रुप 'ए' के पदों पर वरिष्ठ आवधिक वेतनमान में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रुप 'ए' के पदों पर पदोन्नत कोई भी अधिकारी, जब तक वह भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में काम करता रहा, भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक द्वारा कभी भी भारतीय लेखे तथा लेखा परीक्षा सेवा में पदोन्नति के लिए योग्य नहीं समझा गया था; और

(घ) यदि हां, तो लेखों के विभागीयकरण के तुरन्त पश्चात् भारतीय सिविल लेखा सेवा में पदोन्नति के लिए किस आधार पर उनकी कुशलता का निश्चय किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) हां। भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप 'ए' भर्ती नियमों में यह व्यवस्था है कि संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके वेतन और लेखा अधिकारियों (ग्रुप 'बी') को उस समय तक वरिष्ठ आवधिक वेतनमान में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जा सकता है जब तक कनिष्ठ आवधिक वेतनमान के अधिकारी वरिष्ठ आवधिक वेतनमान में नियमित आधार पर पदोन्नति के लिए नहीं मिलते।

(ख) हां। चूंकि ग्रुप 'बी' के अधिकारियों का वरिष्ठ आवधिक वेतनमान में स्थानापन्न पदोन्नति के लिए चयन उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर किया जाता है इसलिए कुछ अधिकारियों का अधिलंबित होना आवश्यम्भावी है।

(ग) हां। इन अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में पदोन्नत नहीं किया गया था।

(घ) इन अधिकारियों को भारतीय सिविल लेखा सेवा में पदोन्नत नहीं किया गया है। उन्हें वरिष्ठ आवधिक वेतनमान पर अस्थायी रूप से उस समय तक स्थानापन्न रूप में पदोन्नत किया गया है जब तक कि नियमित पदोन्नति के लिए भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी नहीं मिल जाते। ये पदोन्नतियां इसलिए आवश्यक हो गई कि प्रारम्भ में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा से स्थानान्तरित अधिकारियों की कमी होने के कारण वरिष्ठ आवधिक वेतनमान के काफी संख्या में पद खाली पड़े

रह गये थे। यह भी उल्लेख कर दिया जाए कि इन पदोन्नतियों की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की उन नियमित पदोन्नतियों अथवा भारतीय सिविल लेखा सेवा की उन पदोन्नतियों के साथ तुलना नहीं की जा सकती जो नियमों के अनुसार कालांतर में की जाएगी।

Translation of manuals and forms into Hindi and in diglot form

*551. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to lay a statement showing :

(a) the total number of manuals and forms used in his Ministry/Department ;

(b) the number of manuals and forms out of them which have already been translated into Hindi and those published in diglot form ;

(c) the reasons for which the remaining ones have not been translated so far have not been published in diglot form ; and

(d) the time by which these will be published in diglot form ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) (a), (b) (c) and (d) The Ministry of Tourism and Civil Aviation (main) is concerned with *one* departmental manual, namely 'Aircraft Manual-India' and *two* departmental forms, *i.e.* Aviation I and Aviation II. The forms have already been translated, and printed bilingually 'Aircraft Manual-India' being a statutory manual was referred to the Official Language (Legislative) Commmission for translation into Hindi. As informed by them the translation work of the manual has been completed but it has to be brought up-to-date by carrying out amendments which were made subsequently. This is being done.

चांदी का निर्यात

553. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1974 में चाँदी के निर्यात पर लगी रोक हटा लिये जाने के बाद भारत से चाँदी का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा चाँदी के मूल्य निर्धारित करते समय किन-किन बातों पर ध्यान दिया जाता है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा चालू वर्ष में निर्धारित किया गया न्यूनतम मूल्य वास्तविक था, यदि हां, तो किस प्रकार; और

(घ) नई चाँदी के खनन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) से (ग) फरवरी, 1974 से रोक हटा लेने के बाद निर्यात की गई चाँदी की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार रही है :

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मल्य (करोड़ रु०)
1974-75	641	98
1975-76	1760	190
1976-77	1650	214
1977-78 (22-3-78 तक)	633	83.12

2. चाँदी की कोई न्यूनतम कीमत नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रत्येक दिन की हलचल पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और बिक्रियां उस समय की जाती हैं और उनके स्तर इस प्रकार से विनिश्चित किये जाते हैं जिससे यथा संभव अधिकतम कीमत की प्राप्ति हो सके ।

3. जहाँ तक हमें मालूम है, देश में चाँदी का कोई प्रमुख स्रोत नहीं है । जस्ते की प्रोसैसिंग करने में एक सहोत्पाद के रूप में चाँदी की थोड़ीसी मात्रा का उत्पादन किया जाता है ।

अल्प बचत योजना कार्यक्रम

5014. **श्री परमानन्द गौविन्दजीवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्प बचत योजना कार्यक्रम को अधिक न्यायोचित तथा प्रभावी बनाने के लिये मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने 3 दिसम्बर, 1977 को केन्द्रीय अल्प बचत परामर्शदात्री बोर्ड के समक्ष कुछ सुझाव रखे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सुझाव क्या हैं;

(ग) क्या सुझावों की जाँच की गई है और उन पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन पर क्या निर्णय किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सुझाव संक्षेप में ये हैं :—

(i) सभी जमा रकमें, चाहे वे बैंकों में जमा की गई हों अथवा डाकघरों में, राष्ट्रीय बचतें मानी जानी चाहिएं । इन जमा रकमों में से कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणियों की जमा रकमों को "अल्प बचतों' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिसमें से वर्तमान पद्धति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दो-तिहाई भाग तक ऋण दिये जाने चाहिएं । राष्ट्रीय बचत संगठन और राज्य अल्प बचत विभागों को विशुद्ध रूप से विस्तारक एजेंसियों के रूप में काम करना चाहिए और बचत करने के लिए उन्हें लोगों को शिक्षित करना चाहिए तथा उनके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये जाएं उनके अंतर्गत विनिर्दिष्ट श्रेणियों की केवल वही रकमें नहीं आनी चाहिएं जो डाकघरों में जमा की गई हों बल्कि वे रकमें भी आनी चाहिएं जो बैंकों में जमा की गई हों ।

(ii) ग्रामीण बचतों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार को 'धारक प्रतिभूति' अथवा 'धारक बांड' शुरू करना चाहिए जिसे कोई भी व्यक्ति डाकघर बचत बैंक खाता तथा अन्य मौजूदा प्रतिभूतियों से संबंधित विस्तृत और समय-साध्य कार्यप्रणाली को अपनाए बिना खरीद सकता है और जिसे खरीदार अथवा कोई भी व्यक्ति भुना सकता है जिसको उक्त प्रतिभूति अथवा बाँड दिया जाएगा ।

(iii) डाकघर बचत बैंक में जमा कराई गई संस्थागत जमा रकमों पर ब्याज की दर वही होनी चाहिए जो व्यक्तियों द्वारा जमा की गई रकमों पर होती है ।

(iv) संस्थाओं को राष्ट्रीय बचत पत्रों (5वाँ निर्गम) और राष्ट्रीय विकास बाँडों में धन लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने अपनी 3 दिसम्बर, 1977 की बैठक में इन सुझावों पर तथा सदस्यों द्वारा दिये गये इसी तरह के अन्य सुझावों पर विचार किया था । उक्त बोर्ड ने यह महसूस किया है कि उपर्युक्त (i) और (ii) में दिये गए सुझावों के संबंध में कोई कार्रवाई न की जाए ।

जहाँ तक उपर्युक्त (iii) में दिये गए सुझाव का संबंध है, बोर्ड ने यह निर्णय किया कि इस मामले पर सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा विचार किया जाए और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

उपर्युक्त (iv) में दिये गए सुझाव के संबंध में बोर्ड इस बात के लिए राजी हो गया है कि और बातों के साथ-साथ इस मामले पर एक विशेषज्ञ दल द्वारा विचार किया जाए । इसकी स्थापना इस उद्देश्य से करने का प्रस्ताव किया गया है कि दल सरकार की अल्प बचत स्कीमों और वाणिज्यिक बैंकों की स्कीमों का तुलनात्मक अध्ययन करे ।

फरक्का बांध परियोजना, पश्चिम बंगाल के फालतू कर्मचारियों का खपाया जाना

5015. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बाँध परियोजना, पश्चिम बंगाल के लिपिक, लेखापरीक्षक तथा अस्टिेंट्स सहित बड़ी संख्या में फालतू कर्मचारियों को वहाँ से स्थानान्तरित किया गया तथा सी०डी०ए० (फैक्ट्रीज) कलकत्ता में कुछ वर्ष पूर्व स्थानान्तरित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो सी०डी०ए० (फैक्ट्रीज) कलकत्ता को इस प्रकार स्थानान्तरित किए गए तथा वहाँ खपाए गए व्यक्तियों की संख्या सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके इस प्रकार खपाए जाने को अभी तक नियमित नहीं किया गया है और उन्हें उक्त कार्यालय में उनके समकक्ष कर्मचारियों के समान स्थिति में नहीं लाया गया है और न ही वेतन तथा भत्तों और वरिष्ठता आदि के निर्धारण के मामले में कोई निर्णय ही किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस मामले का अविलम्ब समाधान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल): (क) और (ख) फरक्का बाँध परियोजना के 15 फालतू कर्मचारी, जिनमें लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा एक कनिष्ठ आशुलिपिक शामिल हैं, नियंत्रक रक्षा लेखा (फैक्ट्रीज) कलकत्ता द्वारा खपा लिए गए थे । ब्यौरा निम्नानुसार है:—

उच्च श्रेणी लिपिक (अब लेखा परीक्षक)	12
अवर श्रेणी लिपिक	2
कनिष्ठ आशुलिपिक	1
	15

(ग) जी नहीं, श्रीमन् । केवल 4 उच्च श्रेणी लिपिकों को छोड़कर, जिन्हें अभी वेतन नियतन तथा भत्तों और छुट्टी आगे ले जाने में पिछली सेवा के लाभ दिए गए थे, सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) पर उल्लिखित 4 उच्च श्रेणी लिपिकों के पास पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है ।

(ङ) इन 4 उच्च श्रेणी लिपिकों के मामले में शैक्षणिक योग्यता में ढील दिए जाने का निर्णय अब कर लिया गया है ।

उत्तर पश्चिम बंगाल से राजस्व एकत्र किया जाना

5016. **श्री पायत्त टिर्की** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी बंगाल में पाँच जिलों से अर्थात् जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दार्जिलिंग, पश्चिम दीनाजपुर तथा माल्दा से केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से कितना राजस्व एकत्र किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित फार्म लेवी का सभी राज्यों द्वारा स्वीकार किया जाना

5017. **श्री ए० बालापजनौर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित फार्म लेवी की ओर दिलाया गया है जिसकी अभिव्यक्ति राज्य वित्त मंत्री के बजट भाषण में हुई है;

(ख) प्रस्तावित लेवी की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और केन्द्र सहित सभी राज्यों द्वारा संसाधन जुटाने का इस प्रणाली को स्वीकार किये जाने के बारे में क्या संभावनायें हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) जी, हाँ ।

(ख) कृषिभूधारिता करके ब्यौरे तैयार करने तथा समुचित विधायी प्रस्ताव बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई है ।

(ग) कृषि पर कर लगाना राज्य का विषय है और अन्य राज्यों से, पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव पर विचार करने की तभी आशा की जा सकती है जबकि इसके पूरे ब्यौरे उपलब्ध हो जाएं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

5018. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उन सभी उपक्रमों को, जो नियमित संस्थाओं के रूप में काम कर रहे हैं इस आशय के आदेश दिये हैं कि वे अपने-अपने कर्मचारियों से उनकी सेवा की शर्तों के बारे में बातचीत न करें;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का निर्धारण गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्राप्त वेतन के अनुसार उद्योग तथा क्षेत्र के आधार पर किया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नीति को सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के प्रबन्ध में अपनाने का है ?

वित्त मंत्री (एच० एम० पटेल) : (क) जिन अनुदेशों का जिक्र किया गया है, उस प्रकार के कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं । किन्तु सरकार ने यह निर्णय किया है कि जब तक श्री एस० भूतलिंगम की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1977 को गठित वेतन, आय और मूल्य विषयक अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर वेतन और आय के विषय में कोई नीति-निर्धारित न हो जाये, तब तक सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम द्वारा सरकार की विशेष स्वीकृति प्राप्त किए बिना वेतन सम्बन्धी किसी भी करार को अन्तिम रूप न दिया जाये ।

(ख) और (ग) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक सरकारी उद्यम हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के कामगारों के बारे में अक्तूबर 1966 में किए गए फैसले से है । उक्त फैसले का सुसंगत उद्धरण अनबन्ध में दिया गया है । सरकार, सरकारी उद्यमों से उनके कर्मचारियों के वेतन परिशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करते समय, उक्त फैसले में उल्लिखित सिद्धांतों तथा विभिन्न सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता जैसी सुसंगत बातों को ध्यान में रखती है । ऐसे अधिकांश मामलों में प्रबन्धकों द्वारा, स्वीकार्य वेतन और भत्तों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, कामगारों के साथ वेतन सम्बन्धी औपचारिक समझौते किए जाते हैं ।

विवरण

अतः यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाये तो औद्योगिक संबंधों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर तैयार किए गए सरकारी मजदूरी ढांचे की बजाय क्षेत्र एवं उद्योग का सिद्धांत अपनाना अधिक सहायक सिद्ध होगा । न हम इस तर्क को ही मान सकते हैं कि क्षेत्र एवं उद्योग के सिद्धांत से भेद-भाव पैदा होगा । लेकिन, यदि "श्रमिक शक्ति" का अर्थ दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली श्रमिक शक्ति समझ लिया जाये तो सरकारी क्षेत्र के विभिन्न भागों में अभिकथित भेद-भाव समाप्त हो जायेगा, क्योंकि जहाँ तक संभव हो, किसी भी खास क्षेत्र और खास उद्योग के मजदूर चाहे वे किसी भी क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हों, उन्हें एक समान ही माना जाएगा ।

हमारे सामने, जो सुसंगत सामग्री पेश की गई है, उस पर विचार करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, कि औद्योगिक न्याय निर्णयन द्वारा जो सिद्धांत निजी क्षेत्र के बारे में तैयार किए गए हैं, सरकारी क्षेत्र के वे उपक्रम, जो सुभिन्न निगमित अस्तित्व रखते हैं, उन्हीं सिद्धातों द्वारा शासित होंगे।

सरकारी उपक्रमों द्वारा विदेशों में स्थापित संस्थान

5019. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों तथा एजेंसियों ने भारतीय मिशनों की प्रणाली पर विदेशों में कितने संस्थान स्थापित कर रखे हैं; और

(ख) इन उपक्रमों द्वारा इन संस्थानों पर गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार 157 सरकारी उद्यमों में से 23 उद्यमों ने अपने कार्यालय विदेशों में खोल रखे हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए संख्या एल टी-1976/78**]

यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, कलकत्ता द्वारा वित्तीय अनियमितताएं

5020. **डा० विजय मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के चेयरमैन ने बैंक सिद्धांतों का पालन किये बिना राजनैतिक विचारों से प्रेरित होकर कुछ ऋण मंजूर करने की अनुमति दी थी;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक की कलकत्ता शाखा द्वारा हिमालय पेपर बोर्ड इण्डस्ट्रीज लि० को 60 लाख रुपये की राशि के ऋण दिये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कांग्रेस सरकार के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों के उक्त कम्पनी में हित हैं;

(घ) यदि हां, तो सम्बद्ध मंत्रियों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या ऋण की राशि वसूल कर ली गई है; और

(च) यदि नहीं, तो लेखे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (च) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा हिन्दुस्तान पेपर बोर्ड इन्डस्ट्रीज लि० को कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है । अलबत्ता (i) हिमालय पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स (प्रा०) लि० (ii) पी० पी० पेपर मिल्स (प्रा०) लि० और (iii) हिमालय पेपर (मशीनरी) (प्रा०) लि० को जिसमें कि कांग्रेस सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री श्री परिमल घोष एक प्रेरक निदेशक हैं, बैंक की डम-डम (कलकत्ता) शाखा द्वारा कुछ ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं । यह तीनों मिलें, श्री घोष व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा स्थापित की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि मार्च/अप्रैल, 1977 में कागज़ उद्योग में कुछ मंदी तथा कुछ श्रमिक कठिनाईयों के कारण तीनों मिलों को हानि हुई थी । मिल के रुग्ण होने के कारण बैंक ने इसके लिए एक उपचार कार्यक्रम हाथ में लिया है तथा पी० पी० पेपर मिल्स प्रा० लि० को दी जाने वाली वर्तमान ऋण सुविधाएं बढ़ाने का प्रश्न बैंक के विचाराधीन है । बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं एवं व्यवहारों के अनुसार तथा सरकारी बैंकों को शासित करने वाले अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार भी बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों विषयक कोई सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है ।

यूनाइटिड कार्मशियल बैंक द्वारा विभिन्न फर्मों आदि के लिये मंजूर किया गया ऋण

5021. **श्री हुकम चन्द कछवाय:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि यूनाइटिड कार्मशियल बैंक द्वारा नवम्बर, 1972 से मार्च 1973 तक की अवधि के दौरान प्रभावी एक परिपत्र के अधीन उसकी शाखाओं द्वारा मुख्यालय को भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार उक्त अवधि में 25 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि के 73 ऋण मंजूर किये गये जिनमें किन्निसन जूट मिल्स, कलकत्ता को 3.5 करोड़ रुपये नेशनल को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को 6 करोड़ रुपये, सीमानी स्टील, कानपुर, हनुमान इंजीनियरिंग वर्कस, लखनऊ और विलासपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बड़ा बाजार को एक-एक करोड़ रुपये; वेजीटेबल प्रोडक्ट्स भावनगर को 2 करोड़ रुपये के ऋण भी शामिल हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि इनमें से अधिकांश ऋण वसूल नहीं हो पाये हैं ; और

(ग) शाखाओं से सीधे ही प्राप्त प्रस्तावों पर मंजूर किये गये सभी ऋणों के लेखों संबंधी स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क), (ख) और (ग) यूनाइटेड कार्मशियल बैंक द्वारा भारत में दिये गये ऋणों की कुल बकाया राशि में नवम्बर, 1972 के अंतिम सप्ताह और मार्च, 1973 के अंत के बीच लगभग 25 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो कि मौसमी कारणों सहित सामान्य प्रवृति के अनुरुप थी। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि उस दौरान इस विषयक निर्देश यह था कि शाखाओं द्वारा 25 लाख रुपये से अधिक के सभी प्रस्ताव प्रधान कार्यालय को सीधे ही भेजे जाने चाहियें फिर भी, बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा संबंधित ऋणों को जांच की सामान्य प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद तथा प्रचलित बैंकिंग सिद्धांतों का पालन करने के बाद ही, मंजूर किया जाता था और नियमों अथवा मार्गदर्शी सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। जहां तक प्रश्न में उल्लिखित विभिन्न कम्पनियों को दी गई सुविधाओं का संबंध है, भारतीय रिज़र्व बैंक उनकी जांच कर रहा है।

आयकर अधिनियम की धारा 35(ख) के अन्तर्गत लाभों का समाप्त किया जाना

5022. **श्री धमवीर वशिष्ठ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के आयकर अधिनियम की धारा 35(ख) के अन्तर्गत लाभों को बन्द किये जाने पर आक्रोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो मामले की समीक्षा के बारे में सरकार की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् ने, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35-ख के अन्तर्गत निर्यात बाजार विकास छूट से संबंधित कर-रियायत के समाप्त किये जाने के लिये वित्त-विधेयक 1978 के खण्ड 6 में निहित प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है ।

(ख) इस बारे में सरकार को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर, जिनमें इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किया गया अभ्यावेदन भी शामिल है, विचार किया जा रहा है । सरकार, इस मामले में वित्त विधेयक 1978 पर लोक सभा में विचार किये जाने से पूर्व, निर्णय दे देगी ।

Take over of Trade of Rudraksh By Government

5023. **Shri Madhavrao Scindia** :

Shri Daya Ram Shakya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rudraksh used by religious persons as rosaries is very necessary and important from trade point of view ;

(b) if so, whether it is also a fact that its price has increased considerably because of smuggling thereof;

(c) if so, whether Government propose to take over this trade particularly the trade with Indonesia; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) :(a) & (b) Reports received by Government do not provide any indication that rudraksh is important from the trade point of view. No case of smuggling of rudraksh has come to the notice of Government during the last one year.

(c) & (d) : Does not arise.

Cultivation of Opium in District Shahjahanpur (U.P.)

5024. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether opium cultivation in about 300 bighas of land in Champatpur and Jera Rahim villages of Shahjahanpur district in Uttar Pradesh had been banned following clash between income-tax authorities and the cultivators;

(b) whether the said villagers have submitted many applications to him as well as the concerned authorities in 1977 for restarting cultivation (of opiun) but approval has not been given to them so far; and

(c) if so, the reasons for not according approval to them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a), (b) & (c) : No, Sir. Opium poppy cultivation has not been banned in Champatpur and Jera Rahim

villages of Shahjahanpur district in Uttar Pradesh. Licences for opium poppy cultivation have already been issued to 72 poppy growers covering an area of about 17 hectares in the aforesaid two villages during the current season. i.e. 1977-78

रिवर्व बैंक ग्रॉफ इंडिया में निर्यातकर्ताग्रों का पंजीकरण

5025. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **वित्त** मंत्री रिजर्व बैंक ग्रॉफ इंडिया निर्यातकर्ताग्रों के पंजीकरण के बारे में 3, मार्च, 1978 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 1498 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1978 को रिजर्व बैंक में पंजीकृत 74992 निर्यातकर्ताग्रों में से कितने निर्यातकर्ता रिजर्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकृत थे ग्रौर जब पंजीकरण की योजना 1 जनवरी, 1967 को लागू हुई थी तो प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में उनकी संख्या क्या थी;

(ख) जब कोड नम्बर ग्रावंटन की योजना लागू हुई थी तब रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया में कोड नम्बरधारी निर्यातकर्ताग्रों में से कितनी विदेशी फर्में थीं ग्रौर कितनी भारतीय थीं ग्रौर 21 जनवरी, 1977 तक प्रत्येक वर्ष में यह ग्रांकड़े क्या थे; ग्रौर

(ग) कोड नम्बर रद्द करने का मापदंड क्या है तथा पिछले तीन वर्ष में कितने कोड नम्बर रद्द किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) 1-1-67 ग्रौर 1-1-78 को भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकृत निर्यातकर्ताग्रों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

क्षेत्रीय कार्यालय	1-1-67	1-1-1978
ग्रहमदाबाद . .	668	2990
बंगलौर . .	*	806
बम्बई . .	4027	22004
कलकत्ता . .	1680	641
कोचीन . .	*	1336
कानपुर . .	607	5112
मद्रास . .	2532	11283
नई दिल्ली . .	802	21820
	10316	74992

*बंगलौर ग्रौर कोचीन क्षेत्रों के विनियम नियंत्रण कार्य की देखभाल 1967 में बैंक के मद्रास कार्यालय द्वारा की जा रही थी ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी फ़र्मों ग्रौर भारतीय फ़र्मों को ग्रावंटित कोड नम्बरों के बारे में ग्रलग ग्रलग ग्रांकड़े नहीं रखता ।

(ग) निर्यातकर्ताग्रों को कोड नम्बर ग्रावंटित करने की प्रणाली निर्यात संबंधी ग्रांकड़ों को शीघ्र एकत्रित करने ग्रौर उनको तैयार करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए लागू की गई थी ग्रौर निर्यातकर्ताग्रों को लाइसेंस देने के लिए नहीं । इसलिए कोड नम्बरों को रद्द करने की जरूरत नहीं है ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए पर्यटक स्थलों का विकास

5026. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी तथा स्थानीय पर्यटकों के लिये विशेषतया सस्ते पर्यटक होटलों पर बल देते हुये चालू वित्तीय वर्ष में देश में नये पर्यटक स्थलों के विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर और इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष तथा 1978-79 की योजनावधि के दौरान अंतर्देशीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के समिति बजट वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास पर बल दिया गया है । इस संबंध में, चुने हुए पर्यटन केन्द्रों पर जनता होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है । जनता होटल स्कीम में महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर स्थापित की जाने वाली 150 से 1250 शय्याओं वाली यूनिटें स्थापित करने पर बल दिया गया है, जिनका निर्धारण एक सर्वेक्षण करने के बाद किया जाएगा । जनता होटल मध्य आय वर्गीय देशीय तथा विदेशी पर्यटकों के लिए साधारण मूल्य के, अच्छे एवं स्वच्छ आवास की व्यवस्था करेंगे। नयी दिल्ली में एक जनता होटल के निर्माण की परियोजना का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ।

वर्तमान धर्मशालाओं, सरायों का सुधार/विस्तार करने तथा प्रमुख पर्यटन मार्गों के साथ-साथ और बौद्ध एवं पुरातात्विक महत्व के स्थानों पर पर्यटक ग्राम काम्पलेक्सों का विकास करने के कार्य को आरंभ करने का भी प्रस्ताव है । उपर्युक्त स्कीमों के लिए, जिन में जनता होटल सम्मिलित नहीं हैं, 1978-79 के बजट प्राक्कलनों में 33.43 लाख रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है ।

भारी उत्पादन शुल्क से अवरुद्ध उद्योगों का विकास

5027. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन उद्योगों के विकास के लिये अध्ययन कराने का है जिनकी विकास गति भारी उत्पादन शुल्क से अवरुद्ध हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार के समक्ष फिलहाल ऐसे उद्योगों के विकास के सम्बंध में कोई अध्ययन करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है जिनकी विकास दर पर उत्पादन शुल्क के कारण बुरा असर पड़ा बताया जाता है । लेकिन, अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति की रिपोर्ट में अप्रत्यक्ष करों की समग्र व्यवस्था पर विचार किया गया है ; और इस रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, समिति ने इस प्रश्न को जांच की है कि क्या और कहां तक अप्रत्यक्ष करों में रियायतें देकर किसी खास उद्योग अथवा किसी खास उद्योग क्षेत्र की मदद करना उपयुक्त होगा । सरकार फिलहाल इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Regular Air Service between Bombay, Surat and Ahmedabad

5028. **Shri Chhitubhai Gamit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any demand for regular air service between Bombay, Surat and Ahmedabad and whether Government propose or consider it necessary to introduce this service ;

(b) if so, the details in this regard and the concrete steps being taken or proposed to be taken by the Government to introduce air service to Surat as early as possible ; and

(c) the time by which it will be made availble ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Indian Airlines received a representation in October, 1977 for airlinking Surat. However, due to severe constraints of fleet capacity, Indian Airlines has no proposal at present to operate air service to Surat.

(b) and (c) Does not arise.

आयकर में छूट

5029. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के लिये अपनी कुल परिलब्धियों के पहले 4000 रुपये के अंश पर आयकर में पूरी छूट प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित विभिन्न तरीके हैं : जीवन बीमा प्रीमियम, कर्मचारी भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि, 10 वर्षीय डाकघर/ 10 वर्षीय बढ़ने वाली सावधि जमा और यूनिट सम्बद्ध बीमा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बांड तथा 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा लेखों को भी छूट की सीमा में सम्मिलित किया जाये क्योंकि बीमा पालिसी के पूरा हो जाने पर कम राशि मिलती है, अतः अधिकतर व्यक्तियों का जीवन बीमा में विश्वास समाप्त हो गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) जी, हां । विशिष्ट तरीकों जैसे जीवन बीमा पालिसियों, कुछ भविष्य निधियों, लोक भविष्य निधि, 10 वर्षीय और 15 वर्षीय संचयी सावधि जमा खातों, यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना, आदि के माध्यम से की जाने वाली दीर्घकालीन बचतें, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-ग के अधीन कटौती पाने योग्य है ।

(ख) धारा 80-ग के अधीन दी जाने वाली कर सम्बन्धी रियायतों को, वित्त विधेयक, 1978 के खंड 16 के जरिए कुछ मामलों में उदार बनाया जा रहा है । सरकार इस समय उक्त उपबन्ध में कोई और संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, इसमें माननीय सदस्य द्वारा सुझाया गया संशोधन भी शामिल है ।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

5030. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों से विभिन्न विभागों को केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का उड़ीसा सरकार ने पूरी तरह उपयोग किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली धनराशि 31 मार्च की समाप्ति से पहले पहले जारी कर दी जाये;

(ग) यदि नहीं, तो उस राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा धनराशि का ठीक समय पर उपयोग करने में क्या कठिनाईयां आ रही हैं; और

(घ) धन का ठीक समय पर उपयोग करने और योजनाओं का द्रुत गति से क्रियान्वयन करने के लिए उस राज्य ने किस प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे का प्रस्ताव किया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रत्याशित व्यय के विवरण के अनुसार, राज्य सरकार यह आशा करती है कि रेंगाली सिंचाई परियोजना पर व्यय में हुई 10 लाख रुपये की सोमांतिक कमी को छोड़ कर, वार्षिक आयोजना 1977-78 के लिए अनुमोदित परिव्ययों का पूरी तरह उपयोग कर लिया जाएगा । केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के परिव्ययों के उपयोग के बारे में विभिन्न मंत्रालयों से, जो इन योजनाओं को प्रशासित कर रहे हैं, सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मासिक किस्तों में दी जाती है । केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपयुक्त आवधिक किस्तों में दी जाती है । उड़ीसा सरकार ने हाल ही में अनुरोध किया कि राज्य सरकार को देय केन्द्रीय सहायता की शेष राशि दे दी जाए।

(ग) केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग किए जाने से संबंधित स्थिति की जांच विभिन्न सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों से ब्यौरे प्राप्त होने के बाद की जाएगी ।

(घ) राज्य सरकार के अनुसार इन योजनाओं का कार्यान्वयन करने और धनराशि का उपयोग करने के लिए उनके पास उपयुक्त प्रशासनिक और वित्तीय ढांचा मौजूद है । राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि वे आयोजनागत आबंटन का उचित और समय पर उपयोग करने और वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कारगर और सुनिश्चित कार्रवाई करें ।

Air Safety Measures

5031. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to consider seriously the air safety measures; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b) A Court of Enquiry normally presided over by a High Court Judge is appointed to investigate fatal accidents and the recommendations on safety measures made by the various Courts of Enquiry are implemented wherever possible. All the safety measures recommended by the various Courts of Enquiry appointed since 1971 have been implemented except a few, which are in the process of implementation.

इण्डियन एयरलाइन्स के फोक्कर फ्रेंडशिप विमानों की ऐजल, मिजोरम की उड़ानें

5030. **डा० आर० रोथुआम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान गैर-सरकारी जामेयर सर्विस की विमान सेवा के स्थान पर ऐजल, मिजोरम के लिये सप्ताह में कम से कम तीन बार इण्डियन एयरलाइन्स के फोक्कर फ्रेंडशिप की सेवायें आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐजल के पश्चिम में लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित लैंगपुई के स्थान पर एक पक्का हवाई-क्षेत्र बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या कलकत्ता के पूर्वोत्तर राज्यों के लिये, वहाँ पर वर्तमान भारी विमान यातायात को देखते हुए, फोक्कर फ्रेंडशिप की विमान सेवायें बढ़ा दी जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। अभी नहीं ।

(ख) सर्वे आफ इंडिया से, लैंगपुई में एक नये हवाई अड्डे के सम्भावित निर्माण के लिये इस स्थान की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिये, एक विस्तृत सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) जी, हाँ। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नागर विमानन के महानिदेशक से एक एच एस-748 विमान पट्टे पर ले लेने के बाद एक एफ-27 विमान की व्यवस्था द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रस्ताव है।

माडाथुकुलम में केनरा बैंक द्वारा हरिजनों को ऋण दिया जाना

5033. **श्री के० ए० राजू**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि माडाथुकुलम हरिजन मिल्क सप्लाई सोसायटी के सदस्यों ने तमिलनाडु में हरिजनों को दुधारू पशु खरीदने के लिये ऋण देने से इन्कार किये जाने पर केनरा बैंक, माडाथुकुलम, के सामने सांकेतिक भूख हड़ताल की थी;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कोयम्बटूर में माडाथुकुलम केनरा बैंक का मैनेजर छुआछूत का व्यवहार करता है तथा हरिजनों की निन्दा करता है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) क्या माडाथुकुलम के हरिजनों को दुधारू पशु खरीदने के लिये केनरा बैंक, माडाथुकुलम से ऋण दिये जाने की उनकी न्यायोचित माँगों पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हाँ ।

(ख), (ग) और (घ) बैंक ने सूचित किया है कि एक प्रभागीय प्रबन्धक ने माडाथुकुलम शाखा का निरीक्षण किया था परन्तु उसने शाखा प्रबंधक के विरुद्ध लगाये गये किसी भी आरोप को सही नहीं पाया। उसने शाखा को समुचित निर्देश दे दिये हैं कि वह लघु कृषक विकास अभिकरण के परामर्श से हरिजन कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई सोसायटी को गुणावगुण के आधार पर डेयरी ऋण मंजूर करने पर विचार करें। ऋण आवेदनपत्रों को बगैर किसी जाति, धर्म और सम्प्रदाय के विचार के मंजूर किया जा रहा है ।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासन में मितव्ययिता

5034. **श्री दुर्गा चन्द**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में प्रशासन में मितव्ययिता लाने के लिये सरकार ने वर्ष 1977 में क्या कदम उठाये हैं;

(ख) इनके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि की बचत हुई; और

(ग) इस बारे में वर्ष 1978 में और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध हो जायेगी लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों में चांदी का निर्यात न करने के कारण

5035. **श्री यशवन्त बोरोले:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चाँदी का बड़ा स्टाक होने पर भी कुछ कारणों से इसका निर्यात नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ये कारण किस प्रकार के हैं; और

(ग) इस समय विदेशों में अनुमानत: कितनी माँग है और कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया जा रहा है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। चाँदी के निर्यात की अनुमति वार्षिक अधिकतम सीमाओं के अन्तर्गत दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने, जिसके माध्यम से चाँदी का निर्यात मार्गीकृत किया जाता है बताया है कि 1977-78 के दौरान विदेशों में 14,500 मे० टन चाँदी की मांग होने का अनुमान है। राज्य व्यापार निगम ने चालू वर्ष के दौरान 22-3-78 तक 633 मे० टन चाँदी का निर्यात किया है।

डाबोलिम (गोआ) हवाई अड्डे पर अपर्याप्त सुविधाओं में सुधार

5036. **श्री अमृत कासर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाबोलिम (गोआ) हवाई अड्डे पर सुविधायें उस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए, नितान्त अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या वहाँ टेलीफोन, पानी तथा प्रतीक्षा-गृहों जैसी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई से गोआ के बीच आरम्भ की गई केरेवेल विमान सेवा हमेशा अनियमित रहती है; और

(घ) क्या यह सच नहीं है कि इससे इस संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन पर कुप्रभाव पड़ता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) वर्तमान सुविधायें कुछ तो "नेवल टैक्निकल ब्लाक" के भूखंड (ग्राउड फ्लौर) पर तथा कुछ 1973 में बनाई गयी एक सर्वथा अस्थायी इमारत में उपलब्ध करायी जाती हैं। पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिये नये स्थान पर एक नये सिविल एन्क्लेव का निर्माण-कार्य काफी प्रगति कर चुका है। नये सिविल एन्क्लेव के चालू हो जाने पर वर्तमान दिक्कतों के हल हो जाने की आशा है तथा वहाँ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। सिविल एन्क्लेव के प्रथम चरण के शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 से हटाया जाना

5037. श्री मनोहर लाल: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 8 की व्यवस्था के अनुसार उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं के रखने पर प्रतिबन्ध के बारे में इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची से चाय और काफी के साथ तम्बाकू के न हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : वित्त अधिनियम, 1956 (1956 का 18) के जरिये संशोधन से पूर्व और संशोधन के बाद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की दूसरी अनुसूची की प्रतियाँ संलग्न हैं। उनसे यह देखेंगे कि चाय और काफी को उन जिंसों की सूची में कभी भी शामिल नहीं किया गया था, जिन पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 8 के अनुसार प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हों। दूसरी ओर, तम्बाकू, संशोधन से पूर्व और संशोधन के बाद, दोनों अवस्थाओं में इस सूची में रहा हैं। परन्तु, यह उल्लेखनीय है कि व्यवहार में, तम्बाकू के सम्बन्ध में भी धारा 8 के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

विवरण 1

(1956 में सशोधन से पूर्व यथा लागू)

दूसरी अनुसूची

(धारा 6 और 8 देखें)

भाग क

धारा 6 के प्रयोजनों के लिए ,उत्पादन-शुल्क लगने योग्य निर्दिष्ट माल :

1. तम्बाकू

2 काफी--जब किसी शोधनकर्त्ता द्वारा थोक व्यापारी को सप्लाई की जाय, चाहे सीधी ही अथवा किसी दलाल या किसी आढ़ती के जरिये।

भाग ख

धारा 8 के प्रयोजनों के लिए उत्पादन-शुल्क लगने योग्य निर्दिष्ट माल

1 तम्बाकू

विवरण 2

[(वित्त अधिनियम, 1956 (1956 का 18) के जरिये संशोधन के बाद यथा लागू)]

दूसरी अनुसूची

(धारा 8 देखे)

तम्बाकू ।

Expenditure of Official Delegations sent to Foreign Countries

5038. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) the number of Indian official delegations sent to foreign countries during 1975-76, 1976-77 and 1977-78, yearwise indicating the names of the countries ;

(b) the purpose for which these delegations were sent abroad and the extent to which the purpose has been served; and

(c) the amount of expenditure incurred on each of these delegations ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a), (b) and (c) Similar information relating to the periods indicated below was called for in Unstarred Questions Nos. 3615 and 661 answered in the Lok Sabha on 15th July, 1977 and 24th February, 1978 respectively :—

Unstarred Question No.	Period for which information called for
3615	1974-75, 1975-76 and 1976-77.
661 . .	For three years ending on 31st December, 1977.

The above information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible. Accordingly, information called for in the present Question for the period 1975-76, 1976-77 and from 1st April, 1977 to 31st December, 1977 will be made available in the information to be furnished in reply to Unstarred Questions Nos. 3615 and 661 mentioned above. The information relating to the period from 1st January, 1978 to 31st March, 1978 is being collected separately and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

चीनी के निर्यात के कारण हुआ घाटा

5040. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के निर्यात के कारण सरकार को घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1977-78 के दौरान कितना घाटा हुआ ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राजमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हाँ।

(ख) 1977-78 के दौरान 16.33 करोड़ रु० मूल्य की कुल 0.69 लाख मे० टन चीनी का निर्यात होने की सम्भावना है। निर्यातों पर लगभग 2 करोड़ रु० हानि होने का अनुमान है।

प्रधान मंत्री को वापस ला रहे एयर इंडिया के विमान का तकनीकी कारणों से तेहरान में उतरना

5041. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री को मास्को से वापस लाने वाले एयर इण्डिया के विमान को तकनीकी कारणों से तेहरान में रुकना पड़ा;

(ख) यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों को तेहरान में विमान से उतार दिया गया था; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति प्रधान मंत्री के साथ गये दल के थे ?

पयटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक।

(ग) एक।

Air Facilities at Amritsar for Export of Goods to Pakistan and Middle-East Countries

5042. **Shri O.P. Tyagi** : Will the Minister of **Commercre, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Punjab Government have appealed to the Central Government for providing necessary air facilities at Amritsar for sending the goods meant for export to Pakistan and Middle-East countries direct to those countries ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) & (b) Yes, Sir. Government of Punjab have forwarded to the Ministry of Commerce a Survey Report recommending the establishment of an Integrated Air Cargo Complex at Amritsar Airport intended to provide Customs clearance and various other facilities for development of direct air exports from Amritsar to overseas markets. The Survey Report is under examination in consultation with various Governmental Authorities.

आयकर की बकाया राशि की वसूली

5043. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1977 तक आयकर की कुल कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) कितने मामले पाँच साल से अधिक पुराने हैं, उनमें कितनी धनराशि बकाया है और वसूली न होने के कारण क्या है; और

(ग) क्या वसूल न हो सकने के कारण जिस राशि को बट्टे खाते डाले जाने की संभावना है, उसके बारे में कोई अनुमान लगाया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार आयकर की सकल और शुद्ध बकाया (जिसमें निगम कर भी शामिल है) 31-12-1977 की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार से थी :—

सकल बकाया	1004.01 करोड़ रुपये
शुद्ध बकाया	720.62 करोड़ रुपये ।

(ख) 31-12-1977 की स्थिति के अनुसार, जो मामले 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन की संख्या और उनमें ग्रस्त रकम के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन, 10 वर्ष और उससे अधिक पुरानी बकाया और 2 से 9 वर्ष पुरानी बकाया, जो 31-12-1977 की स्थिति के अनुसार बाकी पड़ी थी [दिल्ली (सेंट्रल) अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित बकाया को छोड़कर] के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है, जो नीचे दिये अनुसार हैं :—

(रकम करोड़ रुपयों में)

	सकल	शुद्ध
10 वर्ष और उससे पुरानी बकाया . . .	86.78	78.11
2 से 9 वर्ष पुरानी बकाया . . .	429.49	344.34

जिन मुख्य कारणों से कर की बकाया बाकी पड़ी रहती है, उन में से कुछ कारण नीचे दिये अनुसार हैं :—

(i) रकमें देय नहीं हुई ।

(ii) वे रकमें जिनके लिए स्थगन आदेश/किस्ते मंजूर की गई हैं।

(iii) दोहरे आयकर से राहत का समझौता होने तक विचाराधीन रकमें।

(iv) परिसमापनाधीन कम्पनियों से प्राप्त रकमें।

(v) उन व्यक्तियों से प्राप्य रकमें जो व्यक्ति भारत छोड़ गए हैं अथवा/अन्यथा लापता हैं।

(vi) रकमों के बारे में अपीलें की गयी हैं।

(ग) जी, नहीं। लेकिन वसूल नहीं की जा सकने योग्य जिन रकमों को गत तीन वर्षों के दौरान बट्टे खाते, डाला गया है वे निम्नानुसार हैं :--

(रकम करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	बट्टे खाते डाली गई रकम
1974-75	4.72
1975-76	5.32
1976-77	9.79

टेण्डरों को प्राप्त किये बिना ही इंडियन एयर लाइन्स द्वारा उपकरणों के लिये क्रयादेश देना

5044. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स ने अभी हाल में एयर बस विमान के लिए भूमि उपकरणों की सप्लाई के लिए टेण्डर आमन्त्रित किये थे, और विभिन्न इच्छुक और अर्हताप्राप्त फर्मों से टेण्डर फार्म के लिए 15 रु० प्रति फार्म की दर से राशि प्राप्त की थी ;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने टेण्डर बन्द होने की तारीख तक भी टेण्डर फार्म सप्लाई नहीं किये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स ने कोटेशन प्राप्त किये बिना ही 5 लाख रुपये के उन्हीं उपकरणों के लिए बम्बई की एक फर्म को क्रयादेश दे दिया है।

(घ) क्या उसी फर्म द्वारा पहले सप्लाई किये गये कुछ उपकरण अन्तरराष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे ;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) ठेकों को देते समय उचित प्रक्रिया के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1977 में एयरबस विमान के लिए "पैलेट डालियो" की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के पश्चात् इंडियन एयरलाइन्स ने इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेस में विज्ञापन देने का विचार किया। परन्तु इनकी तत्काल आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए तथा पहले के अनुभव के आधार पर, बाद में यह निर्णय किया गया कि समाचार-पत्रों को भेजे गए टैंडर नोटिस को रद्द कर दिया जाए। संबंधित समाचार-पत्रों से भी तदनुसार विज्ञापन न छापने के लिये कह दिया गया । तथापि, 'टाइम्स आफ इंडिया' ने दिनांक 23-12- 1977 को इस अनुरोध की पावती स्वीकार कर लेने के बावजूद भी, इस विज्ञापन को 25-12-1977 को गलती से केवल अपने बम्बई संस्करण में प्रकाशित कर दिया। 28-12-1977 को एक पार्टी से एक टैंडर फार्म की मांग आयी थी, जिसके साथ 15 -रुपए का पोस्टल आर्डर भी लगा था। पोस्टल आर्डर को 3-2-1978 को उन्हें वापस भेज दिया गया।

(ग) और (घ) यह आदेश पहले की ही दरों पर यह सुनिश्चित करने के बाद दिया गया था कि इस प्रकार के उपस्कर की मार्किट दरें बढ़ गयी थीं तथा उक्त पार्टी द्वारा पहले सप्लाई किए गए

उपस्कर कारपोरेशन की तकनीकी विशिष्टियों (स्पीसिफिकेंशन) की पूर्ति करते थे और संतोषजनक कार्य कर रहे थे।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

Branches of Banks in Rural Areas

5045. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the present number of the branches of various Banks in the rural areas in the country ;

(b) their number in Bihar State ; and

(c) the number of such branches proposed to be opened in Bihar in 1978-79 ?

The Minister of Finance : (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) The total number of commercial bank branches at rural centres (having population of less than 10,000) was 11092 as at the end of December, 1977. There were 626 branches of commercial banks at such centres in Bihar as on that date.

(c) The Reserve Bank of India have asked the commercial banks to formulate their branch expansion plans for 1978. They have been advised to select unbanked rural centres in such districts as had population per bank office exceeding the all-India average. The plans have not yet become availble. The Reserve Bank have, however, reported that as at the end of December 1977, banks had on hand 98 licences for branch opening at rural centres in Bihar.

वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

5046. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रत्येक उपक्रम में कुल कितने व्यक्ति श्रेणीवार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ) हैं ;

(एक) कैशू कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,

(दो) सेन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लि०,

(तीन) एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड,

(चार) हैंडीक्राफ्टस एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड,

(पांच) माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड,

(छः) मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड,

(सात) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट्स कारपोरेशन लिमिटेड,

(आठ) स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया,

(नौ) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,

(दस) टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,

(ख) प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक उपक्रम में, अलग-अलग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भरती तथा पदोन्नति के मामले में रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हाई-एश कोयले के निर्यात करने सम्बन्धी प्रस्ताव

5047. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई-एश कोयले के निर्यात करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कोयले की कितनी मात्रा किस दर पर और किन-किन देशों को निर्यात करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारत से 14 से 20 प्रतिशत के बीच ऐश अंश वाले कोयले का पहले से ही निर्यात किया जा रहा है जिसे हार्ड ऐश कोयला कहा जा सकता है।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम (जिसकी मार्फत कोयले का निर्यात मार्गीकृत है, नेपाल को छोड़कर, जिसके लिये निर्यात कोल इंडिया लि० द्वारा किये जाते हैं) 1978–89 के दौरान लगभग 15 लाख मे० टन कोयले का निम्नलिखित रूप में निर्यात करने का विचार करता है :

(1) पड़ोसी देशों को करीब 5 लाख मे० टन।

(2) प० यूरोपीय देशों को करीब 7––8 लाख मे० टन।

(3) सुदूर पूर्व देशो को करीब 2––3 लाख मे० टन।

जिस कीमत पर कोयले का निर्यात किया जाता है उसे बताना वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

पाकिस्तान द्वारा विभाजन समझौते के अनुसार देय ऋण

5048. **श्री आर० के० महालगी :**

श्री दया राम शाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ विभाजन के समय हुए वित्तीय समझौतों के अंतर्गत पाकिस्तान ने कुछ कितनी राशि का ऋण भारत को वापस देना है और इस ऋण पर अब तक भारत का कुल कितना ब्याज हुआ है ; और

(ख) इस ऋण की वसूली के लिये गत एक वर्ष में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत का पाकिस्तान पर विभाजन के समय का कर्ज 300 करोड़ रुपए है; विभिन्न समयों पर किये गये प्रयत्नों के बावजूद कर्ज की ठीक-ठीक रकम के बारे में अभी तक दोनों देशों में सहमति नहीं हुई है। दिसम्बर, 1947 में विभाजन संबंधी जो व्यवस्था की गई थी उसके अंतर्गत पाकिस्तान यह द्वारा कार्य मूल रकम और ब्याज (2–7/8) प्रतिशत वार्षिक की दर से) 15 अगस्त, 1952 से शुरू कर के बराबर बराबर की 50 किस्तों में भारतीय रुपयों में

चुकाया जाना था। चूंकि पाकिस्तान ने मूल अथवा ब्याज की कोई राशि नहीं चुकाई है इसलिए ब्याज की सामान्य दर (2-7/8 प्रतिशत) पर भी ब्याज की इकट्ठी हुई राशि अब कर्ज की मूल राशि से ज्यादा हो गई है।

(ख) इस मामले को निपटाने के लिए पिछले एक साल में कोई नये प्रयास नहीं किए गए हैं।

केन्द्रीय सरकारी पेंशनरों को महंगाई भत्ता

5049. **श्री सूरज भान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन निर्वाह सूचकांक की औसत लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी पेंशनरों के मंहगाई भत्ते में कोई वृद्धि देय हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब देय हो जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब अखिल भारतीय कार्मिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) के 12 महीने का औसत 328 पर पहुंच जाएगा तब राहत की अगली किश्त देय हो जाएगी।

सोने/सोने के आभूषणों के निर्यात के लिये प्रमाण-चिन्ह

5050. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरीक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सोने/सोने के आभूषणों के निर्यात के लिये प्रमाण-चिन्ह लागू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किस्म नियंत्रण उपायों को भी लागू किया जा रहा है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण एजेंसी को मान्यता दी गई है; और

(घ) क्या सोने/सोने के आभूषणों का मात्र प्रमाण-चिन्ह रहता है तो क्या कार्य निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण एजेंसी को सौंपा जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से

(घ) इस मामले में सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया है।

समाजवादी देशों में रहने वाले भारतीय द्वारा भेजी गई धनराशि

5051. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व जर्मनी जैसे समाजवादी देशों में रहने वाले भारतीयों को भारत में रहने वाले अपने आश्रितों को धनराशि भेजने अथवा अपने नामों से लेखे खोलने (गैर-निवासी अन्तरण) की अनुमति नहीं है जो सुविधा भारत में रहने वाले समाजवादी देशों के लोगों को उपलब्ध है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपरोक्त देशों में रहने वाले भारतीयों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(घ) उन देशों के लोगों को लेखे संचालन की अनुमति देने के क्या कारण हैं जबकि उनकी सरकारें विदेशों में रहने वाले भारतीयों को यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) से (घ) भारत में नियोजित समस्त विदेशी राष्ट्रिकों को, जिनमें समाजवादी देशों के राष्ट्रिक भी शामिल हैं, भारत से बाहर अपनी आय का भाग भेजने की सुविधा प्राप्त है। सोवियत संघ में नियोजित भारतीय राष्ट्रिकों को भारत में अपनी आय का एक भाग भेजने की अनुमति है। जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से भिन्न पूर्वी यूरोप के अन्य समाजवादी देशों में भारतीय राष्ट्रिकों के द्वारा इसी प्रकार की प्रेषण सुविधाएं पाने के मामलों की सूचना भारत सरकार को नहीं है। जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य सामान्य तथा उस देश में नियोजित भारतीय राष्ट्रिकों की प्रेषण संबंधी सुविधाएं नहीं देता है। सरकार ने इन भारतीय राष्ट्रिकों को पारस्परिक आधार पर प्रेषण संबंधी सुविधाएं देने के सवाल को जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्राधिकारियों के साथ मिल कर निपटाने का काम हाथ में लिया है और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्राधिकारियों के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

जीरा निर्यात पर प्रतिबन्ध

5052. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत पांच वर्षों में जीरे का उत्पादन कितना हुआ और उक्त अवधि में, वर्षवार, जीरे का कितना निर्यात किया गया;

(ख) चालू वर्ष 1977-78 में कितना उत्पादन होने का अनुमान है और कितनी मात्रा में निर्यात करने का विचार है ;

(ग) क्या इसका निर्यात अभी हाल ही में बन्द किया गया है और पहले किन वर्षों में निर्यात बन्द किया गया था ;

(घ) क्या मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाने से जीरा बहुत अधिक बोया गया है और भारी फसल होने की संभावना है और यदि हां, तो क्या उसी अनुपात में निर्यात की वृद्धि की जायेगी ; और

(ङ) क्या निर्यात पर लगाया गया प्रतिबन्ध बाजार में फसल आने के तुरन्त बाद समाप्त कर दिया जायेगा ताकि जिन किसानों ने जीरा 800 रुपये में प्रति 20 किलोग्राम की दर से खरीदा है उन्हें हानि न हो ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ग) : सरकार ने हाल ही में जीरे के निर्यात पर रोक लगा दी है। देश में जीरे का कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 50,000 मे० टन होने का अनुमान है। पिछले पांच वर्षों के दौरान जीरे की निर्यात की गई मात्रा निम्नलिखित रही हैं :

वर्ष	मात्रा (मे० टन)
1972-73	2179.43
1973-74	3366.34
1974-75	1404.44
1975-76	2492.77
1976-77	1334.95

(ख), (घ) तथा (ङ) अभी तक चालू वर्ष के जीरे के उत्पादन के सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। अभी तक जीरे की कीमतें काफी ऊंची चल रही हैं हालांकि हाल ही में उनमें गिरावट का रुख प्रकट हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि० तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लि० को इस वर्ष जीरे की खरीदारियां करने तथा यह निश्चित करने की हिदायतें दी गई हैं कि मंडियों में कीमत उन स्तरों से नीचे न गिरने पाएं जो किसानों के लिये अलाभकर हों।

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा दिये गये ऋण और उसका स्वरूप तथा उसकी वसूली की स्थिति

5053. **श्री सूरेन्द्र विक्रम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ बड़ौदा ने गत तीन वर्षों के दौरान अपनी जनरल मैनेजर/चेयरमैन तथा एम० डी० के कहने पर जोन/क्षेत्र के द्वारा समुचित जांच कराये बिना कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया तथा ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(ख) बैंक आफ बड़ौदा कितने मामलों में आपात स्थिति तथा 1975–77 के दौरान उनके द्वारा दिये गये ऋण को वसूल करने में असफल रहा है, उन पार्टियों के नाम क्या हैं, उनको कितना धन दिया गया है और वसूली की क्या स्थिति है; और

(ग) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान चेयरमैन और एम० डी० के दबाव में आकर उच्च अधिकारियों के कहने पर समुचित जांच कराये बिना प्रस्तावों का अनुमोदन किया और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा ऋणों का स्वरूप क्या है तथा उनकी वसूली की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बैंक आफ बड़ौदा के अनुसार ऋणों के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अथवा महा प्रबंधक की प्रेरणा पर आरम्भ नहीं किये जाते हैं। बैंक को प्राप्त होने वाले ऋण लिमिटों विषयक आवेदनों पर, अनेक स्तरों पर जैसे शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय और बोर्ड के स्तर पर विचार किया जाता है और उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। बोर्ड से नीचे के प्राधिकारी, बोर्ड से अपने को प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर प्रस्तावों को स्वीकृत करते हैं।

गैर-सरकारी विनिमय दर पर 43,000 पौंड की कथित बिक्री

5054. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल ग्रुप के एम० आर० जीत पाल द्वारा मैसर्स स्ट्रेचलोन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के चेयरमैन श्री एच० के० जैन को गैर सरकारी विनिमय दर पर 43,000 पौण्ड की कथित बिक्री के बारे में वास्तविक अपराधों का पता लगाने में सरकार की जांच-कार्य का क्या परिणाम निकला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जांच-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय ने, मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल ग्रुप के श्री जीत पाल द्वारा मैसर्स स्ट्रेचलान प्रा० लि०, बम्बई के चेयरमैन श्री एच० के० जैन को गैर सरकारी विनिमय दर पर 43,000 पौण्ड की कथित बिक्री किये जाने के मामले में कुछ जांच-पड़ताल चालू की है। मैसर्स स्ट्रेचलान प्रा० लि०, बम्बई को, एक कारण बताओ नोटिस इस लिए जारी किया गया है कि उसने विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम, 1947 की धारा 4(1) और 4(2) का उल्लंघन करके भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत दरों से भिन्न दरों पर गैर-कानूनी तौर से विदेशी मुद्रा अर्जित की है। इस मामले में न्याय-निर्णय संबंधी कार्यवाही चल रही है।

(ग) आगे जांच कार्य अभी जारी है। आशा है जांच कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

अर्थव्यवस्था तथा उत्पादन को सुधारने के लिये चालू वर्ष में लागू किये गये प्रोत्साहन

5055. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर ने कहा है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में पुरस्कार, प्रोत्साहन और धन के स्वामित्व की पद्धति की जरूरत है जो विभिन्न ग्रुपों को पर्याप्त मात्रा में स्वीकार्य हो ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इसे ध्यान में रखते हुए आर्थिक योजनाएं बना रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) हमारी अर्थव्यवस्था तथा उत्पादन को सुधारने के लिए चालू वर्ष में कौन-कौन से नये प्रोत्साहन लागू किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। 28 दिसम्बर 1977 को मद्रास में भारतीय अर्थशास्त्र संघ के 60 वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने देश की अर्थव्यवस्था में आय के वितरण की समस्या पर विचार प्रगट करते हुए निम्नलिखित मन्तव्य प्रस्तुत किया।

अन्ततोगत्वा जिस बात की आवश्यकता हैं वह है कि परिश्रम का फल देने वाली, प्रोत्साहनों से भरपूर और धन के स्वामित्व की प्रणाली व्यवस्थित हो जिसको वे सभी विभिन्न वर्ग बहुत हद तक स्वीकार करते हैं जो कि हमारे समाज के अंग हैं, और यहीं पर आकर आर्थिक प्रबन्ध, सामाजिक और राजनैतिक प्रबन्ध अथवा क्रांतिकारी परिवर्तन अनिवार्य रूप से एक दूसरे से मिल जाते हैं।

(ख) और (ग) : सरकार ने रिजर्व बैंक द्वारा प्रकट किए गए मन्तव्य को नोट कर लिया है। आय के वितरण को समस्या बहुआयामी समस्या है और इसको हल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। भाग्यवश देश के वर्तमान समाज के विभिन्न वर्गों में, आयोजन के ढांचे के अंतर्गत रहते हुए न्यायपूर्ण वितरणकारी व्यवस्था के आधार पर आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के संबंध में पर्याप्त मतैक्य विद्यमान है। चूंकि अधिकतर जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लोग गरीब हैं इसलिए वर्तमान असमानताओं को कम करने का एक स्पष्ट तरीका यह है कि समन्यायपूर्ण समाज निर्माण करने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनायी गई राजकोषीय तथा अन्य नीतियों को जारी रखते हुए, उनकी आर्थिक दशा को सुधारा जाए। जैसा कि पंचवर्षीय आयोजना, 1978--83 के मसौदे में कहा गया है, आयोजन की नीति को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकने के लिए यथोचित दिशा दी जाएगी ।

1. बेकारी को दूर करना तथा महत्वपूर्ण कम रोजगारी को समाप्त करना ।

2. जनता के निर्धनतम वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि करना और

3. जनता की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना ।

(घ) चालू वर्ष में सरकार के द्वारा किये गये विभिन्न उपायों में से जो उपाय हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार की ओर अग्रसर करने के लिए प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगी और जिनसे उत्पादन बढ़ेगा वे ये हैं :-

1. वार्षिक आयोजना परिव्यय में 27 प्रतिशत की वृद्धि और कृषि, आधारभूत ग्रामीण सुविधाओं, पावर और सिंचाई के लिए आयोजना परिव्यय में और ज्यादा रकमों की व्यवस्था। गेहूं, धान तथा मूंगफली के वसूली मूल्यों में वृद्धि, चने के संबंध में बढ़े हुए समर्थन मूल्य की पूर्व घोषणा, उर्वरकों के

मूल्यों में कमी, औद्योगिक श्रमिकों को न्यूनतम बोनस देने की पुन: व्यवस्था, कुछ उद्योगों को छोड़कर जिनको कम प्राथमिकता वाले उद्योग विनिर्दिष्ट कर दिया गया है शेष सभी उद्योगों को निवेश छूट का दिया जाना तथा ब्याज दरों की पुनर्व्यवस्था ।

उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क से तदर्थ आधार पर छूट देना

5056 क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सभी निर्माताओं तथा आयातकर्त्ताओं के नाम और पते क्या हैं जिन्हें गत पांच वर्षों से सामान्य छूट के मामले के रूप में न होकर तदर्थ आधार पर उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क में, जैसी भी स्थिति है, छूट दी गई है और वस्तु का नाम क्या है, उसका टैरिफ मूल्य कितना है और छूट के रूप में कितना शुल्क माफ किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : गत पांच वर्षों के दौरान, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के नियम, 1944 के नियम 8(2) के अंतर्गत 3,000 से अधिक तदर्थ छूट आदेश जारी किये गये थे। गत पांच वर्षों में, इस छूट का लाभ उठाने वाले सभी निर्माताओं और आयातकर्ताओं के नाम और पते, जिन्सों के नाम, टैरिफ़ मूल्य और प्रत्येक मामले में ग्रस्त शुल्क की रकम के संबंध में सूचना एकत्र करने में बहुत श्रम और समय लगेगा । संगत फाइलें अनेक स्थानों पर बिखरी हुई हैं और उनमें से कुछ फाइलें तो शाह आयोग जैसी एजेन्सियों के पास हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले अथवा मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हों, तो संगत ब्यौरे एकत्र करके पेश कर दिये जायेंगे।

राज्य व्यापार निगम के गोदामों से चुराया गया खाद्यान्न

5057 **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के गोदामों से भारी मात्रा में खाद्यान्न चोरी किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977 के दौरान कितना खाद्यान्न चुराया गया, उसकी कीमत कितनी थी और क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) राज्य व्यापार निगम अपने गोदामों में कोई खाद्यान्न जमा नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[Opium Cultivation

5058. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of revenue earned from opium cultivation in 1976-77 ; and

(b) the steps being taken by Government for the development of opium cultivation in Uttar Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) The amount of revenue receipts accruing to the Central Government from sale of raw opium within the country as well as from export during 1976-77 was Rs. 40.79 crores.

(b) Several steps have been taken by the Government to increase opium production in the country such as :—

(1) The area under poppy cultivation has been increased in the poppy growing areas of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan;

(2) The price of opium payable to a poppy cultivator is fixed on a sliding scale depending on the yield of opium tendered by him. A cultivator tendering a higher yield of opium per hectare is paid at a higher rate;

(3) Cash awards are given in each Opium Division to the poppy cultivator who tenders the highest yield of opium ;

(4) Demonstrations are arranged for educating the cultivators in the use of pesticides and fertilizers. The cultivators are also as sisted in procurement of chemical fertilizers and pesticides for use in their poppy fields ;

(5) Government have undertaken a number of long-term research schemes on cultivation of opium poppy. Experimental farms have also been set up in some of the poppy growing areas for conducting experiments on various aspects of poppy cultivation with a view to improving the yield and quality of opium and the results obtained from these experiments are communicated to the poppy cultivators for their guidance.

खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर उत्पादनशुल्क

5059. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी पर उत्पादन शुल्क में हाल की कटौती के प्रभावों का अध्ययन किया है; और

(ख) क्या चीनी निर्माताओं ने खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर उत्पादन शुल्क में और कटौती करने की मांग की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। परन्तु खुली बिक्री की चीनी के थोक मूल्यों के रुख को देखते हुए, इस समय मूल उत्पादन शुल्क में कोई कटौती करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

कम्पनियों के साथ ऋण समझौतों के अनिवार्य परिवर्तनशीलता खंड को समाप्त करने के लिये प्रस्ताव

5060. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनतवाला :
श्री श्याम सुन्दर गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ उनके ऋण समझौतों में ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा रखी गई शर्त-अनिवार्य परिवर्तनशीलता खंड और प्रबन्धक-वर्ग में परिवर्तन करने के अधिकार को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संभावित परिवर्तन का उद्देश्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्थाओं और उनकी सहायता पाने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बीच होने वाले ऋण समझौतों में अनिवार्य परिवर्तनीयता खण्ड शामिल करने की नीति की सरकार द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है।

वाणिज्यिक महत्व को ध्यान में रखकर संस्थाओं और ऋणकर्ताओं के बीच हुए उचित करारों के माध्यम से सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों के प्रबन्धक वर्ग को बदलने का अधिकार आमतौर से सरकारी वित्तीय संस्थाएं प्राप्त कर लेती हैं और इस व्यवस्था को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों अथवा सरकारी उपक्रमों में पुनः रोजगार दिया जाना

5061. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत संख्या में सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे हैं जिससे नए व्यक्तियों को रोजगार का मौका नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या सरकार भविष्य में सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों अथवा उपक्रमों में पुनः रोजगार देने पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि सरकारी सेवा-निवृत्त बहुत से व्यक्ति सरकारी उद्यमों में काम कर रहे हैं। अधिवार्षिता प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाता है। सरकारी उद्यमों में 2500-3000 रुपये तथा उससे अधिक वेतनमान वाले उच्च पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति, जो 58 वर्ष के हो चुके हों, उनके दीर्घ अनुभव का विचार किए बिना, केवल सरकार की स्वीकृति से ही की जा सकती है। कुछ सरकारी उद्यमों ने इस बात की जरूरत महसूस की है कि सरकारी सेवा-निवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को; कुछ समय के लिए सलाहकार एवं परामर्शदाता नियुक्त किया जाय, ताकि कारोबार के निमित्त उनके दीर्घ अनुभव का लाभ उठाया जा सके। आशा है कि इन नियुक्तियों से किसी और के भावी रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार पुनः रोजगार देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

आलू का मूल्य

5063. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मौसम में आलू का मूल्य अलाभप्रद स्तर तक गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने आलू के मूल्य के अलाभप्रद स्तर तक गिरने के बाद ही इसकी खरीद की; और

(ग) क्या ऐसे करने के कारण आलू उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं (ख) व (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

आर० ई० पी० आयात नीति में परिवर्तन

5064. **श्री चन्दन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को उन सिफारिशो का ब्यौरा क्या था जिनके कारण आर० ई० पी०, आयात नीति में परिवर्तन करने के लिए 27 सितम्बर, 1977 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई; और

(ख) यदि हां, तो केवल एक सिफारिश क्यों लागू की गई और अन्य सिफारिशों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : प्रश्नाधीन सार्वजनिक सूचना पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के अनुरोध पर अन्तः विभागीय विचार विमर्श के आधार पर इस उद्देश्य से जारी की गई थी ताकि पंजीकृत निर्यातों की नीति और स्वदेशी उत्पादन के बीच अधिक समुचित रूप से सामंजस्य पैदा हो सके।

Scheme For Abolition of Taxes on Fertilisers

5065. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme under which the taxes and excise duty on the fertilisers will be completely abolished with a view to provide relief to the farmers ;

(b) if so, the quantity of fertilisers on which tax and excise duty exemption will be given in 1977-78 and 1978-79 ; and

(c) the total percentage of farmers in the country which are likely to be benefited as a result thereof ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) No, Sir. There is presently no scheme under consideration for complete abolition of the excise or customs duty on fertilisers. However, Excise duty on Single Super phosphate and Triple Super phosphate fertilisers has already been reduced from 15% *ad valorem* to 7½% *ad valorem*. Further,

(i) fertilisers made without the aid of power,

(ii) mixed fertilisers made with the aid of power out of duty-paid fertilisers,

(iii) fertilisers used for certain specified industrial purposes, and

(iv) fertilisers known as agricultural fritted trace elements of micronutrients or soil stabilisers

are also exempt from whole of the excise duty leviable thereon.

(b) & (c). Does not arise.

Import Policy regarding Rudraksha

5068. **Shri Phool Chand Verma**: Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation be pleased to state** :

(a) what is the import policy in regard to 'Rudraksha' ;

(b) the names of the organisations which are making its import; and

(c) the quantum upto which it is being imported ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Import of Rudraksha is not allowed as per current import policy.

(b) No import licence has been issued to any organisation during the current financial year *i.e.* from April, 1977 till date.

(c) Nil in view of (b) above.

सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन

5069. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या मुख्य परिवर्तन लाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार, सरकारी उद्यमों के किसी सामान्य पुनर्गठन के विषय में विचार नहीं कर रही है। किन्तु, सरकार इन उद्यमों के संगठनों एवं कार्य चालन प्रक्रियाओं में, जहां आवश्यक हो, ऐसे परिवर्तन करने का निरंतर प्रयास करती रहती है, ताकि इनकी कार्यकुशलता एवं कारगरता बढ़ायी जा सके।

Foreign Cars used by Ministries/Offices of Finance

5070. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Ministries or high officers in the attached offices of the Ministries still use foreign cars as staff cars; and

(b) if so, the names of such offices or officers for whom imported cars are used ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : The information is being collected from the Ministries/Departments and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

तीसरे विश्व के देशों के ऋण को बट्टे खाते में डाला जाना

5071. **श्री विनोद भाई बी० शेठ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन तथा अन्य देशों का तीसरे विश्व के देशों के ऋण को बट्टे खाते में डालने के निर्णय का समाचार सही है ;

(ख) क्या भारत को इस निर्णय से लाभ होगा;

(ग) यदि हां, तो कहां तक; और

(घ) क्या भारत ऐसे ऋण को बट्टे खाते में डाले जाने को अपना अनुमोदन देगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जेनेवा में 6 से 11 मार्च, 1978 तक मंत्री स्तर पर हुए संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार और विकास सम्मेलन के व्यापार और विकास बोर्ड के विशेष अधिवेशन में विकासशील देशों पर विदेशी ऋणों के बोझ की समस्या पर विचार किया गया था। इस अधिवेशन में और बातों के साथ-साथ यह संकल्प किया गया कि विकसित दाता देशों को चाहिए कि वे गरीब विकासशील देशों को पहले दी गई द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता की शर्तों में फेर-बदल करने के लिए ऐसे उपाय करें जिससे उन शर्तों को ऐसी सहायता के संबंध में आजकल उपलब्ध नरम शर्तों के बराबर लाया जा सके या वे ऐसे अन्य उपाय करें जिनसे इन देशों को मिलने वाली सरकारी विकासशील सहायता की निवल राशि में वृद्धि हो सके। ऐसे उपाय किये जाने पर, प्रत्येक विकसित दाता देश सहायता से सम्बन्धित अपनी नीति के अनुसार सहायता के वितरण और सहायता की निवल राशि का निर्णय करेगा।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त निर्णय का तात्पर्य यह है कि ऋणों की शर्तों में कई प्रकार से और लचीले ढंग से फेर बदल किया जा सकता है जिसमें पहले के ऋणों को बट्टे खाते में डाला जाना भी शामिल है। भारत को इस निर्णय से कितना लाभ होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भिन्न-भिन्न दाता देश उपयुक्त निर्णय को किस रूप में कार्यान्वित करते हैं।

(घ) भारत वास्तव में, पहले के सरकारी ऋणों की शर्तों में फेर-बदल का स्वागत करेगा ताकि उन्हें विभिन्न द्विपक्षीय स्रोतों से मिलने वाली ऐसी सहायता की वर्तमान शर्तों के अनुरूप लायाजा सके ।

उत्तर बिहार में कुटीश्वर का विकास

5072. **श्री राम सेवक हजारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में कुटोश्वर स्थान एक पुराना और धार्मिक स्थान है;

(ख) क्या उक्त स्थान एक पिछड़े क्षेत्र में है और पर्यटकों को वहां जाने में मुश्किल होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्थान को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने और वहां एक निरीक्षण भवन बनाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) शिवरात्रि के अवसर पर पूजा पाठ तथा धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए आस-पड़ोस के क्षेत्रों के लोग कुटीश्वर जाते हैं। मुख्यतया एक स्थानीय महत्व का केन्द्र होने के नाते इस स्थान पर किये जाने वाले किसी भी विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी । अतः केन्द्रीय सैक्टर में कुटीश्वर के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों का क्रियान्वित किया जाना

5073. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का पालन किया जाता है; यदि हां, तो किस तारीख से;

(ख) राज्य व्यापार निगम में कर्मचारियों की, श्रेणीवार, कुल संख्या कितनी है ;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी, संवर्गवार, किस अनुपात में हैं;

(घ) क्या भर्ती के कोटे में कोई कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो उस कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। जनवरी, 1970 से रोस्टर रखे जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल-टी-1977/78]**

(घ) जी हां ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है ।

मिष्ठान्न तथा कन्फेक्शनरी के अन्य सामान पर से उत्पादन शुल्क हटाने का आधार

5074. **श्री नटवरलाल बी० परमार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में मिष्ठान्न तथा कन्फैक्शनरी के अन्य सामान पर से उत्पादनशुल्क हटाने के लिए क्या आधार अपनाया गया; और

(ख) क्या कुछ अन्य पदार्थ भी ऐसे हैं जिन पर सीमाशुल्क में और कन्फैक्शनरी के अन्य सामान्य की भांति छूट दी जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) उबली मिठाइयों, टाफियों, कैण्डियों आदि पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ की मद 1-क के अंतर्गत लगने योग्य मूल्यानुसार 10 प्रतिशत शुल्क, 1977 के बजट के अंग के रूप में हटा दिया गया था; ऐसा, अन्य बातों के साथ-साथ, मिठाइयों और कन्फेक्शनरी के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की उत्पादन प्रवृत्तियों और उस पर लगने योग्य शुल्क को ध्यान में रखकर किया गया था। परन्तु, इस माल पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क टैरिफ की मद 68 के अंतर्गत मूल्यानुसार 5 प्रतिशत शुल्क लगता है।

(ख) जी, नहीं। कोको चूर्ण, पेय चाकलेट, चाकलेट आदि जैसी मदों पर शुल्क निर्धारण, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 1-क के अंतर्गत जारी है।

आल इंडिया पेपर एण्ड अलायड मैनुफैक्चरर्स ऐसोशिएशन से सीमाशुल्क तथा अन्य शुल्क कम करने के लिए ज्ञापन

5075. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया पेपर एण्ड अलायड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएसन ने 24 फरवरी 78 को उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे।

(एक) आयातित मोम के मूल्य को उपलब्ध भारतीय मोम के मूल्यों के उचित स्तर पर लाने के लिए आयातित मोम पर लगे विद्यमान सीमाशुल्क और अन्य शुल्कों में कमी करना ; और

(दो) आयातित और भारतीय दोनों प्रकार के मोम के पूल-मूल्य निर्धारित करना;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान अधिक सीमाशुल्क का पैकेजिंग यूनिटों, जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के किए मोम का प्रयोग करते हैं फार्मास्यूटिकलों और अन्य सम्बद्ध उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इस प्रकार वे अपनी अधिष्ठापित क्षमता के आधे का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सीमाशुल्क और अन्य सम्बद्ध शुल्कों में कमी करके वह इस उद्योग को क्या राहत देना चाहते हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आल इंडिया पेपर एंड एलाइड मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने दिनांक 23 फरवरी 1978 को एक दरख्वास्त भेजी थी जिसमें सुझाव दिये गये थे ।

(ख) कागज आधारित पैकेजिंग उद्योग मांग में मंदी का सामना कर रहा है और वे पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देशी पैराफीन मोम की कमी और आयातित मोम की ऊंची कीमत के कारण इसकी लागत अधिक होती है।

(ग) सरकार मामले पर विचार कर रही है।

आवश्यक वस्तुओं का निर्यात

5076. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री खाद्य पदार्थों जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के बारे में 16 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4274 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 1977-78 में वस्तुओं के निर्यात हेतु क्या कार्यवाही की गई तथा वर्ष 1978-79 में उसके प्रयोजन हेतु क्या नीति अपनाई गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : 1977-78 के दौरान आम खपत की आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति उस सीमा तक ही दी गई जितना कि माल का अधिशेष था। जिन वस्तुओं की सप्लाई पर नियंत्रण नहीं है उन्हें मुक्त रूप से निर्यात किया गया। उदाहरणार्थ, 1977-78 के दौरान ताजी सब्जियों, आलू, प्याज, हल्दी, जीरा, तिल तथा तेल, कड़ी के बीज तथा तेल, एच०पी०एम० मूंगफली, भुनी हुई तथा ब्लांच्ड मूंगफली, दलहन, इंप्टेड, निर्जलीकृत तथा प्रोकुक्ड दलहन, प्रामफ्रेट तथा ड्राइड बम्बई डक के निर्यात या तो रोक दिये गये अथवा उन्हें प्रतिबन्धित कर दिया गया ।

इसी प्रकार, उपलब्धता में वृद्धि तथा घरेलू कीमतों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए गुड़ तथा चीनी के निर्यातों की अनुमति दी गई ।

खाद्य के रूप में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं के निर्यातों के सम्बन्ध में वर्तमान नीति 1978-79 में भी कायम रखी जायेगी ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

5077. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **वित्त** मंत्री ग्रामीण बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिये गये ऋणों के बारे में 5 अगस्त, 1977 के तारांकित प्रश्न सं० 802 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की जांच करनी थी;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(घ) यदि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित दांतवाला समिति ने अपनी रिपोर्ट 23-2-1978 को रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है। सरकार को समिति की रिपोर्ट अथवा उस पर रिजर्व बैंक के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में, रिजर्व बैंक की सलाह/विचार सरकार को प्राप्त हो जाने के बाद उसे ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा।

Capital investments and Tax arrears of various Monopoly Houses

5078. **Shri Vinayak Prasad Yadav** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total capital investments of Tata, Dalmia, Ispania, Goenka, Kanodia and Birla monopoly houses in 1950 and 1977, separately;

(b) the amount of arrears of income-tax, Central sales tax, excise duty, custom duty and other taxes as well as personal taxes against each of these monopoly houses up to January, 1978 and the action taken by Government to realize these arrears; and

(c) whether cases of economic offences and cases under Public Demands Recovery Act have been filed against them and if so, when and the progress of these cases ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) All undertakings which are registered under Section 26 of the M.R.T.P. Act, 1969, as undertakings, which by themselves, or together with interconnected undertakings, have assets of Rs. 20 crores or more, thereby coming under the ambit of Section 20(a) of the Act, are considered as large industrial houses. There ara a total of 105 such undertakings from the Houses of Tata, Birla and Goenka as on 30-9-1977. (It has been presumed that the name Goenka refers to the Goenkas associated with Duncan Brothers & Co. Ltd.). The value of total assets (reflecting the capital invested) by the above three Groups in 1972 and 1975, the information of which is readily available with the Department of Company Affairs has been given.

केरल के एलप्पी जिले में प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापे

5979. **श्री व्यालार रवि :**

श्री एम० सुधीरन :

श्री एन० श्रीकांतन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन प्राधिकारियों ने 1977 में केरल के एलप्पी जिले में छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर छापे मारे गये और उनमें क्या-क्या माल पकड़ा गया; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) तथा (ग) प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 1977 के दौरान, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 37 के अंतर्गत, केरल के एलप्पी जिले में 3 तलाशियां ली थीं।

ली गयी तलाशियों, उनमें पकड़ी गयी वस्तुओं तथा उनके संबंध में आगे की गयी कार्यवाही का ब्योरा नीचे दिया गया है :

परिसर जिनकी तलाशियां ली गयीं तथा तलाशी लिए जाने की तारीख	पकड़ी गयीं वस्तुएं	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गयी कार्यवाही
(1)	(2)	(3)
1. माउन्ट प्लेजेन्ट टूरिस्ट होम, कमरा नं० 3, चेंगन्नूर, तारीख 22-4-1977	बैंक की तीन पास बुक	इस मामले में जांच-पड़ताल करने से पता चला है कि इसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है।

(1)	(2)	(3)
2. अन्नथिरयथू हाउस, पुल्लाड जंकशन के पास, पुल्लाड, तारीख 22-4-1977	बैंक की दो पास-बुक	सम्बन्धित पार्टी को, 1 मार्च, 1978 को, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और मामला न्याय निर्णयाधीन है ।
3. अनन्तवाड़ी मलक्कारा, चेगन्नूर, तारीख 7-6-1977	भारतीय मुद्रा : 11,50,000 रु०, अमरीकी डालर : 8, फ्रांसीसी फ्रेंक : 120 तथा 13 कागजात	पकड़ी गयी 11.5 लाख रु० की भारतीय मुद्रा आयकर प्राधिकारियों को सौंप दी गयी थी क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम गा किसी प्रकार का उल्लंघन होने का कोई मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं था । इस मामले में अंतर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा के लिए प्राधिकृत व्यापारी को सौंपने के लिए छोड़ दी गई है। विदेशी मुद्रा सौंप दिये जाने के प्रमाण के रूप में प्राधिकृत व्यापारी से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।

अमरकंटक और देश की राजधानी के बीच विमान सेवा

5080. **श्री श्यामलाल धुर्वे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के एक सांस्कृतिक और रमणीय स्थल अमरकंटक और देश की राजधानी के बीच विमान सेवा शुरू करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक लागू होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयातित कच्चे काजू के वितरण के नियमों में परिवर्तन का प्रस्ताव

5081. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आयायित कच्चे काजू के वितरण के नियमों में परिवर्तन करने का है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान नियमों में परिवर्तन के सम्भावित प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया है;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार ने यह अनुरोध किया है कि इस सम्बन्ध में एक पक्षीय निर्णय नहीं किया जाना चाहिए ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) : आयातित कच्चे काजू के वितरण के मानदण्ड बदलने के सम्बन्ध में तामिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोआ से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिससे कि 31 अगस्त, 1970 के बाद स्थापित काजू साधित करने वाली अनेक फैक्टरियाँ आयातित कच्चे काजू का आबंटन प्राप्त कर सकें। इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से तथा केरल के संसद सदस्यों से भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो यथास्थिति बनाए रखने से सम्बन्धित है।

आयातित कच्चे काजू की वितरण नीति में कोई परिवर्तन किए जाने की कोई तत्काल प्रस्थापना नहीं है। किन्तु भविष्य में आयातों के माध्यम से उपलब्ध होने वाले कच्चे काजू की संभावित मात्रा में काफी कमी हो जाएगी क्योंकि उत्पादक देशों ने साधित करने की अपने धरेलू क्षमताएं बढ़ा ली हैं। सरकार का यह मत है कि इस समस्या का दूरगामी समाधान कच्चे काजू का धरेलू उत्पादन बढ़ाकर ही किया जा सकता है जिसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

खाद्य तेलों के आयात में कथित कदाचारों के बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट

5082. **श्री किशोर लाल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के आयात में कथित कदाचारों के बारे में इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट सरकार को पहले ही मिल गई है ;

(ख) यह रिपोर्ट कब मिली थी ;

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या मंत्रालय उक्त रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए तैयार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :(क) जी हाँ।

(ख) संस्थान ने 12 दिसम्बर, 1977 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी ।

(ग) रिपोर्ट के आधार पर :

(1) परिप्रेक्ष्य खाद्य तेल योजना तैयार करने;

(2) वनस्पति तिलहन तथा तेल निगम की स्थापना करने; तथा

(3) खाद्य तेल का बफर स्टाक बनाने के लिए, ताकि हड़ताल आदि की वजह से सप्लाई में कोई गड़बड़ी न हो,

के उपाय आरम्भ किए गए हैं। अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(घ) संस्थान की रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें पहले ही सभा पटल पर रख दी गई

राजस्थान राज्य सरकार की अन्त्योदय परियोजना आरम्भ करने में केन्द्र का अनुमोदन

5083. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के उत्थान के लिए 'अन्त्योदय' परियोजना आरम्भ करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श और अनुमोदन देने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उस परियोजना के सिद्धांत, उद्देश्य और इससे होने वाले संभावित लाभों के बारे में जानकारी दे दी थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'अन्त्योदय' परियोजना को क्रियान्वित के लिए केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी; और

(घ) क्या इस परियोजना से निकले परिणामों के बारे में अब तक कोई मूल्यांकन किया गया है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को योजना के संबंध में ब्यौरे भेज दिये हैं । योजना के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक गाँवों में 5 बिल्कुल निर्धन परिवारों का पता लगाया जाएगा तथा उनको अतिरिक्त भूमि का आबंटन करके, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, बैल, गायें, भैंसें, कुक्कुट तथा सुअर खरीदने के लिए सहायता दे कर, कृषि खादातों को खरीदने के लिए ऋण देकर और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करने के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता दे कर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस कार्यक्रम में धीरे-धीरे अधिकाधिक परिवारों को शामिल किया जाएगा।

(ग) यह योजना वर्ष 1978-79 की राज्य आयोजना में शामिल की गई है। राज्य आयोजना के संबंध में वित्त व्यवस्था करने के लिए समग्र रूप में केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को एक मुश्त ऋण और एक मुश्त अनुदान के रूप में दी जाती है ।

(घ) इस योजना को 2 अक्टूबर, 1977 को आरम्भ किया गया था तथा राज्य सरकार के अनुसार अभी से परिणामों के बारे में मूल्यांकन करना समय-पूर्व होगा।

उड़ीसा में स्टेट बैंक आफ इण्डिया का स्थानीय मुख्य कार्यालय खोला जाना

5084. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टेट बैंक आफ इण्डिया का उड़ीसा में स्थानीय मुख्य कार्यालय खोले जाने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार इस राज्य में बड़ी संख्या में कृषकों, छोटे स्तर के उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया की अधिक ग्रामीण शाखाएं खोलने के प्रश्न पर विचार र रही है ;

(ग) ऐसी शाखाओं की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(घ) स्टेट बैंक आफ इण्डिया का स्थानीय मुख्य कार्यालय कब तक खोला जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सुचित किया है कि दिसम्बर, 1977 के अंत में उड़ीसा में उसके कुल 183 कार्यालयों में से उस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उसके 111 कार्यालय थे।

(घ) बैंक के स्थानीय मुख्य कार्यालय के स्थान निर्धारण सहित बैंक के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा का जी रही है । यह समीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है ।

भारत द्वारा अन्य देशों को दी गई सहायता

5085. **श्री आर० वेंकटारमन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको भारत सरकार ने वर्ष 1977-78 के दौरान सहायता दी ;

(ख) प्रत्येक देश को कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) किस प्रयोजन के लिए सहायता दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने 1977-78 के दौरान विभिन्न देशों को निम्नलिखित सहायता का वचन दिया है/प्रदान की है :--

उधार	राशि	प्रयोजन
1. वियतनाम	12.5 करोड़ रुपए	70,000 मैट्रिक टन गेहूं के आटे की पूर्ति
2. श्रीलंका	10.0 करोड़ रुपए	भारतीय वस्तुओं की पूर्ति
3. वियतनाम	10.0 करोड़ रुपए	-तदैव-
4. मारीशस	10.0 करोड़ रुपए	-तदैव-
5. अफगानिस्तान	6.25 करोड़ रुपए	55,000 मैट्रिक टन गेहूं की पूर्ति
6. भूटान	2.86 करोड़ रुपए	चुखा जल परियोजना के लिए
7. बंगलादेश	1.28 करोड़ रुपए	उपस्करों और वस्तुओं की पूर्ति के लिए
अनुदान		
1. नेपाल	9.09 करोड़ रुपए	नेपाल में परियोजनाओं के लिए
2. बंगलादेश	17 लाख रुपए	वस्तुओं की खरीद के लिए
3. भूटान	24.66 करोड़ रुपए	भूटान में परियोजनाओं के लिए
अन्य सहायता		
1. कोलंबो आयोजना के के अन्तर्गत	80 लाख रुपए	प्रयोजन निम्नलिखित के अनुसार
2. विशेष राष्ट्रमंडलीय अफ्रीकी सहायता आयोजना के अंतर्गत	24 लाख रुपए	
3. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम	5.75 करोड़ रुपए	
4. बंगलादेश को तकनीकी सहायता के अधीन	13 लाख रुपए	

विभिन्न देशों को सहायता उन देशों से प्राप्त अनुरोधों और प्राथमिकता के अनुसार उनकी आवश्यकताओं के आधार पर तथा इन देशों के साथ अपने सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है । कोलम्बो

आयोजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता एशियाई और प्रशान्त महासागर क्षेत्र के देशों को और विशेष राष्ट्रमंडलीय अफ्रीकी सहायता आयोजना के अधीन अफ्रीका में राष्ट्रमंडल के देशों को दी जाती है। कोलम्बो आयोजना विशेष राष्ट्रमंडलीय अफ्रीकी सहायता आयोजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश इस प्रकार हैं :—

कोलम्बो आयोजना	विशेष राष्ट्रमंडलीय अफ्रीकी सहायता आयोजना
1. अफगानिस्तान	1. बोट्सवाना
2. बंगलादेश	2. घाना
3. भूटान	3. केन्या
4. बर्मा	4. लैसोथो
5. फिजी	5. मालवी
6. इंडोनिशया	6. मारीशस
7. ईरान	7. नाईजीरिया
8. कौरिया (दक्षिण)	8. सियारा लिग्रोन
9. मलैशिया	9. स्वाजीलैंड
10. नेपाल	10. तंजानिया
11. फिलिफीन्स	11. उगांडा
12. श्रीलंका	12. जाम्बिया
13. सिंगापुर	
14. थाईलैण्ड	

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित को सहायता प्रदान की गई है :—

अफगानिस्तान, अंगोला, अल्जेरिया, बरबादोस, बोटस्वाना, ब्राजील, बर्मा, साइप्रस, इथियोपिया मिश्र अरब गणराज्य, फिजी, घाना, गिनी, ग्यना, इंडोनैशिया, लाओस, साइबेरिया, लेसोथो, मलेशिया, मोरीशस, मारीशानिया, माल्टा, मालदीव, मौजम्बीक, पी०डी०आर०वाई० सैशीलीज, श्रीलंका, सोमालिया, सूडान, सीरिया, तंजानिया और जाँजीबार, टोंगा, एस०आर०बी०एन० अपर वोल्टा, वाई०ए०आर०, जिम्बाबवै, जैरा।

Concessional Return Air Journey Ticket for Kulu

5086. **Shri Mritunjay Prasad** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item under the caption "what keeps Kulu lovers off" appearing in the 'Hindustan Times' dated 8th March, 1978, if so, since when the concessional return air journey tickets have been discontinued and what was the amount of concessional fare for return journy and the fare at present and the comparative statement of Government accommodations charges for the past four years and now;

(b) the season liked most by the tourists for visiting Kulu and period thereof; and

(c) the steps being taken and proposed to be taken by the Government to attract more number of tourists ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Yes Sir. The air services to Bhuntar (Kulu) were discontinued in 1975 primarily due to runway limitations. There was no concessional return air fare for Kulu. The normal fares between Delhi/Kulu and Chandigarh/Kulu which remained unchanged since February, 1974 were:—

Delhi-Kulu	Rs. 165/-
Chandigarh-Kulu	Rs. 70/-

The India Tourism Development Corporation is operating Travellers Lodges at Kulu and Manali. The Himachal Pradesh Tourism Development Corporation operates Log Huts, Rest Camps, a Tourist Lodge and a Youth Hostel at Manali and a Tourist Bungalow at Kulu. A comparative statement indicating the charges for the past four years is attached (Statement).

(b) The tourist season for visiting Kulu is from mid-April to mid-June, September and October.

(c) In order to attract more tourists, intensive sales promotion and marketing are being done by the concerned authorities. The India Tourism Development Corporation has made a provision of Rs. 40 lakhs in the Five Year Plan (1978—83) for the expansion of their Travellers Lodges at Kulu and Manali and the work will be taken up subject to availability of funds. The Himachal Pradesh Tourism Development Corporation is planning to increase its accommodation and develop facilities for trekking and skiing. The Central Department of Tourism has a scheme to develop the Vasistha hot springs.

Statement

Statement showing the tariff of Government Accommodation at Kulu and Manali

I. Tariff of ITDC Travellers' Lodges at Kulu and Manali

Year*	European Plan£		American Plan&	
	Single room	Double room	Single room	Double room
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1973-74			40.00	70.00
1974-75				
1975-76	30.00	45.00	65.00	115.00
1976-77				
1977-78 Season— (April—Oct.) . .	40.00	60.00	80.00	140.00
Off Season—(Nov.—March) . .	25.00	40.00	65.00	120.00

*Year commences from October to September.

£Room rent only.

&Includes room rent with three full meals.

II. Tariff of Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Accommodation

	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Manali				
1. Log Huts . .	80.00	100.00	125.00	150.00
2. Tourist Bungalow	18.00	30.00	30.00	40.00
3. Rest Camps .	20.00	50.00	75.00	80.00
4. Tourist Lodge .	5.00	5.00	5.00	8.00
5. Youth Hostel .	2.00	2.00	2.00	3.00
Kulu				
1. Tourist Bungalow Kulu . . .	18.00	30.00	35.00	35.00

केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशालाओं में केमिकल एसिस्टेंट

5087 **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशालाओं में ग्रेड-एक के कैमीकल एसिटेंटों का सामान्यत: एक स्थान पर नियुक्ति के तीन वर्ष पूरे होने के पश्चात् तबादला कर दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वहाँ तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) 4-5 वर्षों तक सेवा करने के बाद भी उनका वहाँ से तबादला न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) ग्रेड-1 के 21 रसायन सहायक हैं जिन्होंने विभिन्न केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशालाओं में तीन से अधिक वर्षों की सेवा की है।

(ग) इन अधिकारियों की एक ही स्थान पर तैनाती की कार्यविधि निर्धारित करने वाले विशिष्ट आदेश नहीं हैं। इन अधिकारियों के तबादले, अनुकम्पा अथवा प्रशासनिक आधारों पर अथवा पदोन्नति पर किये जाते हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो रसायन-परीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार-सीमा में हैं और उनका तबादला उनकी पदोन्नति के साथ सम्बद्ध होगा।

लौंग के आयात की नीति में उदारता

5088. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौंग के आयात की नीति वर्ष 1977-78 में उदार बनाई गई है और आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया कठोर और विदेशी सप्लायरों के लिए लाभप्रद बना दी गई है क्योंकि आयातकों से यह कहा गया है कि वे आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पूर्व विदेशी सप्लायरों से पक्के करार कर लें ; और

(ख) आयातकों को अत्यधिक परेशानी और खर्च से बचाने की दृष्टि से इस प्रक्रिया के अधीन विदेशी सप्लायरों के भारतीय एजेन्टों से किए गये करारों को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) लौंग के आयात की अनुमति अब खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अर्थात् पहले की गई पुख्ता संविदाओं के लिए कोई आग्रह किए बिना, जैसा कि पहले किया जाता था, दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण नियन्त्रण आदेश का सोने के ऊंचे मूल्यों पर प्रभाव

5089. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में संशोधित स्वर्ण नियंत्रण आदेश का बाजार में सोने के ऊंचे मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : 14 फरवरी, 1978 को जारी की गई अधिसूचनाओं/आदेशों द्वारा प्रमाणित स्वर्णकारों को हाल ही में दी गई रियायतों का मुख्य उद्देश्य उनके जीवन-निर्वाह के साधनों में सुधार करना है। बाजार में सोने के मूल्य पर, इन रियायतों का, कोई सीधा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

Setting up of Rural Banks in Adivasi Areas of Bihar

5090. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether rural banks will be set up in the adivasi areas of Bihar and if so, the locations thereof in the Chhota Nagpur and Santhal Pargana Districts ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : Of the 48 Regional Rural Banks functioning in the country, there are 7 banks in Bihar, one of which covers the district of Santhal Parganas. The question of setting up more rural banks in the country, including Bihar, will be considered by the Government in the light of the recommendations of the Dantwala Committee, which was set up to review the working of the Regional Rural Banks.

आयकर विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रवेश परीक्षा और विभागीय पदोन्नतियों में छूट

5091. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रवेश परीक्षा और विभागीय पदोन्नति के मामले में 10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाती है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में गैर-राजपत्रित और राजपत्रित केडरों में भर्ती और पदोन्नति के लिए अब तक कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों ने इसका लाभ प्राप्त किया और उक्त कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का बिचार है ;

(ख) क्या आयकर, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों में राजपत्रित संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या में भारी कमी हुई है ; और यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई कार्यालय के एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की, जिसने आयकर अधिकारी के पद के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा पास की थी, पदोन्नति नहीं की गई है और यदि हाँ, तो उसको उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति क्यों दी गई थी; और

(घ) क्या यह सच है कि बम्बई आयकर विभाग के कार्यालय के एक सामान्य उम्मीदवार को, जो पदोन्नति के योग्य नहीं है, एक अधिकारी के रूप में तदर्थ पदोन्नति की गई है, और इस प्रकार उन अन्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के अधिकारों की उपेक्षा की गई है जो उससे वरिष्ठ हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

विभिन्न मदों पर शुल्कों का कम किया जाना

5092. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिना बिजली और भाप की सहायता के रोलर मशीनों द्वारा छापे गये सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क न लगाने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो कुछ अन्य मदों, विशेषकर हस्तचालित रोलर छपाई मशीनों पर शुल्कों में कमी और विद्युतचालित मशीनों से बने रंगीन कपड़े पर दी गई राहत का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी अनेक अधिसूचनाएं हैं, जिनसे शक्ति की मदद के बिना उत्पादित माल के सम्बन्ध में उत्पादनशुल्क से छूट दी गयी है । जहां तक टैक्सटाइल का संबंध है, कते हुए सूत पर तभी उत्पादनशुल्क लगता है जब उनका निर्माण शक्ति की मदद से किया गया हो । वस्त्रों के संबंध में भी शुल्क सामान्यतः तभी वसूल किया जाता है जब वस्त्र विद्युत करघों पर बनाये जाते हैं अथवा जब उन पर प्रक्रिया शक्ति की मदद से की जाती हैं ।

हस्त चालित रोलर प्रिंटिंग मशीनों पर छपे सूती वस्त्रों पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगता है, जबकि विद्युत करघों पर निर्मित फाइन और सुपर फाइन सूती वस्त्रों पर मूल्यानुसार 12 प्रतिशत शुल्क उस स्थिति में लगता है जब उन पर छपाई शक्ति की मदद से चालित रोलर प्रिंटिंग मशीनों पर की गयी हो ।

रंगे हुए शक्ति की मदद से प्रक्रिया गत सूती वस्त्रों पर कोई राहत नहीं दी गयी है ।

रुपये का मूल्य

5093. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1947 से वर्ष 1977 तक, वर्षवार, रुपये का वास्तविक मूल्य क्या रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार 1949=100) के अनुसार आंका गया रुपए का मूल्य दिखाया गया है ।

रुपए का मूल्य

(पैसे)

वर्ष	रुपए का मूल्य	वर्ष	रुपए का मूल्य
1949	100.00	1964	65.79
1950	99.00	1965	60.24
1951	95.24	1966	54.35
1952	97.09	1967	47.85
1953	94.34	1968	46.51
1954	99.00	1969	46.95
1955	104.17	1970	44.64
1956	95.24	1971	43.48
1957	90.09	1972	40.82
1958	86.21	1973	34.84
1959	82.64	1974	27.10
1960	80.65	1975	25.64
1961	79.37	1976	27.78
1962	76.92	1977	25.64
1963	74.63		

राशीकृत पेंशन को पुनः देना

5094. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा की याचिका समिति द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप राशीकृत पेंशन को पुनः देने का वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) इस प्रश्न पर कब निर्णय किया जायेगा क्योंकि इससे राशीकृत पेंशन के सभी मामले प्रभावित होते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जिला धनबाद में काला धन

5095. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद कोयला क्षेत्र में ऐसे बहुत से मजदूर नेता है जो कारों, इमारतों तथा अन्य सम्पत्ति के साथ ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं परन्तु आयकर की कोई अदायगी नहीं कर रहे है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके इस प्रकार कर न देने से जिले में काला धन बनाने के अवसरों को प्रोत्साहन मिल रहा है ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की पूरी जांच करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क), (ख) तथा (ग) नये कर-निर्धारितियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार धनबाद जिले के मजदूर संघ के तीन नेताओं के मामलों की जांच की जा रही है।

शीतल पेय के तत्वों पर उत्पादनशुल्क

5096. श्री गोविन्द मुण्डा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीतल पेय के विभिन्न तत्वों पर कितना उत्पादनशुल्क लगता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि तैयार पदार्थों पर भी बहुत अधिक उत्पादनशुल्क लगता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) वातित जलों के घटकों पर उत्पादनशुल्क की दरें नीचे दी गयी हैं :—

(1) चीनी मूल्यानुसार 20 प्रतिशत की दर से मूल उत्पादनशुल्क धन विशेष उत्पादन शुल्क के रूप में मूल शुल्क का 5 प्रतिशत और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में मूल्यानुसार 7.5 प्रतिशत।

(2) कार्बन डाईआक्साइड : मूल उत्पादनशुल्क के रूप में 1.20 रु० प्रति कि० ग्रा० धन विशेष उत्पादन शुल्क के रूप में मूल शुल्क का 5 प्रतिशत।

(3) साइट्रिक फास्फोरिक अम्ल
(4) सोडियम बेंजोएड
(5) खुशबू
} मूल्यानुसार 5 प्रतिशत

(ख) वातित जलों पर शुल्क की दरें नीचे दिये अनुसार हैं :—

1. वातित जल जिन्हें केवल कार्बन डाइआक्साईड गैस से दबाव से भरा जाता है और जिसमें अन्य कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं होते।	शुल्क की मूल्यानुसार 25 प्रतिशत दर धन 5 प्रतिशत विशेष उत्पादन-शुल्क
2. अन्य सभी	मूल्यानुसार 55 प्रतिशत धन 5 प्रतिशत विशेष शुल्क।

निर्माता द्वारा अथवा उसकी ओर से कोला के अर्क से रहित वातित जलों की 50 लाख बोतलों की पहली निकासी पर केवल मूल्यानुसार 25 प्रतिशत मूल शुल्क की रियायती दर एवं विशेष उत्पादन शुल्क के रूप में मूल शुल्क का 5 प्रतिशत लगता है।

पुनः देश में उपभोग के लिए वातित जलों की 5 लाख रुपये से अनधिक तक के कुल मूल्य की पहली निकासियों को, जो किसी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को अथवा उसके बाद निर्माता द्वारा अथवा उसकी ओर से की जाती है, उन पर लगने योग्य समस्त उत्पादनशुल्क से भी छूट मिली हुई है, यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 15 लाख रुपये से अधिक की निकासी नहीं की गयी हो। (वर्ष 1978-79 के लिए यह छूट केवल तभी दी जायेगी यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्थात् 28-2-78 तक, 13.75 लाख रुपये से अधिक की निकासी नहीं की गयी हो)।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि तैयार उत्पाद पर उत्पादनशुल्क बहुत अधिक नहीं लगाया जाता है।

Collection of Central Excise

5097. **Shri S. S. Das :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of the Central excise revenue collected from Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar States, State-wise during 1975, 1976 and 1977;

(b) the number of the Central excise collectorates in each of these five States and the number of Collectors, Deputy Collectors, Assistant Collectors, Superintendents and Inspectors in each of them;

(c) whether Government feels that a backward State like Bihar should have at least 3 collectorates to have an efficient administration and to enhance the collection of Central excise revenue; and

(d) the Government's policy in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) :

(a)

State	Revenue realised (in lakhs of Rupees)		
	1975	1976	1977
Maharashtra	91314	103409	108730
Gujarat	39014	42491	46316
Uttar Pradesh	35540	38445	39836
West Bengal	37703	42058	43013
Bihar	21369	23501	22592

(b) The information is given in the Annexure.

(c) and (d) Government's policy is to see that the jurisdiction of each Collectorate should be such that it is administratively viable. New Collectorates are formed when the workload warrants it. Whenever it is found that any Collectorate has become unwieldy, a review is undertaken to see whether there is a need to bifurcate it for to re-adjust its jurisdiction, keeping in view its viability, revenue potential, number of units producing excisable items located in the Collectorate, the convenience of the assessees and other relevant factors. Backwardness of a State would not by itself justify a multiplicity of Collectorates.

In the light of the above considerations, it has not so far been felt necessa ry to have more than one Collectorate in Bihar.

Statement

Annexure to Answer to Unstarred Lok Sabha Question No. 5097

1	Collector 2	Deputy Collector 3	Asstt. Collector 4	Superintendent 5	Inspector 6
Maharashtra					
(i) Bombay	1	7	35	260	1205
(ii) Poona	1	2	19	149	699
(iii) Nagpur	1	1	5	36	156
Gujarat					
(i) Ahmedabad	1	2	19	125	651
(ii) Baroda	1	3	14	166	830

1	2	3	4	5	6
Uttar Pradesh					
(i) Allahabad .	1	1	19	142	658
(ii) Kanpur .	1	3	18	128	593
West Bengal					
(i) Calcutta . . .	1	5	21	182	854
(ii) West Bengal, Calcutta .	1	3	19	192	907
Bihar					
Patna	1	2	22	137	613

इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया का एक यूनिट में विलय

5098. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया का एक यूनिट में विलय करने का है और यदि हां, तो कब और कैसे ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त दोनों एककों के निदेशक बोर्डों के वर्तमान सदस्यों के नाम, अर्हताएं, अनुभव आदि क्या हैं और क्या कुछ सदस्य दोनों एककों में ही निदेशक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद रूप से कार्य कर रही है।

(ग) अपेक्षित विवरण संलग्न है । दोनों बोर्डों का एक साझा अध्यक्ष तथा पांच साझे निदेशक हैं।

(घ) साझे निदेशकों की नियुक्ति दोनों एयरलाइनों की और अधिक अच्छी प्रबंध-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गयी है ।

विवरण

निदेशक मंडल के सदस्य का नाम		अर्हताएं/अनुभव आदि
एयर-इंडिया		
1. ए मी एम पी०सी० लाल	चेयरमैन	एक्स चीफ आफ एयर स्टाफ और इंडियन एयरलाईंस के एक्स चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी।
2. श्री के० जी० अप्पूसैमी	डायरेक्टर (सरकारी)	एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर
3. श्री सी० बी० जैन	,,	पर्यटन के महानिदेशक
4. डॉ० (कुमारी) कौमुदी	,,	संयुक्त सचिव, पर्यटन और नागर विमानन
5. श्री एम० सी० सरीन	,,	मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडियन एयरलाइंस
6. श्री एन० एच० दस्तूर	,,	डिप्टी मेनेजिंग डायरेक्टर एयर-इंडिया
7 श्री नरोत्तम सहगल	डायरेक्टर (गैर-सरकारी)	आई०सी०एस० (रिटायर्ड) भूतपूर्व सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

8. कुमारी थंगम ई फिलिप	डायरेक्टर (गैर-सरकारी)	एम० एस० सी० इन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट फ्राम कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी यू० एस० ए० फैलो ग्रोफ होटल कैटरिंग एण्ड इंस्टीट्यूशनल मेनेजमेंट एसोसिएशन यू०के०; वर्तमान में प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बम्बई।
9. श्री जे० एम० चूड़ामामा		एक प्रगतिशील उद्योगपति, बम्बई।

इंडियन एयरलाइन्स

1. एसी एम पी० सी० लाल		ऊपर क्रम संख्या 1 देखें।
2. श्री एम० सी० सरीन		ऊपर क्रम संख्या 5 देखें
3. श्री सी० बी० जैन		ऊपर क्रम संख्या 3 देखें।
4. डॉ० (कुनारी) कौमुदी		ऊपर क्रम संख्या 4 देखें।
5. श्री के० जी० अप्पूसैमी		ऊपर क्रम संख्या 2 देखें।
6. श्री जी० डी० माथुर		डायरेक्टर (सरकारी) डिप्टी मेनेजिंग डायरेक्टर इंडियन, एयरलाइंस
7. कुमारी थंगम ई फिलिप		ऊपर क्रम संख्या 8 देखें।
8. श्री एम० एस० अप्पा राव	डायरेक्टर (गैर-सरकारी)	एम० ए० (एकानौमिक्स एण्ड पालिटिक्स) बैचलर ग्राफ लॉ की डिग्री भी है। जयंती शिपिंग कं० लि० और ग्रौरियन्ट लौंगमैन लि० में डायरेक्टर रह चुके हैं।
9. श्री हेमेन्द्र प्रसाद बरूआ	डायरेक्टर (गैर सरकारी)	ग्रेजुएट ऑफ हारवर्ड बिजनैस स्कूल, वर्तमान में डायरेक्टर ऑफ बरूआस एण्ड एसोसिएटस प्रा. लि० जिनके कुछ महत्वपूर्ण चाय बागान हैं।

निर्यात निरीक्षण परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमें

5099. **श्री वी० एम० सुधीरन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों द्वारा निर्यात निरीक्षण परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध बहुत से मुकदमें दायर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो न्यायालयों में कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं तथा परिषद् के विरुद्ध इतनी बड़ी संख्या में मुकदमें दायर किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सेवा के मामलों पर मुकदमों में वृद्धि न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) निर्यात निरीक्षण परिषद्/निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के कर्मचारियों द्वारा सेवा मामलों के संबंध में दायर की गई 9 याचिकाएं विभिन्न न्यायालयों में निर्णय के लिए लम्बित हैं।

निर्यात निरीक्षण परिषद्/अभिकरणों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाते हैं कि सेवा नियमों का पालन हो तथा कर्मचारियों के साथ, जिनकी संख्या 2000 से अधिक है, कोई अन्याय न हो । फिर भी यदि कोई कर्मचारी सेवा मामलों में उपचार प्राप्त करने के लिए अपने विवेक तथा अधिकार से न्यायालय में जाना चाहे तो उसके लिये कोई रुकावट नहीं है ।

एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स दोनों के लिये संयुक्त कम्प्यूटर आरक्षण व्यवस्था

5100. **श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों के लिये संयुक्त कम्प्यूटर आरक्षण व्यवस्था का प्रस्ताव अनेक वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या एक विदेशी एयरलाइन को सलाहकार नियुक्त किया गया था ;

(ग) क्या कोई निर्णय किया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ग) और (घ) इस समय एयर इंडिया यू० के०, यूरोप तथा यु० एस० ए० में अपने स्टेशनों पर कंप्यूटराइज्ड रेजर्वेशन सुविधाओं की व्यवस्था प्रदान करने के लिए ब्रिटिश एयरवेज कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। इस कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सुविधा को एयर इंडिया के भारत स्थित स्टेशनों पर भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । बाद में एयर इंडिया के सभी स्टेशनों के लिए आरक्षण प्रणाली को जिनमें यू० के०, यूरोप तथा यू० एस० ए० स्थित स्टेशन भी सम्मिलित हैं एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की आवश्यकता पूर्ति के लिए ब्रिटिश एयरवेज से संबंध विच्छेद करके भारत में लगायी जाने वाले "कंप्यूटर सिस्टम" को हस्तांतरित कर दिया जाएगा ।

(ख) एयर इंडिया ने किसी भी विदेशी एयरलाइन्स को परामर्शदाता के तौर पर बनाये नहीं रखा है ।

हल्दी के निर्यात पर प्रतिबन्ध

5101. **श्री अनन्त दवे** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दी के निर्यात पर 4 जनवरी, 1978 को प्रतिबंध लगा दिया गया था ;

(ख) क्या कोचीन निर्यात संवर्धन परिषद् (कोचीन एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल) की बैठक में मंत्रालय के एक अधिकारी ने 2000 टन हल्दी के निर्यात की अनुमति दे दी थी हालांकि उसके निर्यात पर रोक लगी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान इस प्रतिबंध के कारण विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि इस वर्ष उत्पादन गत वर्ष की तुलना में दुगुना हुआ है ; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (घ) सरकार ने 4-1-78 से हल्दी के निर्यात पर रोक लगा दी है । हल्दी की एक किस्म अर्थात् "एल्लेपी फिंगर टरमैरिक" मुख्यतः निर्यात प्रयोजन से उगाई जाती है, आंतरिक बाजार में खपत के लिए नहीं । अतः वाणिज्य मंत्री के स्तर पर यह विनिश्चय किया गया था कि चालू वर्ष 1978 के दौरान 2,000 मे० टन की अधिकतम सीमा के अन्दर इस किस्म के निर्यात की अनुमति दी जाये। मंत्रालय के अधिकारी ने कोचीन में केवल वाणिज्य मंत्री द्वारा किये गये उक्त विनिश्चय के बारे में ही व्यापारियों को सूचना दी थी । पिछले वर्ष की तुलना में आन्तरिक कीमतें अभी भी ऊंची हैं और उपजकर्त्ताओं के लिए अलाभकर नहीं मानी जा सकतीं ।

पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का कार्यकरण

5102. **श्री सौगत राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के कार्यकरण पर असंतोष व्यक्त किया है और इसके कार्यकरण में अनेक दोष बताए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये किन्हीं उपायों का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां तो पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने उसके बाद यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है जिसकी जानकारी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क), (ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का गठन किया है और वह उस सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है । इसलिए केन्द्रीय सरकार का उस निगम से मूल रूप में कोई संबंध नहीं है ।

एयर इण्डिया के पुनर्गठित बोर्ड के लिये भारतीय वायु सेना और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व

5104. **श्री बसन्त साठे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को एयर इंडिया के पुनर्गठित निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है यद्यपि भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना का हमारे अनेक हवाई अड्डों पर नियंत्रण है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिये रुचि पैदा करने का क्या औचित्य है ; और

(घ) 18 फरवरी, 1978 के ब्लिट्ज में प्रकाशित विशेष रिपोर्ट में इस बारे में की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क), (ख) और (घ) एयर कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1953 में की गयी व्यवस्था के अनुसार, निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष तथा उसके अलावा कम से कम 8 और अधिक से अधिक 14 निदेशक होते हैं । सरकार को अपने विवेक से समय समय पर निदेशक मंडल की संख्या को इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत निर्धारित करने तथा कारपोरेशन के अधिकतम हित में प्रतिनिधित्व के स्वरूप का निर्णय करने का अधिकार है ।

(ग) इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलाजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, बम्बई की प्रिंसिपल, कुमारी थंगम ई० फ़िलिप को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों ही के बोर्डों पर नियुक्त किया गया है क्योंकि इन कारपोरेशनों द्वारा अपनी उड़ानों में खान-पान (केटरिंग) के स्तर में सुधार करने के लिए उनका परामर्श तथा मार्ग दर्शन उपलब्ध हो सकेगा।

फेडरल बैंक आफ त्रिवन्द्रम के बोर्ड में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का प्रतिनिधित्व

5105. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैडरल बैंक आफ त्रिवेन्द्रम के बोर्ड में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) रिजर्व बैंक की ऐसी प्रथा नहीं है कि निजी क्षेत्र के प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया जाये । रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी नियुक्तियां तभी की जाती हैं जब उसके विचार से बैंकिंग कम्पनी उसके जमाकर्ताओं अथवा जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो।

खाद्य तेलों में व्यापार

5106. **श्री प्रद्युम्न बल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों विषयक गोयल समिति के प्रतिवेदन से जो मुख्य निष्कर्ष निकला है वह यह है कि भारत में खाद्य तेलों के व्यापार में करोड़ों रुपयों का घोटाला है जैसा कि दिनांक 21 जनवरी, 1978 के ब्लिट्ज में प्रकाशित हुआ था ; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : :(क) सरकार ने मई, 1977 में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली से कहा था कि वह जनवरी, 1977 की मुक्त लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत निजी व्यापारियों द्वारा खाद्य तेलों के आयात के मामले में सभी पहलुओं का व्यापक अध्ययन करे। इस इंस्टीट्यूट ने अध्ययन कार्य किया और 12 दिसम्बर, 1977 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) रिपोर्ट में देश की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के पुनरीक्षण की व्यवस्था है और उसमें उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया गया है जिन पर भारत में खाद्य तेलों के विनियमन और विकास के लिए समन्वित नीतियां तैयार करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए।

(2) रिपोर्ट में भूतपूर्व सरकार के गैर सरकारी व्यापारियों के माध्यम से खाद्य तेल मुक्त रूप से आयात की अनुमति देने के निर्णय पर विचार किया गया है और उसमें बताया गया है कि निम्नोक्त बातों के संबंध में निर्णय दोषपूर्ण था :—

(क) आयात लाइसेंस सामान्य लाइसेंस योजना के अन्तर्गत मुक्त रूप में जारी किए जाते थे जो कि लघु उद्योग क्षेत्र के वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए थी ;

(ख) लाइसेंस में कोई मूल्य सीमा नहीं रखी गई थी ;

(ग) आयातकों पर कोई शर्त अथवा दायित्व नहीं रखा गया था ;

(घ) लाइसेंसों के वैधता अवधि एक वर्ष थी जबकि आवश्यकता यह थी कि आयात यथासंभव शीघ्र किये जाएं ;

(ङ) सभी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं में अत्यधिक कटौती कर दी गई थी ;

(च) आवेदकों की क्षमता के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती थी ;

(छ) निर्णयों के दीर्घावधि वित्तीय फलितार्थों पर विचार नहीं किया गया ;

(ज) लाइसेंसों के कार्यान्वियन को देखने के लिए कोई उपयुक्त अभिकरण नहीं था ; तथा

(झ) कीमतों के नियंत्रण के लिए तथा राज्य व्यापार निगम जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करके अधिक आयात सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध विकल्पों का पता नहीं लगाया गया।

(3) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राष्ट्र व्यापी कमी की स्थिति का सामना करने की क्रियाविधि के रूप में गैर सरकारी व्यापारियों पर निर्भर रहना एक गलत व्यवस्था थी, विशेष रूप से जबकि खाद्य तेल का व्यापार कुछ ही केन्द्रों में केन्द्रित है और कुछ ही बड़े व्यापारियों के हाथों में हैं।

(4) रिपोर्ट में आयात लाइसेंसों के उपयोग किये जाने का विस्तृत विश्लेषण किया गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कुछ लाइसेंसों में से लगभग 80 प्रतिशत मूल्य के लाइसेंस बहुत थोड़े लाइसेंस-धारियों द्वारा प्राप्त कर लिये गये थे और उपयोग दर बहुत कम थी। बड़े व्यापारी और आयातक इस कार्य को इस ढंग से करते हैं जिससे उन्हें अधिकाधिक वित्तीय लाभ मिलता है जैसे कि सीमित मात्रा में आयात करना तथा अपने आयात कार्यक्रम इस ढंग से तैयार करना जिससे अधिकाधिक फायदा मिले।

(5) खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के भावी प्रबन्ध के संबंध में रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों में आयातों के उचित प्रबंध हेतु राज्य अभिकरण की भूमिका आयातों तथा निर्यातों के लिए दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य खाद्य तेलों के विकास तथा विनियमन के लिए नीतियों तथा प्रशासनिक कार्यवाइयों के समन्वय के लिए एकल अभिकरण के महत्व एवं सांविधिक कीमत नियंत्रणों की जरूरत संबंधी सिफारिशें शामिल हैं तथा रिपोर्ट में आयात व निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के कार्यकरण में सुधार संबंधी सुझाव दिये गए हैं।

(ख) इन बातों के लिए पहले ही उपाय आरम्भ किये जा चुके हैं : (1) परिप्रेक्ष्य खाद्य तेल योजना तैयार करना, (2) वनस्पति तिलहन तथा तेल निगम की स्थापना करना तथा (3) समीकरण भंडार बनाना ।

बिहार में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये योजना

5107. **श्री बी० पी० मंडल :** क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिहार में पर्यटकों द्वारा दौरा करने के लिए राजगिरि नालन्दा पावापुरी, बोधगया, नेशनल पार्क, कोसी बांध, गांडव बांध, बड़वाबांध तथा अन्य

आकर्षक स्थल हैं केन्द्रीय सरकार का विचार पर्यटकों को राज्य में आकर्षित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था थोड़ी और अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सैक्टर में बिहार के उन बौद्ध केन्द्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है जो देश तथा विदेशों से बड़ी संख्या में बौद्ध तीर्थ यात्रियों को आकृष्ट करते हैं । इस उद्देश्य से केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राजगिर तथा नालन्दा के मास्टर प्लान (लैंड-यूस-प्लान) तैयार करा लिये हैं तथा बोध गया का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है । इन मास्टर प्लानों (लैंड-यूस-प्लानों) के आधार पर विभिन्न प्रकार के आवास कैफ़ेटेरिया शिवर स्थल तथा कार पार्क आदि जैसी पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्मारकों के प्राकृतिक परिवेश की शोभावृद्धि करने के लिए पर्यावरण के सुधार के भी उपाय किये जाएंगे ।

स्थानीय अथवा क्षेत्रीय रुचि के पर्यटक केन्द्रों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी ।

तस्करी गतिविधियों का ढंग

5108. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि दक्षिण गुजरात के तटीय क्षेत्रों तथा भारत-पाक कच्छ सीमा पर तस्कर एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी ऐश्वर्य वस्तुओं एवं मशीनों का बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी आयात गत एक वर्ष में रोक लिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तस्करों ने अपनी गैर-कानूनी गतिविधियों का ढंग बदल लिया है और उन्होंने बरास्ता कच्छ पाकिस्तान को तथा दक्षिण गुजरात के तटीय क्षेत्रों से दुबई एवं अन्य खाड़ी के देशों को आवश्यक वस्तुओं का गैर-कानूनी निर्यात करना प्रारम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि दक्षिण गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र और भारत-पाकिस्तान सीमा के कच्छ क्षेत्र में तस्करी पर प्रभावी रूप से नियंत्रण बना हुआ है ।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान विदेशी विलासिता वस्तुओं और मशीनी छोटे पुर्जों की बड़े पैमाने पर किसी तस्करी का रिपोर्टों से कोई संकेत नहीं मिलता ।

(ग) और (घ) इस बारे में की गयी जांच से इसकी पुष्टि नहीं होती। लेकिन, तस्करी के ऐसे किसी भी प्रयास को निष्फल करने के आवश्यक उपाय किये गये हैं।

मंगलौर हवाई अड्डे का विस्तार

5109. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मंगलौर हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे उक्त क्षेत्र के बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकता को पूरा किया जा सके ; और

(ख) लम्बित कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) धावनपथ तथा इससे जुड़ी हुई पटरियां कम दबाव के टायरों वाले उन्नत प्रकार के बोइंग 737 विमान के परिचालन के लिये उपयुक्त हैं। इंडियन एयरलाइन्स ने 7 दिसम्बर, 1977 से बम्बई-मंगलौर सैक्टर पर बोइंग 737 सेवा चालू कर दी है। यात्री हैंडलिंग सुविधाओं के लिये अतिरिक्त क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिये 31-3-1979 टक टर्मिनल भवन में कुछ परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है । एक नये "फायर स्टेशन" का निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है।

अहमदाबाद में आयोजित शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन

5110. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 5 और 6 मार्च, 1978 को अहमदाबाद में आयोजित हुआ था ;

(ख) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और क्या उक्त सिफारिशों में से कोई सिफारिश स्वीकार की गई है और उसे क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें अनुबन्ध 'क' में दी गई हैं। सिफारिशों की जांच पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त नगर सहकारी बैंक संबन्धी विशेषज्ञ समिति करेगी। उसके बाद उन पर सरकार विचार करेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भावी विकास के लिए अछूते क्षेत्रों/केन्द्रों में नगर बैंकों की स्थापना के लिए नए नगर सहकारी बैंकों के पंजीकरण के वर्तमान मानकों को उदार बनाया जाये, ताकि क्षेत्रीय असन्तुलन दूर किए जा सकें।

2. भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी नगर बैंकों के मामलों/समस्याओं/आवश्यकताओं की देखभाल के लिए अपने कृषि ऋण विभाग में एक विशेष सेल गठित करे।

3. नगर बैंकों को लाइसेंस मंजूर न किए जाने के बहुत से मामले हैं और कुछ मामलों में तो इस प्रकार के लाइसेंस दो वर्ष तक नहीं दिए गए हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक नगर बैंकों को शीघ्र लाइसेंस देने के बारे में कदम उठाये।

4. जिन बैंकों को कमजोर समझा गया है उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुधार करने का मौका दिया जाये। जिन बैंकों में सुधार नहीं किया जा सकता है, उन्हें निकटवर्ती अच्छे नगर बैंकों में मिला दिया जाये। ऐसे मामलों में जहां ऐसा करना संभव नहीं है, उन बैंकों को समाप्त कर दिया जाये।

5. भारत सरकार इस बात पर विचार करे कि आयकर के प्रयोजन से सांदधि जमा तथा संचित आवधिक जमा राशियों पर अर्जित ब्याज का हिसाब प्रत्येक वर्ष के आधार पर लगाया जाये है न कि उसका हिसाब उस वर्ष में लगाया जाये, जब जमा-राशियां देय हो जायें।

6. भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, आदि को निर्देश दे कि वे औद्योगिक वित्त देने, बिल मार्केट स्कीम तथा सहभागिता प्रमाण-पत्र आदि के मामले में पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने में नगर सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक/अनुसूचित बैंकों के समान माने।

7. भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंकों के समान ही नगर सहकारी बैंकों को हुंडियों से बट्टा लेने (डिस्काउन्टिंग आफ बिल्स) और सावधि ऋणों के लिये गारन्टी आदि देने जैसी सभी बैंककारी सुविधायें प्रदान करे।

8. चूंकि नगर सहकारी बैंकों पर दोहरा नियंत्रण होता है, इसलिये राज्य सरकारें अपना नियंत्रण सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार बैंक के प्रबन्धकीय पहलुओं तथा कार्यचालन तक सीमित रखें और भारतीय रिजर्व बैंक अपना नियंत्रण बैंक के कामकाज तथा वित्तीय अनुशासन तक सीमित रखें।

9. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ राज्यों में नगर सहकारी बैंकों को लागू की गई सावधि जमा बीमा योजना की सुविधायें इन बैंकों के लिये सभी राज्यों में निरपवाद रूप से उपलब्ध की जायें।

10. राज्य सरकारों को चाहिए कि वे नगर बैंकों की प्रशासन संबन्धी समस्याओं को देखने के लिये संयुक्त पंजीयक के नियंत्रण में एक अलग सैल की स्थापना करें, जिसमें सहायक कर्मचारी भी हों।

11. चूंकि नगर सहकारी बैंकों और मितव्ययिता तथा उधार समितियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिये नगर सहकारी बैंकों और मितव्ययिता तथा उधार समितियों के लिये एक अलग राष्ट्रीय संघ होना चाहिये।

12. उन राज्यों जिनमें नगर सहकारी बैंकों और मितव्ययिता तथा उधार समितियों के कोई शीर्ष स्तर के संघ नहीं हैं, वहां ऐसे संघों की स्थापना की जानी चाहिये।

13. सरकार अनिवार्य बचत, जैसे मितव्ययिता निधि, निजी प्रत्याभूति निधि आदि पर आयकर की छूट दे सकती है।

14. भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज की लाभप्रद दरों पर जमाराशियां आकर्षित करने के लिए वित्त-दायी/वाणिज्य संस्थाओं को अविवेकपूर्ण रूप से लाइसेंस जारी करना रोके, क्योंकि इससे नगर सहकारी बैंकों को जमाराशि जुटाने के लिये प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।

15. भारतीय रिजर्व बैंक, पूना स्थित अपने सहकारी कृषि बैंककारी प्रशिक्षण कालिज में नगर सहकारी बैंकों और मितव्ययिता तथा उधार समितियों के संदस्यों तथा विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों दोनों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रबन्ध करें।

राज्य व्यापार निगम में प्रशिक्षुता

5111. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम अपनी प्रशिक्षुता योजना के बारे में क्या नीति अपना रहा है ; और

(ख) क्या उन प्रशिक्षुओं को, जिन्हें गत वर्ष प्रशिक्षण दिया गया था, नियमित आधार पर वहां सेवा में लगा लिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) राज्य व्यापार निगम में प्रशिक्षुता अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार प्रत्येक वर्ष निर्दिष्ट अवधि के लिये विविध व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षु भर्ती किये जाते हैं। नीति का उद्देश्य लोगों को यह अवसर प्रदान करना है ताकि वे विशेष व्यवसायों में निपुणता प्राप्त कर सकें तथा इस प्रकार रोजगार तथा प्रशिक्षण का क्षेत्र बढ़ाया जा सके।

(ख) प्रशिक्षुता एक संविदागत दायित्व है जिसके अन्तर्गत नियोजक संविदा द्वारा व्यक्तियों को काम पर लगाता है ताकि उन्हें निश्चित अवधि के लिये व्यवसाय अथवा पेशे का प्रशिक्षण दिया जा सके। नियोजक का यह दायित्व नहीं है कि वह उन्हें नियमित रोजगार में खपाये। इसके अतिरिक्त, राज्य

व्यापार निगम इस समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के सिवाय कोई नई भर्ती नहीं कर रहा है ।

भारतीय काजू निगम द्वारा काजू का आयात बन्द किया जाना

5112. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू का आयात भारतीय काजू निगम के बजाय अन्यों द्वारा आयात कराए जाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में भारतीय काजू निगम द्वारा आयात किए गए कच्चे काजू की कुल मात्रा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में भारतीय काजू निगम द्वारा आयात किये गये कच्चे काजू की कुल मात्रा निम्नोक्त प्रकार है:--

	मात्रा	मूल्य
	(मे० टन)	(करोड़ रु०)
1975-76	1,35,710	33.23
1976-77	71,835	17.41
1977-78†	59,585	19.45

†1977-78 के आंकड़े अस्थायी हैं ।

Gold and Currency Notes in Government Treasuries

†5113. **Shri Ram Vilas Paswan:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the value of gold and currency notes in Government treasuries, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : No gold is kept in the Goveenment treasuries. There are a large number of Govenment treasuries under the control of Central Government and various State Governments. It is not a practicable to indicate information about value of currency notes with the treasuries as it will entail much time and labour.

Incentives to Small Scale Industry

5114. **(OIH). Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the details regarding Government's policy, scheme, incentives etc. about the export of exportable goods manufactured by small entrepreneurs on small scale industry ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (i) Small scale units which set up consortia of their own for exporting their products are recognised as export houses if their exports of select products during the prescribed base period are Rs. 25 lakhs f.o.b. as against the limit of Rs. 1 crore fixed for other exporters. In the case of non-select products, the minimum limit of export performance of such consortia is Rs. 2 crores as against Rs. 5 crores for others.

(ii) A group of SSI units with Rs. 10 lakhs of export performance in respect of select products is given some of the benefits available to export houses. Such Groups of SSI units are given all benefits available to export houses if their exports are of the products made in the cottage and village industry sector.

(iii) Large scale and merchant exporters claiming export house status and sharing the exports of SSI products are given weightage by taking the value of such SSI exports at double the actual value.

Abolition of Prize Chit Fund Companies

5115. **Shri Laxminarayan Nayak** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of individuals and companies running Prize Chit fund schemes in different States and Union territories, separately as on the 28th February, 1978;

(b) the number of cases as on 31st January, 1978 in which these companies had covered up their business after committing fraud, forgery and usurping public money; and

(c) the number of cases pending with courts in respect of these schemes, the number of cases already disposed of by courts and the number of those being investigated by C.B.I. ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) According to the Reserve Bank of India, as on 31-1-78, 2098 chit fund companies were functioning in the country. The statewise break up of these companies is given in the attached statement. The names of these companies are available in the Registers maintained by the Reg]strar of Companies for public inspection. As regards individuals conducting prize chit fund schemes, no data is available as there is no legislation throughout the country requiring registration/ obtaining of licence for conduct of such schemes.

(b) Cases of fraud, forgery etc. come to light through complaints and enquiries/investigations after a time lag. No comprehensive and complete list of such cases, as on the date asked for, is available. However, according to the information collected by the Reserve Bank, 33 companies were reported to have committed offences of the type referred to in the question.

(c) While information in the manner asked for by the Hon'ble Member is not compiled/maintained, Reserve Bank have reported that they have issued show cause notices to 80 companies for non-compliance with its directions, initiated prosecution proceedings against 7 companies conducting prize chits and saving schemes and issued orders prohibiting acceptance of deposits to 18 companies between January 1, 1977 to date.

Statement

Statewise break up as on 31-1-1978 of Chit fund companies functioning in the country

Name of the State/ Union Territory	Companies conducting conventional chits	companies conducting prize chits	Total
1	2	3	4
Andhra Pradesh . .	72	9	81
Kerala . . .	180	5	185
Karnataka	125	5	130
Pondicherry . . .	22	1	23
Tamil Nadu	267	3	270
Gujarat	5	34	39

1	2	3	4
Goa, Daman & Diu	1	—	1
Madhya Pradesh .	2	64	66
Maharashtra	40	22	62
Assam	6	115	121
Bihar	4	109	113
Orissa .	1	6	7
West Bengal	37	71	108
Manipur	—	2	2
Meghalaya	—	6	6
Nagaland	—	2	2
Tripura .	—	1	1
Chandigarh	8	3	11
Delhi .	172	27	199
Haryana . .	13	13	26
Himachal Pradesh	8	7	15
Jammu & Kashmir	—	20	20
Punjab	102	161	263
Rajasthan .	11	99	110
Uttar Pradesh	89	148	237
Total	1165	933	2098

सीमा-शुल्क गोदाम कलकत्ता से नीलामी की राशि का चोरी होना

5116. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1976 में सीमा-शुल्क गोदाम कलकत्ता से 26,400 रुपये की नीलामी की राशि चोरी चले जाने के बारे में इस बीच जांच की है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इस बारे में की गई जांच का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तारीख 6 अगस्त, 1976 को जब कलकत्ता सीमा-शुल्क गृह का बिक्री शेड खोला गया, तो लोहे का कैश बाक्स, जिसमें 26,243 रुपये की रकम रखी हुई थी, जो 5-8-1976 को एक नीलामी में सम्मिलित बोली लगाने वालों से जमा रकम के रूप में प्राप्त हुई थी, टूटा हुआ पाया गया और 26,243 रुपये की पूरी रकम गायब पायी गई। मामले की रिपोर्ट, पुलिस को की गई । मई, 1977 में, पुलिस आयुक्त, कलकत्ता ने समाहर्ता को सूचित किया कि इस मामले में पूरी जांच-पड़ताल के बावजूद, न तो चोरी गई रकम और न अपराधी का ही पता लगाया जा सका। एक विभागीय जांच भी की गई, जिसकी समाप्ति पर संबन्धित वेयर हाउस निरीक्षक और बिक्री अधिकारी के विरुद्ध विभागीय

कार्यवाही की गई । विश्वस्तता बीमा पालिसी के अन्तर्गत किया गया दावा अभी भी बीमा-कम्पनी के विचाराधीन पड़ा है।

अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति का प्रतिवेदन

5117. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एल० के० झा के नेतृत्व में नियुक्त अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन भाग-1 (अक्तूबर, 1977) में यह सुझाव दिया है कि ऊंची दर पर अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर हाथ से कते और हाथ से चुने संश्लिष्ट रेशे जैसे पोलिस्टर रेशे को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) खादी के कपड़े के स्थान पर पोलिस्टर को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का क्या राहत देने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति ने अभिमत व्यक्त किया है कि टैक्सटाइल के लिए संश्लिष्ट तंतुओं जैसे कुछ कच्चे माल पर शुल्क कम करने का मामला इस आधार पर बन सकता है कि ऐसे कच्चे माल की सस्ती और प्रचुर मात्रा में सप्लाई से न केवल उपभोक्ता को ही लाभ पहुंचेगा बल्कि इससे अतिरिक्त विकेन्द्रीकृत रोजगार भी मिलेगा जैसा कि संश्लिष्ट तंतुओं के मामले में होता है जो हाथ से कते अथवा हाथ से बुने हुए होते हैं।

(ख) और (ग) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है । लेकिन, यह भी बता दिया जाय कि खादी के वस्त्रों पर (जिनमें पोलिएस्टर मिश्रित खादी के वस्त्र भी शामिल हैं) उत्पादनशुल्क से कुछ राहतें पहले ही मिली हुई हैं।

राष्ट्रीय व्यापार जानकारी केन्द्र

5118. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय व्यापार जानकारी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो संगठनात्मक ढांचे का ब्यौरा क्या है और उस पर कुल कितना आवर्ती वार्षिक व्यय होगा ; और

(ग) क्या अहमदाबाद प्रबन्ध संस्थान ने इस बारे में अपना सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी हां। राष्ट्रीय व्यापार जानकारी केन्द्र स्थापित करने की एक प्रस्थापना विचाराधीन है, जिसका, ब्यौरा व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जा रहा है । इस संबन्ध में भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद को स्रोत तथा प्रयोक्ता सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है । उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ इस केन्द्र के संभावित स्थान तथा संगठनात्मक स्वरूप के बारे में सिफारिशें की जाएंगी और साथ ही साथ उसमें प्रारम्भिक लागत तथा वार्षिक आवर्ती खर्च का प्राक्कलन भी दिया जाएगा।

(ग) जी नहीं। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद को अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 1978 तक प्रस्तुत करनी है ।

जीवन बीमा निगम के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस

5119. **श्री शरद यादव :**
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 फरवरी, 1978 को दिये गये निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें जीवन बीमा निगम (समझौतों का प्रत्यावर्तन) अधिनियम को अवैध घोषित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अब भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को भारतीय जीवन बीमा निगम के तीसरी और चौथी श्रेणी के सब कर्मचारियों को वर्ष 1975-76, 1976-77 के लिये 15 प्रतिशत की दर से बोनस देने के निदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय ने अपने 21 फरवरी, 1978 के फैसले में जीवन बीमा निगम (समझौतों का उपांतरण) अधिनियम, 1976 को रद्द कर दिया है और भारतीय जीवन बीमा निगम को 1974 के समझौतों में की गई व्यवस्था के अनुसार तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए उनके वार्षिक वेतन के 15 प्रतिशत की दर से बोनस की अदायगी करने का निदेश दिया है । जीवन बीमा निगम ने 1974 के समझौतों में की गई व्यवस्था के अनुसार तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए उनके वार्षिक वेतन के 15 प्रतिशत की दर से बोनस अदा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है ।

Transfer of Income Tax Officer, Etawah (U.P.)

5120. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether follow up action was taken after the tansfer of the Income Tax Officer Etawah (U.P.) on charges of corruption and whether prosecution is being launched against him; and

(b) In case any departmental action is being taken the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) & (b) The officer who had been functioning as Income-tax Officer, Etawah (U.P.), since May 1973, was transferred to Jhansi in September, 1977. The transfer was made on administrative considerations only and there being no ground for any charge of corruption to be framed against him, the question of launching prosecution or taking departmental action against him has not arisen.

विभिन्न तिथियों को स्टैंडर्ड सोने का मूल्य

5121. **श्री अमरसिंह वी० राठवा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1977 को तथा 31 जनवरी, 1978 को स्टैण्डर्ड सोने का मूल्य क्या था और 1976, 1975 तथा 1974 वर्षों में उक्त तिथियों को क्या स्थिति थी;

(ख) क्या यह सच है कि अधिक मूल्य के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के पश्चात् स्टैण्डर्ड सोने के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी ;

(घ) उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्टेंडर्ड सोने एवं चांदी के मूल्यों में कमी लाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) बम्बई में, 31 दिसम्बर, 1977 को स्टैन्डर्ड सोने की कीमत 681 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और 31 जनवरी, 1978 को 697 रुपए प्रति दस ग्राम थी। वर्ष 1976, 1975 और 1974 में सोने की कीमतें निम्नलिखित थीं:—

(रुपए प्रति 10 ग्राम)

	31 जनवरी	31 दिसम्बर
1976	541	561
1975 . . .	537	531
1974 . .	417	524
		(30 दिसम्बर)

(ख), (ग) और (घ) 16 जनवरी को विमुद्रीकरण किये जाने के बाद 17 जनवरी को सोने की कीमत सबसे ऊंचे स्तर पर अर्थात् 710 रुपया प्रति दस ग्राम हो गई। इसका कारण अन्य मूल्य वर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण की आशंका से उत्पन्न होने वाली सट्टे से सम्बन्धित माँग थी। फिर भी माँग की यह वृद्धि थोड़ी देर ही बनी रही और इसके तुरन्त बाद सोने की कीमतें घट कर विमुद्रीकरण से पहले के स्तर पर आ गई।

(ङ) सोने की कीमतें कम करने के सरकार के प्रस्ताव सबसे हाल के बजट में दिये गए हैं। चाँदी के निर्यात को विनियमित किया जा रहा है और चाँदी की घरेलू कीमतों पर पड़ने वाले दबाव की रोकथाम करने के लिए इसका व्यापार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है।

गलीचों की किस्म के बारे में शिकायतें

5122. **श्री सी० एन० विश्वानाथन:**

श्री एम० ए० हनान अलहाज:

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 1977 के पश्चात् गलीचों की किस्म के बारे में शिकायतें मिल रही हैं;

(ख) क्या उन्हें पता है कि सरकार द्वारा मार्च, 1977 में गलीचों के किस्म नियन्त्रण पहलू से ढील दे देने के कारण मात्रा एवं मूल्य दोनों दृष्टियों से गलीचों के निर्यात में ह्रास हुआ है; और

(ग) क्या उन्होंने 3200 गाँठों से ऊपर गलीचा निरीक्षण के प्रतिबन्ध (किस्म नियंत्रण) के बारे में 29 जुलाई, 1977 को संसद् में बताया था कि निर्यातकों एवं विदेशी क्रेताओं के व्यवहार पर लगातार नजर रखी जाय; क्या प्राप्त हुई शिकायतों/निर्यात की प्रवृत्ति/गलीचों के निर्यात में ह्रास को देखते हुए योजना का पुनरावलोकन किया गया था, यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी हाँ। निर्यात निरीक्षण परिषद् को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) अप्रैल 77—जनवरी 78 की अवधि के लिए निर्यात के अनन्तिम आँकड़ों से पता चलता है कि हालाँकि निर्यात की मात्रा में गिरावट आई है परन्तु पिछले वित्तीय वर्ष के स्तरों की तुलना में मूल्य में वृद्धि हुई है।

(ग) जी हाँ । विदेशी खरीदारों की शिकायतों तथा निर्यातकों के व्यवहार की समय समय पर समीक्षा की जाती है । इस योजना में संशोधन नहीं किया गया है ।

त्रिपुरा से अनानास और कटहल का निर्यात

5123. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनानास और कटहल का जो त्रिपुरा में बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं, निर्यात करने की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि दो-तीन देश अनानास और अनानास-जूस का आयात करने के लिये बहुत अधिक रुचि दिखा चुके हैं; और

(ग) क्या सरकार त्रिपुरा राज्य सरकार को इस मामले में सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) इस समय ताजे अनन्नासों तथा अनानास उत्पादों का भारत से निर्यात किया जा रहा है । अनानास उत्पादों के निर्यात बढ़ाने की अच्छी संभावनायें हैं । कटहल का निर्यात नगण्य रहा है और भविष्य में इसके निर्यात की संभावना अच्छी नहीं है ।

(ख) ताजे अनानास मुख्यत: मध्यपूर्व देशों को निर्यात किये जा रहे हैं । अनानास रस की माँग मुख्यत: यूगोस्लाविया तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की रही है ।

(ग) अनन्नास तथा कटहल के निर्यातों के लिये त्रिपुरा राज्य को सहायता देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न आयात करने की अनुमति

5124. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने वास्तविक प्रयोक्ताओं को बड़ी मात्रा में पालिस्टर फिलामेंट यार्न सीधे आयात करने की अनुमति दी है और कि यह अतिरिक्त मात्रा वर्ष 1976-77 को 1100 टन मात्रा की अपेक्षा 400 टन अधिक थी;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने आयातित यार्न, उतारने-चढ़ाने के शुल्कों के रूप में कुछ प्रतिशत शुल्क लेकर कुछ फर्मों को आबंटित किया था यद्यपि पालिस्टर यार्न पर लगभग 300 प्रतिशत प्रीमियम था;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी फर्मों की सूची, आबंटित/आयाति मात्रा क्या है; और

(घ) क्या इस यार्न से बनी वस्तुओं पर कोई मूल्य नियन्त्रण है, यदि नहीं तो इस यार्न को इतनी बड़ी मात्रा में आयात करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं । 1977-78 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने देशी उत्पादन की अनुपूर्ति करने के लिए पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात की व्यवस्था की ।

Demonetisation of 20, 50 and 100 Rupee Notes

†5125. **Shri Bharat Bhushan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to demonetise the currency notes of the denomination of 20, 50 and 100.

(b) if so, when it is likely to be done; and

(c) the number of 20, 50 and 100 rupee currency notes in circulation at present ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) As at the end of January, 1978, the number of currency notes of Rs. 20/-, Rs. 50/- and Rs. 100/- in circulation was as follows :—

Denomination	Pieces
Rs. 20/-	30.6 crores
Rs. 50/-	18.3 crores
Rs. 100/-	41.1 crores

The figures are, however, provisional.

Central Loan Outstanding against States and Union Territories in 1951-52 and Central Loan sanctioned for 1977-78.

5126. **Shri Ram Kishan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of Central loan outstanding against States and Union territories in 1951-52 as against the amount as on 31st December, 1977; and

(b) the amount of Central loan sanctioned for States and Union Territories for 1977-78 and the actual amount provided to them after deducting instalments of and interest on previous loan ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) According to Finance Accounts prepared by the Comptroller & Auditor General of India, information regarding outstanding Central loans is as follows :

(Rupees in crores)

(i) Outstanding against States as at the end of 1951-52. (There were territories in 1951-52).	244
(ii) Outstanding against States and Union territories as at the end of 1975-76	9783

Government accounts are prepared for each financial year ending on 31st March. Finance Accounts for 1976-77 have not yet been finalised.

(b) The actuals will be known only after the close of the financial year and the accounts thereof are finalised. However, according to the Revised Estimates for 1977-78 the relevant information for the year is as follows :

(Rupees in crores)

(i) Gross disbursements of Central loans to State and Union territory Governments	2020
(ii) Recovery of Central loans from State and Union territory Governments	860
(iii) Interest payments by State and Union territory Governments on Central loans	524

Demonetised Currency Notes in Circulation

†5127. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the high denomination notes, which were in circulation on the day they were demonetised, were not deposited till the last date fixed therefor and the number thereof denomination-wise;

(b) Whether Government's attention has been drawn to the reports published in newspapers that people manipulated exchange of such notes through their foreign bank accounts and the full information and facts Government have in this regard; and

(c) whether Government propose to investigate the matter and if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) Yes, Sir. Although the complete data is still being compiled by the Reserve Bank of India, yet from the provisional figures made available by the Bank, it appears that high denomination notes of the value of about Rs. 16 crores were not tendered till the last date fixed therefor. Denomination-wise figures are not available.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राइवेट तेलशोधक कारखानों को आयातित कच्चे मूंगफली के तेल का बेचा जाना

5128. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापर निगम ने प्राइवेट तेल शोधक कारखानों को आयातित कच्चा मूंगफली का तेल बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे उपभोक्ता तेल शोधक कारखानों द्वारा हेरा फेरी करने से रिफाइन्ड तेल के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी; और

(ग) यदि हाँ, तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और अच्छी किस्म सुनिश्चित करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम आयातित मूंगफली के तेल की बिक्री के लिये प्रस्ताव मंगाने के बारे में विचार कर रहा है । बिक्री की शर्तों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

चाय बागान के प्रबन्धकों की नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव

5129. **श्री के० बी० चेतरी**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिये गये संकटग्रस्त चाय बागान के प्रबन्धकों के नाम क्या हैं और उनके चयन के लिये क्या मापदण्ड अपनाया था;

(ख) क्या यह सच है कि पेशोक टी ऐस्टेट के श्रमिकों को बागान श्रम अधिनियम के अनुसार सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह स्थिति बाग के प्रबन्धकों की अकार्य कुशलता के कारण है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये गये चाय बागान के प्रबन्धकों की नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिए गए पश्चिम बंगाल के चार चाय बागानों के प्रबन्धकों के नाम निम्नोक्त हैं :

श्री वाई० आर० सुबबा---वाह-तुक वार टी एस्टेट

श्री डी० सी० मुखर्जी---पेशोक टी एस्टेट

श्री ए० के० बोस---लुकसान टी एस्टेट

श्री एस० पाँडे---कुमाई टी एस्टेट

भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा पहले तीन प्रबन्धकों के चयन में अपनाये गये मानदण्डों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रबन्धक/उप प्रबन्धक/कार्यभारी प्रबन्धक के रूप में चाय बागानों का व्यावहारिक अनुभव तथा चाय उद्योग में पदधारी की ख्याति आदि शामिल है । श्री पाँडे, जिन्हें भूतपूर्व प्रबन्धकों ने नियुक्त किया था, बागान को नियंत्रण में लिए जाने के बाद भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि काम में निरन्तरता कायम रखने के लिए पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम ने उन्हें पद पर बनाये रखना वाँछनीय समझा ।

(ख) तथा (ग) नियंत्रण में लिए जाने से पूर्व, भूतपूर्व प्रबन्धक बागान श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत अधिकाँश दायित्वों का पालन नहीं कर रहे थे । भारतीय चाय व्यापार निगम अब इन उपबन्धों का पालन करने और यथा संभव अधिकतम सीमा तक इन दायित्वों को पूरा करने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहा है । अब तक पूरे किए गये दायित्वों में ये शामिल हैं: समय पर ईंधन और राशन का वितरण, क्वार्टरों तथा नलकूपों की वार्षिक मरम्मत, डाक्टरी तथा अस्पताल सम्बन्धी बेहतर सुविधाएं, शिशु सदनों की व्यवस्था, भविष्य निधि की कटौती तथा उसे जमा करना ।

(घ) जी नहीं ।

राज्य व्यापार निगम नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती/पदोन्नति

5130. **श्री आर० डी० राम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली में भर्ती/पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बन्धी आदेश लागू होते हैं और यदि हाँ, तो कब से;

(ख) राज्य व्यापार निगम में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें सामान्य वर्ग और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ;

(ग) क्या वहाँ भर्ती और पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटे में कोई कमी है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका विचार भर्ती/पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे में कमी को कैसे पूरा करने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी हाँ । सीधी भर्ती तथा चयन द्वारा पदोन्नति के लिए जनवरी, 1970 से तथा वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा पदोन्नति के लिए 27-11-1972 से रोस्टर रखे जा रहे हैं ।

विवरण

(1) विभिन्न संवर्गों में बिना भरे आरक्षित पदों के संबंध में पिछली कमी को पूरा करने के लिए समय-समय पर विज्ञापन जारी किये गये हैं ।

(2) वित्त जैसे संवर्गों में जहां कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए बिना भरे गये पदों का आगे ले जाया गया है ।

(3) कुछ संवर्गों में योग्यताओं में ढील दी गई है ।

(4) यह अनुदेश जारी किये गये हैं कि आरक्षित पदों को उस समय तक खाली रखा जायेगा जब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलेगा और उन्हें गैर-आरक्षित नहीं किया जायेगा ।

(5) निगम के नियमों तथा समय-समय पर सरकार से प्राप्त निदेशों के अनुसार जब भी पात्र व्यक्ति उपलब्ध होंगे, बिना भरे हुए आरक्षित खाली स्थानों पर संगठन के भीतर से ही पदोन्नतियां की जायेंगी ।

(ख) राज्य व्यापार निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या तथा सामान्य श्रेणी तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

सामान्य . . .	2050
अनुसूचित जाति	137
अनुसूचित जनजाति	9
कुल	2196

(ग) जी, हां ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

Target for Export of Sugar to be Fulfilled

5131. **Shri Ganga Bhakta Singh :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether he is aware that the price of sugar in the international market is less than that prevailing in the domestic market ;

(b) if so, the difference thereof ;

(c) the loss estimated to be incurred by Government on account of the export of 6.5 lakh tonnes of sugar during the current year; and

(d) whether the Government would be able to fulfil the target of export of 6.5 lakh tonnes of sugar which was fixed in the agreement concluded in 1977-78 ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Yes, Sir.

(b) The current ruling prices of white sugar in the international market are around £stg. 100 (Rs. 1585) per M.T. The All India weighted average Ex. Mill price of levy sugar has been fixed by the Government at Rs. 1875 per ton. The present tariff value of levy free sugar is Rs. 2700 per ton, while the All-India weighted average cost of production is Rs. 2250 per ton.

(c) The loss on export of 6.50 lakh tonnes during 1978, for the present, has been estimated at about Rs. 30 crores.

(d) Yes, Sir.

"केसीन" का आयात

5132. **श्री कंचरुलाल हेमराज जैन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केसीन के आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने, किस देश से और किस मूल्य पर केसीन का आयात किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में केसीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कमी की कभी शिकायत नहीं की गई है ;

(घ) सरकार ने केसीन के आयात की अनुमति किस कारण दी है ; और

(ङ) क्या उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन डेयरी कारपोरेशन को केसीन के आयात के लिये दिये गये या दिये जाने वाले लाइसेंस को रद्द करने और इस प्रकार उन छोटे किसानों को राहत देने का सरकार का विचार है जो कुटीर उद्योग में केसीन बनाते हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां । केवल इंडियन डेरी निगम बड़ौदा को ।

(ख) न्यूजीलैंड से करीब 13 लाख रु० की कुल लागत के 105 मे० टन केसीन के आयात के लिए आर्डर दिया गया है ।

(ग) केसीन स्वदेश में भी उपलब्ध है, सरकार को इसकी कमी की जानकारी नहीं है ।

(घ) रंग-रोगन सरेसा, कागज, वार्निश के विनिर्माण भेषजीय उद्योगों आदि में लगे हुए वास्तविक प्रयोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय डेरी निगम के जो मार्गीकरण अभिकरण है, जरिये केसीन के आयात किए जाने की अनुमति दी गई है ।

(ङ) भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा को केसीन के आयात के लिए आगे कार्रवाई न करने की सलाह दी गई है ।

Export of Goods at Prices Below Cost Prices Before Emergency

5133. **Shri Ramjiwan Singh:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether, before emergency, Indian goods were exported by Government at prices below the cost prices ;

(b) if so, the extent of loss Government used to incur on this account annually; and

(c) Government's present policy in this regard (after withdrawal of emergency) ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Sri Arif Baig): (a) to(c) Government does not fixed prices of our export products. Generally, Indian exporters undertake their exports on the basis of competitiveness of our goods in foreign markets, both in terms of quality as well as prices. Prices differ from time to time and market to market depending on quality, delivery schedule, nature of demand/supply position, terms of payment for each export transaction and it is not feasible to calculate cost of production of each product. As such, it is difficult to say whether export of a product over a period of time is being made on a price below cost price.

However, emphasis on export promotion of appropriate export products and diversification of markets is a well recognised, essential element in the country's foreign trade policy.

साल्ट लक क्षेत्र में निर्यात प्रक्रिया जोन की स्थापना करना

5134. **श्री रोबिन सेन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने साल्ट लेक क्षेत्र में एक निर्यात प्रक्रिया जोन की स्थापना करने का प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय को भेजा है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा साल्ट लेक क्षेत्र में 200 एकड़ भूमि प्रस्तावित जोन के लिये निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1973 में केन्द्रीय सरकार को कलकत्ता के निकट एक निर्यात प्रोसैसिंग क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव भेजा था। मई-जून 1976 में केन्द्रीय सरकार ने यह सामान्य निर्णय लिया था कि देश में कोई और मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित न किया जाये। इस निर्णय की सूचना पश्चिम बंगाल सरकार को जनवरी, 1976 में दी गई थी। उसके बाद 24 जून, 1977 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1709 तथा 18-11-1977 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 968 के उत्तर में यह बताया गया था कि मई-जून, 1976 में जो यह सामान्य निर्णय लिया गया था कि कोई और मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित न किया जाये, उसमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

2. उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस समय साल्ट लेक क्षेत्र में निर्यात प्रोसैसिंग क्षेत्र स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस देने वाली भारतीय कम्पनियों के नाम

5135. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों तथा उत्पादों के नाम क्या हैं जिनके बारे में विदेशों में विदेशी कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों ने लाइसेंस के अन्तर्गत विदेशों में बिक्री के लिए उनका उत्पादन करने हेतु लाइसेंस दिये हैं;

(ख) इस समय विदेशों में कार्यरत भारतीय संयुक्त उद्यमों की संख्या कितनी है ; उनके नाम और पते क्या हैं और वे किन-किन उत्पादों का उत्पादन करती है ; और

(ग) विदेशों में निर्माण और बिक्री करने वाली पूर्णतया भारतीय स्वामित्व वाली सहायक अथवा कम्पनियों के नाम और पते क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) तीन विवरण सभा पटल पर रख दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०--1978/78]

भारतीय अद्यमकर्ताओं द्वारा विदेशों में 90 संयुक्त उद्यमों की स्थापना की गई है।

बंगाल लैम्प्स को दिया गया ऋण

5136. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बैंक आफ बड़ौदा आदि ने बंगाल लैम्प को, घाटे के और त्रुटिपूर्ण तुलनपत्र होने के बावजूद भारी मात्रा में ऋण दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य के ध्यान में अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मैसर्स बंगाल इलेक्ट्रिक लैम्प वर्क्स लिमिटेड को मंजूर की गई सहायता है । सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में से भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने 1976 और 1977 के दौरान कम्पनी को कुल 212 लाख रुपये के ऋण मंजूर किये हैं । निगम ने सूचित किया है कि कम्पनी ने अपनी उधार रकमों की ऋण वापसी संतोषजनक रखी है । हाल ही के वर्षों में लैम्प उद्योग की कठिन स्थितियों के बावजूद कम्पनी के लाभ का रिकार्ड भी संतोषजनक रहा है और कम्पनी के तुलन पत्र से पता चलता है कि साम्या ऋण और चालू अनुपात की स्थिति काफी अच्छी है ।

मैसर्स बंगाल इलेक्ट्रिक लैम्प वर्कस लिमिटेड को बैंक आफ बड़ौदा और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा कुछ नकद ऋण सुविधाएं मंजूर की गई है । बैंकरों में प्रचलित प्रथायों और व्यवहारों तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के ग्राहकों विषयक अथवा उनके कार्यों सम्बन्धी सूचना प्रकट नहीं की जाती है ।

Arrears of Income Tax accumulated due to delay in disposal of cases

5137. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Income Tax arrears amounting to crores of rupees have been outstanding against traders for the last five to ten years ;

(b) whether it is also a fact that traders move High Courts and Supreme Court with an intention to delay payment of tax so that they may continue to use that money ;

(c) if so, whether Government propose to appoint separate judges in High Courts and Supreme Court for hearing the cases relating to tax appeals to ensure their expeditious disposal; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) Under the Income-tax Act, 1961 assessees are classified according to their status, for example, individuals, Hindu Undivided Families, companies, firms etc. Traders are not classified separately. The extent of income-tax arrears against traders only is not available. However, the total gross tax arrears outstanding against all tax payers on 31-3-1977 amounted to Rs. 873.56 crores.

(b) Some assessees including trader-assessees like companies, firms etc. file writ petitions under the Constitution and obtain stay against recovery of tax arrears until the final judgement of the Court.

(c) & (d) Judges' strength is sanctioned on the basis of recommendation of the State Authorities keeping in view the overall pendency in the High Courts and not on the basis of particular types of cases. In regard to the Supreme Court, the strength of Judges is fixed under the Supreme Court (Number of Judges) Act. The Chief Justice of India and the Chief Justices of the High Courts allot the particular types of cases to Judges taking into account the needs of the respective Courts.

चीनी शिष्टमण्डल द्वारा पत्तन सुविधाओं का अध्ययन

5138. **श्री आर० कोलनथाइवेलू** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल मेटल्स एंड मिनरल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन से, जो चीनी शिष्टमंडल भारत में उनके यहां लोहे तथा इस्पात एककों के लिए लौह अयस्क का आयात करने के सिलसिले में

तमिलनाडु आया था और जिसने पत्तन सुविधाओं के बारे में अध्ययन किया था, उस अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्होंने क्या ठोस प्रस्ताव दिए हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और परिणामतः बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) चीन के नेशनल मैटल्स एण्ड मिनरल्स इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मद्रास के बाहरी बंदरगाह का दौरा किया था किन्तु उसने चीन के लिए आवश्यक लौह अयस्क की मात्रा के विषय में या भारत में उस प्रयोजन के लिए पत्तन सुविधाओं को और विकसित करने के बारे में ठोस प्रस्ताव नहीं रखे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एक विभाग से दूसरे विभाग में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

5139. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विभाग से दूसरे विभाग में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का मंत्रियों के संबंद्ध कर्मचारियों सहित सभी मामलों में पालन किया जा रहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि गैर-तकनीकी पदों पर जो कि पूर्णतः प्रशासनिक हैं, व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व पर भेजने के मामले में भाई-भतीजावाद बढ़ गया है तथा उससे निहित स्वार्थ के केन्द्रों का विकास हुआ है ; और

(ङ) क्या सरकार का मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दृढ़ता से लागू करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 7-11-75 के ज्ञा० सं० फ० 1(11) संख्या 111(ख)/75 की एक प्रतिलिपि संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । (देखिए संख्या एल० टी० 5139/78]

(ग) प्रतिनियुक्ति के सभी मामलों में उक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जाता है परन्तु ऐसे निम्नलिखित मामलों में ढील दी जाती है जिनमें प्रतिनियुक्तियां मंत्रियों, किसी बोर्ड, न्यायाधिकरण, आयोग आदि के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के निजी स्टाफ में की जाती है :—

(1) प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः, मंत्री, अध्यक्ष आदि के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाती है, और

(2) प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले ऐसे अधिकारियों का वेतन जो पद के वेतनमान के लिए विकल्प देते हैं, उपर्युक्त सामान्य आदेशों के पैरा 4.4 के उपबन्धों में ढील देकर, वेतनमान के न्यूनतम पर अथवा न्यूनतम से नीचे नियत किया जाता है ताकि इस प्रकार नियत किए गए वेतन और उनके ग्रेड-वेतन का अन्तर उनके ग्रेड-वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, हां ।

एक ब्रिटिश फर्म द्वारा लौह अयस्क के बदले विद्युत संयन्त्र बेचने की पेश कश

5140. **श्री सुखेन्द्र सिंह :**

श्री पी० के० कोडियन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ब्रिटिश फर्म ने भारत को भारतीय लौह अयस्क के बदले विद्युत संयंत्र बेचने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार को ऐसी किसी प्रस्थापना की जानकारी नहीं है जिसमें किसी ब्रिटिश फर्म ने भारतीय लौह अयस्क के बदले में भारत को पावर संयंत्र बेचने की पेशकश की हो ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Import of Granite by Japan

5141. Shri Rajendra Kumar Sharma : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Japan has placed an order for import of granite in large quantity from India;

(b) if so, the quantity thereof and the time by which it is likely to be exported ; and

(c) the total amount of foreign exchange to be earned therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) There is no export or price control on this item, nor is it canalised through MMTC. Government is not aware of Japan having placed any bulk order for import of granite from India.

(b) & (c) Do not arise.

कुछ राज्यों में सहकारी बैंकों के निदेशक बोर्ड का निलम्बन/अधिलंघन

5142. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में सहकारी बैंकों के निदेशक बोर्ड का निलम्बन अथवा अधिलंघन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनका निलम्बन और अधिलंघन उन बैंकों पर लागू नियमों के अंतर्गत है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रामवासियों की ऋणग्रस्तता समाप्त करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

5143. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितने किसानों और अन्य ग्रामीण निर्धन लोगों को ऋण दिया है जिससे वे सरकार के कार्यक्रम के अनुसार ऋणदाताओं से बचाये जा सकें ; और

(ख) कितने और किन-किन राज्यों ने इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए ग्रामवासियों की ऋणग्रस्तता समाप्त कर दी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार जून, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 3986010 ऋण खातों में किसानों को प्रत्यक्ष रूप में दिये गये ऋणों की बकाया राशि 951 करोड़ रुपये थी जबकि मार्च 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार यह राशि 39,80,972 ऋण खातों में 922 करोड़ रुपये थी।

उपर्युक्त बताये गये प्रत्यक्ष ऋणों के अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से भी किसानों को ऋण प्रदान करते हैं । इस प्रकार के ऋणों की बकाया राशि जून 1977 के अंत की स्थिति के अनुसार 4,92,020 ऋण खातों में 4.65 करोड़ रुपये थी जबकि मार्च 1977 के अंत की स्थिति के अनुसार यह राशि 4,54,408 ऋण खातों में 45.1 करोड़ रुपये थी ।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण ऋणग्रस्तता समाप्त करने के लिए कानून बनाये जा चुके हैं ।

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरयाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू और कश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. मेघालय
13. उड़ीसा
14. पंजाब
15. राजस्थान
16. मणीपुर
17. तमिलनाडु

18. त्रिपुरा

19. उत्तर प्रदेश

20. पश्चिम बंग ल

21. अंडमान निकोबार द्वीप समूह

22. दादर और नगर हवेली

23. लक्षद्वीप

24. पाण्डेचेरी

25. दिल्ली

26. गोआ दमन और दीव

27. चंडीगढ़

कानून में, छोटे और सीमांतिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, ग्रामीण काश्तकारी और कटाई दारों जैसे वर्गों के लोगों को ऋणों से मुक्त करने के रूप में राहत की व्यवस्था है । ऋण से मुक्ति के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग मापदण्ड हैं ।

भारत में 5-स्टार होटलों के निर्माण के लिये इण्डियन टुबाको कम्पनी और मैसर्स शेराटन कारपोरेशन के बीच सहयोग

5144. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेशी बहुराष्ट्रीय फर्म इंडिया टुबाको कम्पनी को भारत में अनेक 5-स्टार होटलों का निर्माण करने के लिए मैसर्स शेराटन कारपोरेशन ऑफ अमेरिका के साथ, जो इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्रॉफ फार ईस्ट एंड पेसिफिक इनकॉरपोरेटिड की पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक कम्पनी है, विदेशी सहयोग करार करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो सहयोग करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार ने एक सुदृढ़ नीति तय की हुई थी कि होटल उद्योग के बारे में कोई और विदेशी सहयोग नहीं किए जायेंगे ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस नीति से पीछे क्यों हट रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) मैसर्ज़ शराटन इंटरनेशनल इन्कॉर्पोरेटेड, यू० एस० ए० के साथ भारत तम्बाकू कम्पनी के प्रस्तावित सहयोग करार में भारत तम्बाकू कंपनी के तीन होटलों के लिये मोटे तौर पर बिक्री, विज्ञापन, प्रोत्साहन, जन-सम्पर्क तथा आरक्षणों के शेराटन सिस्टम के माध्यम से विश्व व्यापी मार्किटिंग तथा विज्ञापन का कार्य सम्मिलित है । मैसर्ज़ शेराटन होटल की बिक्री विभागों को कार्यतंत्र एवं क्रियाविधियों (सिस्टम्स एण्ड प्रोसीजर्स) के बारे में सहायता प्रदान करेंगे तथा होटल प्रबंध में कर्मचारियों के प्रशिक्षण में भी सहायता देंगे । मामला विचाराधीन है ।

(ग) होटल उद्योग में विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर सरकार की नई औद्योगिक नीति में विदेशी पूंजी निवेश के लिये निर्धारित की गयी भूमिका को दृष्टि में रखते हुए उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है विशेष रूप से ऐसे विदेशी सहयोग को जिसमें किसी विदेशी पार्टी द्वारा किसी होटल की प्रबंध व्यवस्था सम्मिलित है, अनुमति नहीं दी जाती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क और प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में पाकिस्तान के साथ विनिमय समझौता

5145. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ से लौह अयस्क और बलुचिस्तान के सुई क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस सम्बन्धी विनिमय सौदे के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों में हरिजनों तथा आदिवासियों की नियुक्ति

5146. **डा० रामजी सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के पदों पर कितने हरिजनों तथा आदिवासियों की नियुक्ति हुई ; और

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में और अधिक हरिजनों तथा आदिवासियों को नियुक्त करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों को रोजगार देने के बारे में अद्यतन सूचना प्राप्त की जा रही है तथा इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

उर्वरकों पर लगा उत्पादन शुल्क और अन्य कर

5147. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उर्वरकों पर प्रति टन या सौ रुपये के मूल्य के उर्वरक पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना उत्पादन शुल्क और अन्य कर लगाये गये हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उर्वरकों पर लगाये गये कर और उत्पादन शुल्क कब तक समाप्त कर दिये जायेंगे ;

(ग) जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद उक्त करों और उत्पादन शुल्क में कितनी कमी कब से की गयी है ; और

(घ) क्या यह सच है कि करों और उत्पादन शुल्क के अधिक होने के कारण उर्वरक बहुत मंहगे हैं जिस कारण से किसान उर्वरकों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं और यदि हां, तो सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने का विचार है जिससे किसान उर्वरकों का अधिक उपयोग करें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) उर्वरकों पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क के सम्बंध में सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ख) निकट भविष्य में, उर्वरकों पर उत्पादनशुल्क अथवा सीमाशुल्क समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है ।

(ग) 1 दिसम्बर, 1977 से, ट्रिपल सुपर फास्फेट उर्वरक के सम्बन्ध में, उत्पादनशुल्क मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया गया है ; 12 मई 1977 से, आयातित पोटाशियम सल्फेट को भी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत लगने योग्य समस्त अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) शुल्क से छूट दी गई है ;

(घ) यह धारणा कि उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क भार के कारण उर्वरक बहुत मंहेगे हैं, सही नहीं है । सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि किसानों को उर्वरक उचित कीमतों पर उपलब्ध किये जायें । वस्तुतः 18-7-1975 से 12-10-1977 तक की अवधि के दौरान, उर्वरकों की कीमतें छः बार कम की गयी हैं । सरकार ने अनेक अन्य उपाय भी किये हैं जैसे जहां कहीं अपेक्षित हो, उत्पादनशुल्क/सीमाशुल्क से छूट प्रदान करना, उर्वरकों की कीमतों को यथा-सम्भव नीचे रखने के लिए राज-सहायता आदि मंजूर करना और किसानों द्वारा उनका अधिक उपयोग सुनिश्चित करना ।

विवरण

1. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क :

प्राकृतिक प्राणी अथवा वनस्पति उर्वरकों से भिन्न रासायनिक प्रक्रिया नहीं किये गये सभी प्रकार के उर्वरकों पर मूल्यानुसार 15% की दर से केन्द्रीय उत्पादशुल्क लगता है । (1 अप्रैल, 1978 से और 31-3-79 तक सभी उर्वरकों पर, इसके अलावा, मूल उत्पादनशुल्क के 5% की दर से विशेष उत्पादन शुल्क भी लगेगा । लेकिन, सिंगल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट उर्वरकों को पहले ही शुल्क के उतने भाग से छूट प्राप्त है जो मूल्यानुसार $7\frac{1}{2}$% से अधिक हो ; शक्ति की सहायता के बिना निर्मित उर्वरक और शुल्क प्रदत्त उर्वरकों से शक्ति की सहायता से निर्मित मिश्रित उर्वरकों को भी समस्त शुल्क से छूट प्राप्त हैं ; कतिपय विनिर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त उर्वरकों और साथ ही कृषि संबंधी फिट किये हुए विरल तत्व अथवा अणु पोष अथवा मृदा स्थायित्वों के रूप में ज्ञात उर्वरकों को भी समस्त उत्पादन शुल्क से छूट दी गयी है ।

2. सीमा शुल्क :

आयातित उर्वरकों की किसी किस्म पर कोई मूल सीमाशुल्क नहीं लगता है । परन्तु, कतिपय किस्मों, अर्थात् अमोनियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट जिसमें वजन के अनुसार 52 प्रतिशत से अधिक के $_2$ ओ नहीं हो, सोडियम नाइट्रेट जिसमें वजन के अनुसार 16.3 प्रतिशत से अधिक नाइट्रोजन नहीं हो, मिश्रित उर्वरक, डि अमोनियम फास्फेट (18 : 46 : 0), अमोनियम नाइट्रोफोस्फेट (20 : 20 : 0), अमोनियम फास्फेट, यूरिया, पोटास का म्यूरियेट और कायनाइट लवण पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर पर उपसंगी सीमाशुल्क लगता है । इसके अतिरिक्त. पूर्वोक्त सभी आयातित उर्वरकों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बराबर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) शुल्क लगता है, सिवाय पोटाशियम सल्फेट के, जिसमें वजन के अनुसार 52 प्रतिशत से अधिक के $_2$ ओ और पोटाश का म्यूरियेट नहीं हो, जिन्हें छूट दी गयी है । [1 अप्रैल, 1978 से लागू पूर्वोक्त आयातित उर्वरकों पर (पहले से छूट प्राप्त उर्वरकों को छोड़कर) अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) शुल्क की दर में वह रकम जोड़ी जायेगी जो प्रभावी मूल शुल्क के 5 प्रतिशत के बराबर हो] ।

Norms for sending official Delegations Abroad

5148. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Ministers and Ministers of State and Members of Parliament who went abroad during the past one year after the formation of Janta Government together with the number of visits made by them and the object thereof as also the expenditure incurred on these visits ;

(b) whether similar figures are also available for 1975-76 and if so, the details thereof ;

(c) whether some norms have been laid down for sending delegations abroad and if so, the contents thereof ; and

(d) whether Government propose to effect some economy on this count ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

(c) and (d) : Under the existing orders deputations abroad of Ministers of Cabinet rank and Ministers of State holding independent charge required approval of the Minister of Finance and the Prime Minister. Deputations of other Ministers are approved by the Minister of Finance. Other deputations abroad which involve expenditure on account of passage costs, subsistence allowance and entertainment allowance are scrutinized by the Screening Committee of Secretaries. Thus, a rigorous procedure has already been laid down for clearance of proposals of deputations abroad, which ensures that the expenditure is kept to the minimum.

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का निर्यात

5149. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यातकर्ताओं को राज-सहायता प्रदान कर रही है ;

(ग) यदि हाँ, तो राजसहायता के रूप में कितनी राशि की अदायगी किये जाने की सम्भावना है और

(घ) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम ने निर्यात हेतु चीनी की खरीद कवल उन्हीं मिलों से करने का निश्चय किया है जो बड़े पत्तनों के समीप नहीं हैं यदि हाँ, तो क्यों ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार ने 1978 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान 6.50 लाख मे० टन चीनी का निर्यात करने का विनिश्चय किया है । चीनी के निर्यातों का मार्गीकरण राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है ।

(ख) चूंकि चीनी की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमत [लगभग 100 स्टर्लिंग पौंड (1585 रु०) प्रति मे० टन] भारत सहित अधिकांश देशों की चीनी की उत्पादन लागत से बहुत कम है, अतः बिना नुकसान उठाये चीनी का निर्यात नहीं किया जा सकता । तथापि, राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का निर्यात सरकारी लेखे पर किया जाता है और गैर-सरकारी निर्यातकों को कोई उपदान नहीं दिया जाता ।

(ग) फिलहाल अनुमान है कि 1978 के दौरान चीनी के निर्यातों पर लगभग 30 करोड़ रु० उपदान दिया जायेगा ।

(घ) खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा दिये गये रिलीज आदेशों/आबंटनों के आधार पर, राज्य व्यापार निगम निर्यात के लिए चीनी खरीदता है । राज्य व्यापार निगम को इस बात का विनिश्चय करने का अधिकार नहीं है कि वह किन मिलों से चीनी खरीदेगा ।

Factories engaged on production of Semi-finished Hide and Skin and Leather

5150. **Shri S.S. Somani (OIH):** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of small, medium and big factories engaged on production of semi-processed leather, hides and skins, State-wise and the number of factories out of them, which exported semi-processed and indigo-processed leather during the last five years, State-wise ; and

(b) the number of applications received from each State for export quota of semi-processed leather and the number of applicants granted export quota ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) & (b) A statement is laid on the Table of House.

STATEMENT

According to information available, the number of small, medium and big factories engaged in production of semi-processed leather state-wise are as under :

	DGTD Units	Small Scale Factories
Maharashtra	1	56
Tamil Nadu	14	337
West Bengal	4	30
Andhra Pradesh		30
Karnataka		8
Orissa		5
Punjab	..	2
U.P.	..	12
J & K		1
M.P.	..	1

The exports by the units State-wise during the last 5 year are not available as the export figures of semi-processed hides and skins under quota system are not maintained State-wise. However, the number of major and small/medium quota holders State/Union Territory-wise are as under :

State	Major quota holders	Small/Medium quota holders	Total quota holders
Tamil Nadu	30	450	480
West Bengal	23	35	58
Maharashtra	2	31	33
U.P.	2	7	9
Punjab	1	1	2
Haryana	..	1	1
Kashmir	..	2	2
Delhi	2	4	6
Andhra Pradesh	..	14	14
Karnataka	..	7	7
	60	552	612

Purchases of Jet Aeroplanes by U.P. Government from American Company

5151. **Shri Ram Lal Rahi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of the American company from which Uttar Pradesh Government propose to purchase Jet aeroplanes; and

(b) the justification thereof and the expenditure involved therein ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The aircraft proposed for purchase is manufactured by Beechcraft Corporation, U.S.A.

(b) The U.P. Government in their import application have indicated that the new aircraft will replace part of their fleet. The expenditure involved is about U.S. $ 546743 which is inclusive of spares.

Steps to Check Smuggling of Rudraksh

5152. **Shri Madhavrao Sciendia :**

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Finance** be Pleased to state :

(a) whether Government are aware that large scale smuggling of "rudraksh" is going on in the country as a result of which the religious persons (who use Rudraksh) have to pay high price therefore; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check its smuggling ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) & (b) : Reports received by Government do not indicate any large scale smuggling of rudraksh beads. The position is, however, kept under close watch.

चिट फण्ड कम्पनियां

5153. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में चिट फण्ड कम्पनियों की संख्या का पता है, यदि हाँ तो वे कितनी हैं ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि इन कम्पनियों के कार्य पर उचित नियन्त्रण रखने के लिए कई राज्य सरकारों ने विधान बनाया हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे कितने राज्य हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार, 31 जनवरी 1978 को देश में 2098 चिट फंड और इनामी चिट कम्पनियाँ कार्यरत थीं ।

(ख) और (ग) : तमिलनाडु, दिल्ली, आँध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, चण्डीगढ़ और पाँडिचेरी की सरकारों ने परम्परागत ; चिट फंड कारोबार के समुचित परिचलन के लिये कानून बनाये हैं । आँध्र प्रदेश की सरकार ने इनामी चिटें चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये भी विधान बना दिया है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों ही प्रकार की चिटें चलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

निर्यात वृद्धि की प्रतिशतता

5154. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1978 तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात वृद्धि की प्रतिशतता क्या है

(ख) क्या सरकार का यह विचार है कि यह वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है ; और

(घ) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के आँकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : अद्यतन अस्थायी आँकड़ों के आधार पर अप्रैल-दिसम्बर, 1977 के दौरान पुनर्निर्यात सहित भारत के समग्र निर्यात 3952 करोड़ रु० मूल्य के हुए और इस प्रकार पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान पुनर्निर्यातों सहित निर्यातों की वृद्धि दरें क्रमशः 21.3 प्रतिशत तथा 27.4 प्रतिशत थीं ।

Attempt to Skyjack Air India's Boeing Plane on 26th February, 1978

5155. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether information had been received about the possible attempt to skyjack the Boeing plane of Air India on the 26th February, 1978 with 350 passengers aboard and also about placing of a bomb into it; and

(b) if so, the outcome of the investigations made in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b): On the 26th February, 1978 at about 0625 hrs (GMT), Air India's telephone operator at airport received an anonymous telephone call that there was a bomb on board the London Air India flight AI-135 of that day and had only one hour to go. AI-135 was a scheduled flight Bombay/London *via* Rome, and had left Bombay at 0200 hrs (GMT) on the 26th February, 1978.

On receipt of this telephone call, Air India, London, flashed warning message to the Commander of the flight, which was at that time—0720 hrs. (GMT)—flying over Damascus. The Commander of the flight decided to land at Beirut airport, being the nearest airport for security checks. Aircraft landed safely at Beirut airport at 0735 hrs. (GMT) and all the passengers were quickly disembarked, and baggage and cargo were unloaded. The aircraft was subjected to anti-sabotage checks by the army personnel at Beirut airport with the assistance of Air India's staff. Passengers were also frisked and their baggage checked. Nothing incriminating was found during these security checks. There were 335 passengers and 6 infants on board the aircraft.

The incident is not one relating to any possible attempt to hijack the plane.

Payment of Foreign Loans Through Gold

5156. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of foreign loan outstanding against India and the amount that we have to repay every year together with interest thereon, towards that loan;

(b) whether Government proposes to free itself from this loan by giving all its gold towards it and thus save the huge amount of money that we have to pay by way of interest;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) whether Government are aware that China had freed itself from the Soviet loan by giving all its gold in lump-sum and this had enhanced its self-respect ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) The estimated total amount of external debt of the Government of India outstanding as at the end of current ffnancial year (March 31, 1978) is Rs. 11,339.41 crores at the current rates. Against this, the repayments during 1978-79 are estimated at Rs. 648.92 crores (principal Rs. 400.11 crores and interest Rs. 248.81 crores) at the current rates.

(b) No, Sir.

(c) Repayments are made in accordance wih the terms and conditions specified in the 'Loan Agreements' with individual country/institution.

(d) Since this pertains to a bilateral matter between the USSR and the People's Republic of China, Government regret their inability to comment.

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को दी गयी राशि

5157. **श्री सरत कार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य आवास बोर्डों को पहले से ही दिये गये ऋण के विशेष ऋण के अतिरिक्त मंजूर राशि में से जिसे देने के लिये जीवन बीमा निगम ने सहमति व्यक्त कर दी थी, कितनी राशि प्रत्येक राज्य को दी गई है ; और

(ख) पहले ऋण में से जीवन बीमा निगम को कितनी राशि वापस प्राप्त हो गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1976-77 में जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित राज्य सरकारों को उनकी विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के लिए क्रमशः 20.25 करोड़ रुपए और 22.06 करोड़ रुपए की राशि के ऋण (जिनमें विशेष बाढ़ ऋण आदि शामिल हैं) स्वीकृत और संवितरित किए गए। इन राशियों का अलग-अलग राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

पहले के ऋणों में से राज्य सरकारों से जीवन बीमा निगम को वापस प्राप्त राशियों से संबंधित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जहां तक राज्यों के आवास बोर्डों के लिए मंजूर किए गए ऋणों का संबंध है, आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड बन जाने के बाद जीवन बीमा निगम ने नीति के रूप में इन बोर्डों के लिए ऋण मंजूर करना बन्द कर दिया था।

जीवन बीमा निगम द्वारा अब तक राज्यों के आवास बोर्डों को कुल 9.75 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए जिसमें से उनके द्वारा 2.17 करोड़ रुपए की रकम वापस अदा की गई है। इन राशियों का अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है :—

आवास बोर्ड का नाम	दिया गया ऋण	वापस अदा की गई रकम
	रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश आवास बोर्ड	1,00,00,000	15,00,000
गुजरात आवास बोर्ड	1,50,00,000	37,50,000
महाराष्ट्र आवास बोर्ड	3,00,00,000	1,02,81,500
राजस्थान आवास बोर्ड	1,25,00,000	6,25,000
तमिलनाडु आवास बोर्ड	1,00,00,000	25,00,000
उत्तर प्रदेश आवास और विकास बोर्ड	2,00,00,000	30,00,000
जोड़ रुपए	9,75,00,000	2,16,56,500

विवरण

वर्ष 1976-77 में जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत और संवितरित ऋणों का अलग-अलग राज्यवार वितरण

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1.70	1.70
असम	0.20	0.20
बिहार	1.00	1.00
गुजरात	0.90	0.90
हरियाणा .	0.50	0.50
हिमाचल प्रदेश .	0.50	0.50
जम्मू और कश्मीर	0.50	0.50
कर्नाटक	1.00	1.19
केरल	1.00	1.00
मध्य प्रदेश	1.25	1.25
महाराष्ट्र	0.90	0.90
मणिपुर	0.15	0.15
मेघालय	0.15	0.15
नागालैण्ड	0.15	0.15
उड़ीसा	1.25	1.25
पंजाब	0.80	0.80
राजस्थान	1.10	1.10
तमिलनाडु	1.25	1.25
त्रिपुरा	0.25	0.25
उत्तर प्रदेश	1.60	1.60
पश्चिम बंगाल	1.55	1.55
सिक्किम . .	0.05	0.05
दिल्ली विकास प्राधिकरण	2.50	4.12
जोड़	20.25	22.06

भारत सरकार को भेजी गई उड़ीसा सरकार की वृहत् पर्यटन योजना

5158. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए एक वृहत् योजना तैयार की थी तथा उसे मंजूरी के लिए भारत सरकार के पास भेजा था;

(ख) यदि हां, तो वे कार्यक्रम क्या हैं और भारत सरकार से क्या सहायता मांगी गई है ;

(ग) पर्यटन विकास के लिए वृहत् योजना में शामिल किये गये जिलों के क्या नाम हैं; और

(घ) इस योजना में उन जिलों को शामिल करने के कारण, यदि कोई हैं तो, क्या हैं जहां पर सुन्दर पर्यटकस्थल, ऐतिहासिक-स्थल, वनस्पति और जन्तु तथा इसी प्रकार की दर्शनीय चीजें हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को उड़ीसा सरकार से "उड़ीसा की पर्यटन संभावनाओं पर एक सामान्य नोट" प्राप्त हुआ है। इस पर राज्य सरकार के साथ उनकी अगली पंचवर्षीय योजना (1978-83) को अंतिम रूप देने के समय विचार-विमर्श किया जाएगा तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि किन-किन स्थानों के विकास कार्य को केन्द्रीय तथा राज्यीय क्षेत्रों में हाथ में लिया जाएगा।

(ग) राज्य सरकार द्वारा भेजे गए उपर्युक्त नोट में सम्मिलित किए गए स्थान निम्नलिखित हैं :—

(i) मुख्यतया अन्तर्देशीय पर्यटकों द्वारा यात्रा किए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन केन्द्र

पुरी, कोणार्क, पारादीप, कपिलास, रूरकेला, बहरामपुर, गुप्तेश्वर, जयपुर, चंगनेश्वर, अत्री, बांगरो पोस्ट, हीराकुद, बड़कल, चन्द्रखोल

(ii) विविध

पर्यटन महत्व के स्थानों पर युवा होस्टल।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन केन्द्र

भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, रत्नगिरि, उदयगिरि, गोपालपुर-ऑन-सी, चेनांतीपुर ऑन-सी, चंडेश्वर, बालीघाट, चिल्का लेक, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, टीकरपारा गॉर्ज, चंडका रिज़र्व फॉरेस्ट, खण्डगिरि, उदयगिरि हिल्स।

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त नोट में अन्य केन्द्रों को सम्मिलित न करने के लिए कोई कारण नहीं दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष में परिवर्तन

5159. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष को 31 मार्च से 15 जून, करने के बारे में उनके मन्त्रालय ने केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्यों के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष को आगे बढ़ाने के बारे में मंत्रालयों और राज्यों ने क्या विचार व्यक्त किये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र और राज्यों द्वारा ठीक समय पर परियोजनाओं और कार्यक्रमों की स्वीकृति तथा क्रियान्वयन और निष्पादन के समय ग्रामीण भारत में मौसम सम्बन्धी स्थिति के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिये केन्द्र तथा राज्य स्तर पर वित्तीय प्रशासन के ढांचे में क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) यद्यपि वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से बदल कर 15 जून करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था परन्तु वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल की बजाय किसी दूसरी तारीख से (जैसे पहली जुलाई, पहली अगस्त, पहली नवम्बर, आदि) शुरू करने के प्रस्ताव पर समय-समय पर

सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है ? राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस प्रश्न पर अप्रैल, 1969 में विचार किया था और सामान्यतया उसकी यह धारणा थी कि वित्तीय वर्ष में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस मामले पर और विचार किया और मई, 1969 में यह निश्चय किया कि यथास्थिति बनाये रखी जाये । इस निश्चय की सूचना जुलाई, 1969 में संसद् को भी दे दी गयी थी । यह निर्णय किये जाने से पहले विभिन्न सम्बद्ध बातों पर जैसे मुख्य मानसून की प्रवृत्ति, समग्र कामकाजी ऋतु को एक ही वित्तीय वर्ष में रखने का लाभ, केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिये समान वित्तीय वर्ष रखे जाने की आवश्यकता आदि पर यथोचित ध्यान दिया गया था । जब आगे के वर्षों में इस मामले पर फिर विचार किया गया तो यही निश्चय किया गया था कि मौजूदा वित्तीय वर्ष ही रखा जाये क्योंकि पहले के निर्णय को बदलने के लिये कोई नया आधार नहीं है ।

निर्धारित धन के उपयोग में विलम्ब के बारे में राज्यों को अनुदेश

5160. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों को विभिन्न विभागों के लिये निर्धारित धन के उपयोग में विलम्ब का अध्ययन करने और विशेष रूप से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और आदिवासी विकास कार्यक्रमों के लिये निर्धारित धन का उपयोग करने के लिये की गई कार्यवाही से अवगत कराने के लिये अनुदेश दिये हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को यह पता है कि कुछ राज्य निर्धारित धन का उचित समय में उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं; और

(ग) राज्यों द्वारा धन के उपयोग के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) जबकि वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों की निर्धारित धन के उपयोग में विलम्ब का अध्ययन करने के विशेष अनुदेश नहीं जारी किये गये हैं, लेकिन राज्य सरकारों को अपनी आयोजनागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आयोजनागत आबंटनों के उचित उपयोग के लिये प्रभावी और निश्चित कार्यवाही करने के लिये समय-समय पर अनुरोध किया गया है जिनमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण विकास और आदिवासी विकास कार्यक्रमों के लिये निधियां भी शामिल हैं । राज्य में आयोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता देने की विद्यमान पद्धति के अधीन निर्धारित क्षेत्रों/परियोजनाओं के व्यय में किसी भी प्रकार की कमी का परिणाम केन्द्रीय सहायता में अनुपातिक कटौती होता है और इस प्रकार यह उनके अपर्याप्त कार्य निष्पादन के विरुद्ध अन्तरनिहित एक नवारक उपाय है ।

Development of Buddhist Tourism Spots

5161. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to draw a comprehensive scheme for the development of Buddhist tourist spots; and

(b) if so, the outline thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) The Central Department of Tourism has had master plans (land-use plans) of Rajgir and Nalanda prepared. The master plan (land-use plan) of Bodhgaya is under preparation. Based are these master plans (land-use plans) tourist facilities such as different types of accommodation, cafetaria, camping site and car park will be developed; measures for environmental improvement will also be taken to enhance the natural setting of the monuments.

कोयम्बटूर तथा नई दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा

5162. **श्री के० ए० राजू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयम्बटूर तथा नई दिल्ली के बीच एक सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सेवा कब आरम्भ की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं । अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासन में मितव्ययिता

5163. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासन में मितव्ययिता लाने के लिये सरकार द्वारा वर्ष 1977 में क्या कदम उठाये गये ;

(ख) इन के फलस्वरूप कितनी राशि की बचत हुई; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1978 के दौरान और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय ने मंत्रालय के प्रशासन में मितव्ययिता लाने के लिये 1977 में जो कदम उठाये, वे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1. मई, 1977 में वित्त मंत्रालय ने प्रशासनिक व्यय, विशेषतः पदों के सृजन तथा उन्हें भरने, यात्रा भत्ते, समयोपरि भत्ते, स्टाफकारों, टैलीफोन तथा फुटकर खर्चों के संबंध में जो विस्तृत अनुदेश जारी किये थे, उन्हें मंत्रालय के सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया गया और उन्हें मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों, वस्तु बोर्डों, अनुदानग्राही संगठनों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कठोरतापूर्वक अनुपालन के लिये परिचालित भी किया गया।

2. मंत्रालय तथा अधीनस्थ संगठनों में कर्मचारियों की संख्या के एक तुरन्त पुनरीक्षण के आधार पर विभिन्न स्तरों के अनेक पदों को या तो समाप्त कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया, जिसमें वाणिज्य विभाग में सरकार के सचिव का एक पद भी शामिल है । अतिरिक्त पदों की सभी नई प्रस्थापनाओं की बहुत ही कठोरतापूर्वक संवीक्षा की जाती है और सामान्यतः तब तक नये पदों के सृजन की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि वे अनुमोदित योजना स्कीमों के साथ सम्बद्ध न हों या अपरिहार्य रूप से आवश्यक न समझे जाते हों । कार्य की डैस्क अधिकारी प्रणाली आरम्भ करने के फलस्वरूप भी पदों की संख्या में कटौती और मितव्ययिता आई है ।

3. मंत्रालय में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्तों की अदायगी का पुनरीक्षण किया जाता है और इस प्रकार के लाभों पर कठोरतापूर्वक नियंत्रण रखा जा रहा है ।

4. देश के अन्दर तथा विदेशों में किये जाने वाले दौरों को अपरिहार्य अवसरों तक ही सीमित रखा जा रहा है और उन पर होने वाले व्यय को न्यूनतम सीमा तक रखा जाता है । विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों की प्रस्थापनाओं की विशेष सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जाती है और जब ऐसे प्रतिनिधिमंडलों की आवश्यकता निस्संदेह रूप से साबित कर दी जाती है तब ही उनका

अनुमोदन किया जाता है । प्रतिनिधिमंडलों की अवधि तथा उनमें शासित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या भी कम से कम रखी जाती है । विदेशों में हमारे राजदूतों, अथवा उच्चायुक्तों या वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को यथासंभव रूप से विभिन्न स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय फोरमों में हिस्सा लेने के लिये कहा जाता है ।

(ख) यद्यपि उपरोक्त (क) में उल्लिखित मितव्ययिता उपायों के परिणामस्वरूप बचत की ठीक-ठीक मात्रा बताना कठिन है, तथापि जिस हद तक बचत की गई, उसका अनुमान निम्नोक्त से लगाया जा सकता है :—

1. वाणिज्य विभाग में सरकार के सचिव के पद की समाप्ति और साथ ही उनके व्यक्तिगत स्टाफ की समाप्ति से 75,000 रु० की वार्षिक बचत हुई है ।

2. नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग में तथा उसके संलग्न कार्यालयों में 78 पदों की समाप्ति/स्थगन के फलस्वरूप 5 लाख रु० वार्षिक की बचत हुई है ।

3. आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के संगठन में काफी बड़ी संख्या में पदों की समाप्ति में 9.7 लाख रु० वार्षिक की आवती बचत अन्तर्ग्रस्त है ।

4. वाणिज्य विभाग में वर्ष 1977-78 में 'कार्यालय व्यय' उप-शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 1.85 लाख रु० कम आने की आशा है । बचत की उपरोक्त मदें केवल उदाहरण स्वरूप हैं, विस्तार में नहीं । सरकार द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता अनुदेशों के अनुपालन से काफी संचयी परिणाम निकलने की आशा है ।

(ग) वर्ष 1978-79 में भी मितव्ययिता अनुदेशों का अनुपालन जारी रहेगा और प्रशासनिक व्यय में वृद्धि को सीमित करने के लिए सभी प्रयास किये जायेंगे । कर्मचारियों की संख्या को और अधिक वैज्ञानिक आधार पर विनियमित करने के विचार से यथासम्भव अधिकाधिक संगठनों के विस्तृत कार्य-अध्ययन करने की भी प्रस्थापना है ।

निर्यात प्रचार

5164. श्री यशवन्त बोरोले : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि हमारे निर्यात प्रचार ठीक नहीं हैं और बहुत से विदेशी क्रेता यह नहीं जानते कि भारत उन्हें क्या वस्तुएं बेच सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) सरकार विदेशों में भारत की बढ़ती हुई निर्यात सम्भाव्यताओं के सम्बन्ध में गहन प्रचार की जरूरत के प्रति पूरी तरह से सचेष्ट है और इस दिशा में विभिन्न कदम उठाए गए हैं ? सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) व्यापार मेला प्राधिकरण के वाणिज्यिक प्रचार स्कन्ध 4 व्यापार विकास प्राधिकरण निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों आदि के निर्यात अभिमुख प्रकाशनों के जरिए भारत की निर्यात सम्भाव्यताओं से सम्बन्धित जानकारी का संकलन तथा वितरण;

(ii) विदेशों में व्यापार मेलों में भाग लेना तथा चुनिन्दा बाजारों में पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनियाँ आयोजित करना ताकि भारत का विस्तृत निर्यात सम्भाव्यता का प्रचार किया जा सके;

(iii) विदेशों में बाज़ार आसूचना से सम्बन्धित सामग्री तथा भारतीय मिशनों के जरिए विदेशों के क्रेता संगठनों द्वारा जारी किए गए टेण्डर नोटिसों का नियमित संकलन करना तथा उन्हें एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन में प्रकाशित करना। विदेशी टेण्डरों का शीघ्र प्रचार सुनिश्चित करने के लिए बुलेटिन का मध्य साप्ताहिक परिशिष्ट भी प्रकाशित किया जाता है। विदेशों में आयातों के उदारीकरण भारत तथा अन्य देशों के बीच सामान्य अधिमान योजना की रियायतों तथा व्यापार व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी विदेशी स्रोतों से एकत्र की जाती है और नियमित रूप से बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है ताकि हमारे उद्यमी निर्यात अवसरों से लाभान्वित हो सकें;

(iv) व्यापार विकास प्राधिकरण अन्य कार्यों के साथ-साथ विशेष प्रचार सन्दर्भ सूचियों का संकलन तथा प्रकाशन करता है तथा क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन करता है।

(v) भारतीय उत्पादों तथा वस्तुओं के लिए विदेशों में बाजारों के विकास से सम्बन्धित योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए विपणन विकास निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विपणन विकास निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान में विदेशों में वितरण के लिए पत्रिकाओं, डायरेक्टरियों, ब्रोश्यरों, पैम्फलेटों आदि का प्रकाशन, अनुमोदित संगठनों, प्रचार फिल्मों, शो रूमों आदि की स्थापना द्वारा भारत के निर्यात उत्पादों का विज्ञापन कवर होता है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों को गोआ-भत्ता

5165. **श्री अमृत कासर :** क्या **वित्त** मंत्री स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा सहायक बैंकों के कर्मचारियों को गोआ-भत्ता देने के बारे में 5 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6294 के उत्तर के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा आल इण्डिया स्टेट बैंक आफ इण्डिया स्टाफ फेडरेशन के बीच हुए उस करार की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिसमें स्टेट बैंक आफ इण्डिया को अपने गोआ स्थित कर्मचारियों को गोआ-भत्ता देना बन्द करने के अधिकार दिए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि गोआ-भत्ता बन्द करने के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के अखिल भारतीय कर्मचारी संघ के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, फिर भी 30-31 मई और 1 जून, 1977 को बैंक और संघ के साथ हुई एक द्विपक्षीय बातचीत में उसे क्रमिक रूप से बन्द करने की सहमति हो गई थी। भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ को यह सहमति सूचित करने वाले भारतीय स्टेट बैंक के 13 जन, 1977 की प्रति संलग्न है।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ को सम्बोधित भारतीय स्टेट बैंक के 13 जून, 1977 के पत्र संख्य पी०ई०आर०/आई०आर०/233912 की प्रतिलिपि

आपके 24 मार्च, 1977 के पत्र संख्या एफ०ई०डी०/281 और उसके उत्तर में लिखे 15 अप्रैल, 1977 के हमारे पत्र संख्या पी०ई०आर०/आई०आर०/16230 के सन्दर्भ में, इस कार्यालय में 30-31 मई, और 1 जून, 1977 को हुई द्विपक्षीय बैठक में इस विषय पर आगे चर्चा हुई थी।

2. यद्यपि, भत्ते को चालू रखने के समर्थन में कोई कारण नहीं दिये जा सके थे, किन्तु सद्भावन के रूप में और हाथ में आने वाले वेतन में काफी कमी हो जाने के कारण होने वाली कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से हम भत्ते को चार वार्षिक किस्तों में बन्द करने पर विचार करने के लिए सहमत

हो गये थे । इसके अतिरिक्त संघ की माँग को यथासम्भव पूरा करने की सद्भावना के रूप में हम इस भत्ते को बन्द करने की शुआत 1-7-1977 से करने पर सहमत हो गये थे ।

3. तदनुसार हमने अपने बम्बई और अहमदाबाद के स्थानीय कार्यालयों से कहा है कि वे अब 1 जुलाई, 1977 से गोआ-भत्ते को 4 वार्षिक किस्तों में बन्द कर सकते हैं । जिसके परिणामस्वरूप 1 जुलाई, 1977 से इसमें 25 प्रतिशत, 1 जुलाई, 1978 से और 25 प्रतिशत था । जुलाई, 1979 से और भी 25 प्रतिशत की कमी हो जायेगी । 1 जुलाई, 1980 से यह भत्ता बिल्कुल नहीं दिया जायगा ।

4. उक्त योजना से फिलहाल पणजी को बाहर रखा गया है मगर दमण में यह योजना लागू होगी ।

डिब्बा बन्द मछली का निर्यात

5166. **श्री अमृत कासर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को डिब्बा बन्द मछली के निर्यात के कारण उन तटवर्ती राज्यों तथा गोआ संघ राज्यक्षेत्र में मछली की भारी कमी हो रही है जहाँ यह एक आवश्यक खाद्य पदार्थ है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़े-बड़े व्यापार गृहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मशीनीकृत नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछलियों को स्थानीय उपभोक्ताओं को उससे वंचित करके निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) स्थानीय उपभोक्ताओं तक मछलियाँ पहुंचाने के लिए उन्हें स्थानीय मण्डियों में सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अभी तक तटवर्ती राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र गोआ में मछली की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । भारत से डिब्बा बन्द मछली का निर्यात इतना कम होता है कि उससे मछली की कमी पैदा नहीं हो सकती ।

(ख) बड़े व्यवसाय-गृहों द्वारा प्रयुक्त यंत्रचालित नौकाओं से जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वे ऊंची कीमत वाली मदें होती हैं जैसे शिम्प तथा लाबस्टर जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आम खपत की मदें नहीं हैं । स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए तंगी पैदा करके निर्यात नहीं किए जाते ।

(ग) सरकार ने पामफ्रेट तथा ड्राइड बोम्बे डक के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ताकि उचित कीमत पर घरेलू उपभोक्ताओं को इन मछलियों की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके ।

निर्यातकर्त्ताओं को विदेशी मुद्रा का रिलीज किया जाना

5167. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष विदेशों में विज्ञापन खर्चों के लिए कितने निर्यातकर्ताओं को कितनी विदेशी मुद्रा रिलीज़ की गई थी और क्रमशः पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इसके आँकड़े क्या थे; और

(ख) गत वर्ष विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए कितने निर्यातकर्ताओं को कितनी विदेशी मुद्रा रिलीज़ को गई थी और क्रमशः पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इसके आँकड़े क्या थे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) चूंकि पहली और तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्षों के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक का रिकार्ड सामान्य विभागीय नियमों के अनुसार नष्ट कर दिया गया है इसलिए उन वर्षों के लिए सूचना देना सम्भव नहीं है । वर्ष 1977 के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

व्यापारियों को दी गई विदेशी मुद्रा

5168. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष समुद्रपारीय देशों की व्यापार हेतु यात्रा के लिए कितने निर्यातकर्ता अधिकारियों को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई और पहली पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में अलग-अलग ये आँकड़े क्या थे;

(ख) गत पाँच वर्षों में 'निर्बाध' परमिट वाले कितने व्यापारियों को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई और पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तिम वर्षों में अलग-अलग ये आँकड़े क्या थे; और

(ग) पहली तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तिम वर्षों में अलग-अलग विदेशों में निर्यातकों के एजेन्टों को एजेन्सी कमीशन देने के लिए कितनी राशि विदेशी मुद्रा में दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) चूंकि पहली और तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्षों के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक का रिकार्ड विभागीय नियमों के अनुसार नष्ट कर दिया गया है इसलिए उन वर्षों के लिए सूचना देना सम्भव नहीं है । भाग (क) और (ग) के सम्बन्ध में 1977 से सम्बद्ध सूचना और भाग (ख) के सम्बन्ध में अन्तिम तीन वर्षों से सम्बद्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तम्बाकू के गोदामों में स्वनिकासी प्रक्रिया

5169. **श्री मनोहर लाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब अन्य सभी उत्पादन शुल्क की वस्तुओं से इस आधार पर वास्तविक नियंत्रण हटाया गया था कि वास्तविक नियंत्रण प्रणाली में शक्ति का दुरुपयोग होता है तब सिगरेट कारखानों से असम्बद्ध शेष तम्बाकू गोदामों के मामले में स्वनिकासी प्रक्रिया लागू क्यों नहीं की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : जब स्वनिकासी कार्यविधि में सम्मिलित स्वयं निर्धारण की प्रणाली का विस्तार करने का निर्णय किया गया था, उस समय उत्पादन शुल्क लगने योग्य कुछ ऐसी जिन्सों के सम्बन्ध में अपवाद रखे गये थे जिनके शुल्क निर्धारण में अथवा बन्धपत्र के अधीन बहुत अधिक संचरण के मामलों में जटिलताएं उपस्थित हुई पायी गयी थी । अनिर्मित तम्बाकू की बन्धपत्र के अधीन बहुत अधिक मात्रा में निकासी होती है और इसे स्वनिकासी कार्यविधि के अन्तर्गत सम्मिलित करने के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया । लेकिन सिगरेट कारखानों से सम्बद्ध माल-गोदामों में रखे तम्बाकू के मामले में स्वनिकासी कार्यविधि की अनुमति दी गयी, क्योंकि सिगरेट कारखानों को स्वनिकासी कार्यविधि के अन्तर्गत लाया जाना था और ऐसे माल गोदामों से तम्बाकू की निकासी सामान्यतः शुल्क की अदायगी करने पर सिगरेट कारखानों को की जाती है ।

आयकर दाताओं की स्वयं निर्धारण योजना

5171. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1977 को आयकर के कितने मामले दो वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत हैं;

(ख) क्या स्वयं कर निर्धारण योजना सन्तोषजनक रूप से चल रही है और उनकी संख्या कितनी है तथा कुल आयकर दाताओं में इसकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत सभी निर्धारण पूरे हो गये हैं, और यदि नहीं, तो कितने अनिर्णीत हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) स्व-निर्धारण वास्तव में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन एक आवश्यकता है जिसके द्वारा कर-निर्धारिती को, आय की विवरणी दाखिल करने से पहले, अपनी कुल आय के अनुसार, उसके द्वारा देय कर को जमा कराने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है । कर-निर्धारणों को पूरा करने के लिए स्व-निर्धारण की कोई योजना नहीं है ।

सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना के कार्यान्वयन के बारे में पूछताछ करना है । इस योजना के अनुसार, सभी कम्पनी—भिन्न मामलों में (कुछ अपवादों के अधीन रहते हुए), जिनमें विचाराधीन कर-निर्धारण वर्ष में विवरणी में दिखाई गई आय और किन्हीं भी दो पूर्ववर्ती कर-निर्धारणों में कर-निर्धारित आय पंजीकृत फर्मों के मामले में 75,000 रुपये अथवा अन्य मामलों में 50,000 रुपये से कम हो, आयकर निर्धारण, आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के अधीन पूरे किये जायेंगे, अर्थात् कर-निर्धारितियों को आयकर कार्यालय में बुलाए बिना ही पूरे किए जायेंगे ।

यह योजना सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है । केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, फरवरी, 1978 के अन्त तक पूरे किए गए कुल 35,84,065 कर-निर्धारणों में से, इस योजना के अधीन 27,13,829 कर-निर्धारण पूरे कर लिए गए हैं, जिनमें बकाया पड़े और चालू, दोनों प्रकार के कर-निर्धारण शामिल हैं । इस योजना के अधीन, पिछले वर्ष इसी अवधि में पूरे किए गए कर-निर्धारणों की संख्या 23,42,388 थी ।

इस योजना के अधीन, जिन कर-निर्धारितियों का कर-निर्धारण किया जा रहा है, उनकी संख्या 23,08,435 है जो कि प्रभावी आयकर निर्धारितियों की 33,71,339 की कुल संख्या का 68.5 प्रतिशत है ।

(ग) फरवरी 1978 के अन्त में, संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना के अधीन, 6,88,872 कर-निर्धारण बकाया थे । ये कर-निर्धारण विभिन्न कारणों से अनिर्णीत पड़े हैं जैसे कि पूरे ब्यौरों का नहीं होना, आय की विवरणी पेश करने में विलम्ब होना और विवरणी के साथ दस्तावेजों को पेश नहीं करना । तथापि, यह आशा की जाती है कि मार्च 1978 के अन्त में, संक्षिप्ततः कर-निर्धारणों की बकाया में काफी कमी आ जाएगी ।

जीरे के निर्यात पर प्रतिबन्ध

5172. **श्री अनन्द दबे**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीरे के निर्यात पर प्रतिबन्ध है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि खेतों में जीरे की भरपूर फसलें पड़ी हैं और इस समय सामान्य उत्पादन की लगभग 1 से 2 प्रतिशत मात्रा का ही निर्यात हो रहा है;

(ग) क्या यह उपाय केवल कृषकों को परेशान करेगा जो जीरे का उत्पादन कर रहे हैं; और

(घ) किसानों के संरक्षण के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (घ) सरकार ने देश में जीरे की कीमतों में असाधारण वृद्धि के कारण उसके निर्यात पर हाल ही में रोक लगा दी है । सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि० को निदेश दिया है कि वे जीरे की खरीद करें तथा यह देखें कि कीमतें उपजकर्ताओं के लिए लाभप्रद स्तर से नीचे न गिरें ।

निदेशिकाओं में निर्यात फर्मों के नाम सम्मिलित करने के लिये भारतीय निर्यात संगठन फैडरेशन तथा वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी विभाग, कलकत्ता द्वारा अपनाया गया मापदंड

5173. **श्री नाथू सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निर्यात संगठन फैडरेशन (एफ०आई०ई०ओ०) और वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यकी विभाग, कलकत्ता (डी०सी०आई०एस०) द्वारा उनकी भारतीय निर्यातकर्ताओं की डायरेक्ट्रियों में निर्यातकर्ता फर्मों के नाम शामिल करने के लिये अपनाये गये मापदण्डों में क्या अन्तर है तथा उनकी निर्यातकर्ता डायरेक्ट्रियों में परस्पर क्या अन्तर है;

(ख) कुल भारतीय निर्यात (मूल्य और वजन) में से विदेशों को कितने प्रतिशत निर्यात अलग-अलग (1) विमान (2) भूमि और (3) समुद्री मार्ग से किया जाता है तथा पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में पृथक-पृथक क्या आंकड़े थे; और

(ग) उस समय कितने प्रतिशत भारतीय माल का निर्यात (मूल्य तथा वजन) में उपजाऊ क्षेत्र से अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों तथा हवाई अड्डों को (1) रेल, (2) सड़क, (3) आन्तरिक जन मार्गों से किया जाता है तथा पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में इसके पृथक-पृथक आंकड़े क्या थे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) भारतीय निर्यातक संगठन फैडरेशन की निर्यातकों की डाइरेक्ट्री में उन निर्यातकों के नाम शामिल हैं जो भारतीय निर्यातक संगठन फैडरेशन के सदस्य हैं अथवा उनके कोई घटक हैं, जबकि वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय की भारतीय निर्यातकों की डाइरेक्ट्री में उन निर्यातकों के नाम शामिल हैं, जिनको अच्छी वित्तीय साख है, निर्यात निष्पादन/विनिर्माण का अनुभव है । अतः दोनों डाइरेक्ट्रियों की तुलना नहीं की जा सकती ।

(ख) तथा (ग) भीतरी प्रदेश से परिवहन के विभिन्न साधनों से किये जाने वाले निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य को दर्शाने वाले आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

1975-76 के दौरान मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल निर्यातों का, जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल हैं, लगभग 84 प्रतिशत निर्यात स्थल तथा समुद्री मार्ग से हुआ ।

वित्त मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में व्यक्तियों की संख्या

5174. **श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित प्रत्येक उपक्रम में कार्यरत श्रेणीवार (एक, दो, तीन और चार) कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

1. भारतीय सामान्य बीमा निगम,
2. भारतीय जीवन बीमा निगम,

3. राष्ट्रीय बीमा निगम लि०,

4. न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि०,

5. ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन,

6. यूनाइटिड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि०;

(ख) प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक उपक्रम में अलग-अलग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भर्ती और पदोन्नति के मामले में स्थानों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :

(क)	अधिकारी	विकास कर्मचारी	लिपिक	अन्य
"नेशनल"	757	1146	4025	1050
"न्यू इण्डिया"	796	1668	3881	706
"साधारण बीमा निगम"	79	—	156	33
"यूनाइटिड इण्डिया"	970	1319	4034	1143
"ओरियन्टल"	1187	1292	4280	1110
जोड़	3789	5425	16376	4042
"जीवन बीमा निगम"	4086	7356	36719	7997
कुल जोड़	7875	12781	53095	12039

(ख) अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (प्रतिशत आंकड़े कोष्ठकों में दिए गए हैं)

"नेशनल"	— (—)	21 (1.8)	68 (1.6)	33 (3.1)
"न्यू इण्डिया"	2 (0.3)	— (—)	49 (1.3)	31 (4.3)
"साधारण बीमा निगम"	1 (1.2)	— (—)	12 (7.6)	10 (30)
"यूनाइटिड इण्डिया"	1 (0.1)	1 (0.8)	170 (4.2)	98 (8.5)
"ओरियन्टल"	— (—)	2 (0.06)	124 (2.9)	110 (9.3)
"जीवन बीमा निगम"	23 (0.5)	30 (0.68)	1335 (3.6)	1327 (17)

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम 1965 से और उसके बाद अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखता आ रहा है । जीवन बीमा व्यवसाय का 1956 में राष्ट्रीयकरण कर देने के बाद विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारी तत्कालीन जीवन बीमा कम्पनियों से ही लिए गए थे जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं थी । सबसे पहले जीवन बीमा निगम ने 1965 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखना शुरू किया था । लेकिन चूंकि 1965-66 से 1975-76 तक प्रथम श्रेणी

के अधिकारियों की सीधी भर्ती नहीं की गई इसलिए जीवन बीमा निगम की प्रथम श्रेणी की सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो सका। प्रथम श्रेणी की सेवा में सीधी भर्ती पिछले वर्ष से फिर शुरू की गई है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पद सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर दी गई है। जहां तक दूसरी श्रेणी के पदों (विकास अधिकारियों) की भर्ती का सम्बध है इस संवर्ग के लिए चुनाव आम तौर से सफल एजेंटों में से किया जाता है। निगम ने अपने क्षेत्रीय और प्रभागीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे बीमा एजेन्टों के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक संख्या में लेने का प्रयत्न करें ताकि निकट भविष्य में विकास अधिकारियों के इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए इन जातियों से सम्बंधित उपयुक्त प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो सकें। निगम की सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को लेने की स्थिति में सुधार करने के निम्नलिखित विशेष उपाय किए हैं :—

(i) चुनाव के तीनों चरणों अर्थात्—

(1) पात्रता, (2) भर्ती पूर्व परीक्षा और (3) इन्टरव्यू में से प्रत्येक पर 10 प्रतिशत अंकों की छूट ;

(ii) उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट;

(iii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का अलग इन्टरव्यू;

(iv) इन्टरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति ;

(v) आम चयन के समय सन्तोषजनक संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के न मिलने की स्थिति में तदर्थ भर्ती की जाती है ;

(vi) पदोन्नति के मामलों में स्थानों के आरक्षण और अन्य रियायतों का विस्तार; और

(vii) आरक्षण आदेशों के प्रभावकारी कार्यान्वियन के लिए सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति।

साधारण बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद विभिन्न साधारण बीमा कम्पनियों को पूरी तरह एकीकृत होने में कुछ समय लगा और उन्होंने एकीकृत आधार पर 1975 से ही काम करना शुरू किया है। साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के अधिकांश कर्मचारी 100 से अधिक बीमा कम्पनियों से आए हैं जो आरक्षण सम्बन्धी किन्हीं नियमों का पालन नहीं करती थीं। साधारण बीमा निगम ने अपने भर्ती नियमो में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए खाली पदों के 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति और भर्ती के लिये आरक्षण

5175. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित प्रत्येक उपक्रम में व्यक्तियों की श्रेणीवार (I, II, III और IV) कुल संख्या कितनी है;

1. एयर इण्डिया ;

2. एयर इण्डिया चार्टर्स लिमिटेड ;

3. होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ;

4. इण्डियन एयरलाइन्स ;

5. इन्टरनेशनल एयरपोर्टस् आथारिटी आफ इण्डिया ;

6. इण्डिया टूरिज़म डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड;

(ख) प्रत्येक उपक्रम में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भर्ती और पदोन्नति के मामले में रिक्त स्थानों के आरक्षण सम्बन्धी भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम संख्या	संगठन का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1. और 2	एयर इण्डिया और एयर इंडिया चार्टस लि०	श्रेणी I (वर्ग क)	2,243	64	13	31-12-77 को
		श्रेणी II (वर्ग ख)	2,535	180	58	
		श्रेणी III (वर्ग ग)	5,804	1,428	187	
		श्रेणी IV (वर्ग घ)	108	94	—	
3.	होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	श्रेणी I (वर्ग क)	49	2	—	
		श्रेणी II (वर्ग ख)	43	1	—	
		श्रेणी III (वर्ग ग)	778	61	6	
		श्रेणी IV (वर्ग घ)	704	319	16	

1	2	3	4	5	6
4. इण्डियन एयरलाइन्स	श्रेणी I (वर्ग क)	2,107	42	9	1-1-78 को
	श्रेणी II (वर्ग ख)	8,087	591	130	
	श्रेणी III (वर्ग ग)	4,871	778	79	
	श्रेणी IV (वर्ग घ)	कोई ऐसा पद नहीं है ।			
5. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण	श्रेणी I (वर्ग क)	104	7	1	31-12-77 को
	श्रेणी II (वर्ग ख)	148	12	4	
	श्रेणी III (वर्ग ग)	1,545	230	38	
	श्रेणी IV (वर्ग घ)	6,234	541	36	
6. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	श्रेणी I (वर्ग क)	392	14	2	31-12-77 को
	श्रेणी II (वर्ग ख)	110	7	—	
	श्रेणी III (वर्ग ग)	3,373	611	20	
	श्रेणी IV (वर्ग घ)	1,976	570	26	

यूनियन बैंक आफ इंडिया की गया शाखा (कुर्थ) के प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतें

5176. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री को ग्राम मुसारी थाना कुर्थ (गया) बिहार के निवासियों की ओर से यूनियन बैंक आफ इण्डिया की शाखा कुर्थ (गया) के प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वहां के निवासियों के हिन्दुस्तान मशीनरी एण्ड पाइप कुर्थ (गया) नामक प्राधिकृत व्यापारी से पम्पिंग सैट खरीदने के लिए बैंक के अधिकारियों से ऋण मांगा था ;

(घ) क्या यह सच है कि बैंक के प्रबन्धकों ने ऋण मंजूरी दे दी और इस बात पर बल दिया कि पम्प सैट (दूरस्थ) दूसरे व्यापारी आदर्श मशीनरी किंजर से खरीदा जाए;

(ङ) क्या उन्होंने यह शिकायत की है कि उन्हें भाड़े पर 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं तथा वह पम्प सैट भी घटिया किस्म का है; और

(च) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) हस्ताक्षरकर्ताओं ने शिकायत की है कि यूनियन बैंक आफ इण्डिया की कुर्था शाखा यह चाहती है कि आवेदित ऋणों की राशि में से पम्पिंग सैट और उसके सहायक उपकरण एक ऐसे अनधिकृत व्यापारी से खरीदे जायें जिसकी दुकान 15 किलोमीटर दूर है और उस पर अतिरिक्त परिवहन व्यय 50 रुपये आता है । व्यापारी द्वारा सप्लाई किया गया माल भी घटिया किस्म का है । हस्ताक्षरकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि इस प्रकार की घपलेबाजी रोकी जाये और अपराधी कर्मचारियों को सजा दी जाये ।

(च) यह शिकायत यूनियन बैंक को भेज दी गयी थी जिसके पास यही शिकायत सीधे ही पहुंच चुकी थी । बिहार में यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक को निदेश दे दिया गया है कि वह कुर्था जायें और वहीं पर इस शिकायत की पूरी तरह जांच पड़ताल करें तथा उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही करें।

Investigations into Complaints of Irregularities entrusted to Officer against whom Complaint has been made

5177. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that if a complaint in regard to irregularities against an officer or department is made at high level, orders for an enquiry into such complaints are given to the very officers who are guilty therefor and this has an advese effect on the complaint;

(b) whether it is also a fact that recently in December, 1977 the Union in Indian Air Lines had made a complaint to the Chairman agianst some officers there and the work of conducting an enquiry into the complaint has been entrusted to the very guilty persons; and

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government would make arrangements to entrust the work of coducting enquiries to Intelligence Bureau reau by abolishing the present practice ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No, Sir.

(b) In the absence of specific particulars of the case, it has not been possible to trace any such complaint.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम और सरकारी उपक्रमों को नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के अधीन लाना

5178. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम और सरकारी उपक्रमों कि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही आरम्भ करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) लेखाओं की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्तियों का विनियमन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम में

यह व्यवस्था है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों का पालन तथा अपनी शक्तियों का प्रयोग कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार और ऐसे नियमों (जो कंपनी न हो) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में जिनकी स्थापना संसद द्वारा अथवा संसद द्वारा बनाये गये कानून के अंतर्गत की गई हो, सम्बन्धित कानूनों के उपबंधों के अनुसार करेगा । तदनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं की जाती और इन लेखाओं की नियंत्रक-महालेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

लेखापरीक्षा विभाग में सेलेक्शन ग्रेड के लेखापरीक्षक

5179. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग की विभागीय परिषद् की उप-समिति ने यह सिफारिश की है कि लेखापरीक्षा विभाग में सेलेक्शन ग्रेड के लेखापरीक्षकों को उस ग्रेड में स्थिरता दूर करने के लिए 425—800 रुपयों का ऊंचा वेतनमान दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बारे में कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) जी नहीं । "सेलेक्शन ग्रेड लेखा-परीक्षकों के संवर्ग में स्थिरता को दूर करने" से संबंधित विषय पर भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग की विभागीय परिषद् की तीसरी साधारण बैठक में चर्चा हुई थी । यह विषय और आगे विचार तथा रिपोर्ट के लिए परिषद् की एक समिति को भेजा गया । समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

आयकर विभाग में आयकर अधिकारियों के लिए छुट्टी रिजर्व पद

5180. **श्री राघवजी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 में आयकर विभाग में आयकर अधिकारी श्रेणी एक के कैडर में कुछ छुट्टी रिवर्व पद मंजूर किये गये थे और यदि हां, तो कितने;

(ख) क्या आयकर अधिकारी श्रेणी दो के कैडर में भी ऐसे ही पद मंजूर किये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) जी, हां । आयकर अधिकारी, श्रणी-I, (कनिष्ठ वेतनमान) के एक सौ पद छुट्टी रिजर्व पदों के रूप में अगस्त, 1977 में मंजूर किये गये थे ।

(ख) और (ग) आयकर अधिकारी, श्रेणी–II के संवर्ग में दिसम्बर, 1975 तक 135 छुट्टी रिजर्व पद थे, जब उन सभी पदों को ड्यूटी पदों में बदला गया था । इस संवर्ग में छुट्टी रिजर्व पदों को मंजूर करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

Revenue raised by Assessment of various Taxes

5181. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the break-up of the total income shown in the budget under income-tax, estate duty, wealth tax and gift-tax in 1975-76, 1976-77 and 1977-78 and the figures of the actual revenue earned thereby in each case ;

(b) the additional revenue raised later on by the assessment of each of these taxes during the aforesaid years; and

(c) the amount of tax assessment made under Section 143(1) of Income tax Act during the said three years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) The Annual Budget papers do not show the total income. They show the Budget Estimates, Revised Estimates and Actual Collections which are given below:—

(In crores of Rs.)

Financial year	Budget Estimates	Revised Estimates	Actual Collection
1	2	3	4
I. Income Tax and Corporation Tax			
1975-76 . . .	1571.50	1800.00	2076.06*
1976-77 . . .	1982.00	2078.00	2104.95*
1977-78 . . .	2336.40	2300.00	1705.86 (Upto February, 1978)

*Includes collections of Rs. 199.24 crores and Rs. 33.42 crores for 1975-76 and 1976-77 respectively made under the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Act, 1976.

II. Estate Duty			
1975-76 . .	9.25	9.25	11.18
1976-77 . .	8.75	10.75	11.69
1977-78 . .	10.75	11.00	9.92 (Upto February, 1978)
III. Wealth Tax			
1975-76 .	43.00	52.00	54.46**
1976-77 .	52.00	59.00	62.26**
1977-78 .	45.00	50.00	42.05 (Upto February, 1978)

**Includes collections of Rs. 5.11 crores and Rs. 1.53 crores for 1975-76 and 1976-77 respectively made under the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Act, 1976.

IV. Gift Tax			
1975-76 .	4.50	4.75	5.17
1976-77 .	4.75	5.35	5.54
1977-78 .	5.50	5.75	4.73 (Upto February, 1978)

(b) The available information regarding the amount of tax collected on completion of regular assessments during the financial years 1975-76 and 1976-77 is as under:—

(Amount in crores of Rs.)

Tax	1975-76	1976-77
Income-tax (including Corporation-tax) .	241.24	290.07
Estate Duty	11.18	11.69
Wealth-tax	9.90	9.07
Gift-tax . . .	3.21	3.16

(c) :

(Amount in crores of Rs.)

Financial Year	Demand raised under section 143(1) of the Income-tax Act, 1961
1975-76	87.08
1976-77	93.67
1977-78 . . . . . (upto 31-12-77)	74.93

Facility of 'Bharat Bhraman' to Representatives of Social Service Organisations

5182. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme under which representatives of Social Service Organisations are provided with the facility of Bharat Bhraman (Travel India) by giving concession in lodging, boarding and travel charges with a view to promote emotional integration; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b) The Central Department of Tourism does not have at present any scheme enabling Social Service Organisations to arrange Bharat Bhramans. However, the Government have constructed youth hostels and tourist bungalows where inexpensive board and lodging arrangements are available. Similarly, a scheme is being drawn up to improve dharamshalas, Sarais, etc. where inexpensive board and lodging facilities can be provided to the low and middle income group domestic tourists. The Railways also offer certain concessional fares to facilitate travel within the country.

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा धनराशि भेजना

5183. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ ऐसे मामलों की ओर दिलाया गया है जिनमें विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रतिपूर्ति अदायगी के माध्यम से भारत को धनराशि भेजते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार को ऐसे कई मामलों का पता चला है जिनमें विदेशों में रहने वाले भारतीय, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 9(1)(ख), 9(1)(घ) और 9(3) में निहित उपबन्धों का उल्लंघन करके, प्रतिपूर्ति अदायगी के

माध्यम से (अर्थात् इस संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में की गई व्यवस्था के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों से भिन्न किसी अन्य माध्यम से) भारत को धन भेजते हैं। जिन मामलों में, पार्टियों को दोषी पाया जाता है, उनमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में की गई व्यवस्था के अनुसार न्याय-निर्णय संबंधी कार्यवाही में दण्ड लगाया जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ की जाती है।

मारुति मोटर्स लिमिटेड से ग्रिन्डलेज़ बैंक लिमिटेड का संबंध

5184. **डॉ० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रिन्डलेज़ बैंक लिमिटेड से पूछा है कि उसका मारुति मोटर्स लिमिटेड से क्या संबंध है; यदि हां, तो बम्बई स्थित इस बैंक और देश भर में इसकी अन्य शाखाओं से क्या उत्तर मिला;

(ख) क्या ग्रिन्डलेज़ बैंक की मर्चेन्ट बैंकिंग डिवीज़न विभाग ने मारुति मोटर्स का परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये 25,000 रुपये बट्टे-खाते में डाल दिये हैं; और

(ग) मारुति मोटर्स से संबंधित ग्रिन्डलेज़ बैंक की किताबों में कमीशन, कटौती, विज्ञापन, वित्त, दलाली, आदि जैसी सन्देहग्रद बातों को देखते हुए क्या सरकार का विचार इस मामले को जांच करने अथवा इस बैंक की पूरी जांच करने का है।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) अपने नियमित/तदर्थ निरीक्षण करते समय रिजर्व बैंक द्वारा प्रश्न में उल्लिखित व्यवहारों सहित अपने ग्राहकों के साथ बैंकों के व्यवहारों की जांच की जाती है और यदि कोई सुधारात्मक उपाय आवश्यक हों तो इस मामले में बैंकों को लिखा जाता है। अलबत्ता, रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और व्यवहारों के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों विषयक कोई सूचना प्रकट नहीं की जाती है।

पश्चिम बंगाल में जूट मिलों द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान

5185. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अनेक जूट मिलें उत्पादन शुल्क का भुगतान किये बिना जूट का सामान हटा रही हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन जूट मिलों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता नहीं चलता कि पश्चिम बंगाल में बहुत से पटसन के कारखाने बिना उत्पादन-शुल्क अदा किये पटसन उत्पादों की निकासी कर रहे हैं। परन्तु, जो पटसन कारखाने हाल ही में इस किस्म के अदाचार में ग्रस्त रहे हैं उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

कृषकों को धनकर तथा मृत्यु शुल्क से छूट देना

5186. **श्री चित्त बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने हाल ही में इस प्रकार का एक प्रस्ताव भेजा है कि किसानों को धन कर तथा मृत्यु शुल्कों से छूट दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) पंजाब सरकार ने बताया है कि पंजाब में प्रचलित रिवाज के अनुसार, कृषि भूमि और खेती के लिए इस्तेमाल में लाये जाने वाले औजारों को, जो वास्तव में, परिवार के सदस्यों के होते हैं, परिवार के मुखिया की परिसम्पत्तियों के रूप में दिखाया जाता है । अतः, परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर, अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति के मूल्य में इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का मूल्य भी शामिल कर दिया जाता है । पंजाब सरकार ने यह सुझाव दिया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा जिन कृषकों ने पंजाब राज्य के विकास में और सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान दिया है, उनकी दशा में सुधार लाने की दृष्टि से, कृषि-भूमि और खेती करने के लिए किसानों द्वारा इस्तेमाल में लाये जाने वाले औजारों के मूल्य को उस राज्य में सम्पदा शुल्क से छूट दी जानी चाहिए ।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा दिये गये इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

कनाडा से उर्वरक ऋण

5187. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने हाल ही में भारत को उर्वरक-ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ऋण दिया गया तथा किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां । 22 फरवरी, 1978 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार कनाडा ने उर्वरक और उर्वरक सामग्री (अर्थात् म्यूरिएट आफ पोटाश, यूरिया और सल्फर आदि) के आयात की वित्त व्यवस्था के लिए 1 करोड़ कनाडी डालर का एक ऋण दिया है । इन वस्तुओं के लाने ले जाने के समुद्री भाड़े का 90 प्रतिशत भी इस ऋण में पूरा किया जाएगा ।

यह ऋण इन्हीं वस्तुओं के लिए कनाडा द्वारा 6 अक्टूबर, 1977 को दिए गए 3.2 करोड़ कनाडी डालर के ऋण का पूरक ऋण है ।

इस ऋण पर कोई ब्याज, सेवा अथवा वचनबद्धता प्रभार नहीं लगेगा और इसकी वापसी अदायगी 10 वर्ष की प्रारम्भिक रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में की जानी है ।

चाय बोर्ड के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा बोनस

5188. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाय बोर्ड के कर्मचारियों की मकान किराया भत्ता तथा बोनस की अदायगी आदि के संबंध में लम्बे समय से चली आ रही शिकायतों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां । चाय बोर्ड के कर्मचारियों की मुख्य मांगे निम्नोक्त हैं :--

(1) मकान किराया भत्ता बढ़ाना ।

(2) बोनस की अदायगी ।

(3) चाय बोर्ड में प्रवरण ग्रेड शुरू करना ।

(ख) चाय बोर्ड के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते की बढ़ी हुई दर सरकार द्वारा 1 मार्च, 1978 से मंजूर की जा चुकी है ।

चूंकि चाय बोर्ड लाभ के प्रयोजनार्थ स्थापित की गई संस्था नहीं है, अतः बोनस की अदायगी के संबंध में जो उपबन्ध हैं वे चाय बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं ।

प्रवरण ग्रेड संबंधी अन्य मांगों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और स्टाफ कार ड्राइवरों को छोड़कर ग्रुप 'ग' तथा 'घ' संवर्गों के लिए प्रवरण ग्रेड की मंजूरी सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दी गई है और चाय बोर्ड से कहा गया है कि वह वित्त मंत्रालय का० ज्ञा० दिनांक 10-1-1977 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रवरण ग्रेड के पदों के सृजन का कार्य करे। चाय बोर्ड के कार्य क्षेत्र के भीतर जो अन्य मांगें आती हैं उन पर बोर्ड द्वारा ध्यान दिया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता में वृद्धि

5189. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र ने वर्ष 1976-77 की तुलना में वर्ष 1977-78 के दौरान अपनी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान क्षमता का विस्तार करने तथा नई योजनाओं सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है ;

(ङ) यदि हां, तो विस्तार के लिए परियोजनाएं कौन सी हैं; और

(च) नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) पिछले वर्ष की तुलना में 1977-78 के दौरान जिन उद्यमों में उत्पादन की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, उनका ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०-1980/78]

(ग) उत्पादन में वृद्धि के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:—

(1) अधिकाधिक मांग जिसके कारण क्षमता का बेहतर उपयोग ;

(2) नई परियोजनायें चालू करना ;

(3) विविधिकरण के कारण क्षमता का बेहतर उपयोग ; और

(4) संतोलक सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(घ), (ङ) और (च) 5 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश, जिनके लिए भारत सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है, जो स्वीकृत हो चुके हैं, के बारे में सूचना अनुबन्ध II में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-1980/78]

Import of Luxury Goods

5190. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the value of the articles of daily use and of luxury goods imported from abroad last year; and

(b) whether Government would impose restrictions on the import of luxury goods and if so, by what time and the name of such articles on which restrictions will be imposed?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) The terms "articles of daily use & luxury goods" being wide one, it is necessary to have specific indication of these items. However, figures of past imports are published by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta in the "Monthly statistics of Foreign Trade of India, Volume II—Imports", which is a priced publication.

(b) Import of luxury goods on commercial scale is not permitted under the import policy. The import policy is also kept under constant review and steps are taken to reduce imports of goods of relatively low priority.

स्टाफकारों का दुरुपयोग

5191. **श्री महीलाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारत सरकार के विभिन्न दफ्तरों के वरिष्ठ अधिकारी तथा ड्राईवर अपने निजी कामों के लिए स्टाफकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और ड्राईवरों द्वारा निजी कामों के लिए स्टाफकारों का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में, हाल ही में ऐसी कोई विशिष्ट शिकायतें वित्त मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई हैं। परन्तु पिछले वर्षों में, निजी प्रयोजनों के लिए स्टाफकारों के अनुचित उपयोग के कतिपय मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक हिदायतें जारी की गईं थीं कि स्टाफ कारों के उपयोग को नियमित करने के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए । इन अनुदेशों के अनुसार स्टाफकारों का कड़ाई से उपयोग करने को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालयों को प्रभावी कदम उठाने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। स्टाफकारों का नियंत्रण, नियंत्रण अधिकारियों की जिम्मेदारियों, ऐसी किस्म की यात्राएँ, जिनके लिए स्टाफकारों का उपयोग किया जाना है, ऐसी यात्राएं जिनके लिए स्टाफकारों का उपयोग वर्जित है, गैर-ड्यूटी यात्राएं जिनके लिए निर्धारित दरों पर अदायगी करके स्टाफकारों का उपयोग किया जा सकता है आदि के संबंध में स्टाफकार नियमों में व्यापक अनुदेश निहित हैं। इन नियमों में यह अभिनिर्दिष्ट किया गया है कि मनोरंजन, सार्वजनिक आमोद के स्थलों पर जाने, भोज आदि में सम्मिलिति होने, सैर-सपाटे आदि के लिए स्टाफ कारें इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। खरीददारी अथवा स्कूलों में बच्चों को ले जाने के प्रयोजन के लिए की जाने वाली यात्राएं भी वर्जित श्रेणी में आ जाती हैं । यहां तक कि ऐसे प्रयोजनों के लिए अदायगी करने पर भी स्टाफकारों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती है । नियंत्रण अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बना दिए गये हैं कि वे स्टाफकारों के उपयोग पर प्रभावशाली देख-रेख रखें। इस प्रयोजन के लिए, उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखना होता है कि हिदायतों के अनुसार निर्धारित फार्म में लाग-बुक रखी जाए। इस प्रकार सरकार द्वारा पहले से उठाए गए कदम स्टाफकारों के दुरुपयोग को रोकने का काम करेंगे ।

लौह अयस्क के निर्यात संबंधी नीति में परिवर्तन

5192. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनतवाला

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोह अयस्क संबंधी नीति में कुछ परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) लोह अयस्क के निर्यात से संबंधित नीति में कोई परिवर्तन करने की कोई प्रस्थापना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है, सिवाय इसके कि बाजारों तथा साथ ही माल के विविधिकरण के लिये प्रयत्न किये जायेंगे ताकि इस परम्परागत निर्यात मद का देश में अधिकाधिक मूल्य वर्धन किया जा सके।

विदेशी ऋण/सहायता

5193. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के समय भारत पर कुल कितना विदेशी ऋण है और सर्वाधिक अनुदान देने वाले पहले 10 देशों के नाम क्या हैं ;

(ख) आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के भारत के उद्देश्य के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त करने के बारे में सरकार की नीति क्या है, और

(ग) विदेशी सहायता लेना पूरी तरह बन्द करने तथा विदेशी ऋण से पूर्ण मुक्ति पाने का लक्ष्य प्राप्त करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) चालू वित्त वर्ष के अंत में (31 मार्च, 1978) चालू विनियम दरों पर भारत सरकार की विदेशी ऋणों की कुल बकाया देनदारी 11,339.41 करोड़ रुपए थी और सबसे बड़े दाता देशों के नाम ये हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, जापान, ईरान, कनाडा, फ्रांस, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ, नीदरलैण्ड और ईराक ।

(ख) और (ग) हमारी योजना का मुख्य उद्देश्य आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रगति करते रहना है। परन्तु पंचवर्षीय आयोजना (1978—83) के मसौदे में विदेशी सहायता पूरी तरह बन्द करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है क्योंकि देश के विकास की मौजूदा अवस्था में देश में जुटाए जाने वाले साधनों के पूरक के रूप में रियायती शर्तों पर विदेशी सहायता की अभी भी जरूरत है।

Financial Assistance to Vanaspati Industry

5194. **Shri Ishwar Chaudhry :** O.I.H. Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the total capital invested in the Vanaspati Industry in the country;

(b) the amount of financial and other assistance given by Government to this industry during the last three years ;

(c) the number of times the said industry was allowed to increase their prices during the last two years and the extent of such increase effected each time; and

(d) the details of Government's Policy in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K.K. Goyal) : (a) The total capital invested in the vanaspati industry is estimated at Rs. 79 crores.

(b) Financial and other assistance given by the Government to the vanaspati industry are:—

(i) meeting 75% of the requirements by imported oil for the industry since the last one year;

(ii) exemption on duty on the rice-bran oil used in manufacture of vanaspati to the extent of Rs. 10 per quintal subject to the condition that the proportion of the said vegetable product is in excess of one per cent of the total vanaspati manufactured in particular consignment;

(iii) rebate in excise duty on cottonseed oil used in excess of 30 per cent in manufacture of vanaspati. This has since been discontinued with effect from 28th January, 1978.

(c) & (d) There is no statutory price control on vanaspati. The ex-factory price of one tin of 16.5 kg. of vanaspati (including excise duty) was around Rs. 166—168 early in May, 1977. From mid-May, owing to voluntary price restraint by the industry, it was brought down to Rs. 158 which was further reduced by the industry to Rs. 140 since November, 1977.

अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारियों द्वारा दिया गया सुझाव

5195. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों ने हाल के उस आदेश को, जिसमें यह उपबन्ध है कि खाद्यान्न व्यापारियों को जितना स्टाक रखने की अनुमति है उसमें उस माल को सम्मिलित किया जाये जो अभी मार्ग में है दालों के मूल्य में भारी वृद्धि के लिये उत्तरदायी ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या दाल और खाद्य तेल (भंडारण नियंत्रण) संशोधन आदेश में किये गये नवीनतम संशोधन को अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारियों ने नितांत अव्यावहारिक बताया है ;

(ङ) क्या उन्होंने उसमें सुधार के लिये सुझाव दिया है ; और

(च) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क), (ख) व (ग) मार्गस्थ माल को स्टाक सीमाओं में शामिल करने के उपबन्ध का अभिप्राय यह है कि व्यापारियों के पास स्टाक जमा होने से रोका जा सके और उपभोक्ताओं को दालें व तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें। इस आदेश के जारी होने के बाद दालों के थोक मूल्यों में कोई विशेष वृद्धि का रुख नहीं दिखाई दिया है।

(घ), (ङ) व (च) फेडरेशन ऑफ आल इंडिया फूडग्रेंस डीलर्स एसोशिएशन ने सुझाव दिया है कि मार्गस्थ माल के बारे में संशोधन आदेश वापस लिया जाये अथवा स्टाक सीमा और समयावधि को दुगुना किया जाये। इसमें और संशोधन करने के बारे में विचार करने से पहले कुछ समय तक इस आदेश के प्रभाव को देखना होगा।

साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कम्पनी द्वारा बोनस शेयर जारी किया जाना

5196. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कम्पनी लिमिटेड बम्बई को 54,60,000 रुपये के बोनस शेयर जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कम्पनी की ओर से कोई याचिका प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार करना स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) कम्पनी का प्रस्ताव बोनस जारी करने के लिए निर्धारित मार्ग-निर्देशों को पूरा नहीं करता।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार ने कम्पनी से संशोधित आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसे 7,80,000 रुपए के बोनस शेयर जारी करने की अनुमति दे दी है ।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

फर्मों द्वारा पूंजी बढ़ाना

5197. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि फरवरी, 1978 में आठ फर्मों को 282 लाख रुपये की पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, ती तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इनमें कुछ विदेशी फर्में भी शामिल हैं ; और

(घ) उन फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक फर्म को कितनी पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 24 फरवरी, 1978 को सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन आठ फर्मों को 282 लाख रुपए की पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी गई थी ।

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा इस प्रकार है :—

	कम्पनी का नाम	वह राशि जिसको बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई
1		2
		(लाख रुपए)
1.	हेन लेहमन (इंडिया) लिमिटेड	18.00
2.	एटिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	200.00

1		2
3.	इंटरनेशनल कम्बश्शन (इंडिया) लिमिटेड	2.58
4.	बैकेलाइट हाइलम लिमिटेड	3.76
5.	प्रैशर कूकर्स एण्ड एप्लाएन्सेज लिमिटेड	24.00
6.	किशन प्रसाद एण्ड कम्पनी लिमिटेड	2.50
7.	सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिडेड	13.43
8.	विन्टेक्स मिल्स लिमिटेड	17.75
	जोड़ :	282.02

(ग) और (घ) उपर्युक्त कंपनियों में पहली चार कंपनियों की अपनी अपनी-शेयर पूंजी में 40 प्रतिशत से अधिक शेयर विदेशियों के पास हैं ।

तस्करों की गिरफ्तारी

5198. **श्री मही लाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में तस्करों को गिरफ्तार किया है ;

(ख) क्या उक्त तस्करों का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है और यदि नहीं तो क्या उनका अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों से कोई संबंध है ; और

(ग) उनके कब्जे से बरामद वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि 7 मार्च, 1978 को, दिल्ली पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत एक कार सहित 50,000 रु० मूल्य का 690 मीटर संश्लिष्ट वस्त्र और एक अटैची केस जिसमें पहनने के वस्त्र थे, पकड़े और इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने सभी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। पुलिस द्वारा की गयी जांच-पड़ताल से पता चला है कि पकड़े गये संश्लिष्ट वस्त्र चोरी छिपे आयात किये हुए किस्म के थे। इसलिए सीमा-शुल्क अधिकारियों ने सी० शु० अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए पकड़ा गया माल, 26-3-78 को अपने कब्जे में ले लिया है ।

(ख) सरकार के पास फिलहाल उपलब्ध सूचना से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि इस मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों का राजनैतिक दलों से अथवा अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों से कोई संबंध है।

बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क को चरणबद्ध तरीके से लागू करना

5199. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन-शुल्क लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव पर प्रत्येक राज्य के क्या विचार हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों की सम्मति प्राप्त हो जाने तक बिक्री-कर के स्थान पर उत्पाद-शुल्क को चरणबद्ध तरीके से तथा कुछ मदों के मामले में आरम्भ से ही लागू करने की योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है जैसाकि कपड़ा, चीनी, तथा तम्बाकू के मामले में किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ मदों के लिये बिक्री-कर के स्थान पर उत्पाद-शुल्क लागू करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर नकारात्मक है तो संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) बिक्री-कर को हटा कर उसके स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगाने के प्रश्न पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों अथवा वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा की गई है । बिक्री-कर को हटाने के मामले में राज्य सरकारों ने उत्साह नहीं दिखाया। दिल्ली प्रशासन को छोड़कर, जो कि एक केन्द्रीय शासित संघ-राज्य-क्षेत्र है, किसी राज्य ने हमें यह नहीं लिखा है कि बिक्री-कर को हटा कर उसके स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लागू कर दिया जाए।

(ख) और (ग) बिक्री-कर को हटा कर उसके स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगाने के सुझाव के प्रति राज्य सरकारों के विरोध को दृष्टि में रख कर अब यह प्रस्ताव है कि परस्पर राज्यों के बीच बिक्री-कर की दरों में संगति और एक-रूपता लाने के प्रश्न पर राज्यों के साथ चर्चा की जाए । साथ में यह भी विचार है कि इस अवसर का लाभ उठा कर राज्यों के साथ अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति के इस सुझाव पर भी विचार-विमर्श किया जाए कि बिक्री-कर को हटा कर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लगाने की योजना के अन्तर्गत, सीमेन्ट, दवाइयां, वनस्पति, तथा पेट्रोलियम-उत्पादों जैसी कुछ अन्य मदों को भी ले आया जाये ।

(घ), (ङ) और (च) यह संभव नहीं है कि केवल संघीय राज्य क्षेत्रों में बिक्री-कर को हटा कर उसके स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगा दिया जाए । इससे बड़े प्रशासनिक और अन्य उलझने पैदा होंगी ।

Exemption of Central Sales Tax on hand made Match Boxes

†5200. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Central sales tax is levied on hand made match boxes;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to exempt this item of common use from levy of sales-tax to provide encouragement to the industry?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) Levy of Central sales tax on inter-State sales of goods is complementary to and dependent upon levy of tax by States on sales or purchases of such goods taking place within the State. Accordingly, Central sales tax would also be leviable on inter-State sales of hand made matches, from all such States where sales or purchases inside the State of such matches are subjected to local sales tax.

(c) Article 269(1)(g) of the Constitution assigns revenue from Central sales tax to the States. The administration of Central sale tax (including the powers to grant exemption from such tax) has, therefore, been entrusted by law to the States. The question of the Central Government granting any exemption from Central sales tax on inter-State sales of hand made matches does not, therefore, arise.

तमिलनाडु में बिजली पैदा करने पर उत्पादन शुल्क वापिस लिया जाना

5201. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से बिजली पैदा करने पर प्रस्तावित दो पैसे का उत्पादन शुल्क सिद्धान्त और व्यवहारिक आधारों पर वापिस लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान स्थिति में जब राज्य केन्द्र से अतिरिक्त संसाधनों को राज्यों को अन्तरित करने पर बल दे रहे हैं इस अभूतपूर्व कर से राज्य बिजली बोर्डों से स्रोत केन्द्रीय राजकोष को अन्तरित हो जायेंगे और राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सरकारों के संसाधन जुटाने के वर्तमान सीमित क्षेत्र भी कम हो जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि बिजली पर उत्पादन-शुल्क लगाकर, केन्द्र सरकार का आशय आय-साधनों का राज्य बिजली बोर्डों से केन्द्रीय राजकोष को अंतरण करना है । उत्पादन-शुल्क अप्रत्यक्ष कर स्वरूप का होने से, यह आशा की जाती है कि इस नयी लेवी का भार उपभोक्ताओं तक पहुंच जाएगा। बिजली टैरिफ में संशोधन करके अथवा बिजली के उपभोग और बिक्री पर कर लगाकर साधन जुटाने के राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सरकारों के अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

लौह अयस्क के लिये नया बाजार खोजना

†5203. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत लौह अयस्क, जिंक तथा इस्पात बिलेट के लिए नये बाजार की संभावना का पता लगा रहा है और जापानी इस्पात उद्योग में 40 प्रतिशत मन्दी होने के कारण अनेक राष्ट्रों के साथ बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि जापान सरकार 80 लाख टन के ठेकाकृत लक्ष्य के विरुद्ध 1978-79 में 60 लाख टन से अधिक लौह अयस्क पिंड नहीं लेगा;

(घ) यदि हां, तो बेलाडालि लौह अयस्क खानों का वार्षिक उत्पादन क्या है; और

(ङ) वार्षिक हानि कितनी होगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख) ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य विशुद्ध लौह अयस्क का उल्लेख कर रहे हैं ; नीति के मामले के रूप में भारत लौह अयस्क का निर्यात करने के हेतु अप ने बाजारों का विविधीकरण करने के लिये लगातार प्रयास कर रहा है । नये बाजारों में से महत्वपूर्ण हैं पश्चिम यूरोप, मध्यपूर्व तथा सुदूर पूर्व। जहां तक इस्पात विलेट का संबंध है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्यात के लिए फालतू बिलेट उपलब्ध नहीं है, नए आर्डर नहीं ले रही है ।

(ग) शायद माननीय सदस्य का तात्पर्य वर्तमान बेलाडिला दीर्घकालीन ठेके के अन्तर्गत जापानी इस्पात मिलों द्वारा लौह अयस्क पिंड सम्भावित मात्रा में लिये जाने से है । सन् 1977-78 में लगभग 60 लाख टन की मात्रा के निर्यात किये जाने की संभावना है, हालांकि ठेकाकृत मात्रा 80 लाख टन है, जो 10 प्रतिशत अधिक या कम हो सकती है । जापानियों द्वारा 1978-79 में भी इस मात्रा का आयात किये जाने की आशा है और यह भी आश्वासन दिया गया है कि यदि इस्पात उत्पादन में सुधार होता है, तो बेलडिला पिंड के आयात को बढ़ाने के मामले में अनुकूल दृष्टि से विचार किया जायगा ।

(घ) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा तैयार की गयी एक परिचालन योजना के अनुसार 1978-79 के दौरान बेलाडिला खानों से लगभग 60 लाख टन उत्पादन होगा ।

(ङ) हानि, यदि कोई होगी, तो उसी दशा में होगी जब जापानी मिलें अपने वचन के अनुसार अपने आयात में वृद्धि न करें ।

मुजफ्फरपुर, बिहार के एक ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध मामले

5204. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मुजफ्फरपुर के एक प्रमुख ट्रांसपोर्टर और राजनीतिज्ञ के विरुद्ध तस्करी और जमाखोरी के मामले दर्ज किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के बारे में स्थिति क्या है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) अनुमानतः, प्रश्न का संकेत मुजफ्फरपुर के रामउदार झा की ओर है । सरकार को मिली सूचना के अनुसार, सीमाशुल्क अधिकारियों ने उसके खिलाफ, निषिद्ध माल की तस्करी के मामले दर्ज किये थे। उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा अनिर्णीत पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चाय विपणन की वर्तमान पद्धति का व्यापक पुनरावलोकन

†5296. **श्री चित्त बसु**:

श्री के० राममूर्ति :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय के विपणन की वर्तमान पद्धति का व्यापक पुनरावलोकन करना जरूरी समझती है; और

(ख) यदि हाँ तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख) लोक लेखा समिति (1977-78) ने "सीमाशुल्क प्राप्तियों" संबंधी अपने 15वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ भारत और विदेश, विशेषकर लन्दन, में चाय के विपणन की वर्तमान पद्धति के बारे में विचार किया और अपनी सिफ़ारिशें दीं। विपणन का तमाम गतिविधियों पर, जो इस समय अपनायी जाती हैं, उपरोक्त प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों को दृष्टि में रखते हुए ध्यानपूर्वक फिर से विचार करना होगा। इन तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिये नयी दिल्ली स्थित व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् के महानिदेशक श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 3 फरवरी, 1978 को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

विमुद्रीकरण के पश्चात् उच्च मूल्य के नोटों के स्रोतों की जांच

5207. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमुद्रीकरण के पश्चात् उच्च मूल्य के नोटों के स्रोतों के बारे में सम्बद्ध एजेंसियों के द्वारा कोई जाँच की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) तथा (ख) बदलने के लिए दिये गये उच्च मूल्य के नोटों के स्रोतों के बारे में आय-कर विभाग यथावश्यक पूछताछ कर रहा है।

इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, 9850 घोषणाओं के बारे में आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 133-क के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया गया है और धारा 131 के अन्तर्गत जाँच की गई है। जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी, वहाँ पर धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी देने तथा माल पकड़ने की कार्यवाही भी की गई है। इकट्ठे किये गये प्रमाणों से पता चलता है कि अनेक मामलों में कर की चोरी काफी मात्रा में की गयी है।

सोने का रिलीज किया जाना तथा उसकी बिक्री

5208. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले बाजार में सोना बेचने की घोषणा की है और यदि हाँ, तो कितना सोना रिलीज किया गया है तथा इसे किस मूल्य पर बेचा गया है; और

(ख) इसे किस माध्यम से रिलीज किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सरकार के पास जमा स्टाक में से, तस्करी निरोधी उपाय के रूप में, सोना बेचने के सरकारी निर्णय की घोषणा की है। इस प्रकार की बिक्री की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसकी शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

बड़े पैमाने पर निर्यात आदेशों के बारे में प्राजैक्टस एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन द्वारा दिये गये सुझाव

†5209. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय प्राजैक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्यात के लिये अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के बारे में दिये गये सुझावों पर विचार कर रहा है; और

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि इंजीनियरिंग प्राजैक्ट्स आफ इंडिया और प्राजैक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन को भारतीय निर्माताओं की ओर से निर्यात की संभावना वाली वस्तुओं एवं उपकरणों के निर्यात के लिये विश्व के स्रोतों के साथ सहयोग समझौते करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख) जी हाँ।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक द्वारा जारी किये गये इक्विटी शेयर और उनका भुगतान

†5210. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक द्वारा कुल कितनी संख्या में इक्विटी शेयर जारी किये गये और उनका भुगतान किया गया;

(ख) इसके निदेशकों और उनके सम्बन्धियों के नाम में और ऐसी फर्मों के नाम में जिनमें उनका हित निहित है, कितने शेयर हैं;

(ग) इस बैंक के कुल ऐसे शेयरों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध अन्य बैंकों ने ऋण और अग्रिम राशि दी है;

(घ) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के निदेशकों, उनके सम्बन्धियों और ऐसी फर्मों के नाम में, जिनमें उनका हित निहित है, लिये गये शेयरों में से कितने शेयरों को अन्य बैंकों के पास रहन रखा गया और किस आशय से;

(ङ) आपात स्थिति की घोषणा के समय और 30 सितम्बर, 1976, 31 दिसम्बर, 1976, 30 जून, 1977 और 31 अक्तूबर, 1977 को ऐसे ऋण की स्थिति क्या थी;

(च) उन बैंकों के नाम क्या है जिनके पास उक्त शेयर रहन रखे गये हैं; और

(छ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नियमों के अनुसार सरकार ने इस बारे में क्या उचित कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1977 तक, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक द्वारा जारी तथा चुकता किये गये शेयरों का मूल्य क्रमशः 1,65,473 और 1,64,379 था। इनमें से, 30 जून 1977 को 27,812 शेयर (चुकता पूंजी का 16.8 प्रतिशत), बैंक के निदेशकों के नाम में थे। अन्य 24 प्रतिशत शेयर उनके सम्बन्धियों के नाम में थे।

(ग), (घ), (ङ) और (च) यद्यपि बैंककारी विनियम अधिनियमन की धारा 20 किसी बैंकिंग कम्पनी को अपने शेयरों की प्रतिभूत पर ऋण/अग्रिम राशि की स्वीकृति देने पर प्रतिबन्ध लगाती है, किन्तु अन्य बैंकों के शेयरों की प्रतिभूति पर ऋण/अग्रिम राशि स्वीकार करने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए, माननीय सदस्य द्वारा माँगी गई सूचना, रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

PENDING INSURANCE CLAIMS PERTAINING TO FATAL ACCIDENTS

Shri Ishwar Chaudhury : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of insurance claims pending with Government at persent, State-wise pertaining to fatal accidents together with the perod for which they are pending ;

(b) whether it is a fact that claims are being rejected by examiners on technical and trifling grounds; and

(c) if so, steps being taken by Government in the matter and by what time these pending claims will be disposed of ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) Information regarding the pendency of fatal accident claims with the insurance companies is being gathered and will be laid before the House as soon as it is available.

(b) No, Sir.

(c) While insurance companies make all efforts to settle the claims expenditiously, some time is necessarily taken in gathering the evidence relating to accidents for the purpose of determining the legal liability of the insured and the amount of claim payable under the insurance policy. In the case of motor accidents involving third parties, a large number of claimants do not accept settlements offered by the insurance companies and prefer to seek awards from the Motor Accidents Claims Tribunals set up under the Motor Vehicles Act and this process takes time.

Medium of Instructions in training Institutes under Ministry of Tourism and Civil Aviation.

5213. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of training institutes under his Ministry and its attached and subordinate offices;

(b) the number of courses being run in these institutes :

(c) the number of courses out of them in Hindi medium and those in English medium; and

(d) the steps taken by the Government to switch over to Hindi medium in respect of those courses which are still in English medium ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a), (b), (c) and (d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायें। श्री सिकन्दर बख्त **(व्यवधान)**

Shri Yuvraj (Katihar) : Mr. Speaker Sir, I have given notice about the murder of Shri B.P. Sinha, a labour leader in Bihar and who had been member of the legislative Council twice and no person has been arrested so far in this connection.

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

Shri Yuvraj : I have given notice.

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत आपका नोटिस विचाराधीन है। उस पर विचार किया जायेगा **(व्यवधान)** कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। *(**व्यवधान**)

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

निर्माण और आवास और पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं वर्ष 1978-79 के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार माँगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०-1960/78]

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : मैं निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) औद्योगिक विनियमों तथा प्रक्रियाओं सम्बन्धी अध्ययन का प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णयों का विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०-1961/78]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनाँक 27 अगस्त 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा० नि० 1118 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०-1962/78]

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) इण्डियन एयरलाइंस का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०–1963/78]

(दो) एयर इण्डिया का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखा नया। **देखिये** संख्या एल०टी०–1964/78]।

(3) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इण्डियन एयरलाइंस के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) एयर इण्डिया के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०–1965/78]

(4) उपर्युक्त (4) और (5) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–1966/78]

(5) वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) इण्डियन एयरलाइंस के वर्ष 1977-78 के राजस्व और व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(दो) इण्डियन एयरलाइंस की पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1976-77 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 1977-78 के बजट अनुमानों का सारांश।

(ख) (एक) एयर इण्डिया के वर्ष 1977-78 के राजस्व और व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(दो) एयर इण्डिया की पूंजी के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1976-77 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 1977-78 के बजट अनुमानों का सारांश।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०–1967/78]

(6) उपर्युक्त मद (7) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०–1968/78]

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मैं सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) काफी बोर्ड के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–1969/78]

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 345 मे प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–1970/78]।

(3) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) मोटरयानों के फालतू पुर्जों, पुर्जों तथा सहायक उपकरणों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1978, जो दिनाँक 11 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 717 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चाँदी चढ़े बर्तनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 जो दिनांक 11 मार्च 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 719 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०-1971/78]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूति निधि विनियमों के संशोधनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–1972/78]

विधेयकों पर अनमति

ASSENT TO BILL

सचिव : महोदय, बर्तमान सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 8 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978
(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 1978
(3) विनियोग (रेल) संख्याँक 2 विधेयक 1978,
(4) विनियोग (रेल) संख्याँक 3 विधेयक, 1978
(5) विनियोग विधेयक, 1978
(6) विनियोग (संख्याँक 2) विधेयक, 1978
(7) मिजोरम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978
(8) मिजोरम विनियोग विधेयक, 1978

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। (**व्यवधान**)*

प्रो० पी०जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हू। जब सभा पटल पर पत्र रखे जा रहे थे तो इस सभा के अनेक सदस्य समस्याओं के बारे में कुछ न कुछ कहते रहे हैं। इसी बारे में आपने कहा कि कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब यहाँ सभी ऊंचे-ऊंचे चिल्ला रहे थे और शोर में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था तो मंत्री लोग सभा पटल पर पत्र रख रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया गया है। (**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded

प्रो० पी०जी० मावलंकर : किन्तु हम यह नहीं जान पाये कि कौन-से पत्र सभा पटल पर रखे गये। अतः आप मंत्री लोगों से अनुरोध करें कि वह उन पत्रों को पुनः सभा पटल पर रखें। (व्यवधान) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां मंत्री महोदय विलम्ब होने के कारणों के बारे में स्पष्टीकरण देते रहते हैं। आप मंत्रियों से शीघ्रता करने के लिये कहते हैं किन्तु कहीं कुछ भी तो नहीं होता। इसका कोई कारण तो होगा? मैं इसके लिये सरकार को दोष नहीं देना चाहता। क्या सभा पटल पर रखे पत्रों सम्बन्धी समिति को इन विलम्बों के बारे में बताया जाता है? यदि बताया जाता है तो यह समिति इस सम्बन्ध में क्या कर रही है। जब प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर दिये जाते हैं तो हमें सदन के सभा पटल पर उन्हें सरकार द्वारा न रखने के बारे में विचार करने का अवसर नहीं मिलता है। इसका उपाय क्या है? जब भी समिति सभा पटल पर प्रतिवेदन रख देगी तो आप हमें यह कह कर रोक देंगे कि प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया है अतः उस पर चर्चा नहीं हो सकती। यदि चर्चा नहीं की जा सकती तो सभा पटल पर पत्र न रखने के लिये सदन सरकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर सकता है?

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा नियमों का ढोल तो पीटते रहते हैं किन्तु उनका पालन नहीं करते। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बारे में आप आपत्ति उठा रहे हैं किन्तु आपने उसके लिये नोटिस नहीं दिया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैंने इस बारे में अनेक नोटिस दिये हैं। अतः बार-बार नोटिस देने का क्या लाभ जबकि एक ही विषय पर बारबार विलम्ब होता है। यदि रोज विलम्ब होता है तो क्या मुझे रोज नोटिस देना होगा? इसका इलाज क्या है।

अध्यक्ष महोदय : इलाज यह है कि आप नियमों का पालन कीजिये। सभी कुछ समिति को भेजा जाता है। यदि आप इस विषय पर चर्चा उठाना चाहते हैं तो नियम 184 के अन्तर्गत नोटिस दीजिये इसमें कोई कठिनाई नहीं है। नियम मात्र व्यवस्था का प्रश्न ही उठाने के लिये नहीं है।

श्री बलदेव सिंह जसरोतिया : खड़े हो गये--

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न कीजिए।

श्री बलदेव सिंह जसरोतिया: * * *

अध्यक्ष महोदय : आप एक ऐसे विधेयक के बारे में कह रहे हैं जो राज्य के विधानमंडल में लम्बित है। ऐसे विधेयक पर चर्चा करना इस सभा के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। आपको यह सब जानकारी होनी चाहिए।

श्री वयालार रवि (चिरचिंकोल) : महोदय हम नागरिक विमानन विभाग की अनुदानों की मांगों पर विचार करने जा रहे हैं। बम्बई के निकट बोइंग दुर्घटना की जांच प्रतिवेदन समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो गया है। अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय हम यह जानना चाहेंगे कि वह प्रतिवेदन क्या है। कृपया मंत्री महोदय को इसके बारे में बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कह दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : जब श्री मावलंकर ने मामला उठाया था तब आपने एक नियम उद्धरित किया था। वह नियम कौन-सा था?

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष ने अपनी शक्तियों के अधीन एक निदेश दिया है कि जिस किसी को भी पत्र रखने के बारे में आपत्ति हो तो उसके लिए पूर्व सूचना देनी होगी।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

श्री हरि विष्णु कामत : किस नियम के अधीन?

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे कक्ष में आकर विचार विमर्श करें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

***श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** (तंजावर) : मैं रेल मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"माल डिब्बों की कमी के कारण तमिलनाडु के तंजावूर जिले में वेदारण्यम साल्ट कम्पलैक्स में अभूतपूर्व मात्रा में नमक जमा हो जाने से उत्पन्न स्थिति, जिसके कारण हजारों कर्मकार बेरोजगार हो गये हैं।"

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण रेलवे पर वेदारण्यम साल्ट कम्पलैक्स में नमक का लदान करने वाले तीन स्टेशन शामिल हैं—अगस्त्यपल्ली, वेदारण्यम और आदिरामपट्टीणम।

इन स्टेशनों से नमक का यातायात तीन प्राथमिकताओं के अंतर्गत होता हैं—मानव खपत के लिए नमक आयुक्त द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार भेजा जाने वाला नमक प्राथमिकता श्रेणी 'सी' के अंतर्गत, औद्योगिक उपयोग के लिए प्राथमिकता श्रेणी 'डी' के अन्तर्गत तथा अन्य गैर-कार्यक्रम-बद्ध नमक प्राथमिकता श्रेणी 'ई' के अंतर्गत।

नमक आयुक्त ने 1977 के कलेण्डर वर्ष के दौरान इन तीनों स्टेशनों से मानव खपत के लिए 3517 माल डिब्बे नमक भेजने का कार्यक्रम बनाया था। इस कार्यक्रम की तुलना में 3214 माल डिब्बे लादे गये थे। कोटे के अनुसार पूरे माल डिब्बों का लदान हो जाता परन्तु नवम्बर और दिसम्बर, 1977 में दक्षिण रेलवे की मीटर लाइन के कार्य-संचालन पर तूफान के फलस्वरूप गंभीर बाधा पड़ी। इसके अतिरिक्त, आदिरामपट्टीणम, स्टेशन को आबंटित कोटे का इस्तेमाल नहीं किया गया।

चालू वर्ष में, जनवरी से 30 मार्च, 1978 तक, इन तीनों स्टेशनों से 882 माल डिब्बों के निर्धारित कोटे की तुलना में कार्यक्रमबद्ध नमक के 1134 माल डिब्बे लाद कर 1977 में हुई गिरावट को कमोवेश पूरा कर दिया गया है। पिछले वर्ष के इन तीन महीनों में केवल 890 माल डिब्बे लादे गये थे।

मानव खपत के लिए नमक के लदान को बरकरार रखने के बावजूद, 30 मार्च को इन तीनों स्टेशनों पर 709 माल डिब्बों के लिए मांग बकाया है। इन बकाया मांगों का कारण यह है कि नमक आयुक्त द्वारा योजनाबद्ध नमक की ढुलाई के लिए दक्षिण रेलवे ने मांग-पत्र निस्संकोच स्वीकार कर लिये हैं, यद्यपि ये मांग-पत्र नमक आयुक्त द्वारा निर्धारित कोटा से अधिक हैं।

लेकिन, चालू वर्ष के प्रथम तीन महीनों में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए एवं गैर-योजनाबद्ध नमक के लदान में गिरावट आयी है। जनवरी और मार्च, 1977 के बीच, प्राथमिकता श्रेणी 'डी' और 'ई' के अंतर्गत नमक के 2130 माल डिब्बे लादे गये जबकि चालू वर्ष में इन प्राथमिकता श्रेणियों के अंतर्गत केवल 500 माल डिब्बों का ही लदान हुआ है। औद्योगिक इस्तेमाल के लिए नमक और गैर-योजनाबद्ध नमक का कम लदान इसलिए हुआ क्योंकि दक्षिणी बन्दरगाहों से आयातित उर्वरकों के लदान में वृद्धि करना अपेक्षित था। उर्वरकों का लदान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करना

*तमिल में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।
Summarised Hindi version based on English translation of the statement made in Tamil.

पड़ा क्योंकि बुवाई के मौसम में उन्हें समय पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों तक पहुंचाना था। नमक के कम लदान का कारण यह भी था कि व्यापारी शुष्क मौसम में भी नमक के लदान के लिए खुले माल डिब्बे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे। जैसा कि वे 1976-77 तक करते रहे हैं।

दक्षिण रेलवे के अधिकारी पहले ही उप नमक आयुक्त, मद्रास के साथ 27 मार्च, 1978 को बैठक कर चुके हैं और इस बैठक में वेदारण्यम् कम्पलैक्स से नमक के लदान में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनायी गयी है। उप नमक आयुक्त इस बात के लिये भी राजी हो गये हैं कि नमक के लदान में वृद्धि करने के उद्देश्य से वह व्यापारियों से अनुरोध करेंगे कि नमक का अधिक से अधिक लदान खुले माल डिब्बों में किया जाये।

मैं सदन को पक्का आश्वासन देता हूं कि अतीत में जो भी कठिनाइयां रही हों, नमक का बकाया लदान अगले चार से छः सप्ताह के भीतर पूरा कर दिया जायेगा, ताकि मजदूरों को अपनी नौकरियों से वंचित हो जाने का कोई डर न रहे।

प्रो० एस० डी० सोमसुन्दरम (तंजावूर) : दो वर्ष पहले वेदारण्यन और कोडिकराई के बीच रेलवे लाइन टूट गयी थी। यह पुनः बनाई गई है परन्तु, इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस लाइन को स्थायी रूप से मजबूत करायें।

नमक की ढुलाई में विलम्ब होने के कारण लगभग 10,000 मजदूर बेकार हो जाते हैं। यद्यपि मंत्री महोदय ने सभी व्यवस्था पहले ही कर दी है तथापि मेरा यह अनुरोध है कि उसके लिए अधिक से अधिक माल डिब्बे दिये जायें। साथ ही मेरा प्रश्न यह है कि उस क्षेत्र से नमक उठाने के लिए क्या नीति अपनायी गयी है और यह कितने समय में लागू की जायेगी। नमक ढोने के लिए बंद माल डिब्बे दिये जाने चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते: नमक के ढोने में कुछ रुकावटें हैं। तीन प्रकार का नमक ढोया जाता है। कार्यक्रम योजना के अंतर्गत प्राथमिकता खाने के काम आने वाले नमक को दी जाती है। उसके बाद औद्योगिक उपयोगों के लिए आवश्यक नमक और रसायन तथा अन्य चीजों में प्रयोग आने वाले नमक को प्राथमिकता दी जाती है। नमक ढोने का काम नमक आयुक्त और रेल अधिकारी करते हैं क्योंकि उनको एक निश्चित कोटा दिया जाता है। उसे कार्यक्रम परियोजना कहते हैं। नमक मुख्य रूप से नमक ढोने के कार्यक्रम कोटा में नहीं है। इसके अतिरिक्त गैर-कार्यक्रम नमक को ढोने का भी प्रश्न है इसे ढोया नहीं जा सका है। उसके दो मुख्य कारण हैं। एक कारण उर्वरक का ढोया जाना है। आयातित उर्वरक को ढोने के लिए अधिकाधिक मालडिब्बों की आवश्यकता पड़ी।

दूसरी कठिनाई यह रही है कि व्यापारियों ने साफ मौसम में खुले माल डिब्बों में नमक नहीं ढोया, क्योंकि बंद माल डिब्बों की कमी थी। साफ मौसम में हम उन्हें खुले माल डिब्बे देते हैं परन्तु वे अधिक संख्या में उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने 27 मार्च, 1978 के वक्तव्य में यह भी बता दिया है कि हमने नमक उपायुक्त और दक्षिण रेलवे के अधिकारियों के साथ बातचीत कर ली है और उन्होंने नीति तय कर ली है और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वे व्यापारियों को समझायेंगे कि वे अपने हित में तथा सामान्य हित में साफ मौसम में खुले माल डिब्बे स्वीकार करें।

हमने व्यापारियों को समझाया है कि वे पहले की तरह खुले माल डिब्बे स्वीकार करें। यहां मैं एक और कठिनाई का उल्लेख करता हूं। हमने सारे क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया है--10 एकड़ वाला क्षेत्र और 10 एकड़ से अधिक वाला क्षेत्र जिसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। इन्हें लाइसेंस

शुदा निर्माता कहते हैं । इनको एक असुविधा यह होती है कि उनके मजदूरों पर बोनस अधिनियम, भविष्य-निधि अधिनियम और अन्य अधिनियम लागू होते हैं । निर्माताओं की यही विवशता है । उन्हें नमक ढोने को उच्च प्राथमिकता की सुविधा प्राप्त है । प्राथमिकता क, ख, ग और घ में विभाजित हैं । रक्षा कार्यों को 'क', खाद्यान्न, उर्वरक और आयोजीकृत नमक को 'ख', सीमेंट, कोयला, रेल सामग्री और कुछ अयस्कों को 'ग', और औद्योगिक उपयोग में आने वाले नमक, दालों, खाद्य तेलों आदि के लिए 'घ' और अन्य चीजों को 'ङ' प्राथमिकता दी जाती है । लाइसेंस शुदा निर्माताओं को प्राथमिकता कतिपय शर्तों के अधीन दी जाती है, अर्थात् उनके मजदूरों पर बोनस अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम आदि लागू किये जायें । यही कठिनाई है । उन्हें उच्च प्राथमिकता मिलती है । यही उनको सुविधा है । 10 एकड़ से कम क्षेत्र वाले निर्माताओं को उच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती है । उन्हें 'घ' और 'ङ' प्राथमिकता दी जाती है । हमने उद्योग मंत्रालय को एक नए सूत्र की सिफारिश की है कि भूमि की सीमा पर विचार न करते हुए सभी को कुछ सुविधा प्रदान की जाये जो उपभोक्ताओं के हित में होगा ।

ये सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं । पहली सिफारिश यह है कि नमक बनाने के लिए लाइसेंस लेने हेतु नमक निर्माण क्षेत्र की अधिकतम सीमा 10 एकड़ से घटाकर 3 एकड़ की जाये । हमने 3 एकड़ से कम क्षेत्र वालों के लिए भी उद्योग मंत्रालय को सिफारिश की है कि वे आपस में मिलकर काम करें और एक सहकारी समिति बनायें । उस तरह से 3 एकड़ से कम भूमि वाले नमक निर्माताओं को भी प्राथमिकता मिल जाएगी और समस्या हल हो जाएगी ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

69वां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं मारमुगाओं पत्तन के विस्तार के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 230वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 69वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

रेल अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

दूसरा प्रतिवेदन

श्री कृष्ण कान्त (चंडीगढ़) : मैं रेलवे की चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजनाएं और अन्य सम्बद्ध मामले पर रेल अभिसमय समिति 1973 के आठवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में रेल अभिसमय समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

याचिका का प्रस्तुत किया जाना

PRESENTATION OF PETITION

श्री रोबिन सेन (आसनसोल) : मैं हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड (राउरकेला इस्पात संयंत्र) के अन्तर्गत काला आयरन माइन कालता, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) के श्री रवि नारायण नायक और अन्य कर्मकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका जो उनकी शिकायतों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह मांग करता हूं कि कालता खान में सभी 1500 मजदूरों को जिनमें 550 भूतपूर्व गोरखपुरी मजदूर भी शामिल हैं नियमित मजदूर बनाया जाये। सेवा समाप्ति की सभी सूचनाएं तुरन्त वापस की जायें। प्रबन्धकों को मजदूरों में साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय तनाव पैदा न करने के लिए कहा जाये । खानों में सभी श्रमिक कानूनों को पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाये।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन बारे में

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम (तंजावूर) : मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि के विरुद्ध आरोप लगाये हैं। सरकार ने न्यायधीश सरकारिया की अध्यक्षता में इन आरोपों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया है।

मैं समझता हूं कि सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन तमिलनाडु सरकार को भेजने में बहुत विलम्ब किया गया है। प्रतिवेदन भेजकर तमिलनाडु सरकार को आवश्यक निर्देश सहित तत्काल आगे की कार्यवाही के लिए कहा जाना चाहिए ।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में विलम्ब हुआ है।

मैं जानना चाहता हूं कि कब प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा।

(दो) टेलीकोम फैक्ट्रीज के पुनर्गठन के बारे में समाचार

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : टेलीकोम फैक्टरीज कलकत्ता के महानिदेशक कलकत्ता बम्बई और जबलपुर में तीन विभागीय टेलीकोम फैक्टरियों का जो डाक तार महानिदेशक के अधीन हैं, संचालन, पर्यवेक्षण और समन्वय कर रहे हैं। इन फैक्टरियों में डाक-तार और टेलीफोन की जरूरतों के लिए दूरसंचार उपकरण बनते हैं। भिलाई में चौथी फैक्टरी बनाई जा रही है और एक और भी फैक्टरी बनाने का प्रस्ताव है। यह आवश्यक है कि एक कुशल संगठनात्मक व्यवस्था हो जो फैक्टरी का आधुनिकीकरण और विस्तार करेगी और चारों फैक्टरियों का समन्वय और अच्छा तथा कुशल तरीके से संचालन करे।

इस समय टेलीकोम फैक्टरीज कलकत्ता के महानिदेशक कलकत्ता, जबलपुर और बम्बई फैक्टरियों के पूर्ण प्राभार में हैं और वह इनके समुचित समन्वित नियंत्रण और विकास में सहायता कर रहे हैं ।

ऐसा मालूम हुआ है कि जबलपुर और बम्बई की फैक्टरयों के अध्यक्ष का दर्जा बढ़ाकर महानिदेशक (महा डाकपाल) किया जाने का प्रस्ताव है और कलकत्ता टेलीफोन फैक्टरीज के महानिदेशक के नियंत्रण से उन्हें बाहर किया जा रहा है इससे इन तीनों फैक्टरियों का समन्वय नहीं हो सकेगा। साथ ही और बड़े अधिकारियों की इन फैक्टरियों में नियुक्ति से उत्पादन लागत भी बढ़ जायेगी। इस समय जबलपुर और बम्बई फैक्टरियों में उच्च अधिकारियों पर सर्वाधिक व्यय हो रहा है, यह प्रस्तावित पुनर्गठन का जनहित से कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी ओर नये पद बनाये जा रहे हैं और बड़ी संख्या में पदोन्नतियां की जा रही हैं ।

आजकल ऐसा प्रयास हो रहा है कि कलकत्ता से सरकारी कार्यालयों को बाहर स्थानान्तरित किया जा रहा है अथवा बंद किया जा रहा है। इससे वहां रोजगार पर बड़ा असर पड़ेगा । कर्मचारियों में बड़ा असंतोष फैला हुआ है और सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रस्तावों को क्रियान्वित न करे जिससे प्रबन्धकों और मजदूरों के आपसी सम्बन्ध बिगड़ें और ऐसा काम न करें जिससे पश्चिम बंगाल पर इसका बुरा असर पड़े ।

(तीन) कुट्टानाड, केरल के धान उत्पादकों के समक्ष संकट का समाचार

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : मैं सरकार का ध्यान केरल में कुट्टानाड, में धान उत्पादकों के संकट के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पैदावार घटती जा रही है और उत्पादन लागत बढ़ रही है। परिणामस्वरूप किसान धान का उत्पादन छोड़ने पर बाध्य हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार घाटा 500 रुपये प्रति एकड़ हो रहा है और वास्तविक घाटा छः से सातः सौ रुपये तक हो रहा है।

कुट्टानाड में लगभग 60,000 हैक्टेयर जमीन में धान का उत्पादन होता है और इसमें लगभग एक लाख किसान काम कर रहे हैं तथा लगभग चार लाख मजदूर इस पर निर्भर हैं अतः इस सारी आबादी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है।

मेरा निवेदन है कि सरकार उन्हें यथा संभव सहायता प्रदान करे तथा तत्काल विशेषज्ञों की एक समिति इस समस्या का अध्ययन करने के लिए नियुक्त करे क्योंकि यह काम राज्य सरकार की क्षमता से बाहर है।

(चार) कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र में हरिजनों पर कथित अत्याचारों के समाचार

Shri Sharad Yadav (Jabalpur) : I want to draw the attention of Government to the atrocities committed on Harijans in Andhra, Karnataka and Maharashtra. Congressmen take seriously the atrocities committed on Harijans in other States whereas in these states ruled by Congress they have no such concern.

In Karnataka in Devanhali Village which is near Bangalore a Harijan was murdered. In Guntur district in Andhra Harijans were attacked, their houses were burnt and a Harijan woman was burnt alive. Similar incidents were reported from Bhogeshwari Division in Bombay and other places. Harijan leader Shri Vithalrao Vankhere has declared to immolate himself in protest against these incidents. Smt. Gandhi is sheding tears on these incidents. She has been a dictator and is the greatest lier of the world. She is misleadling the people .....**(interruption)**. She was instrumental in the incident that took place in Banaras to insult Shri Jagjivan Ram. All shorts of atrocities are being committed in Karnataka. Those persons who are responsible for such atrocities should be given firm punishment. They should be debarred from citizenship and the Chief Minister of a state in which there are more than five such atrocities should be made to resign. All those people who believe in democracy should organise themselves against these elements who want to bring back dictatorship in the country.

अध्यक्ष महोदय : कल किसी सभापति ने किसी को वक्तव्य देने की अनुमति दी। मेरे विचार से यह नियम विरुद्ध है। आज जो ध्यान आकर्षण की सूचना दी गई है उस पर सोमवार को विचार किया जायेगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : मेरी नियम 397 के अधीन सूचना का क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं।

(पांच) केन्द्रीय रोजगार केन्द्र (श्रम), गोरखपुर द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को श्रमिक देने के करर को समाप्त किए जाने का समाचार

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : नियम 377 के अधीन मुझे यह कहना है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (काल्टर लोहा खान) को गोरखपुर के रोजगार कार्यालय के साथ श्रमिकों की सप्लाई के लिए हुए समझौते की समाप्ति से 550 मजदूरों की सेवाएं 17 अप्रैल, 1978 के बाद समाप्त हो जायेंगी। यह इस कारखाने के मजदूरों के अधिक मजदूरी के लिए किये गये संघर्ष की सफलता के फलस्वरूप हुआ। यह इसलिए किया गया है कि 5-6 वर्ष के अनुभवी मजदूरों को निकालकर सस्ते मजदूरों को नियुक्त किया जा रहा है। सरकार को चाहिए इस पद्धति को रोके। इसके विरुद्ध प्रदर्शन में मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार को इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम बजट पर चर्चा करेंगे। सभा अब नौवहन और परिवहन मंत्रालय की मांग संख्या 75 से 78 पर बहस करेगी इसके लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया। यदि सदस्य कोई कटौती प्रस्ताव देना चाहते हैं तो वह 15 मिनट में दे सकते हैं और उन प्रस्तावों को प्रस्तुत समझा जायेगा।

अनुदानों की मांगें, 1978-79

DEMANDS FOR GRANTS 1978-79

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

Ministry of Shipping ond Transport

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, आज देश में कोई भी समन्वित परिवहन नीति नहीं है जोकि देश की अखण्डता और सामाजिक आर्थिक आधार के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि देश के कोने-कोने में परिवहन सुविधाओं को उपलब्ध करके हम इस दिशा में अच्छा कदम उठा सकते हैं। हम देश में उद्योगों और औद्योगिक विकास और आर्थिक खुशहाली की बातें करते रहते हैं, यह तभी हो सकता जब ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें। इस सम्बन्ध में मात्र 800 करोड़ रुपये ही आयोजना में रखा गया है यह बहुत ही कम है। जब तक ग्रामीण विकास नहीं होता तब तक औद्योगिक विकास कैसे हो सकता है। सड़कों के निर्माण की गति भी धीमी है, 1955-56 वर्ष में सड़कों की लम्बाई में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई, 1970-71 में यह प्रतिशतता कम हो गई और 1970-71 से 1971-75 तक इन आकड़ों में कमी आ रही है। मैं यह नहीं कहता कि यह भूतपूर्व अथवा वर्तमान सरकार का दोष है किन्तु यह कहना चाहता हूं कि कुछ वर्षों से ग्रामीण संचार के लिए राशि नियतन में कमी आती जा रही है जिससे परिवहन द्वारा माल के लाने ले जाने में बाधा पैदा हो रही है। रिपोर्ट में किसी भी समेकित कार्यक्रम का संकेत नहीं है । इसके अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रारूप भी ठीक नहीं है और इसमें आंकड़ों का जाल सा है।

यद्यपि जलमार्ग, रेलमार्ग अथवा सड़कों से कम है फिर भी उनका काम महत्वपर्ण है जो सड़क अथवा रेल द्वारा नहीं हो सकता है । वे जलमार्गों पर अनेक दूरदराज के स्थानों को बाहर की दूनिया से मिलाते है ।

श्री राम मूर्ती पीठासीन हुए

Shri Ram Murti in the Chair

यद्यपि सरकार ने सड़क परिवहन से काफी राजस्व इकट्ठा किया है फिर भी सड़क निर्माण और विश्राम गृहों पर बहुत कम राशि खर्च की गई है। अतः मैं यह कहना चहाता हूं कि इस धनराशि को यात्रिओं को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और माल ढोने सम्बन्धी सुविधाओं पर नहीं व्यय किया गया है। अभी हाल में यात्री परिवहन सुविधाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश में आर्थिक गतिविधियों में भी तीव्रता आई है किन्तु उपलब्ध धनराशि का बहुत ही कम भाग सड़कों की मरम्मत और विश्राम गृह बनाने पर व्यय किया गया है। थाईलैण्ड जैसा देश भी अपनी राष्ट्रीय आय का 1.44 प्रतिशत राजमार्गों पर व्यय करता है किन्तु भारत केवल 0.66 प्रतिशत ही व्यय करता है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

हमारी दो तिहाई जनसंख्या गांवों में रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि गांवों को सड़कों द्वारा शहरी क्षेत्रों से मिलाया जाना चाहिए। इस समय 30 प्रतिशत गांवों में कोई भी शहरों को मिलाने वाली सड़कें नहीं हैं । केन्द्र के पास गांवों से शहरों से मिलाँने वाली कोई भी योजना नहीं है।

रेल मंत्री ने 10 मार्च, 1978 को लोक सभा में यह घोषणा की थी कि योजना आयोग शीघ्र ही रेल, सड़क, जल परिवहन के लिए समेकित नीति बनाने के लिए एक टीम का गठन करेगी किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। विभिन्न राज्यों को मिलाने के लिए न केवल राजमार्गों तथा रेल परिवहन का सुधार होना चाहिए बल्कि साथ-साथ गंगा कावेरी नहर योजना के अंतर्गत गंगा-कावेरी को भी मिलाना चाहिए। इसके लिए हमें दस्तूर योजना को भी कार्यान्वित करना पड़ेगा। इस योजना का जब कार्यान्वयन हो जायेगा तो इससे देश के औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। किन्तु अभी तक तो इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण तक नहीं कराया गया है।

हम परिवहन पर करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं किन्तु नई लाइनों का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया है। भारतीय जलपोतों द्वारा भारत का 28 प्रतिशत विदेशी व्यापार होता है जिसके परिणामस्वरूप 533 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा और देश कमाते हैं। पांचवीं योजना में मात्र 5 करोड़ रुपये ही पोत निर्माण यार्डों के लिए रखा गया है।

पारादीप पत्तन 8 बड़ी पत्तनों में से एक है। इसमें आयात और निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम उर्वरकों का आयात कर रहे हैं तो इस देश की सम्पदा खनिजों का निर्यात कर रहे हैं। हम इस पत्तन की महत्ता की ओर सरकार का ध्यान वर्षों से दिलाते चले आ रहे हैं। किन्तु इस पत्तन की उपेक्षा की जा रही है। विजाग में पोत निर्माण यार्ड है और उसके बाद पारादीप पत्तन का महत्व है। वहां पर एक और माल शायिका (बर्थ) की आवश्यकता है किन्तु इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। कोचीन यार्ड में कार्य रुका पड़ा है। निर्माण कार्य के सम्बन्ध में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। जहां पर भी ठेका प्रणाली प्रचलित है वहां भ्रष्टाचार है। पाराद्वीप पत्तन पर दूसरी शायिका (बर्थ) की व्यवस्था नहीं की गई है। जहां तक कुडर मुख परियोजना का सम्बन्ध है यह पहली परियोजाना है जो तेल के लिए सहायता सीधे ईरान से लेगा। करार के अंतर्गत लोह अयस्क की पहली किस्त ईरान को अगस्त, 1980 में जानी शुरू हो जायेगी। इस योजना को निर्माण सम्बन्धी, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा। परियोजना निर्माण के अलावा मंगलोर में पत्तन तथा बर्थिंग सुविधाएं उपलब्ध करनी पड़ेंगी ताकि लौह अयस्क ले जाने वाले 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० आर० तक के जहाज वहां आ सकें।

इस समय सरकार राज्यों को लगभग 50 परमिट दे रही है जो बहुत ही अपर्याप्त हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 100 की जानी चाहिए क्योंकि देश भर में स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव संख्या 3 से 10 तक और 16 से 17 तक प्रस्तुत किये गए।

श्री विनोदभाई बी० शेट (जामनगर) : आज विश्व भर में जहाजरानी संकट के दौर से गुजर रही है। सारे देश आज जहाजरानी की सहायता कर रहे हैं। मैं जहाजरानी मंत्री श्री चांदराम को बधाई देता हूं कि उन्होंने जहाजरानी के हितों के सम्बन्ध में एक बैठक की गई और उसमें सम्बन्धित समस्या पर विशद चर्चा की गई और उसी आधार पर इस उद्योग के लिए बजट बनाया गया है।

जहाजरानी उद्योग के लिए 79 करोड़ रुपये की धनराशि ऋण के रूप में दी जायेगी और 13.93 करोड़ रुपए इस उद्योग को राजसहायता दी जायेगी। यह उद्योग चाहता है कि उन्हें कुछ ऋण विदेशी मुद्रा में दिया जाये और इन ऋणों पर व्याज की दर भी कम होनी चाहिए।

समस्त विश्व में कुल 6380 लाख डी० डब्ल्यू०टी० है जिसमें हमारा अंश 80 लाख टन का है और हमारे 371 जहाज हैं जिनमें से 75 तटीय हैं और 206 समुद्रपारीय। मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह तटीय जहाजरानी की ओर पर्याप्त ध्यान दें।

वर्तमान में जहाज अधिक हैं और उनके लिए माल कम। इसलिए यह उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संकट का सामना कर रहा है। सरकारी उपक्रमों को जहाजरानी उद्योग की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए। निर्यात सम्बन्धी करार सी०आई०एफ० पर आधारित होना चाहिए। पर जब कभी कोई महत्वपूर्ण करार हो तो वह एफ०ओ०बी० के आधार पर किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय माल भारतीय जहाजों से ही ढोया जाए। इस सम्बन्ध में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किया जाना चाहिए।

आज यह तर्क दिया जाता है कि जब कि विश्व में जहाजरानी उद्योग के बारे में संकट है तो हमें जहाज निर्माण कारखाने नहीं लगाने चाहिएं। पर हमें दूरदृष्टि से काम लेना चाहिए। पारादीप और हाजिरा में शिपयार्ड का काम शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। इनके निर्माण के लिए अन्तरिम बजट में पर्याप्त धन व्यवस्था की जानी चाहिए। इस उद्योग को न केवल पूंजी-निवेश उद्योग अपितु निर्यात प्रधान उद्योग माना जाना चाहिए। इस विषय में हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम वर्तमान जहाज निर्माण कारखाने का पूर्ण उपयोग किया जाए; दूसरे इनका विस्तार किया जाए और तीसरे हमें ऐसे समेकित कारखाने स्थापित करने चाहिएं जिनमें जहाज निर्माण के अलावा उनकी मरम्मत भी की जा सके। हमारी क्षमता इस बारे में केवल 10 प्रतिशत है। हम जापान आदि देशों को अपने जहाज मरम्मत के लिए भेजते हैं। इसमें हमें बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। नौवहन निगम को भी अन्य सरकारी उपक्रमों की तरह काफी घाटा हो रहा है। आशा है कि यह घाटा अब कम होगा।

नौवहन विकास निधि समिति में कुछ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जहाज निर्माण कारखानों (शिपयार्डस) का काम सुचारू रूप से चले यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ मानक आदेश निश्चित किए जाने चाहिएं जिससे कि जहाजों के मालिक भी अपेक्षित अनुशासन का पालन करें।

अब बड़े पत्तनों की सीमा को छोटे पत्तनों पर भी लागू किये जाने का विचार है। इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

गुजरात में सत्यया और पिपावाभ पत्तन प्राकृतिक पत्तन हैं। ओखा पत्तन खत्म हो रहा है क्योंकि वहां यतायात नहीं है और पत्तन से गाद भी ठीक से नहीं निकाली जाती। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को इन पत्तनों का विकास करना चाहिये।

माल के सकेन्द्रीकरण की बात भी कही गई है। माल का आयात और निर्यात ठीक समय पर किया जाना चाहिए। बम्बई बन्दरगाह पर काफी माल का जमाव है। गोदी कर्मचारी श्रमिक, यहां तक कि पाइलट हड़ताल कर रहे हैं। वहां लगभग 60 जहाज बर्थ के इन्तजार में हैं। इस मामले में कड़ाई से काम लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारत के आयात और निर्यात व्यापार को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

नौवहन उद्योग ने बहुत अच्छा काम किया है। 1956 में इसकी क्षमता 4,79,880 टन थी जो 1977 में बढ़कर 53, 46,000 टन हो गई। इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है जिसमें एक बड़ा भाग सरकारी पूंजी का है। इस सम्बन्ध में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनकी पूर्ति तभी हो सकती है जब हम यह नीति अपनाएं कि भारतीय माल भारतीय जहाजों द्वारा ढोया जाए। वाणिज्य पोत परिवहन के सी-फेयरर और अधिकारियों को कुछ कर राहत दी जानी चाहिए। हर देश में इनको कर सम्बन्धी यह राहत दी जाती है। इन लोगों को अपने परिवारों को पीछे छोड़कर विदेशों में जीवन बिताना होता है।

जहां तक सड़कों का सवाल है इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया गया है। गुजरात एक सीमावर्ती राज्य है। वहां की सड़कों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए।

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपर) : आसाम में केवल एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बहुत ही खराब दशा में है। इस पर काफी धन खर्च किया गया है। पर गलत एलाइनमेंट, आदि के कारण इसकी हालत नहीं सुधरी है। कूचबिहार से शादिया जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर उसका विकास किया जाना चाहिए। इसमें अधिक खर्च भी नहीं आएगा। यह राज्य लोक निर्माण विभाग की सड़क है। इसे चौड़ी करने और जहां आवश्यक हो पुल बनाने की जरूरत है। क्षेत्रीय विकास के लिए भी यह

आवश्यक है । इसके बिना औद्योगिक, आदि विकास संभव नहीं है। यह पहाड़ी क्षेत्र है जहां बड़ी-बड़ी घाटियां हैं। लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई होती है। रस्सों और बांसों के पुल बनाकर लोग इधर-उधर जाते हैं। यह उनके जीवन-मरण का सवाल है । नागालैण्ड, कोहिमा और मोकाकचुंग जाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं। 45 कि०मी० की दूरी तय करने में छः घण्टे का समय लगता है। केन्द्र के खर्च पर बनाई बई सड़कें तथा राज्य सरकार या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गाई सड़कें भी सारे वर्ष खुली नहीं रहती । उनका सभी मौसमों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : सीमा सड़क संगठन में 40 हजार असैनिक कर्मचारी काम करते हैं । सीमा सड़कें बनाने के लिए उनकी सेवाएं जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स को दी गयी हैं। वे सैनिक अधिकारियों के अधीन गुलामों की तरह काम करते हैं। जब कभी वे शिकायत करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सेना नियमों के अधीन दण्ड दिया जाता है। उन्हें सरकार के अधीन सेवा करने वाले असैनिक कर्मचारियों की तरह स्वतंत्रता नहीं है। उनकी शिकायतों पर भलीभांति ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में कोटा आरक्षित है। गत 30 वर्षों से विशेषकर 1962 के बाद सीमा सड़क संगठन में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के लिए असैनिक कर्मचारियों की भरती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुचचित जनजातियों के लिए अरक्षित कोटा पूरा नहीं किया गया है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का एक भी व्यक्ति भरती नहीं किया गया है। सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले व्यक्ति अपने सम्बन्धियों और गांव के लोगों को इस संगठन में काम दिलाते हैं और इस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया जाता है। अतः मेरा अनुरोध यह है कि सीमा सड़क संगठन में व्यापक सुधार किया जाना चाहिए।

तेजपुर में 'ईस्टर्न बेस वर्कशाप' में असैनिक कर्मचारी सेना के कमांडरों के अधीन गुलामों की तरह काम करते हैं। मैं उनकी कठिनाइयों को भलीभांति जानता हूं। इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। इन असैनिक कर्मचारियों को अन्य असैनिक कर्मचारियों की भांति विशेषाधिकार मिलने चाहिएं यद्यपि ये असैनिक कर्मचारी 10-15 वर्षों से काम कर रहे हैं, फिर भी अस्थायी हैं। इस पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए और इन कर्मचारियों के साथ समुचित व्यवहार किया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के पार राज्य के इन दोनों भागों को मिलाने वाली कोई सड़क नहीं है । ब्रह्मपुत्र नदी पर तेजपुर—सिलघाट पुल का निर्माण करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए। यह मांग बहुत समय से की जा रही है। इस पुल के निर्माण पर 27 करोड़ रुपये खर्च होंगें। चूंकि यहां सड़कें नहीं हैं, इसलिए आसाम तथा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचार का एकमात्र साधन ब्रह्मपुत्र नदी है । 1950 के भूकम्प के बाद यह नदी उथली हो गई है। गोहाटी में दो ड्रेजर कई वर्षों से बेकार पड़े हैं, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए चालक तथा अन्य तकनीशयन नहीं हैं। डिब्रूगढ़ तक यह नदी जल परिवहन के योग्य है। यदि वहां कुछ प्रयास किया जाए तो उसे जल यातायात के योग्य बनाया जा सकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछड़े राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया प्रावधान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है । इनके विकास के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरुपत्तूर) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । तमिलनाडु सड़क परिवहन के मामले में अन्य राज्यों से आगे है । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि

समुद्री तूफान के कारण वहां सड़क सम्पर्क टूट गया है । राजमार्गों के मामले में लगभग 20 से 35 करोड़ रुपए की क्षति हुई है । यद्यपि अनुदान की राशि बहुत कम है, तथापि तमिलनाडु में राजमार्गों और सड़कों की देखभाल की जानी होगी । तमिलनाडु राज्य के मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने वाले लोगों को परमिट दिये जायेंगे । तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यह पहली बार किया गया है । मेरा सुझाव यह है कि यह तरीका समूचे देश में अपनाया जाना चाहिए । हमारे उद्योग और अन्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर निर्भर हैं।

यह बड़ी खुशी की बात है कि परिवहन और नौवहन विभाग को प्रमुख क्षेत्र में शामिल किया जाएगा । ऐसा शीघ्र ही किया जाना चाहिए । देश में यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है । यह रोजगार के बहुत अवसर जुटा रहा है । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र को पर्याप्त अनुदान और धन नहीं दिया गया है । मेरा जनता सरकार से अनुरोध है कि वह योजना आयोग को इसे प्रमुख (कोर) क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश करे।

1975 के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में वाहनों की संख्या 23.5 लाख थी जो प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे 3 वाहन हैं जबकि थाईलैंड में यह संख्या 24 और जापान में 237 है। इस संबन्ध में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है।

1975–76 में परिवहन विभाग से आय 1320 करोड़ रुपये हुई जबकि केन्द्र और राज्यों का खर्च 320 करोड़ रुपये हुआ । इस तरह से शुद्ध लाभ 1,000 करोड़ रुपये हुआ । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार देश की परिवहन और राजमार्ग संबंधी आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है ।

मंत्री महोदय ने समुद्री तूफान से क्षतिग्रस्त विशाखापत्तनम पत्तन देखा है । मेरा अनुरोध है कि वह नागापट्टिनम, पांडिचेरी और कुडडालोर भी आकर देखें । इन स्थानों को तूफान से काफी क्षति हुई है । नागापट्टिनम पत्तन की मरम्मत करने के लिए समुचित कदम उठाये जाने चाहिएं जिससे इस पत्तन से निर्यात-कार्य सुचारु रूप से होने लगे ।

डा० श्री निवासन ने, जो यातायात के मामले में विशेषज्ञ हैं, सुझाव दिया है कि 5300 से 10000 तक राष्ट्रीय परमिट शीघ्र दिये जाने चाहिएं । मेरी समझ में नहीं आता है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें ये परमिट क्यों नहीं दे रही हैं ? यदि ये परमिट दे दिये जायें तो कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है । राज्य सरकारों को कहा जाना चाहिए कि वे पिछली सरकार की तुलना में 100 प्रतिशत राष्ट्रीय परमिट दें । परमिट देने में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए ।

श्री शशांकशेखर सान्याल (जंगीपुर) । जब यह कहा गया है कि फरक्का परियोजना का एक अंग है तो इस संबंध में अभी तक कुछ क्यों नहीं किया गया है ? यदि राष्ट्रीय बन्दरगाह का उपयोग किया जाएगा तो हल्दिया, कलकत्ता और फरक्का में आधुनिक जहाज, विद्युत चालित यान, स्टीम बोट आ जा सकेंगी और यात्री तथा माल यातायात अधिक तेजी से होगा । फरक्का से इलाहाबाद तक जहाज चल सकते हैं । परन्तु अब कहा जाता है कि यहां जहाज नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार 40,000 क्यूजेक पानी प्राप्त करने में सफल हो गयी थी । इसका परिणाम यह हुआ कि बहाव कम हो गया । यदि हम चैनलों के माध्यम से जाने वाले पानी का बहाव कुछ कम करेंगे तो कलकत्ता और हल्दिया अथवा कम से कम कलकत्ता से हल्दिया तक काफी मात्रा में पानी का बहाव होगा और फरक्का से हुगली तक नदियों के तट के दोनों ओर कारखाने और मिलें काफी संख्या में लग जायेंगी ।

अब सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० निगम सुन्दरबन से आसाम और बंगलादेश तथा उससे भी आगे नदी मार्ग के साथ-साथ माल और यात्री यातायात चालू रखने के लिए सरकार से सुविधाओं की मांग कर रहा है । इन जल-मार्गों से हम अन्तर्राष्ट्रीय संबंध बना सकते हैं । परन्तु इस संबंध में कुछ काम क्यों नहीं किया जा रहा है ? मेरा निवेदन यह है कि जब एक बार काम शुरू किया गया है तो इस परियोजना को बेकार रखना तथा उस पर धन बर्बाद करना क्या अपराध नहीं है ?

बम्बई में माल लादने और उतारने के लिए मालभाड़ा बहुत कम है । इसलिए बम्बई में बिकने वाला माल उत्तर प्रदेश समेत पूर्वी और पूर्वोत्तर भाग में बिकने वाले माल में सस्ता होता है । ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि मालभाड़ा हमें अधिक देना होता है । निगम को इस मामले पर विचार करना चाहिए । इससे रोजगार की स्थिति अच्छी हो जाएगी ।

श्री बी० के० नायर (माबेलिकरा) : हमारे यहां परिवहन के तीन साधन हैं---रेल, सड़क और नौवहन । परन्तु इन तीनों साधनों के बारे में नीति स्पष्ट नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस ने जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के बारे में कहा है । ये केन्द्र पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे । परन्तु इसके लिए परिवहन एक बुनियादी सुविधा है जिसकी व्यवस्था की जानी होगी ।

देश में रेल परिवहन व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता है जो अपेक्षाकृत महंगा है । उद्योगों के विकास के लिए हमें परिवहन व्यवस्था में सुधार करना होगा । कृषि विकास की योजनायें भी चल रही हैं परन्तु पर्याप्त सड़क और रेल प्रणाली के बिना हम अपना सामान कैसे ढो सकेंगे ? परिवहन प्रणाली का विकास पहले पिछड़े राज्यों और पिछड़े जिलों में किया जाना चाहिए । परन्तु हम इस संबंध में काफी पीछे हैं । आज भी परिवहन विकास के संबंध में कोई नीति नहीं है ।

जब तक सरकार परिवहन विकास के संबंध में अपनी नीति निर्धारित नहीं करेगी तब तक हमारे विकास संबंधी अन्य कार्यक्रमों में उतनी प्रगति नहीं होगी जितनी हम चाहते हैं ।

केरल एक छोटा राज्य है । यहां रेल परिवहन व्यवस्था बहुत कम है । अब यहां उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं । रेल मंत्री का कहना है कि जब तक वहां विकास नहीं होगा तब तक रेल परिवहन व्यवस्था कैसे जुटायी जा सकती है । मेरा निवेदन है कि पहले वहां एलेप्पी–एरणाकुलम लाइन बनाई जाये । पहले रेल परिवहन व्यवस्था जुटाने को प्राथमिकता प्रदान की जाये ।

रेल परिवहन के संबंध में केरल राज्य ने केन्द्रीय सरकार को कुछ योजनाएं भेजी हैं । 6 उपमार्गों के लिये योजनाएं भेजी गई हैं । ये उप-मार्ग जनसंख्या वाले मार्गों से हट कर बनाये जाने हैं । यह प्रस्ताव पिछले पांच वर्षों से सरकार के पास पड़े हैं । अभी हाल में ही केरल से संसद् सदस्यों ने इस संबंध में एक याचिका प्रस्तुत की है और हम प्रधान मंत्री जी से भी मिले हैं । किन्तु प्रधान मंत्री कहने लगे कि इसके लिये राज्य को अपने संसाधनों में से व्यवस्था करनी चाहिये । किन्तु राज्य में संसाधान सीमित हैं । अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करें ।

बम्बई को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग 17 और 47 को पुनर्निर्धारित कर दिया जाये तो यह एक राष्ट्रीय उपलब्धि होगी जिससे देश की अखण्डता को बल मिलेगा और परिवहन सुविधाओं में वृद्धि होगी जिससे वस्तुओं का लाना ले जाना सुगम हो जायेगा । मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री इस पर पुनः विचार करेंगे और इसकी व्यवस्था करेंगे ।

जहाजरानी का अधिकतर भाग निजी क्षेत्र में है किन्तु फिर भी जहाजरानी निगम के अपनी भूमिका है । वैसे तो संसार भर की जहाजरानी संकट से गुजर रही है । इसका कारण तेल की

कीमतों में वृद्धि और अन्तर-राष्ट्रीय मन्दी है । हमें भी इस कारण से हानि हो रही है । यद्यपि फिर भी भारत में जहाजरानी के क्षेत्र में काफी कुछ किया जाना शेष है । भारतीय जहाजरानी निगम काफी अच्छा कार्य कर रही है किन्तु फिर भी भारत सरकार दो बातों पर ध्यान दे सकती है । एक बात तो यह है कि भारत औद्योगिक विकास और निर्यात में वृद्धि कर रहा है, हम गेहूं और खाद्यान्नों का निर्यात कर रहे हैं ।

हमें पता है कि जब अमेरिका ने हमें गेहूं दिया था तो उन्होंने इसे दान की संज्ञा दी थी किन्तु वह इतना घटिया किस्म का गेहूं था कि अमेरिका ने उस गेहूं को अपने ही जहाजों में भेजना चाहा था क्योंकि जो उन्हें गेहूं देने में हानि हुई वह घाटा उन्होंने जहाज के किराये में से निकाल लिया । जब रूस से उधार लिया हुआ गेहूं हम वापस करना चाहते थे तो रूस ने जिद की थी कि वह गेहूं अपने ही जहाजों में ढोयेगा । अतः चाहे कोई देश पूंजीवादी है अथवा समाजवादी सभी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वह अपने व्यापार और लाभ को स्वयं देखेंगे । अतः हमें भी इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जो भी हम सामान बाहर निर्यात करेंगे वह अपने ही जहाजों में करें । इसके लिये हमें जहाजरानी कम्पनियों को राज सहायता देनी चाहिये और अगर हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे ही हक में होगा ।

केरल में अनेक छोटे-छोटे पत्तन हैं किन्तु बड़ा पत्तन है कोचीन । कोचीन पत्तन एक बड़ा ड्रेजर था जो गत फरवरी को समुद्र में डूब गया । उसे निकालने के प्रयास किये जाने चाहियें और उसे पुनः सेवा लायक बनाया जाये ।

अलेप्पी का पुल 60 से 70 वर्ष पुराना है । यह पुल अब काम में आने लायक नहीं रह गया है इसलिये माल का लाना ले जाना बहुत कठिन हो रहा है । इसके परिणामस्वरूप 3000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं । केन्द्र सरकार को पुल की मरम्मत के कार्य में राज्य सरकार की तत्काल सहायता की जानी चाहिये ।

केरल के जलमार्ग भी प्रयोग के काबिल नहीं हैं क्योंकि उनमें काफी गाद भरने के साथ काफी अपतृण भी उग आए हैं । देश के मुख्य जलमार्गों के विकास, मरम्मत और रख-रखाव की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए । केन्द्र सरकार को इस संबंध में संबद्ध राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए । साथ ही मैं यह बात दोहराना चाहूंगा कि हमें अपना आयात और निर्यात व्यापार को अपने ही जहाजों के माध्यम से करना चाहिये ।

श्री बापू साहिब पखलेकर (रत्न गिरि) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए प्रतिनिधित्व के बारे में प्रतिवेदन में बहुत निराशाजनक चित्र खींचा गया है । यह सबसे अधिक निन्दनीय बात है। मैं चाहता हूं कि अगले वर्ष मंत्रालय का इस विशिष्ट संदर्भ में कार्य निष्पादन अच्छा रहना चाहिए । जहां तक अन्तर्देशीय जल परिवहन का संबंध है इसका निष्पादन बहुत अधिक उत्साह-जनक नहीं रहा है । पटना और गाजीपुर के बीच गंगा पर जो नदी सेवाएं उपलब्ध थीं उन्हें 31-10-77 से समाप्त कर दिया है । कलकत्ता करीमगंज–कलकत्ता और कलकत्ता धुबरी–कलकत्ता मार्गों को भी बन्द किया जा रहा है क्योंकि इस मार्गों पर सेवाएं लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई हैं पर इसका परिणाम यह होगा कि 631 व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे । इन सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं के रूप में चलाया जाना चाहिए ना कि वाणिज्यिक उपक्रमों के रूप में ।

काल गांग और कारागोला के बीच क्राफ्ट टैंकर को उतरने की सेवाएं जोकि 23-5-76 से शुरू की गई थी वे भी 30 जून, 1978 से बन्द कर दी जाएंगी । मेरा सुझाव है कि अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास किया जाए क्योंकि नदी के आर-पार रहने वाले लोगों के पास परिवहन का और कोई साधन नहीं है ।

परिवहन के तीनों साधनों के बीच समन्वय चाहिए। कई स्थानों पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में दूसरे परिवहन साधन के लिए रातरात भर रुकना पड़ता है। सरकार को एक राष्ट्रीय परिवहन नीति अपनानी चाहिए ताकि परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच कुछ समन्वय स्थापित हो सके। मैट्रोपोलिटन परिवहन के लिए भी एक योजना होनी चाहिए।

देशी जलयानों में काम कर रहे लोगों के लिए अनिवार्य बीमा योजना होनी चाहिए।

प्रतिवेदन में कहा गया है मुगल लाइन्स द्वारा चलाई जा रही यात्रा सेवा को अनाधिक भाड़े ढांचे के कारण घाटा हो रहा है। लेकिन यह बात सही नहीं लगती। 1973 में इस लाइन का राष्ट्रीयकरण किया गया था और राष्ट्रीयकरण के एक वर्ष के भीतर किराए में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस संबंध में पूछे गए अतारांकित प्रश्नों के उत्तर इसके प्रमाण हैं। इस वृद्धि के बावजूद भी लोगों को कोई सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही। इस संबंध में एस० सी० आई० के चेयरमैन द्वारा दिए गए सुझावों को क्रियान्वित किया जा सकता है। यदि इस लाइन पर कुछ घाटा हो रहा है तो उस घाटे का वहन महाराष्ट्र सरकार, गोआ सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा 40,35 और 25 के अनुपात में किया जाता है। इस पर भी महाराष्ट्र राज्य के लोगों को क्या लाभ पहुंचाया गया है। अस्थायी पत्तनों की संख्या भी 20 से घटाकर 4 कर दी गई है। पिछले अक्तूबर से जहाज रत्नगोरि को छू तक नहीं रहे हैं जिस पर भारत सरकार ने 107 लाख रुपये व्यय करके हर मौसम के लिए उपयुक्त एक बन्दरगाह बनाई है।

गाँवों में हस्तकला का काम करने वालों के लिये एक अनिवार्य बीमा योजना होनी चाहिये। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुगल लाइन्ज़ द्वारा चलायी जा रही यात्रा सेवा में अलाभकारी भाड़ा होने के कारण घाटा हो रहा है। यह उचित प्रतीत नहीं होता।

इस लाईन का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था और एक के अंदर पाँड़े वर्षों में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। इस वृद्धि के बावजूद भी लोगों को कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं हो रही थी।

इस संबंध में एस० सी० आई० के अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह द्वारा दिये गये सुझावों को भी कार्यान्वित किया जायेगा। इस लाईन पर यदि कोई घाटा होता हो तो उसे महाराष्ट्र, गोआ तथा केन्द्रीय सरकारें 40,35 तथा 25 के अनुपात से सह रही हैं। महाराष्ट्र के लोगों को इसके बदले में क्या मिल रहा है। पत्तनों की संख्या घटाकर 20 से 4 कर दी गयी है। पिछले अक्तूबर से जहाजों ने रत्नागिरी को छुआ तक नहीं जहाँ भारत सरकार ने हर मौसम का पत्तन बनाने के लिये 107 लाख रु० व्यय किये हैं। असली कारण यह प्रतीत होता है कि जहाज बहुत पुराने हो गये हैं। उसमें बहुत ईंधन लगता है और उसमें कई बार खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। वहाँ बिना टिकट यात्रा की कोई जाँच पड़ताल नहीं होती थी। इन सब बातों के कारण घाटा हुआ और घाटा अलाभकारी भाड़े के ढांचे के कारण नहीं हुआ। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन सब पहलुओं पर विचार करे और शीघ्र ही मुगल लाईन्ज को आदेश दे कि वह उन सभी पत्तनों को ले ले, जो मई, 1977 से पहले इसके पास थे।

Shri Padmacharan Samantasinkar (Puri) : Sir, I welcome the demands from grants and I want to congratulate the honourable minister that he has brought forward something new. But the implementation of this should not be neglected.

It has been stated that a sum of Rs. 1349.95 crores was sanctioned as loan from the Shipping Development fund but its disbursement is very meagre. It is only Rs. 635 crores of rupees. What is the reason for which the sanctioned loan has not been fully disbursed.

We have been told that the Shipping Corporation of India is running in loss. Some measures should be taken to remedy the situation because the transport facilities are in much need for the purpose of every kind of development.

I suggest that Government should have co-ordinated and general policy. It has also been said that Moghul lines are also running in loss. What are the reasons for it ? The fare has been raised by 25 per cent. Even then, loss is being incurred. It reason seems to be mismanagement. The honourable minister should pay attention towards it.

The Inland Transport Corporation has suffered 21 crores of loss immediately after its inception in 1967. The management of the corporation should be improved and toned up. A shipbuilding plant should be set up at Paradip port in Orissa. The honourarable minister should honour his commitment made in this regard.

Paradip Port was handed over to the Central Government on 1969 and since then, the Orissa Government have spent 15 crores of rupees thereon. But even after 10 years this money has not been returned. It should be returned to Orissa Government.

In 1977, a sample survey was conducted and it was found that 92 percent of rural people in Orissa State are living below the poverty line.

कांग्रेस के शासन में जबकि 1974–75 में 65 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे से रह रहे थे किन्तु 1975–76 में यह संख्या 78 प्रतिशत हो गई और 1977–78 में 85 प्रतिशत से बढ़ कर अब 92 प्रतिशत हो गई है ।

In the provision included for the development of ports for 1977-78, Paradeep port does not figure there. The Minister should pay attention to this.

More funds should be provided for the development of minor ports including Chandpur, Dhmara and Gopalpur. Gopalpur is a port from which import and export trade is carried.

No action has been taken on the report of the Bhagvati Committee which submitted its report to Government in 1970. The working of the Inland water Transport should be improved by implementing Bhagavati Committee recommendation.

Action should be taken to increase the road kilometrage in Orissa as the all India average is less than fifty per cent there. The national highway connecting Khargpur and Calcutta *via* Baleshwar should be repaired. This will reduce the distance by 64 K.M. and the daily loss worth about one lakh of rupees will also come down.

The work on the Subernarekha bridge is also progressing at a snails' pace, although sufficient funds have been allocated for the same. The construction work should be stepped up.

Bridges should be constructed on the Brahmani and Vaitarani rivers to link the Chandwali and Cuttack. A bridge should also be constructed over the Mahanadi so as to link Cuttack-Bodh Road. A policy should be adopted to provide all weather roads linking state and districts headquarters. An all-weather road should be constructed liking Baleshwar-Jaleshwar-Kharagpur and Calcutta.

डा० हेनरी आस्टिन (एर्नाकुलम) : आपने समय-सीमा बाँधी है जिसे हमने स्वीकार किया है उसे देखते हुए, मैं अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त में कहूंगा ।

(श्री एन० के० शेजवाल्कर पीठासीन हुए)

(SHRI N. K. SHAJWALKAR IN THE CHAIR)

अभी कुछ ही दिन पहले हमारा एक बेहतरीन ड्रेजर लार्ड विलिंगडन कोचीन पत्तन के पास ही डूब गया । उसकी जाँच का आदेश दिया गया था । पर मालूम नहीं उसका क्या हुआ । ऐसी आफवाह है कि इस जहाज को बारूद से उड़ाने का विचार है क्योंकि वह कार्य नहीं कर रहा है । इस बात को लेकर नौवहन और बन्दरगाहों से सम्बद्ध लोगों में काफी रोष और असन्तोष है । राज्य के और देश के लोगों को इस सम्बन्ध में आशंका को दूर करने के लिए मंत्री जी एक बयान दें ।

कोचीन बन्दरगाह देश के प्राकृतिक बन्दरगाहों में एक बहुत ही अच्छा बन्दरगाह है । पर इसकी उपेक्षा की जा रही है । यह ठीक नहीं है । इस बन्दरगाह को अन्य बन्दरगाहों के समकक्ष जाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए । अब कोचीन के उत्तर में मंगलौर और दूसरी ओर तूती-कोरन बन्दरगाह बन गए हैं । इससे लोगों में यह आशंका पैदा हो गई है कि इससे कोचीन का महत्व बहुत कम हो जाएगा । कोचीन समेत तीनों बन्दरगाहों का विकास किया जाना चाहिए । इसी संदर्भ में एक सुपर टैंकर बर्थ परियोजना की परिकल्पना की गई थी और यह घोषणा की गई थी कि यह परियोजना एक वर्ष में पूरी हो जाएगी । प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि परियोजना आरम्भ हो चुकी है तथा इस पर 2 करोड़ रुपया खर्च भी किया जा चुका है । पर यह अभी भी अधर में लटकी हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना का क्या हुआ । लोगों की आशंका को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।

मूथाकुन्नम–बलियापनिकन्युरुथु–मनियोक्कम राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल के बारे में हमारे पास एक के बाद एक पैम्फलेट्स आ रहे हैं, मूल सर्वेक्षण के अनुसार, यदि गोथुरुथि–कोट्टापुरम् पुल संबंधी मूल प्रस्ताव पर अमल किया होता तो उक्त पुल की लम्बाई 850 मीटर से घटाकर 316 मीटर की जा सकती थी । हम जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में इस पुल की लम्बाई इतनी रखी गई । साथ ही कोचीन बाइ-पास का काम, जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए ।

श्री चांद राम : धन का अभाव नहीं है । यह राज्य का काम है।

डा० हेनरी आस्टिन : एशियन राजपथ अब लगभग पूरा होने वाला है । सरकार यह सुनिश्चित करे कि यह राजपथ भारत की पूर्वी सीमा तक लाया जाये जिससे भारत और बर्मा के बीच सड़क कार्य स्थापित हो सके और हम बर्मा होते हुए सीधे थाइलैंड तक जा सकें । इस परियोजना को शीघ्र हाथ में लिया जाना चाहिए ।

पश्चिमी तटीय सड़क भी पूरी होने वाली है और कुछ पुलों के निर्माण कार्य के पूरा होते ही बम्बई-कन्याकुमारी सड़क भी पूरी हो जाएगी । पर इसे कन्याकुमारी पर ही समाप्त नहीं किया जाना चाहिए । इसे त्रिपुरा और उससे भी आगे तक बनाया जाना चाहिए ।

आज सरकार ग्रामीण विकास की बात कर रही है । पर जब तक हम इन क्षेत्रों में सड़कों का जाल नहीं बिछा देते तब तक यह संभव नहीं है । सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए ।

रेल, नौवहन और अन्तर्राज्यीय जल परिवहन व्यवस्थाओं के बीच कोई समन्वय नहीं है । इसमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर को माल भेजने में कोई कठिनाई न हो ।

गंगा-कावेरी परियोजना पर फिर से विचार किया जाना चाहिए । इस संबंध में दस्तूर प्रतिवेदन सरकार के पास है । सभी नदियों को जोड़ने वाली इस गंगा-कावेरी परियोजना से रेल और नौवहन यातायात में काफी राहत मिलेगी ।

श्री अण्णा साहिब गोरखिण्डे (सांगली) : हमें यह कहा जाता रहा है कि वित्त मंत्रालय नौवहन और परिवहन मंत्रालय को यह सलाह देता रहा है कि वह नए राष्ट्रीय राजपथ बनाने संबंधी अपने प्रस्तावों को फिलहाल स्थगित रखे । अतः मैं जानना चाहता हूं कि जनता सरकार का राष्ट्रीय राजपथों के बारे में क्या दृष्टिकोण है । इन पथों के लिए आगामी योजना में कितना प्रावधान सारे देश के

लिए राज्यवार, रखा गया है । इस संबंध में सारा ब्यौरा दिया जाए जिससे कि लोगों की यह आशंका दूर हो कि यह सरकार इस महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू की उपेक्षा कर रही है । राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि रत्नागिरी कोल्हापुर-सांगली-मिराज-शोलापुर-उस्मानाबाद-नानदेड-यवतमाल-नागपुर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया जाए । यह सड़क कांकण और मराठवाड़ा तटीय क्षेत्र को विदर्भ से जोड़ती है । सरकार इस कार्य को स्वीकृति प्रदान करे । राष्ट्रीय परमिट देने की सरकार की निती बहुत अच्छी है। सभी राज्य सरकारों ने इसके प्रति उत्सुकता दिखाई है । पर महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि मोटरगाड़ियों की संख्या के आधार पर परमिट दिये जाएं। अतः राज्य को राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार यथाशीघ्र और परमिट जारी किए जाएं ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : परिवहन चाहे वह सड़क परिवहन हो या रेल देश के विकास का महत्वपूर्ण साधन है । व्यापार, वाणिज्य सभी इस पर निर्भर हैं । पर खेद की बात है कि सड़कों के निर्माण का कार्य लोगों की जरूरतों के अनुकूल नहीं हो पाया है । इस संबंध में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे पूर्ण नहीं हो पाए हैं । तीसरी योजना के बचे हुए कार्य पाँचवीं योजना के अन्त तक भी पूरे नहीं किये गए । लोक लेखा समिति ने भी इस बारे में टिप्पणी की है । वर्ष 1977–78 के लिए निर्धारित लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है । एक सड़क को दूसरी सड़क से मिलाने वाली लिंक सड़कों बाई-पसों और डाइवरसनों के लिए निर्धारित 160 कि० मी० के लक्ष्य में से केवल 70 कि० मी० सड़कें ही बन पाई हैं।

चम्बल नदी पर पुल दिसम्बर, 1959 में बन कर तैयार हुआ था और इसे मार्च, 1960 में यातायात के लिए खोला गया था । जब यह पुल बन ही रहा था कि वहाँ से भारी मात्रा में सीमेंट तथा अन्य सामान की चोरी और निम्नस्तर के कार्य की बात ध्यान में लाई गई । इन शिकायतों की एक तकनीकी विशेषज्ञ ने जाँच की थी, वह ऊपर से दबाव डलवाया गया तथा कोई कार्यवाही नहीं हुई । बाद में यह पुल टूट गया । फिर एक विशेषज्ञ समिति बनी पर कोई बात नहीं बनी। इस पुल की मरम्मत के लिए 297.23 लाख पये का ठेका दिया गया । इस प्रकार इस कार्य में काफी कदाचार हुआ । बहुत अधिक धन खर्च हुआ जिसका गोलमाल किया गया। पुल के दोषपूर्ण निर्माण के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इस संबंध में जिस इंजीनियर ने जानकारी दी थी उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई । यहाँ तक कि पागलखाने में भी रखा गया जिससे कि उसे पागल साबित किया जा सके । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि वह इस मामले की खुफिया विभाग द्वारा पूरी जाँच कराएं, नहीं तो इस मामले को खत्म करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किए जाएंगे ।

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को शुरू करते हैं ।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपूरी): महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । 17 मार्च की गैर-सरकारी सदस्यों की सूची में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प में मेरा नाम श्री एस० डी० सोमसुन्दरम के साथ था । परन्तु आज की कार्य-सूची में मेरा नाम नहीं है ।

सभापति महोदय : नियम के अनुसार जब एक बार संकल्प सभा में पेश हो जाता है तब प्रस्तावक का नाम ही आगे की सूची में लिखा जाता है । शुरू में एक से अधिक सदस्यों के नाम थे, क्योंकि जिसका नाम सूची में पहले होता है और यदि वह उपस्थित नहीं है तो सूची में दूसरे नम्बर पर जो सदस्य है वह संकल्प पेश कर सकता है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

15वां प्रतिवेदन

श्री निर्मल चन्द जैन (सिवनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 15वें प्रतिवेदन से, जो 29 मार्च, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 15 वें प्रतिवेदन से, जो 29 मार्च, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was Adopted

अंग्रेजी को अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनाये रखने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: CONTINUANCE OF ENGLISH AS ADDITIONAL LINK LANGUAGE

सभापति महोदय : सभा में अब श्री एस० डी० सोमसुन्दरम द्वारा 17 मार्च, 1978 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा होगी :—

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह पण्डित नेहरू द्वारा संसद् को दिये गये इस दृढ़ आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए संविधान में संशोधन करे कि सम्पर्क भाषा हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा भी तब तक अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनी रहेगी जब तक अहिन्दी भाषी लोग चाहेंगे ।"

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : हमें भाषा के बारे में भावात्मक आधार पर विचार नहीं करना चाहिए । मैं स्वर्गीय महात्मा गांधी की इस बात से सहमत हूं कि एक दिन हिन्दुस्तानी ही स्वतन्त्र भारत की भाषा बनेगी । परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दी भाषा को कामकाज में इस ढंग से अपनाया गया कि देश के अहिन्दी भाषी लोगों में यह भावना उत्पन्न हो गयी कि जैसे वह भारत के दूसरे दर्जे के नागरिक हों । अहिन्दी भाषी लोगों की भावनायें पहले ही हिन्दी थोपे जाने के विरुद्ध भड़क रही हैं । अतः हिन्दी भाषा अपनाने के बारे में अनावश्यक जोश दिखाने की अपेक्षा इस समस्या का कोई व्यावहारिक हल ढूंढ़ा जाना चाहिए । काफी समय पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में बने रहने के साथ-साथ अंग्रेजी भी तब तक अतिरिक्त भाषा बनी रहेगी जब तक अहिन्दी भाषी लोग इसे चाहेंगे । उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही हम विश्व के लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित रख सकते हैं ।

इस समस्या का इस समय व्यावहारिक हल केवल यही हो सकता है कि पहले हम श्री जवाहरलाल नेहरू के सूत्र को जारी रखें तथा दूसरी बात यह है कि 1961 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जिस त्रिभाषा सूत्र के बारे में निर्णय किया गया था, उसे लागू किया जाये । बेल्जियम में, जो कि एक छोटा देश है, दो भाषाएं हैं । स्विटजरलैंड में चार राज भाषाएं हैं । फिर हम अपने देश में सरकारी कार्य के लिए 2 भाषायें क्यों नहीं रख सकते ? और जब यह कहा जाता है कि अंग्रेजी भारत की भाषा

नहीं है तब क्या हम आंग्ल-भारतीयों की भावनाओं पर चोट नहीं करते हैं । आंग्ल-भारतीयों की मातृ-भाषा अंग्रेजी है । अतः मैं यह चेतावनी देता हूं कि हमें जल्दबाजी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की एकता पर आघात पहुंचे।

वर्तमान परिस्थितियों में जब तक हम त्रिभाषा सूत्र नहीं अपना लेते, जब तक हम राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का कोई हल ढूंढ़ नहीं लेते, तब तक हमें पंडित नेहरू द्वारा संसद में दिए गए आश्वासन को ही कार्यान्वित करना चाहिए।

अतः मैं इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं और इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस महान देश की एकता और अखण्डता के लिए इस संकल्प को स्वीकार करे।

***श्री एन० कुदनतई रामलिंगम (मयूरम)** : सभापति महोदय, भाषा राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण साधन है । जनता सरकार में कुछ मंत्री तो नेहरू के आश्वासन का आदर करते हैं, जबकि कुछ मंत्री उनकी आलोचना करते हैं । हमें आशंका है कि भाषा के संबंध में नेहरू के आश्वासन की पूर्णरूपेण अवहेलना की जा सकती है । इसीलिए हम चाहते हैं कि इस आश्वासन को सांविधिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया जाये।

प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने हाल ही में कोयम्बतूर में कहा कि हिन्दी अहिन्दी भाषी लोगों पर थोपी नहीं जाएगी । उन्होने यह भी कहा कि 60 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते हैं । अहिन्दी भाषी लोगों की देशभक्ति उन्हें हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित करेगी । मैं उनसे पूछता हूं कि क्या राष्ट्रीय एकता कायम करने का यही तरीका है ? क्या इसका मतलब यह है कि वे लोग जो यह चाहते हैं कि अंग्रेजी बनी रहे, कम देशभक्त है और हिन्दी थोपने वाले अधिक देश भक्त हैं । हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार 36 करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं । संविधान सभा की भाषा समिति के एक सदस्य श्री सत्यनारायण ने एक बार कहा था कि खड़ी बोली केवल 2 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है । अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बनाने के लिए हिन्दी में अनेक बोलियां मिली हुई हैं ।

1972 के एक प्रकाशन के अनुसार 1971 की जनगणना के मुताबिक 16.25 करोड़ लोग, अर्थात् 28% लोग देश में हिन्दी बोलते हैं । परन्तु इन 16.25 करोड़ लोगों द्वारा 47 बोलियां बोली जाती हैं । इस दृष्टि से यह दावा करना सही नहीं है कि 36 करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं । अतः भाषा का मामला सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझाया जाना चाहिये।

अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और यह भारतीय संस्कृति का एक अंग बन गयी है । नेहरू के आश्वासन के अनुसार भाषा का चयन करने में हमें सांविधिक गारंटी मिलनी चाहिए।

Prof. P. G. Mavlankar (Gandhinagar) : Mr. Chairman, I consider it necessary that Hindi should be propagated and promoted but the question is as to how it should be promoted. It cannot be imposed. People can be persuaded only to learn Hindi. This is a basic question, as what has been done to teach Hindi during the period of 30 years ?

हम अंग्रेजी इसलिए चाहते हैं, क्योंकि हिन्दी को इस देश के सभी हिस्सों में नहीं अपनाया गया है।

हम अंग्रेजी भाषा और इसकी संस्कृति के खिलाफ नहीं है । ऐसा तो स्वतन्त्रता से पहले था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्थिति बदल गयी है । फिर अब हिन्दी अंग्रेजी विवाद क्यों हैं ? अगर अंग्रेजी

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

को बदलना इतना आसान होता तो हमारे संविधान निर्माता उसी समय हिन्दी की व्यवस्था कर देते । लेकिन वे बहुत ही व्यावहारिक और विचारशील व्यक्ति थे । इसीलिए उन्होंने कतिपय सांविधानिक उपबन्ध किए थे और 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोग करने की बात का उल्लेख किया था । तथा कतिपय शर्तों के साथ इसके बाद तक भी इसके प्रयोग करने की व्यवस्था कर दी थी । जब ऐसी बात है तो जब तक हिन्दी देश के सभी भागों के लोगों को स्वीकार नहीं होगी तब तक अंग्रेजी जारी रहेगी ।

कुछ लोगों का कहना है कि समूचे अनुच्छेद 343 में संशोधन करने की आवश्यकता है । संकल्प के प्रस्तावक ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाये और अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में तब तक अतिरिक्त भाषा बनाये रखी जाये जब तक अहिन्दी भाषी लोग आसानी से हिन्दी न बोलने लगें । प्रस्तावक ने नेहरू के बारे में भी उल्लेख किया है । शायद इस सभा को याद होगा कि फ्रैंक एन्थनी द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी को शामिल किये जाने के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प को पेश करने के बाद उस पर चर्चा के दौरान श्री नेहरू ने कहा था कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इसलिए जारी रखा जाए, क्योंकि अंग्रेजी एक व्यावहारिक भाषा है।

पंडित नेहरू ने कहा था कि वह अंग्रेजी को तब तक बनाये रखेंगे जब तक उसे गैर-हिन्दी भाषी लोग चाहेंगे और यह निर्णय भी उन्हीं लोगों को करना होगा कि वह यह भाषा कब तक चाहते हैं । यद्यपि हिन्दी का धीरे धीरे विकास हो रहा है और जब सभी भाषाओं का विकास हो जायेगा तो वह अंग्रेजी का स्थान ले लेंगी । नेहरूजी के बाद मैं राजा जी का नाम लूंगा । राजा जी हिन्दी के पूर्ण समर्थक थे । उन्होंने ही दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की थी । हिन्दी के कट्टर समर्थकों का अति उत्साह देख कर उन्होंने **स्वराज्य** पत्रिका में सन्देश दिया था कि हिन्दी को गैर-हिन्दी राज्यों पर लादा नहीं जा सकता । पिछली संसद में भाषा का प्रश्न कभी नहीं उठाया गया। मुझे याद है हम भाषा के प्रश्न पर कभी नहीं लड़े । भाषा की बात से मुझे एक महत्वपूर्ण बात याद हो आई है कि इस सभा में कुछ भाषाओं को छोड़ कर शेष भारतीय भाषाओं के लिये दुभाषिओं की व्यवस्था नहीं की गई है । अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि दुभाषिये के पद के लिये व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं ? मैं कहता हूं कि हो भी कैसे सकते हैं यहां इतने कम वेतन पर कौन आयेगा । संयुक्त राष्ट्र संघ में दुभाषियों को 5 हजार प्रति माह वेतन दिया जाता है । यदि आप उन्हें अच्छा वेतन देंगे तो वह आगे आयेंगे। उनका कार्य बड़ा कठिन है किन्तु उन्हें वेतन बहुत ही कम दिया जाता है । उनके वेतनमानों में वृद्धि करनी होगी ताकि अधिक सक्षम और प्रबुद्ध व्यक्ति दुभाषिये के पदों के लिये उपलब्ध हो सके।

जनता दल के सदस्य देश के उत्तरी भाग से संबंधित हैं और वह इस प्रकार की बात कर रहे हैं । उत्तरी भाग देश का एक भाग है । किन्तु वह सारा देश तो नहीं हो सकता । आप इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न कर रहे हैं कि उससे देश की अखण्डता ही खतरे में पड़ जाये । दक्षिण के चुनाव परिणामों ने एक चेतावनी दी है । क्या हम यह चाहते हैं कि उसी बहाने के आधार पर देश में पुनः अधिनायकवाद आ जाये । क्या हम भाषा के प्रश्न को बहाना देकर इस प्रकार के तत्वों को पुनः उभारना चाहते हैं । हमारा देश एक संघ है और इसकी एकता में विभिन्नता है इसे बना रहने दिया जाना चाहिये। जब तक दक्षिण के लोग चाहते हैं तब तक अंग्रेजी को बने रहने दीजिये । मैं आपको हिन्दी के बारे में एक बात बताना चाहता हूं । आप दक्षिण भारत में जाकर देखिए । वहां हिन्दी भाषा खूब फैल रही है। इसे आप स्वाभाविक गति से फैलने दीजिये हमें इसे जबरदस्ती अथवा तानाशाही ढंग से नहीं फैलाना चाहिये । हिन्दी भाषी लोग ही देश भक्त नहीं बल्कि गैर-हिन्दी भाषी लोग भी देश भक्त हैं । मैं अंग्रेजी जान सकता हूं बोल सकता हूं इस कारण से मेरी देशभक्ति कम नहीं होती । अतः प्रश्न भाषा का न होकर

देश को एकता के सूत्र में रखने का है । मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि भाषा का प्रश्न क्या अविलम्बनीय है ? यदि कोई व्यक्ति हिन्दी में कहता है और कोई अंग्रेजी में कहता है कि वह गरीब है तो तथ्य यह रहता है कि वह गरीब है । वह किस भाषा का प्रयोग करते हैं महत्व इस बात का नहीं है महत्व इस बात का है कि वह गरीब है । अतः हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिये देश के माथे से गरीबी का कलंक मिटे न कि हम कृत्रिम वाद-विवाद खड़े करें और व्यर्थ में ही देश में फूट डालें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मान लीजिये सभी व्यक्ति हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, तब क्या आप कह सकते हैं कि गरीबी, बीमारी और शोषण के होते हुए भी भारत विकसित देश है । आप हिन्दी क्यों लादना चाहते हैं ? यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो मैं यह कहूंगा कि हमें प्यार से काम लेना चाहिये और शिक्षा के माध्यम से धीरे-धीरे हिन्दी को लागू करना चाहिये । हमें हिन्दी के प्रश्न पर राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये । मैं उत्तरी भारत से आई जनता पार्टी के सदस्यों के साथ हिन्दी का प्रचार करने के लिये उनका साथ दूंगा किन्तु यदि वह हिन्दी को किसी पर लादने चाहेंगे तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा । ऋगवेद, जिसका एक मन्त्र संसद की दीवारों को सुशोभित कर रहा है, वह क्या कहता है । वह कहता है कि आओ हम सब मिल कर चलें और सब मिल कर विचारें । क्यों ? क्योंकि सभी एक ही देश से सम्बद्ध हैं । भारत एक देश है भारत की एक संस्कृति है जोकि विविधताओं से भरपूर है । अतीत में भी अनेक भाषायें थी और आज भी अनेक भाषाएं हैं । भाषाओं के आधार पर देश का कभी बटवारा नहीं हुआ । हमारा देश संस्कृति पर आधारित है हमारी एकता हमारी अतीत की गौरवमयी विरासत पर आधारित है और वह उस प्राचीन संदेश पर आधारित है जो ऋगवेद में दिया गया है :—

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनासि जानताम्।

हमें आज इस वेद वाक्य से सीखना है और जनता पार्टी से यह अनुरोध करता हूं कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी को भावनाओं की ठेस पहुंचती हो।

[श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए]

[SHRI DHIRENDRANATH BASU IN THE CHAIR]

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani) : Mr. Chairman Sir, the language issue is a very serisitive issue. But I would like to submit that all the great national leaders or social reformers such as Vivekanand, Maharishi Dayanand Saraswati, Mahatma Gandhi or Netaji Subhash Chandra Bose or Ravindranath Tagore who wished to bring changes in the country, who wanted to awake the nation or worked for the spiritual, political, mental and moral upliftment of the people did not take the help of any foreign language but used Indian language. I want to say it clearly that I am not a Hindi supporter but we are anti-English and we want Indian languages in India and not a foreign language. When Sankaracharya came from South India to North India for his spiritual teaching, he took the help of an Indian language. We want that a hindustani language should be development from taking words from all Indian languages and when this language will be spoken by the people it will have its natural development. It is said that development can be achieved only through English language. But I want to say that English is not the language of USSR and China and other countries. Have they not progressed ?

It has been repeatedly said here that Hindi is a foreign language for the South Indians. I do not say that they should adopt Hindi but they should use their regional languages for official purpose. We have respect for Hindi but I have equal respect for other regional languages also. One of the honourable member has said that Harijans and other people belonging to backward classes in South India have progressed because of English language. I want to say that the harijans and other people belonging to backward classes living on the states situated on the heart of the country cannot progress due to English because they can never complete in English and so can never progress. Therefore Englith has suppressed the progress and development of such people.

I would like to point out to my South India brothers that Kamraj could not get recognition at national level and so Ramaswami Naicker. It was because they the move-

ments launched by them could not be propagated throughout India because their language was English and if he had propagated his ideals through an Indian language, that would have been better.

Leadership had been playing a double role. They had been representing the Hindi regions but in the South, they used to speak English. Thus they became leaders of both the regions. So if you want that a leader may emerge from the South, he would have to use an Indian language.

It is also said that English language is the richest language as far as the vocabulary is concerned. I challenge this contention. English language does not have more words than the Indian languages.

I want to request my South Indian brothers that they should not raise language issue because we are not supporters of Hindi but we do not support English.

श्री ए० ई० टी० बैरो: (मनोनीत--आँग्ल-भारतीय): मैं पूरे दिल से सभा के समक्ष संकल्प का समर्थन करता हूं । अंग्रेजी भारतीय भाषा है क्योंकि वह आँग्ल भारतीयों की भाषा है जो भारतीय समुदाय ही है ।

इस वास्तविक स्थिति पर न्यायालय की मुहर भी लग चुकी है । 1959 में मुख्य न्यायाधीश श्री एम० सी० छागला ने तत्कालीन बम्बई सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था ।

श्री फैंक एंथनी ने लोकसभा में एक गैर सरकारी संकल्प इस आशय का पेश किया था कि अंग्रेजी को भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल कर लिया जाये । 7 अगस्त, 1959 को वाद-विवाद का उत्तर देते हुए श्री नेहरू ने कहा था कि कोई भाषा थोपी न जाये और अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए तब तक सहभाषा के रूप में चलती रहे जब तक गैर-हिन्दी भाषी ऐसा चाहते हों । अहिन्दी मातृ-भाषा वाले लोगों ने इस उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ की इस बात का स्वागत किया था ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन अंग्रेजी उच्चतम न्यायालय की भाषा है । संसद द्वारा तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों, आदेशों और नियमों-विनियमों तथा अध्यादेशों की भाषा भी अंग्रेजी है ।

पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों जैसे मेघालय, नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश की भाषा भी अंग्रेजी है। उच्च शिक्षा भी इसी में दी जाती है ।

सन् 1962 में उच्चतम न्यायालय ने गुजरात विश्वविद्यालय के मामले में निर्णय दिया था कि उच्च शिक्षा के समन्वय और स्तर को बनाए रखने के लिए अंग्रेजी को ही माध्यम बनाया जाना चाहिये। चिकित्सा शिक्षा के लिए भी अंग्रेजी ही अपनाने का संकल्प भारतीय चिकित्सा परिषद् ने पारित दिया है।

मैं इस बात का खण्डन करना चाहता हूं कि भारत में केवल 2 प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी जानते हैं । सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर तक लगभग 250 लाख विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं । सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक कारणों से अंग्रेजी 300 वर्षों से देश की सम्पर्क भाषा के रूप में काम कर रही है । इसे उसी रूप में चलने देना चाहिए । अंग्रेजी आंग्ल भारतीयों की तो मातृभाषा है पर दूसरे लोगों की दूसरी भाषा भी है । प्रथम और द्वितीय भाषा में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए । हम सभी लगभग द्विभाषी हैं । हमारे करोड़ों देशवासी द्विभाषी हैं।

जनता पार्टी के कुछ नेताओं के कथनों और रवैये को देखते हुए गैर-हिन्दी भाषी लोगों को यह आश्वासन दिया जाए कि संविधान में संशोधन द्वारा अंग्रेजी सहभाषा एवं सम्पर्क भाषा बनायी जाएगी। यही आश्वासन उन्हें आश्वस्त कर सकता है । उन पर हिन्दी थोपी जा रही है । इससे लोग विभाजित हो सकते हैं । देश की उन्नति प्रगति और एकता के हित में हमें अंग्रेजी को बनाए रखना चाहिए।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : सभापति महोदय, इस संकल्प द्वारा कोई ऐसी मांग नहीं की जा रही जो इस सभा ने पहले न मानी हो और यही एक तरीका है जिससे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि के कारण अंग्रेजी को ही एकमात्र सम्पर्क भाषा मान लिया था । उन्हें पता था कि अन्यथा देश की एकता को खतरा पैदा हो सकता है । इस स्थिति को स्वीकार किया जाना चाहिए कि हम भारतवासी अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं और हमारा अलग-अलग अस्तित्व है । इतिहास साक्षी है कि अंग्रेजी हम पर 200 वर्षों तक थोपी गई क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज हो गया । पर रेलों, संचार साधनों आदि का निर्माण कर उन्होंने देश की एकता को बनाए रखा । अंग्रेजी ही के कारण केन्द्रीय प्रशासन का काम चल सका । इससे सारा काम सुचा ढंग से होता रहा। पर अब अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी । मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें जल्दी से काम लेने की क्या जरूरत है । हमें आशंका है कि जनता पार्टी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस काम को शीघ्र करना चाहती है । वह चाहती है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में तो कम से कम उसका प्रभाव बना रहे क्योंकि दक्षिण में तो उसका प्रभाव है नहीं और उत्तर में भी अब वह घटने लगा है ।

त्रिभाषा सूत्र को उत्तर के राज्यों में अमल में नहीं लाया गया । केवल राजभाषा अधिनियम और त्रिभाषा सूत्र से ही इस समस्या का समाधान होना कठिन है । हिन्दी भाषी राज्य तो दक्षिण की कोई भाषा सिखाने को तैयार नहीं हैं । फिर वे दक्षिणी लोगों से हिन्दी सीखने की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं । और किस प्रकार वह देश की एकता बनाए रखना चाहते हैं । किसी भाषा विशेष से प्रेम की अपेक्षा देश की एकता अधिक महत्व रखती है ।

इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई भी है । दक्षिण का कोई भी विशेषज्ञ यदि वह हिन्दी नहीं जानता है तो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कैसे कामयाब हो सकता है । अगर वह गणित पढ़ाना चाहता है या इंजीनियरिंग विषय पढ़ाना चाहता है तो जहां अंग्रेजी नहीं है वहां वह कैसे पढ़ा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि वह केवल दक्षिण भारत में ही सेवा कर सकता है । वह देश के दूसरे भागों से अलग-थलग पड़ जाएगा । यह भी हिन्दी का थोपा जाना है ।

दक्षिण भारत के लोगों की अपनी अलग संस्कृति है, वे अलग भाषा बोलते हैं । कुछ भी समान नहीं है । इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए । जिस प्रकार से हिन्दी लाई जा रही है और अंग्रेजी हटाई जा रही है उसका अर्थ है गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी थोपना । यह उनके प्रति अत्याचार है अतः मैं अनुरोध करुंगा कि श्री नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासन, सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प तथा राजभाषा अधिनियम का सभी राज्यों में पूरी तरह कार्यान्वयन होना चाहिए । अन्यथा उत्तर के लोग दक्षिण के लोगों को यह नहीं कह सकेंगे कि उन्हें हिन्दी सीखनी चाहिए । मैं जनता पार्टी के लोगों से अपील करूंगा कि वह अपने रवैये में परिवर्तन करें तथा ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे देश की एकता खतरे में पड़ जाए । भाषा का प्रश्न देश की एकता से जुड़ा हुआ है ।

Shri Nathu Singh (Dausa) : It is said that Hindi is being imposed on non-Hindi speaking people. But had Hindi been imposed, English language would not have continued in our country. The very fact that many members speak in English in the House shows that Hindi is not imposed on any body. The only thing is that the people are asked to learn Hindi. We have seen that when foreign dignitaries visit our country they always speak in their own language even though they know English. It is really distressing that we talk with them in English.

In South India also, very few people among weaker sections know English. As an matter of fact they love Hindi.

In our country, the elite, who are mostly I.A.S. officers or other high-ups are opposed to Hindi. They want their sons to become I.A.S. officers after studying in English medium schools.

In all India Competitions, the candidates who receive their education in ordinary institutions cannot compete with those who get education in English medium schools because the competitions are conducted in English medium. Thus many people suffer because they do not have good knowledge of English language. We have to look to the interest of 80 percent of students who study in Govrnment schools. Prof. Mavlankar cited an example from the Rigveda. May I know from him whether English was there when the Rigveda was written.....(interruptions).

श्री के० गोपाल (कसूर) : यह चर्चा कब तक चलेगी और संकल्प पर मतदान कब होगा।

सभापति महोदय : हम इसे 5.25 तक समाप्त कर देंगे । कृपया अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें ।

Shri Nathu Singh : This is a very important matter. I would suggest that the time be extended.

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : यदि इस महत्वपूर्ण विषय पर काफी सदस्य बोलना चाहते हों तो सरकार को समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

Shri Samar Guha (Kantai) : Mr. Chairman, Sir, I agree that this a very important matter and have no objection in extending the time, but two-three minutes be spared for me to allow me to move the resolution.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है । सभा इस विषय पर अनिश्चित काल तक चर्चा नहीं कर सकती । पिछली बार भी इसे दो घण्टे के लिये बढ़ाया गया था । हम इस संकल्प पर मतविभाजन चाहते हैं । यह मतविभाजन 5.55 पर होना चाहिए । इसके बाद दो-तीन मिनट में श्री समर गुह अपना संकल्प पेश कर सकते हैं ।.....(**व्यवधान**)

श्री बीजू पटनायक : इसे आगामी गैर-सरकारी दिवस के लिए स्थगित किया जा सकता है ।

श्री सौगत राय : हम नहीं चाहते कि इसे अगले दिन के लिए बढ़ा दिया जाए ।....(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यदि प्रस्तावक बोलना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य अनुमति दी जाएगी । अब समय बढ़ाना सभा की इच्छा पर निर्भर है । क्या सभा समय बढ़ाना चाहती है ?

अनेक सदस्य : जी हां ।

श्री सौगत राय : शायद आपको मालूम है कि इस संकल्प का प्रस्तावक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के आगामी दिन यहां उपस्थित नहीं हो सकेंगे क्योंकि वह तमिलनाडु विधान परिषद् के सदस्य बन गए हैं।

सभापति महोदय : दोनों पक्षों के कई सदस्यों ने बोलने की इच्छा व्यक्त की है, आपको क्या आपत्ति है ?

श्री समर गुह : मेरे संकल्प को आज के लिए प्रथम स्थान मिला है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि समय बढ़ाया गया तो मेरे संकल्प की क्या स्थिति होगी ?....(**व्यवधान**)

Shri Ram Awdhesh Singh (Bikramganj) : Mr. Chairman, Sir, I am on a point of order.

Shri K.P. Unnikrishnan (Badagara) : He is on a point of order for 20 minutes.

सभापति महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :—आप किसकी बात सुन रहे हैं ? श्री कल्याण सुन्दरम बीस मिनट से खड़े हैं ।

सभापति महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसे अगले दिन तक जारी रखा जा सकता है।

श्री सौगत राय : आप अभी समय क्यों बढ़ाना चाहते हैं ? कृपया जल्दी न करें।

Shri Om Parkash Tyagi (Bahraich) : This is very important issue.

Shri Nathu Singh : This is the question of language. It should be discussed thoroughly and the time should be extended.

Shri Ram Awadhesh Singh (Bikramganj): Mr. Chairman, I rise on the point of order. When any motion or matter is moved in the House, it becomes the property of the House.

सभापति महोदय : यह सभा की सम्पत्ति है और सभा इस पर निर्णय लेगी।

श्री समरगुहा (कन्टाई) : कितना समय बढ़ाया गया है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : यह निर्णय लिया गया है कि समय दो घंटे बढ़ाया जाये । और ये दो घंटे अगले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के दिन दिये जायेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है ।

सभापति महोदय : यह अगले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के दिन लिया जाएगा।....(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस संकल्प के लिए समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस संकल्प के लिए समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Nathu Singh : There should be no imposition of English on Hindi speaking people and also no imposition of Hindi on non-Hindi speaking people. But all of us should make an effort to learn Hindi gradually.

We should propagate Hindi in the South. We do not want to impose Hindi but we want that people of the South should develop love for Hindi. We will be happy if they do so.

There is no need for passing this Resolution. There is already a provision about the official languages in the Constitution. The mover should withdraw the Resolution.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : सभापति महोदय, भाषा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । यह सामाजिक उपयोग के लिए है । अगर भाषा को इस दृष्टि से देखा जाएगा तो गरमागरमी काफी हद तक बचाई जा सकेगी ।

हमारा देश राज्यों का संघ है । इन राज्यों में दक्षिण के राज्य भी शामिल हैं । इन राज्यों की मांग है कि उनकी भाषाओं को भी सम्मान दिया जाना चाहिये । यदि प्रत्येक राज्य की भाषा और क्षेत्रीय संस्कृति का आदर किया जाना है तो इन राज्यों की भावनाओं का भी आदर किया जाना होगा।

मैं न तो हिन्दी के विरुद्ध हूं और न अंग्रेजी के। कोई भी अपनी पसंद की भाषा सीखे । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु मैं हिन्दी को ही केवल राष्ट्रीय भाषा मानने को तैयार नहीं हूं । मैं हिन्दी को तमिल या मलयालम या किसी अन्य भाषा की तरह एक राष्ट्रीयभाषा मानने को तैयार हूं। अतः समूचे सिद्धांत पर विचार करना होगा तथा हमें उचित अनुचित को देखते हुए राष्ट्र की एकता संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा।

अंग्रेजी अल्पसंख्यक लोगों की भाषा है । इनकी संख्या चाहे कितनी ही कम क्यों न हो, वे देश के नागरिक हैं । अंग्रेजी को मेघालय जैसे छोटे राज्य और दक्षिण के चार राज्यों ने अपनी भाषा के रूप में स्वीकार किया है । इन राज्यों ने यह भी स्वीकार किया है कि व्यावहारिक कार्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग आवश्यक है और इसका उपयोग किया जाते रहना चाहिये । इस बात को उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

प्रश्न हिन्दी बनाम अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषायें बनाम अंग्रेजी का नहीं है । परन्तु प्रश्न कोंकनी, मनीपुरी, नेपाली और मैथिली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का है । इस संबंध में की गयी मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए । इन भाषाओं को प्रयोग करने वाले लोगों को संवैधानिक गारंटी दी जानी चाहिए तथा सरकार का उद्देश्य इन भाषाओं का विकास करना होना चाहिए ।

उर्दू का भी मामला है । सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उर्दू का विकास करे । अल्पसंख्यक समुदाय इस भाषा का प्रयोग करता है ।

अंग्रेजी भाषा जारी रखने का कारण केवल यही नहीं है कि दक्षिणी राज्यों के लोग इसकी मांग करते हैं । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य भाषाओं के मुकाबले अधिक स्वीकार किया जा रहा है । विज्ञान और प्रौद्योगिक सम्बन्धी प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में ही अधिक उपलब्ध है ।

अभी हाल ही में, केन्द्रीय सरकार ने काफी बोर्ड, इलायची बोर्ड और रबड़ बोर्ड को हिदायतें भेजी हैं कि वे अपने फार्म और रजिस्टर हिन्दी में रखें । ये अनुदेश भी दिये गए हैं कि इन बोर्डों के कर्मचारियों को तब तक कोई पदोन्नति नहीं दी जाएगी जब तक वे हिन्दी की परीक्षा पास नहीं करेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह हिन्दी थोपना नहीं है ?

गृह मंत्री को भाषायी जनगणना संबंधी आंकड़े सभापटल पर रखने चाहिये । इस बात को सभा से क्यों छिपाया जा रहा है ? इसे छापा नहीं गया है और ये हिदायतें दी गयी हैं कि इसे दबा लिया जाये, क्योंकि हिन्दी भाषी लोगों की संख्या कम हो गयी है । क्या वह इसका खंडन करेंगे ?

भारत संघ में अनेकता में एकता है । इस अनेकता पर प्रहार करने का मतलब होगा कि हम देश की एकता भंग करने वाले हैं । मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा ।

सभापति महोदय: श्री युवराज । केवल पांच मिनट लीजिए ।

Shri Yuvraj (Katihar): Mr Chairman, Sir, Seth Govind Das had stated that the Father of the Nation Mahatma Gandhi was of the view that if independence of the country is meant only for the English speaking people of the country then English may be our official language but if country's independence is meant also for crores of illiterate and depressed people of the country then only Hindi may be our official language.

I agree that the attempts, which ought to have been made to make Hindi a common language, have not been made. But who is responsible for this ? Only those who ruled over the country for 30 years are responsible. I also agree that Hindi should not be imposed on our brethren of the South, but then English also can not be accepted as an additional links language permanently. English also should not be imposed indefinitely on the 70 percent of the people of our country who understand Hindi or on those who speak other regional languages and whose number is not even half of those who understand Hindi.

It is not a question of North and South. It is a question of national integration only that language can attain the status of a common language in our country through which most of the people exchange their views wiih one another.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे।

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 3 अप्रैल, 1978/13 चैत्र, 1900 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 3rd April, 1978/ Chaitra 13, 1900 (Saka).

MGIPRRND—Soc. Ist Day—11 LSS/78—18-9-78—1000